लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित स[illegible]

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[सोलहवां सत्र
Sixteenth Session]

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
On 1.1.84
Parliament Library

[खंड 61 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. LXI contains Nos. 11—20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi)]

विषय–सूची/CONTENTS

अंक 13—शुक्रवार, 18 नवम्बर, 1966/27 कार्तिक, 1888 (शक)

No. 13—*Friday, November* 18, 1966/*Kartika* 27, 1888 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० सं० S. Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
362. कच्चे माल की कमी	Shortage of Raw material	1571-1574
364. बोकारो कारखाने के लिए उपकरण	Equipment for Bokaro Plant .	1574-1576
365. अमरीका को निर्यात	Exports to USA .	1576-1578
368. रेलवे इंजनों और माल डिब्बों के निर्माण में आत्म निर्भरता	Self-sufficiency in the manufacture of Railway Engines and Wagons . .	1578-1581
369. रूरकेला में पाइप बनाने का कारखाना	Pipe Factory in Rourkela .	1581-1584
370. व्यापार के लिए विदेश यात्रायें	Foreign Trade Trips .	1584-1586
371. राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद्	National Productivity Council	1586-1588
372. बलगेरिया तथा रूमानिया के साथ व्यापार	Trade with Bulgaria and Rumania	1588-1589
373. रेलवे के केंटीनों में अपोष्टिक भोजन का परोसा जाना	Unwholesome Food served in Canteens on Railways	1589-1590

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWER TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
361. 'ब्रिटेनिया बिस्कुट कम्पनी'	Britania Biscuit Company	1590-1591
363. चिली का नाइट्रेट सोडा	Chilean Nitrate of Soda	1591-1592

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय ता० प्र० संख्या S. Q, Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
366. हांगकांग तथा सिंगापुर को निर्यात	Exports to Hongcong and Singapore	1592
367. अवमूल्यन के पश्चात् कोयले का निर्यात	Export of Coal after Devaluation .	1592
374. रेल दुर्घटनाएं	Railway Accidents .	1593
375. दुर्गापुर इस्पात कारखाने का विस्तार	Expension of Durgapur Steel Plant	1593
376. आयात लाइसेंस	Import Licences .	1594
377. भर्ती के लिए परीक्षाएं हिन्दी में करना	Holding of Recruitment Examination in Hindi	1594
378. जूतों का निर्यात	Export of Foot-Wear .	1595
379. अत्यावश्यक तथा अल्पावश्यक उद्योग	Essential and Non-Essential Industries .	1595–1596
380. रेलवे कर्मचारियों का स्थानांतरण	Transfer of Railway Staff	1596
381. निर्यात	Exports . . .	1596–1597
382. कारों का निर्माण	Manufacture of Cars .	1597
383. घड़ियों का निर्माण	Manufacture of Watches	1597
384. विकास परिषदें	Development Councils	1597–1598
385. मैसर्स अमीचन्द प्यारे लाल को कच्चे माल का नियतन	Allotment of Raw Materials to M/s Amin Chand Pyarelal	1598
386. कपड़ा मिल	Cloth Mills	1598–1599
387. ए. सी० बिजली से चलने वाले रेलवे इंजन	A.C. Electric Locomotives .	1599
388. रेलवे द्वारा खरीदा जाने वाला कोयला	Coal Purchased by Railways .	1599–1600
389. आसाम में कागज, कागज की लुगदी और अखबारी कागज बनाने का कारखाना	Paper, Pulp and Newsprint Factory in Assam	1600
890. रेल की पटरियों के दोनों ओर की भूमि में खेती	Cultivation of land on the sides of Rail Tracks	1600

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.		
1681. रेलवे स्टेशनों पर रिटायरिंग रूम	Retiring Rooms at Railways Stations .	1600–1601
1682. रेलवे अधिकारियों द्वारा रिटायरिंग रूम का इस्तेमाल	Use of Retiring Rooms by Railway Officials	1601
1683. कोयना एल्यूमीनियम परियोजना	Koyna Aluminium Project . .	1602
1684. उत्तर रेलवे द्वारा खरीदी गई सामग्री	Stores Purchased by Northern Railway .	1602–1603
1685. इस्तेमाल किये गये टिकट	Used Tickets	1603
1686. रेलवे में पदाधिकारी तथा अन्य कर्मचारी	Officers and other employees in Railways	1604
1687. तकनीकी पर्यवेक्षक	Technical Supervisors .	1604
1688. ट्रकों और मोटर गाड़ियों की खरीद	Purchase of Trucks and Motor Vehicles .	1604–1605
1689. दिल्ली और जीन्द के बीच रेलगाड़ियां	Trains between Delhi and Jind	1606
1690. दिल्ली रोहतक कार्ड सेक्शन पर टिकट घर	Booking Offices on Delhi Rohtak Chord Section	1606–1607
1691. मद्रास एक्सप्रेस का पटरी से उतर जाना	Derailment of Madras Express. .	1607
1692. दिल्ली/नई दिल्ली में रेलवे यानान्तरण (ट्रांन्सशिपमेंट) सहकारी श्रम तथा निर्माण समिति लिमिटेड के जरिये समान का लादा जाना तथा उतारा जाना ।	Loading and Unloading of Goods at Delhi/New Delhi through Railway Transhipment Cooperative Labour and Construction Society, Ltd. . .	1607–1608
1693. लोहा तथा इस्पात नियंत्रक का कार्यालय	Iron and Steel Controller's Office .	1608
1694. ढलाई कारखाना	Forge Foundry Project . .	1608–1609
1696. रेलवे पास	Railway Passes	1609

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1697.	बातानुकूलित रेलगाड़ियों के पास	Air Conditioned Railway Passes	1609–1610
1698.	लखनऊ स्थित सवारी तथा माल डिब्बा वर्कशाप में दुर्घटना	Accidentt Carriage and Wagon Work-shop, Lucknow . . .	1610
1699.	हथकरघा कपड़ों की बिक्री	Sale of Hand-loom Fabrics	1610–1611
1700.	पेरसान्यू तथा राजलदेसार स्टेशनों के बीच मालगाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment between Persaneu and Rajaldesar Stations	1611
1701.	उत्तर रेलवे में कर्मचारियों की वरिष्ठता	Seniority of staff on Northern Railway	1611
1702.	दक्षिण मध्य रेलवे में रेल-गाड़ियों का आना जाना बन्द हो जाना	Disruption of Train Services on South-Central Railway	1611–1612
1703.	पूर्वी रेलवे में बिना टिकट यात्रा	Ticketless Travel on Eastern Railway	1612
1705.	कोमईकडू में हाल्ट स्टेशन	Halt Station at Komaikkadu .	1612
1706.	रामेश्वरम् एक्सप्रेस रेलगाड़ी	Rameswaram Express . .	1612–1613
1707.	लखनऊ में चार बाग के स्वास्थ्य केन्द्रों में आयाएं	Ayahs in Health Centres at Char Bagh, Lucknow	1613
1708.	ऐल्यमीनियम बनाने वाली गैर-सरकारी कम्पनियां	Private Aluminium Manufacturing Companies	1613–1614
1709.	औद्योगिक क्षमता	Industrial Capacity	1614
1710.	निर्यात को प्रोत्साहन	Incentives to Exports .	1614–1615
1711.	'उच्चतम रेलवे अधिकारियों में असन्तोष'	Discontentment of Top Railwaymen	1615
1712.	मैसूर में रेयन फैक्टरी	Rayon Factory in Mysore	1615
1713.	दिल्ली में चोर बाजारी करने वालों की गिरफतारी	Arrest of black marketeers in Delhi	1616
1714.	ओरिएंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन	Oriental Timber Trading Corporation	1616–1617

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1715.	संयक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय	Headquarters of UN Organisation for Industrial Development . . .	1617
1716.	विदेशों में व्यापार गृह	Business Houses Abroad .	1618
1717.	भारतीय व्यापार सेवा का गठन	Formation of Indian Trade Service .	1618
1718.	असाम में सीमेंट का कारखाना	Cement Factory in Assam	1618–1619
1719.	ऊनी कपड़े के मूल्य	Prices of Woollen Cloth .	1619
1720.	कोक तथा कोयले की उत्पादन लागत	Production cost of Coke and Coal	1620
1721.	फतेहपुर से चुरू तक का रेलवे किराया	Railway Fare from Fatehpur to Churu .	1620–1621
1722.	भिलाई इस्पात कारखाने में छंटनी	Retrenchment in Bhilai Steel Plant	1621
1723.	परम्परागत वस्तुओं का निर्यात	Export of Traditional Items .	1621–1622
1724.	रूरकेला इस्पात कारखाने का विस्तार	Expansion of Rourkela Steel Plant	1622–1623
1725.	कोयले का निर्यात	Export of Coal . . .	1623
1726.	खेतरी तांबा तथा उर्वरक कम्पलेक्स	Khetri Copper and Fertilizer Complex .	1623–1624
1727.	मैंगनीज अयस्क का निर्यात	Export of Manganese Ore .	1624–1625
1728.	सुरक्षा तथा बचाव से सम्बन्धित सदस्य की नियुक्ति	Appointment of Member for Security and Safety	1625
1729.	काजू साफ करने का उद्योग	Cashew Nut Processing Industry .	1625–1626
1730.	बिजली के गैजटों की बिक्री	Sale of Electric Gadgets	1626
1731.	टेलीविजन सैटों की बिक्री	Sale of T. V. Sets . .	1626–1627
1732.	निर्यात ऋण तथा प्रत्याभूति निगम	Export Credit and Guarantee Corporation	1627
1733.	रामगढ़ ओपन कास्ट माइनिंग परियोजना	Ramgarh Open Cast Mining Project .	1627–1628

1734.	इंडियन मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड	Indian Motion Pictures Export Corporation Ltd.	1628
1735.	रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद्	Gem & Jewellery Export Promotion Council	1629–1630
1736.	सवारी गाड़ी में हत्या	Murder in Passenger Train .	1630
1737.	पूर्वोत्तर रेलवे के स्कूलों तथा कालेजों में अध्यापक तथा प्राध्यापक	Teachers and Lecturers in N. E. Railway Schools and Colleges . . .	1630
1738.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियां	H. M. T. Wrist Watches	1631
1739.	काश्मीर में घड़ियों का कारखाना	Watch Factory in Kashmir	1631
1740.	साही रेलवे स्टेशन पर हमला	Raid on Sahi Railway Station	1631–1632
1741.	हैवी इंजीनियरिंग कार-पोरेशन, रांची	Heavy Eugineering Corporation, Ranchi	1632
1742.	मयूरभंज में फेरी वैनेडियम अयस्क	Ferro-Venadium Ore in Mayurbhanj .	1632–1633
1743.	कोटा में रेल का पटरी से उतर जाना	Derailment in Kotah	1633
1744.	बरेली में जूता तथा चप्पल उद्योग	Shoe and Chappal Industry in Bareilly .	1633
1745.	कलकत्ता के निकट बाली स्टेशन पर डाकुओं की गिरफ्तारी	Arrest of Dacoits at Bally Station near Calcutta	1634
1746.	गढ़ बरुआरी सुपोल स्टेशनों के बीच हाल्ट स्टेशन	Halt Stations between Garh Baruari and Supaul Stations	1634
1747.	डीजल इंजन	Diesel Locomotives	1634–1635
1748.	बंगलौर में कपड़ा मिल	Textile Mills in Bangalore	1635
1749.	राज्य व्यापार निगम	State Trading Corporation .	1635–1636
1750.	रेशम उद्योग	Silk Industry	1636
1751.	भागलपुर खादी पण्यशाला	Bhagalpur Khadi Emporium	1636–1637
1753.	वाराणसी में रेलवे फायरमैन	Railway Firemen in Varanasi.	1637

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1754.	सारावाड़ी और जालना स्टेशनों के बीच गाड़ी का पटरी से उतरना	Derailment between Sarwadi and Jalna Stations	1637–1638
1755.	डिलक्स और दक्षिण एक्सप्रैस रेलगाड़ियों के बैरे	Bearers of De-Luxe and Southern Express Trains	1638
1756.	काश्मीर में भेजे गये गेहूं का खराब होना	Damage to Wheat Transported to Kashmir	1638
1757.	रेल की पटरी से फिश प्लेटों का हटाया जाना	Removal of Fish Plates from Railway Track	1638–1639
1758.	टिकट देखने वाले कर्मचारी	Ticket Checking Staff .	1639
1759.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के लिये विशेष इस्पात	Special Steel for H. M. T.	1639
1760.	कोयला खनन मशीने	Coal Mining Machinery	1640
1761.	दुर्गापुर में पांचवी भट्टी	Fifth Furnace at Durgapur .	1640
1762.	दिल्ली में कच्चे माल की कमी	Shortage of Raw Materials in Delhi	1640
1763.	होसपेट हुबली और हुबली कारवार की बड़ी लाइनें	Hospet Hubli and Hubli Karwar B. G. Lines	1641
1764.	गैर प्राथमिकता प्राप्त उद्योगो के बारे में आयात नीति	Import Policy for non-priority Industries	1641–1642
1765.	ट्रावनकोर टिटोनियम प्राडक्टस् लिमिटेड, केरल	Travancore Titanium Products Ltd., Kerala	1642–1643
1766.	मैसूर में रेशम कीट पालन उद्योग	Sericulture Industry in Mysore	1543
1767.	औद्योगिक लाइसेंस	Industrial Licences	1644
1768.	रेलगाड़ी में शव का पाया जाना	Discovery of a dead body in Train	1644
1769.	खनन कार्य के लिये रूसी सहायता	Soviet Aid for Mining .	1644—1645
1770.	व्यापार तथा विकास संबंधी विश्व सम्मेलन	World-Conference on Trade and Development	1645
1771.	कानपुर में पटसन मिलें	Jute Mills in Kanpur .	1645–1646

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1772.	पूर्व रेलवे पर माल डिब्बों में लूट	Looting of Wagons on Eastern Railway .	1646
1773.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की मशीने	H. M. T. Machines	1646–1647
1774.	रेलवे माल डिब्बों का निर्यात	Export of Railway Wagons	1647
1775.	मानव बालों का निर्यात	Export of Human Hair	1647–1648
1776.	स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों द्वारा हड़ताल	Strike by SMs and A. S. Ms.	1648
1777.	रेल की पटरियों और स्लीपरों की मांग	Demands for Rails and Sleepers	1648–1649
1778.	मूंगफली तेल का निर्यात	Export of Ground nut Oil	1649
1779.	रेलवे के फ्लैग स्टेशनों का स्थान परिवर्तन	Shifting of Railway Flag Stations .	1649–1650
1780.	चाय के निर्यात पर निर्यात शुल्क में कटौती	Cut in Export Duty on Tea	1650
1781.	भारी जहाज तथा प्लेट उत्पादन कारखाना	Heavy Vessels and Plate Manufacturing Unit.	1650–1651
1782.	सरकारी क्षेत्र में सूती कपड़ा मिल	Cotton Mills in Public Sector	1651–1652
1783.	रेलवे सेवा आयोग द्वारा भर्ती	Recruitment by Railway Service Commission	1652–1653
1784.	चाय के निर्यात पर उत्पादन शुल्क	Excise Duty on Tea Export .	1653
1785.	गोन्दिया स्टेशन पर कपड़े का बरामद किय जाना	Recovery of Cloth at Gondia Station	1653–1654
1786.	वाणिज्य मंत्रालय द्वारा हिन्दी में जारी किये गये आदेश	Orders issued in Hindi by the Ministry of Commerce	1654
1787.	शराब का आयात	Import of Wine .	1654
1788.	विदेशों से किए गए करारों का हिन्दी संस्करण	Hindi Version of Agreements concluded with foreign countries . . .	1654
1789.	आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा हिन्दी में आदेशों का जारी किया जाना	Issue of orders in Hindi by Chief Controller of Imports and Exports . .	1654–55

अता० प्र०
संख्या
U. Q. Nos.

1790. नेवेली ताप बिजली घर का विस्तार	Expansion of Nayveli Thermal Power Station	1655
1791. बल्गारिया में मेला प्लोव्डीव	Plodiv Fair in Bulgaria	1655
1792. बहादुरगढ़ और बम्बई के बीच तेज माल गाड़ी	Fast Goods Train between Bahadurgarh and Bombay	1656
1793. जैसलमेर रेलवे लाइन	Jaisalmer Railway Line	1656
1794. अलौह धातुओं की कमी	Shortage of non-ferrous Metals .	1656
1795. रद्दी लोहा तथा इस्पात	Iron and Steel Scrap .	1657
1796. नांगल बांध में कागज की मिल	Paper Mill at Nangal Dam	1657
1797. ट्रैक्टर कारखाना	Tractor Factory	1658
1798. टेलीविजन सेटों का आयात	Import of T.V. Sets .	1658–1659
1799. क्यूबा के साथ व्यापार सम्बन्ध	Trade Relations with Cuba	1659
1800. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियों के विक्रय केन्द्र	Sales Centres for H.M.T. Watches .	1659
1801. बीड़ियों का निर्यात	Export of Bidies	1659–1660
1802. लक्ष्मीरतन काटन मिल्स, कानपुर	Lakshmiratan Cotton Mills, Kanpur	1660
1803. सयालदाह में डाउन दार्जिलिंग डाक गाड़ी का देर से पहुंचना	Late arrival of Down Darjeeling Mail Train at Sealdah	1660
1804. चार्जमैनों तथा फोरमैनों के वेतन-क्रम	Grades of Chargemen and Foremen .	1661
1805. प्रोत्साहन योजना	Incentive Scheme .	1661
1806. फोरमैन	Foremen . .	1662
1807. कोटा और अजमेर के बीच ब्राड गेज लाइन	B.G. Line between Kotah and Ajmer	1662
1808. कोटा रेलवे स्टेशन के गोदाम में आग लग जाना	Fire in the Goods Shed at Kotah. .	1662–1663
1809. केरल में रेलवे लाइनें	Railway Lines in Kerala . .	1663
1810. बिहार में पटसन की कीमतें	Jute Prices in Bihar . .	1663
1811. राष्ट्रमंडलीय देशों के बीच व्यापार संवर्द्धन	Commonwealth Trade Promotion .	1664

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.		
1812. औषधियां	Medicines .	1664
1813. टेलीविजन सेटों का आयात	Import of T.V. Sets	1665
1814. ट्रैक्टरों का मूल्य	Price of Tractors	1665
1815. मलयेशिया के व्यापार	Trade of Malaysia	1666
1816. अमरीका के साथ व्यापार	Trade with America .	1666
1817. बर्मा को नारियल जटा के धागे का निर्यात	Export of Coir Yarn to Burma .	1666–1667
1818. औद्योगिक बस्तियां	Industrial Estates . . .	1667
1819. क्विलोन एरणाकुलम लाइन पर हाल्ट स्टेशन	Halt Station on Quilon Ernakulam Line	1667
1820. बारसाट रेलवे स्टेशन पर हमला	Attack on Barasat Railway Station . .	1668
1821. मूंगफली के तेल की टैंकरों द्वारा ढुलाई	Transport of Groundnut oil in Tankers .	1668
1822. रेलवे में रिक्त पदों पर नियुक्तियां	Filling up of Vacancies on Railways .	1668–1669
1823. रेलवे के लोको तथा ट्रैफिक के परिचालक वर्ग	Railway Loco and Traffic Running Staff .	1669
1824. आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन	Import Substitution	1669–1670
1825. प्रशुल्क पुनरीक्षण समिति	Tariff Revision Committee . .	1670
1826. एल्यूमीनियम की मांग	Requirement of Aluminium . . .	1670
1827. दिल्ली में रेलवे फाटकों पर दुर्घटनायें	Accidents at Railway Crossings in Delhi .	1671
1828. रेलवे में इन्टरलोकिंग तकनीकी	Interlocking Technique on the Railway	1671
1829. अप फतेहगढ़ कानपुर, आगरा यात्री गाड़ी	UP Fategarh Kanpur Agra Passenger Train	1671–1672
1830. जिरादेई स्टेशन पर मालगाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment at Jiradel Station .	1672
1831. स्टेशनों के बीच बिजली से रेलगाड़ियां चलाना	Linking of Station s by Electric Traction .	1672

अता० प्र० संख्या
U, Q, Nos,

1832.	मद्रास में वाक्साइट के निक्षेप	Bauxite Deposits in Madras .	1673
1833.	फालतू रेलवे कर्मचारी	Surplus Railway Employees .	1673
1834.	उत्तर रेलवे में डिस्ट्रिक्ट भंडार नियंत्रक	Deputy District Controller of Stores in Northern Railway	1673–1674
1835.	आत्म निर्भरता अभियान	Drive Towards Self Reliance .	1674
1836.	कांगड़ा वेली और कालका शिमला सेक्शन	Kangra Valley and Kalka Simla Section .	1674–1675
1837.	बम्बई जाने वाली बनारस एक्सप्रेज गाड़ी को (मध्य रेलवे) के जबलपुर डिवीजन में पटरी से उतारने का प्रयत्न	Attemp t o Derail Bombay bound Banaras Express in Jabalpur Dn. (C. Rly). .	1675
1838.	रेलवे अधिकारि का संघ	Federation of Railway Officers .	1675
1839.	चाय बोर्ड के कर्मचारियों के विरुद्ध जांच	Enquiry against Employees of Tea Board	1676
1840.	कनाडा से भूतत्वीय सर्वेक्षण उपकरण	Geological Survey Equipment from Canada	1676–1677
1841.	सामग्री आयोजन तथा आवंटन बोर्ड	Materials Planning and Allocation Board .	1677
1842.	टेलीविजन सैटों का निर्माण	Manufacture of T.V. Sets	1678
1843.	ब्रिटेन को कपड़े का निर्यात	Export of Textiles to U.K.	1678
1844.	अमरीकी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत लाइसेंस	Licences Under U.S. Aid Programme .	1678–1679
1845.	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के बेंजीन संयंत्र	Benezene Plants under Hindustan Steel Ltd.	1679–1680
1846.	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में उत्पादन बोनस	Production Bonus in Hindustan Steel Ltd.	1680–1681
1847.	रेलवे डाक्टर	Railway Doctors .	3681
1848.	यात्रा टिकट परीक्षक (टी० टी० ई०) की हत्या	Killing of Travelling Ticket Examiner .	1681
1849.	रेलवे कर्मचारियों का ज्ञापन	Memo from Railwaymen	1682
1850.	नीडूबरोलू पर ऊपरी-पुल	Overbridge at Nidubrolu	1682
1851.	रंगिया स्टेशन के निकट दुर्घटना	Accident near Rangiya Station .	1682–1683

अता० प्र० संख्या
U. Q. Nos.

1852.	त्रिपुरा में कताई मिल	Spinning Mill in Tripura	1683
1853.	त्रिपुरा में पटसन मिलें	Jute Mill in Tripura . .	1683
1854.	त्रिपुरा में मध्यम आकार के उद्योग	Medium Sized Industry in Tripura .	1683–1684
1855.	कीमतों में अत्याधिक वृद्धि	Abnormal Rise in Prices. .	1684
1856.	चितरंजन रेलवे इंजन कारखाने में हड़ताल	Strike at Chittaranjan Locomotive Works	1684
1857.	शिशु आहार (बेबी फूड) की कमी	Scarcity of Baby Food . .	1685
1858.	राज्य व्यापार निगम द्वारा विदेशी कारों की खरीद	Purchase of Foriegn Cars by S.T.C.	1685
1859.	स्कूटरों का आवंटन	Allotment of Scooters . .	1685–1686
1860.	रूरकेला इस्पात कारखाना	Rourkela Steel Plant .	1686–1687
1861.	मीटरगेज सैक्शनों में तीसरे, दर्जे वाली 'डीलक्स' वातानुकूलित रेलगाड़ियां	De-Luxe Third Class A.C. Trains on Metre Gauge Sections . .	1687
1862.	पश्चिम रेलवे में अहमदाबाद के नये रेलवे डिवीजन की स्थापना	Creation of New Ahmedabad Division on the Western Railway	1687
1863.	मैसर्स नाजिरा कोल कम्पनी	M/s. Nazira Coal Company	1687
1864.	इटारसी के निकट लैवल क्रासिंग पर ऊपरी पुल	Overbridge at Leval Crossing near Itarsi .	1688
1865.	पुस्तकों का आयात	Import of Books .	1688
1866.	आयातित रुई का वितरण	Distribution of Imported Cotton	1689
1867.	रूई का आयात	Import of Cotton . .	1689
1868.	डीजल क्लीनरों तथा खलासियों की वरिष्ठता	Seniority of Diesel Cleaners and Khalasis	1689–1690
1869.	कम तापीय कारबनीकरण सन्यन्त्र	Low Temperature Corbonization Plants .	1690
1870.	खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग	Khadi and Village Industries Commission	1690

अता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1871.	गैर-सरकारी खानों का विकास	Development of Private Mines	1690
1872.	गोबर के स्थान पर साफ्ट कोक का प्रयोग	Substitution of Cow Dung by Soft-Coke .	1690–1691
1873.	कोला निर्यात सम्बन्धी अध्ययन दल	Study Group on Export of Coal	1691–1692
1874.	कोयले की कमी	Shortage of Coal .	1693
1875.	सोफ्ट कोक के भाड़े में कमी	Reduction in Freight on Soft Coke .	1693
1876.	कोक तथा कोयला बेचने के लाइसेंस प्राप्त डिपो	Licenced Depots for Selling Coke and Coal	1693–1694
1877.	उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में कारखानों की स्थापना	Setting up of Factories in Tarai Area of U.P.	1694
1878.	काली सूची में दर्ज फर्में	Black Listed Firms .	1694–1695
1879.	उड़ीसा में पटसन मिल	Jute Mill in Orissa .	
1880.	बायोगैस तथा बायोमेन्योर का उत्पादन	Production of Biogas and Biomanure	1695
1881.	मद्रास सेंट्रल स्टेशन डिब्बों के कंडक्टरों के लिये रेलवे विश्राम कक्ष	Railway Rest Room for Sleeper Coach Conductors at Madras Central Station .	1696
1882.	पालघाट में औजार बनाने का कारखाना	Instruments Factory in Palghat	1696
1883.	रेलवे अस्पतालों में नर्स	Nurses in Railway Hospitals .	1697–1698
1884.	ट्रैक्टरों के मूल्य	Price of Tractors . .	1698–1699
1885.	अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड	All India Handloom Board	1699–1700
1886.	पंचेट बांध के निकट प्रस्फोटकों (डेटोनेटरों) का लूटा जाना	Looting of Detonators near Panchet Dam	1700
1887.	उज्जैन रेलवे स्टेशन पर चोरियां	Thefts at Ujjain Railway Station	1700
1888.	उज्जैन में ऊपरी पुल	Over-bridge in Ujjain	1700-1701
1889.	पश्चिम रेलवे में उपनगरीय रेलगाड़ी में आग	Fire in Suburban Train on Western Railway	1701

आ० प्र० संख्या S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1890.	स्कूटरों का आवंटन	Allotment of Scooters	1701
1891.	केन्द्रीय रेशम बोर्ड	Central Silk Board.	1702
1892.	रेशम बोर्ड	Silk Board . . .	1702
1893.	काफी के बीजों का वितरण	Distribution of Coffee Seeds . .	1702–1703
1894.	केरल में काफी का नीलाम	Auction of Coffee in Kerala .	1703
1895.	ओसाका में विश्व प्रदर्शनी	World Exhibition in Osaka	1703–1704
1896.	सिगनेलरों की भर्ती	Recruitment of Signallers	1704
1897.	पलेजा घाट पर कुली	Porters at Paleza Ghat . . .	1704–1705
1898.	विरार तथा अहमदाबाद स्टेशनों के बीच बिजली से चलने वाली गाड़ियों का चलाना	Electrification between Virar and Ahmedabad Stations	1705
1899.	उत्तर रेलवे के कानपुर टूंडला सैक्शन में विद्युतीकरण	Electrification of Kanpur Tundla Section of Northern Railway	1705–1706
1900.	आटा मिलों को लाइसेंस देना	Licensing of Roller Flour Mills	1706
1901.	हरियाना में आटा मिल	Flour Mills in Hariana .	1706–1707
1902.	श्रीलंका को पांच करोड़ रुपयों का ऋण	50 Million Credit to Ceylon	1707
1903.	मीटर गेज लाइन को बडी लाइन में बदलना	Conversion of M.G. Line into B.G.	1707–1708
1904.	पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारी	Employees of North-Eastern Railway	1708
1905.	हैवी इलैक्ट्रिकल्स, भोपाल	Heavy Electricals, Bhopal .	1708–1709
1906.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची]	H.E.C., Ranchi . .	1709
1907.	आयातित खोपरा	Imported Copra	1709-1710
1908.	लोह तथा इस्पात नियंत्रक के कार्यालय में राजपत्रित पद	Gazetted Posts in the Iron and Steel Controllers' Office	1710–1711
1909.	लोहा तथा इस्पात नियन्त्रण संगठन	Iron and Steel Control Organisation	1711
1910.	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लि मकान	Accommodation to Class IV Employees .	1711–1712

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	1712
मिजो विद्रोहियों द्वारा जिला कछार में हमला किये जाने और उसे लूटे जाने के समाचार	Reported raid and looting in Cachar District by Mizo Rebels	1712
श्री विश्व नाथ पाण्डेय	Shri Vishva Nath Pandey . . .	1712
श्री यशवन्त राव चव्हाण	Shri Y.B. Chavan . . .	1713
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	1716
सदस्य की गिरफ्तारी	Arrest of Member	1716
श्री मनीराम बागड़ी	Shri Maniram Bagri . .	1716
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	1720
कार्यवाही सारांश आदि	Minutes etc. . .	1720
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee .	1720
इकसठवां प्रतिवेदन	Sixty-first Report . .	1720
सदस्य का निलम्बन	Suspension of Member .	1720
(श्री किशन पटनायक)	(Shri Kishen Pattnayak) .	1720
सभा का कार्य	Business of the House .	1722
विधेयक पुरःस्थापित	Bills Introduced	1722
(1) विनियोग (रेलवे) संख्या 3 विधेयक, 1966	(i) Appropriation (Railways) No. 3, Bill, 1966.	1724
(2) विनियोग (रेलवे) संख्या 4 विधेयक, 1966	(ii) Appropriation (Railways) No. 4, Bill, 1966–67	1724
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (केरल) 1966-67 तथ	Demands for Supplementary Grants (Kerala) 1966-67 and	1725
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (केरल) 1962–63 और 1963-64	Demands for Excess Grants (Kerala), 1962-63 and 1963-64	1725
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachhavaiya	1725
श्री ल० न० मिश्र	Shri L.N. Mishra .	1725
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1966–67 तथा	Demands for Supplementary Grants (General), 1966–67 and . .	1728
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1963–64	Demands for Excess Grants (General) 1963-64	1728

2378 (ai) LSD—2

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद	Shri Sidheswar Prasad . . .	1728
श्री कृष्णपाल सिंह	Shri Krishnapal Singh . .	1729
श्री लीलाधर कटकी	Shri Liladhar Kotoki	1729
श्री उ० मू० त्रिवेदी	Shri U.M. Trivedi	1730
श्री पें० वेंकटासुब्बया	Shri P. Venkatasubhaiah . .	1731
श्री सरजू पाण्डेय	Shri Sarjoo Pandey . . .	1732
श्री मुथिया	Shri Muthiah .	1732
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye . .	1733
श्री हरिश्चन्द्र माथुर	Shri Harish Chander Mathur	1736
श्री प्रकाश वीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri . .	1737
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members Bills and Resolutions.	1738
अठानवेवां प्रतिवेदन	Ninety-eight Report	1738
विधेयक पुरःस्थापित	Bills Introduced:	1738
(1) वैयक्तिक स्वातंत्र्य (प्रत्यावर्तन) विधेयक [श्री यश पाल सिंह का]	(i) Personal Liberties (Restoration) Bill by Shri Yashpal Singh . .	1738 1738
(2) पशुवध विधेयक [श्री प्रकाशवीर शास्त्री का]	(ii) Cattle Slaughter Prohibition Bill by Shri Prakash Vir Shastri	1738 1738
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—(श्री मलाइछामी का) वापस लिया गया	Representation of the People (Amendment) Bill-withdrawan by Shri M. Malaichami	1739
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	1739
श्री रघुनाथ सिंह	Shri Raghunath Singh	1739
श्री गो० ना० दीक्षित	Shri G.N. Dixit . .	1739
श्री गोपाल स्वरूप पाठक	Shri G.S. Pathak .	1740
श्री मलाइछामी	Shri M. Malaichami . .	1740
परिवहन समन्वय विधेयक—(श्री दी० चं० शर्मा का) वापस लिया गया	Transport Co-ordination Bill–Withdrawan by Shri D.C. Sharma	1741

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
परिचालित करने का प्रस्ताव	Motion to Circulate	1741
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D.C. Sharma .	1741
श्री श० ना० चतुर्वेदी	Shri S.N. Chaturvedi	1742
श्री स० चं० सामन्त	Shri S.C. Samanta .	1742
श्री लीलाधर कटकी	Shri Liladhar Kotoki .	1743
श्री संजीव रेड्डी	Shri Sanjiva Reddy . . .	1744
उद्जनित वनस्पति तेलों के उत्पादन तथा आयात का निषेध विधेयक (श्री यशपाल सिंह का)	Prohibition of Manufacture and Import of Hydrogenated Vegetable Oils Bill by Shri Yashpal Singh	1744
परिचालित करने का प्रस्ताव	Motion to Circulate	1744
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh . . .	1744
श्री रघुनाथ सिंह	Shri Raghunath Singh .	1746
श्री बाल्मीकी	Shri Balmiki	1746
श्री गौरीशंकर कक्कड़	Shri Gauri Shanker Kakkar . .	1747
श्री राधेलाल व्यास	Shri Radhelal Vyas	1747

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनुदित संस्करण)
LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 18 नवम्बर, 1966/27 कार्तिक, 1888 (शक)

Friday, November 18, 1966/Kartika 27, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
(MR. SPEAKER *in the Chair.*)]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Shortage of Raw Material

†*362. **Shri M. L. Dwivedi:**
Shri P. C. Borooah:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri S. C. Samanta:
Dr. M. M. Das:
Shri Subodh Hansda:
Shri P. R. Chakraverti:
Shri B. K. Das:
Shri Mohammad Elias:

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the prospects of meeting the shortage of imported raw material as a result of significant changes in import policy due to the liberalised import policy of Government after devaluation;

(b) the amount of foreign exchange earmarked for 1966-67 for imports from different countries; and

(c) the number of applications for import licences against which licences have been issued as also the number of applications pending under consideration and the reasons therefor?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख). प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के मामले में, जो कि औद्योगिक उत्पादन का लगभग 75 प्रतिशत भाग पैदा करते हैं, कच्चे माल, संघटकों और फालतू हिस्सों की समस्त आवश्यकताएं उपलब्ध विदेशी मुद्रा के स्रोतों

से पूरी की जा रही हैं। विभिन्न देशों से आयात के लिये विदेशी मुद्रा को निश्चित करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता क्योंकि प्राथकिता प्राप्त उद्योगों की कच्चे माल सम्बन्धी आवश्यकताएं पूर्णत: पूरी की जाती हैं। जहां तक गैर-प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों का संबंध है, कच्चे माल आदि की कुल उपलब्धि पिछली किसी अवधि की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक होगी।

(ग) आयात नीति के अन्तर्गत 6-6-1966 से 29-10-1966 की अवधि में प्राप्त हुये 92.032 आवेदन-पत्रों में से 67,370 आवेदन-पत्रों के लिये आयात लाइसेंस जारी किये गये। केवल 16,375 आवेदन-पत्र, अधिकांशत: उनमें त्रुटियां होने के कारण, 29-10-66 को विचाराधीन थे।

Shri M. L. Dwivedi: The hon. Minister stated that imports would be significantly higher, may I know whether the imports this year are more than the usual annual imports; if so, the additional expenditure to be incurred thereon and the extent of increase in imports?

Shri Manubhai Shah: The applications referred to by me include imports worth Rs. 700 crores as compared to imports worth Rs. 360 crores last year, *i.e.* nearly double, 57 per cent increase being due to devaluation of rupee. Thus the imports will go up by 1½ times.

Shri M. L. Dwivedi: May I know the increase in the requirements of raw materials of the imported raw material by industries over the last year and how far they are going to be met? How many industries are partly or completely closed for want of raw materials?

Shri Manubhai Shah: No units are closed and import licences have been granted upto saturation point. We have granted number of licences even to the non-priority industries. I think it will have its effect on the production in the coming period.

श्री प्र० चं० बरुआ : गत अप्रैल में नियुक्त की गई एक विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की थी कि औद्योगिक कच्चे माल के समाहार तथा नियतन को विनियमित करने के लिये एक बोर्ड होना चाहिए। बोर्ड का गठन और कृत्य क्या होंगे तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री मनुभाई शाह: इस विचार को त्याग दिया गया है क्योंकि लाखों उद्योगों के लिये जरूरत पड़ने वाली सभी वस्तुओं का आयात करना एक अकेले बोर्ड के लिये कठिन होगा। इसलिए हम सामरिक महत्व के मूल कच्चे माल के संबंध में, जैसे अलौह धातुएं, गंधक अथवा रॉक फास्फेट, जो लम्बी अवधि में भारी मात्रा में खरीदा जाता है, ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। यथासंभव राज्य व्यापार निगम अथवा खनिज तथा धातु व्यापार निगम के जरिये संकेन्द्रित रूप में लाने के लिये प्रबन्ध किया जायेगा।

श्री स० चं० सामन्त : क्या नये लोगों के आवेदन-पत्रों पर विधिवत् विचार किया जाता है और यदि हां, तो इस समय नये लोगों को किन शर्तों पर लाइसेंस दिये जाते हैं।

श्री मनुभाई शाह : सामान्य नीति यह है कि सम्बन्धित राज्य के उद्योग-निदेशक उस विशेष उद्योग की आवश्यकता का प्रमाण-पत्र देता है और हम इसका पूर्ण रूप से प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं।

डा० म० मो० दास : कच्चे माल के आयात में उदारता करने का हमारे निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा है ? क्या इससे हमारे कारखानों को सरलता से कच्चे माल के मिलने मे निर्यात में काफी वृद्धि हुई है ?

श्री मनुभाई शाह : कच्चे माल के आने और उससे उत्पादन होने में कुछ महीने लगेंगे। तब हम कह सकते हैं कि उत्पादन पर कितना प्रभाव पड़ा है।

श्री ब० कु० दास : चूंकि लघु उद्योगों में कच्चे माल की बहुत कमी है, क्या लघु उद्योगों को प्राथमिकता देने वाली कोई योजना तैयार की जा रही है ?

श्री मनुभाई शाह : जी, हां। लघु उद्योगों को अधिकतम प्राथमिकता दी जा रही है। वास्तव में नई नीति की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लघु उद्योगों को पर्याप्त कच्चे माल और पुर्जे के रूप में सबसे अधिक प्रोत्साहन दिया जायेगा।

Shri Yashpal Singh: May I know whether any special instructions have been issued to State Governments to avoid delay, who take two to three years regarding the development of the country?

Shri Manubhai Shah: In this matter State Governments do not come into the picture. The idea of decentralisation, as recommended by the Mathur Committee, has been given with the introduction of liberalised import policy. Licences are issued direct by the C.C.I's. offices at Bombay, Calcutta and Madras. 78,000 applications out of 92,000 were disposed off and the rest, 14,000 applications have been returned for correcting certain discrepancies noted therein.

श्रीमती सावित्री निगम : क्या यह सच है कि जस्ते और सीसा जैसी अलौह धातुओं की बहुत कमी है और इस कारण बहुत से लघु उद्योग बन्द हो रहे हैं ? यदि हां, तो भारतीय धातु निगम का उत्पादन कार्यक्रम क्यों बन्द किया जा रहा है और एक व्यापक फार्मूला क्यों नहीं बनाया जाता ?

श्री मनुभाई शाह : यह तो बड़े प्रश्न हैं। अलौह धातुओं के आयात को अधिकतम प्राथमिकता दी गई है। इन उद्योगों में पूर्ण क्षमता के अनुसार उत्पादन हो जाने पर हमें निर्यात में बहुत अधिक वृद्धि होने की आशा है। भारत में इस समय अलौह धातु अयस्कों की कमी है। खेत्री ताम्बा खानों, जवार की जस्ता खानों तथा अन्य स्थानों में शीघ्रता से कार्य किया जा रहा है। भारतीय धातु निगम के बारे में विधेयक पारित किया था परन्तु उसमें कोई कानूनी कठिनाई थी जिसपर विचार किया जा रहा है और उसके निवारक उपाय किये जा रहे हैं।

Shri Maurya: Sir, imports and exports have been misused. May I know the number of firms who have misused the imported raw material and sold it in the black-market? Have they been again granted import licences after being black-listed? What is their number?

Shri Manubhai Shah: Out of 5.7 lakh of firms, 180 firms have been black-listed, their names are published in weekly bulletins. Some are black-listed for 6 months, some for 12 months, their list is given in Bulletins.

श्री पें० वेंकटासुब्बया : उद्योग मंत्री ने समय समय पर कुछ उद्योगों के लिये लाइसेंस व्यवस्था समाप्त की है जिससे निर्यात-क्षमता को बढ़ाने के लिये बहुत अच्छा वातावरण बन गया है। क्या इन उद्योगों को लाइसेंस-व्यवस्था समाप्त करते समय आवश्यक कच्चे माल मिलते रहने की समुचित गारन्टी दी है ताकि वे चालू रहें ?

श्री मनुभाई शाह : आयात नीति का लाइसेंस व्यवस्था से कोई सम्बन्ध नहीं है ; यह नीति तो प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता वाले दो क्षेत्रों पर लागू होती है। यथासंभव प्राथमिकता दी जा रही है। गैर-प्राथमिकता वाले उद्योगों को उनके स्वरूप को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध साधनों के अनुसार अधिकतम सहायता दी जा रही है।

श्री प्रिय गुप्त : माननीय मंत्री ने कहा कि आवेदन-पत्रों को सिफारिश सहित सम्बन्धित राज्यों को भेज दिया गया था। क्या ऐसी कोई कसौटी है कि इस आयात के लिये राज्यवार कितना नियतन होगा अथवा यह राज्यों में फर्मों के उत्पादन के अनुसार होगा ?

श्री मनुभाई शाह : यह राज्यवार नहीं है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा यह तो गत उत्पादन और नई संभावनाओं के आधार पर होता है।

बोकारो कारखाने के लिये उपकरण

\+

*364. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री 4 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 371 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है कि बोकारो संयंत्र के लिये किस प्रकार के तथा कितने उपकरण हैवी इंजीनियरिंग प्लांट रांची में बनेंगे तथा कितने उपकरण देश के अन्य स्थानों पर बनेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) और (ख). अस्थायी निर्णय के अनुसार हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची लगभग 1,11,000 टन फैब्रीकेटेड इक्विपमैंट, स्ट्रकचरल स्टीलवर्क, मशीनें, क्रेन, लैडल आदि, माइनिंग एण्ड एलाईड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर लगभग 15,600 टन रोलर सहित कन्वेयर एससेरीज़, ड्रम आदि तथा हैवी इलैक्ट्रिकल्स, भोपाल, भारत हैवी इलिक्ट्रिकल्स, हैदराबाद और भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स, तिरुचिरापल्ली लगभग 4,700 टन वाल्व सहित बिजली का सामान सप्लाई करेंगे। भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स, हरिद्वार भी बिजली का सामान सप्लाई करेगा, जिसके परिमाण के बारे में अभी निर्णय किया जाना है। दी इंस्ट्रूमैंटेशन लिमिटेड, कोटा औजार सप्लाई करेगा, जिसके परिमाण के बारे में सोवियत संगठनों के परामर्श से निर्णय किया जाना है

श्री प्र० चं० बरुआ : ब्रिटिश-अमरीकी इस्पात सार्थ-समूह के दल ने टिप्पणी की थी कि भारत में उपलब्ध क्षमता एवं तकनीकी और इंजीनियरी प्रतिभा 50 से 60 प्रतिशत तक

इस्पात कारखाने का निर्माण करने के लिये पर्याप्त है। बोकारो इस्पात कारखाने के लिये देशीय साधनों से कहां तक सामान इस मूल्यांकन के अनुसार जुटाया जायेगा ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं समझता हूं कि इसी के अनुसार होगा; वास्तव में रूस से लगभग 1,55,852 टन सामान आयेगा और 1,83,000 टन सामान देश में से ही जुटाया जायेगा। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि 85 प्रतिशत स्ट्रकचरल स्टील वर्क्स, 63 प्रतिशत संयंत्र एवं उपकरण तथा 96 प्रतिशत रीफ्रैक्टरीज़ देश में ही उपलब्ध होंगी।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सोवियत दल ने भारतीय मत से असहमति व्यक्त की है और कहा है कि बोकारो कारखाने की लागत 921 करोड़ रुपए से कम नहीं की जा सकती जबकि भारत का मत है कि इसमें 100 करोड़ रुपए कम किये जा सकते हैं और क्या सोवियत संघ लागत को 20 करोड़ रुपए कम करने के लिये राजी हो गई है तथा किस आधार पर ?

श्री त्रि० ना० सिंह : यह प्रश्न इससे बिल्कुल भिन्न विषय के बारे में है। तथापि लागत में कटौती के बारे में मैं अन्य प्रश्नों के उत्तर में बता चुका हूं कि संयुक्त परामर्श से कितनी राशि बचाना संभव हो सका है। मुझे विश्वास है कि दोनों पक्षों के तकनीशियनों ने सभी विवरणों पर बहुत अच्छे वातावरण में विचार-विमर्श करके लागत की यह राशि निश्चित की है।

श्री स० चं० स.मन्त : क्या रूस के साथ हुए करार में यह उल्लेख कि भारत देश में उपलब्ध मशीनें जुटायेगा अथवा ऐसी कोई शर्त है जिससे रूस बाद में यह तर्क रख सके कि कुछ तकनीकी कारणों से देश में बनी मशीनें यहां पर प्रयोग नहीं की जा सकेंगी ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस मामले में हम इस्पात के सामान की देश में उपलब्ध क्षमता का अधिकतम उपयोग कर सकेंगे। मैंने बताया था कि 85 प्रतिशत इस्पात के ढांचों, 63 प्रतिशत संयंत्र और उपकरणों का निर्माण भारत में होगा तथा 96 प्रतिशत रीफ्रैक्टरीज़ भारत में उपलब्ध होंगी।

Shri M. L. Dwivedi: May I know the value in rouble and in rupees of the equipment, machinery and know-how to be supplied by U.S.S.R.?

Shri T. N. Singh: We will purchase machinery worth about Rs. 100 crores from U.S.S.R.

श्रीमती सावित्री निगम : कोयला साफ करने के कारखानों ने विदेशी मुद्रा बचाने के उद्देश्य से अपनी फालतू पुर्जों की वर्कशाप और देशीय उत्पादन यूनिट बनाया है। क्या इस कारखाने के मामले में भी ऐसा ही किया जायेगा ?

श्री त्रि० ना० सिंह : प्रत्येक इस्पात कारखाने में अनुरक्षण तथा मरम्मत की बहुत अच्छी वर्कशाप है और बोकारो में भी काफी बड़ी वर्कशाप होगी।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: May I know the quality of the equipment worth Rs. 100 crores to be supplied by U.S.S.R. and the mode of payment for the cost thereof?

Shri T. N. Singh: There are no special conditions. The equipment, which we cannot manufacture here, will be procured from abroad. The equipment available indigenously will in no case be procured from abroad.

Shri Sidheshwar Prasad: The hon. Minister stated that the machinery and equipment required for erecting this plant would be available indigenously as well as from U.S.S.R. Then, why it is said that it would not be possible to commission the plant according to schedules after all what are the difficulties?

Shri T. N. Singh: I have never stated that the plant will not be commissioned according to schedule.

Shri Priya Gupta: May I know whether there is any scope, condition or provision in the agreement with the U.S.S.R. in which they may plead that for some technical reasons indigenous machinery and equipment will not be used? Are there any safeguards in the agreement against it?

Shri T. N. Singh: As the hon. Members are aware most of the equipment will be manufactured at Ranchi and Durgapur as stated by me. There is no such apprehension and I am glad to say that the Russians working in the two steel plants erected with Soviet collaboration are arguing that these things can be manufactured here in the country.

श्री बासप्पा : क्या निर्णय करते समय इन विभिन्न कारखानों के लिये इस सामान के निर्माण के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : निर्माण के लिये एक निर्धारित कार्यक्रम है और उसके अनुसार हमने सोवियत प्राधिकारियों के साथ निर्माण किये जाने वाले विभिन्न मशीनों की ड्राइंग भेजने के लिये बातचीत कर रहे हैं और कुछ ड्राइंग आ भी चुकी हैं और बहुत सी ड्राइंग के आने की आशा है। अब तक हम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार काम करते रहे हैं। भविष्य के बारे में मैं नहीं कह सकता।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : भारतीय परामर्शदाता दस्तूर एण्ड कम्पनी और रूसी इंजीनियरों द्वारा पेश की गई योजनाओं में लागत के आंकड़ों में अन्तर होने के क्या कारण थे ?

श्री त्रि० ना० सिंह : ऐसी बात नहीं है कि एक ही सामान के भिन्न-भिन्न मूल्य बताये गये हैं। किसी परियोजना के डिजाइन और आयोजन के लिये कुछ विशेष निर्माण की आवश्यकता होती है और उसके अनुसार कुछ विशेष सामान के निर्माण का कार्यक्रम है। रोलिंग मिल की कितनी क्षमता होनी चाहिए अथवा एल० डी० कंवर्टर का साइज़ क्या होना चाहिए, इनके बारे में मतभेद है और नियोजित क्षमता और साइज के अनुसार लागत में अन्तर है।

अमरीका को निर्यात

*365. **श्री ब० कु० दास :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीका को जहां की जनता न केवल अधुनिक अपितु नये उत्पादों की तलाश में रहती है भारतीय माल निर्यात करने को प्रोत्साहन देने के लिये एक मौलिक तथा नवीन नीति अपनाने पर जोर दिया है ;

(ख) क्या अमरीका को भारतीय माल के निर्यात में वृद्धि करने के लिये अब तक किये गये उपायों के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इसकी वृद्धि के लिये निकट भविष्य में किसी नये तरीके को लागू करने का विचार है?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) सरकार यह महसूस करती है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भारत की नई तथा अपरम्परागत निर्मित वस्तुओं के निर्यात के लिये विस्तारशील बाजार है और उस बाजार को भारत का निर्यात बढ़ाने के लिये नई प्रक्रियायें विकसित करने तथा अपनाने की आवश्यकता है।

(ख) संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को निर्यात बढ़ाने के लिये अब तक किये गये संवर्धन उपायों के परिणाम का पूरा भान इस बात से होता है कि अमेरिका को भारत के निर्यात में 44 प्रतिशत की असामान्य वृद्धि हुई है और वह 1960–61 (दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष) में 102.5 करोड़ रु० से बढ़कर 1965–66 (तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष) में 147.7 करोड़ रु० हो गया।

(ग) अभी तक अपनाये गये उपायों पर निरन्तर पुनर्विचार किया जाता है ताकि वे अधिक प्रभावी बनाये जा सकें और नई प्रक्रियायें विशेष कर अमरीकी बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप, विकसित की जा सकें।

श्री ब० कू० दास : क्या किसी अन्य देश ने किसी वस्तु के सम्बन्ध में कोई अधिक अच्छा नया तरीका अपनाया है?

श्री मनुभाई शाह : यह देश-देश की परिस्थिति के अनुसार भिन्न-भिन्न होता है। अविकसित देशों के बारे में मैं समझता हूं कि हमारे कुछ तरीके सबसे अच्छे हैं।

श्री ब० कु० दास : अमरीका को पटसन के सामान के निर्यात में कमी हुई है। इसके क्या कारण हैं?

श्री मनुभाई शाह : आय में कोई कमी नहीं हुई है लेकिन मात्रा में कमी हुई है क्योंकि कच्चा पटसन दुर्लभ है। वर्षा ठीक न होने के कारण गत वर्ष फसल आशानुकूल नहीं हुई। इस वर्ष वर्षा एक महीने देर से हुई है, इसलिए कच्चा पटसन धीरे-धीरे आ रहा है। जैसे ही कच्चा पटसन अधिक मात्रा में बाजार में आने लगेगा और थाईलैंड और पाकिस्तान से आयात आरम्भ होने लगेगा हम गत वर्ष से अधिक पटसन का माल निर्यात करने की आशा करते हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : जहां तक मैं समझता हूं अमरीका अन्य चीजों को छोड़कर जरी (ब्रोकेड) आदि विलासिता की वस्तुएं चाहता है। भारत सरकार ने विलासिता की वस्तुओं की मांग को पूरा करने के लिये, विशेष रूप से अमरीका की महिलाओं की मांग, क्या किया है?

श्री मनुभाई शाह : : एक चीज़, जिसकी मांग बहुत अधिक थी और जो इस समय फिर नहीं हैं, महिला और पुरुष दोनों ही प्रयोग करते हैं, वह "ब्लीडिंग मद्रास" है। अन्य कपड़ों से बनी पोशाकों की मांग भी बढ़ी है। आधुनिक विलासिता की वस्तुएं इंजीनियरी

उत्पाद की काफी मात्रा में उस देश में भेजी जा रही हैं। इस प्रकार की वस्तुओं के बढ़ते हुए बाजार में भाग लेने का हमारा इरादा है।

श्री त्यागी : मंत्री महोदय ने अभी कहा कि अमरीका को निर्यात के प्रयोजनार्थ भारत में कच्चे पटसन की कमी थी। क्या पहले बाहर के कच्चे पटसन के आयात कर दी जाने वाली राजसहायता को समाप्त करने का विचार है?

श्री मनुभाई शाह : यह मामला विचाराधीन है।

श्री त्यागी : सरकार कच्चे माल के आयात को बढ़ावा देने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ताकि हमारा निर्यात बढ़ सके?

श्री मनुभाई शाह : हम सभी उचित कार्यवाही करने की आशा करते हैं।

श्री कंडप्पन : पिछले कुछ दिनों से भारत को अमरीका को "ब्लीडिंग मद्रास" के निर्यात के मामले में जापान जैसे उन्नत देशों से कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है जो भारी मात्रा में नकली माल वहां भेज रहे हैं। इस समय क्या स्थिति है और सरकार ने अमरीका में भारत में बने "ब्लीडिंग मद्रास" की मांग बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है?

श्री मनुभाई शाह : "ब्लीडिंग मद्रास" की मांग अस्थायी रूप से समाप्त हो गई है। यह इतनी कम हो गई है कि पसन्द में बहुत अन्तर हो गया है और नये डिजाइन और किस्म के कपड़े तैयार किये जा रहे हैं?

रेलवे इंजनों और माल डिब्बों के निर्माण में आत्मनिर्भरता

+

***368. श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : **श्रीमती सावित्री निगम :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय योजनावधि में भारतीय रेलों ने देश में इंजनों, माल डिब्बों और अन्य उपकरणों के निर्माण में कहां तक आत्मनिर्भरता प्राप्त की है;

(ख) उनमें से किस मशीनरी का निर्यात सम्भव है; और

(ग) मशीनों और धन की दृष्टि से अब तक निर्यात पर कितना प्रभाव पड़ा है?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). भारतीय रेलें—

(i) भाप रेल इंजन

(ii) सवारी डिब्बे

(iii) सभी तरह के भाड़ा माल डिब्बे

(iv) गाड़ियों में बिजली के उपस्कर, यांत्रिक सिगनल उपस्कर, निर्वात ब्रेक उपस्कर, पटरी का सामान आदि बनाने में बहुत कुछ आत्म-निर्भर हैं।

इसलिए उपर्युक्त उपस्करों का निर्यात किया जाना सम्भव है।

(ग) विभिन्न भारतीय निर्माताओं को निर्यात के लिए पूर्वी अफ्रीकन रेलों से 480 माल डिब्बों (मूल्य 1.57 करोड़ रुपये), हंगरी से 500 माल डिब्बों (मूल्य 1.62 करोड़ रुपये) और बर्मा से 33 सवारी डिब्बों (मूल्य 59.33 लाख रुपये) के आर्डर मिले हैं। इनके अलावा 141.12 लाख रुपये के मूल्य की पटरियों, पटरी पाश और सवारी डिब्बों के पंखे जैसे विविध रेलवे उपस्कर भी विभिन्न देशों को निर्यात किये गये हैं।

श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : क्या यह सच है कि अमरीका यह नहीं चाहता कि भारत में रेल के इंजन तथा अन्य पुर्जे बनें और यदि हां, तो क्या सरकार ने पूर्वी अफ्रीका तथा मध्य पूर्वी देशों को इन पुर्जों के निर्यात की संभावना का पता लगाया है ?

डा० राम सुभग सिंह : मैंने यही बताया है कि कुछ माल डिब्बे पूर्वी अफ्रीका को भेजे जा रहे हैं ?

श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : क्या सरकार ने कोयले से चलने वाले इंजनों के स्थान पर डीजल इंजनों का प्रयोग करने के उद्देश्य से भारत डीजल इंजन बनाने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

डा० राम सुभग सिंह : : जी हां, हमने इसके लिए वाराणसी में एक प्रथम श्रेणी का कारखाना स्थापित किया है और उसमें लगभग 70 डीजल इंजन बनाये जा चुके हैं। उनमें कुछ पिछले वर्ष जोड़े गये। इसमें पिछले वर्ष 39 इंजन बनाये गये।

Shri Vishwa Nath Pandey: May I know the time by which the India will become self-sufficient in the manufacture of engines, wagons and other accessories. Do the Government propose to set up another factory with a view to attain full self-sufficiency and if so, when and its location?

Dr. Ram Subhag Singh: We are self-sufficient in the manufacture of steam engines even today and so far as the diesel engines are concerned; with effect from 1970 we will produce 150 diesel engines per year. By the end of the fourth Five Year Plan 150 electric engines will also be produced in one year.

श्रीमती सावित्री निगम : क्या निर्यात बढ़ाने के लिए विदेशों में मंडियों का पता लगाया गया है ? मुझे पता है कि कुछ देश हमारे माल डिब्बों को, उनमें कुछ परिवर्तन किये जाने पर खरीदने के लिए तैयार हैं। यदि इस सम्बन्ध में पता नहीं लगाया गया है तो क्या निकट भविष्य में यह कार्य किया जायेगा ?

डा० राम सुभग सिंह : हमने पहले ही रेलवे मंत्रालय में एक विकास एकक स्थापित किया है जो अन्य देशों की मांग के अनुसार निर्माण में सुधार करने के लिए निरन्तर कार्य करता है। हम यह भी प्रयत्न करते हैं कि विभिन्न देशों में नई मंडियों का पता लगाने के लिए उन देशों में रेलवे कर्मचारी भेजे जायें। राज्य व्यापार निगम भी इस सम्बन्ध में यथासंभव कार्य कर रहा है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: The hon. Minister has given some figures regarding the export of railway wagons. In various places the manufactured goods are lying in the factories for want of railway wagons. May I know whether Government export the wagons after taking this fact into account? It is a general complaint?

Dr. Ram Subhag Singh: It might be a general complaint because the indentors when indenting indent for more wagons with a view to compete with their rivals. We are trying to solve this problem. We have ample capacity.

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : क्या यह सच है कि इस्पात कारखानों में रेल के पहिये तथा अन्य उपकरण जमा हो गये हैं और इस्पात मंत्रालय ने शिकायत की है कि रेलवे ने उनका उपयोग नहीं किया है, और यदि हां, इस सम्बन्ध में रेलवे मंत्रालय का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

डा० राम सुभग सिंह : विशेष रूप से भिलाई इस्पात कारखाने में योजना के प्रस्तावों के अनुसार विभिन्न किस्म के रेलवे उपकरण बनाने का कार्यक्रम है । उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि रेलवे की मांग कितनी होगी । यद्यपि रेलवे की कोई गलती नहीं है हम इस सम्बन्ध में सतर्कता से कार्य कर रहे हैं और परस्पर परामर्श कर रहे हैं तथा इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि स्थिति में सुधार किस प्रकार हो ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मंत्री महोदय ने बताया है कि सवारी डिब्बे बनाने के मामले में भी हम प्रायः आत्मनिर्भर हैं । क्या यह सच नहीं है कि सवारी डिब्बों की विशेष रूप से ई० एम० यू० डिब्बों की कमी के कारण सियालदह कलकत्ता और हावड़ा डिवीजनों में रेल गाड़ियों की व्यवस्था नहीं की जा सकती है ?

डा० राम सुभग सिंह : जब मैंने सवारी डिब्बों का उल्लेख किया था मेरा तात्पर्य सामान्य किस्म के डिब्बों से था । ई० एम० यू० डिब्बे विशेष किस्म का डिब्बा है जिसका उपनगरीय क्षेत्रों में उपयोग होता है ।

श्री प्रिय गुप्त : ये इलेक्ट्रिक डिब्बे होते हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : जी हां । इसके लिये भी हमने इन्टेग्रेल कोच फैक्टरी को आदेश दिया है और 1967 के आरम्भ में यह कठिनाई दूर होने की आशा है ।

Shri Raghunath Singh: Is it not a fact that the Diesel Locomotive Workshop, Varanasi, which in my constituency, remains idle to a large extent. Will the Government try to manufacture marine engines there so that we may purchase them in large numbers?

Dr. Ram Subhag Singh: It is true that this workshop is not producing engines according to its capacity for want of foreign exchange. We hope to overcome this difficulty. We have also to meet the requirements of engines which is increasing day by day. We will examine that whether the marine engines can be manufactured here or not.

Shri Maurya: Is it a fact that the wagons supplied to some countries were not found up to the mark by them and if so, it is not a fact that those orders were cancelled and if so, are the Government making efforts to improve the standard of these wagons?

Dr. Ram Subhag Singh: The coaches, wagons etc. are of very good quality. The reasons for not receiving some orders are different. Tenders are invited on global basis and some of them are higher and others are lower. One of the reasons for not accepting our tenders is that, other countries are economically developed and they give loan to those countries

and perhaps that is the reason for the acceptance of their tenders. None of our tenders was rejected on the basis of quality.

Shri Priya Gupta: Is it not a fact that according to the statistics relating to several years, it is found that while the production in the workshops which are manufacturing engines and other accessories, has increased, the number of workers there has decreased? Is it not because of the fact that the norm fixed on the basis of output for bonus has been changed as a result of which the lower staff has been reduced and the number of officers such as Deputy Mechanical Engineers etc. has been increased and foremen, chargemen and other workers did not get any promotion. May I know what Government think about it.?

Dr. Ram Subhag Singh: I do not think that that type of situation is there. The condition of the production unit is generally satisfactory. If there is any irregularity, it can be removed.

Shri Priya Gupta: The norm of the output has been changed.

Dr. Ram Subhag Singh: I do not agree with it that the question has been put in a negative way.

श्री प्रिय गुप्त : बोनस देने का कार्य बदला गया है। क्या मंत्री महोदय इसकी जांच करेंगे ?

डा० राम सुभग सिंह : मैंने बताया है कि यदि कोई अनियमितता होगी तो उसकी जांच की जायेगी। किन्तु जिस नकारात्मक ढंग से प्रश्न किया गया है उससे मैं सहमत नहीं हूं।

Shri Sheo Narain: Will he take some steps to reduce crowding in third class compartments and improve the situation?

Dr. Ram Subhag Singh: I have no information about it. So far as the trains which goes to Basti-Gorakhpur, we are going to attach a coach to it.

+ रूरकेला में पाइप बनाने का कारखाना

*369. **श्री स० चं० सामन्त :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री सुबोध हंसदा : **डा० म० मो० दास :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला इस्पात कारखाने में पाइप बनाने के कारखाने को सरकार से नियमित रूप से क्रयादेश मिल रहे हैं ;

(ख) यदि नहीं तो क्या इस कारखाने में निर्मित माल इकट्ठा हो गया है ;

(ग) जमा हुआ पड़ा माल कुल कितनी लागत का है ; और

(घ) क्या पाइप बनाने का कारखाना अब पूरी क्षमता से कार्य कर रहा है और यदि नहीं तो वह कितने समय से पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर रहा है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) पाइप बनाने के कारखाने को तेल उद्योग से मूलत: जिसकी आवश्यकता के लिये यह स्थापित किया गया था नियमित क्रयादेश नहीं मिल रहे हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) यह कारखाना एक निर्यात क्रयादेश को पूरा करने के लिये 25 जुलाई, 1966 से एक पारी के आधार पर पूरी क्षमता से कार्य कर रहा है।

श्री स० चं० सामन्त : क्या सरकार ने निर्यात के लिए मंडियों की संभावना का अध्ययन किया है और यदि हां तो किस एजेन्सी के माध्यम से ?

श्री त्रि० ना० सिंह : निर्यात के मामले में हमारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम और गैर-सरकारी व्यापारी यथासंभव प्रयत्न कर रहे हैं। स्वभावत: ये समय समय पर विदेशों में व्यापार सम्बन्धी प्रवृत्ति का ध्यान रखते हैं। इसी प्रकार इस्पात कारखाने हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड तथा अन्य कारखाने इस कार्य में लगे हुए हैं और सरकार विश्व मंडियों की जानकारी प्राप्त करने का यथासंभव प्रयत्न करती है।

श्री स० चं० सामन्त : देश में पाइप बनाने के और अधिक कारखाने स्थापित करने के बारे में गैर-सरकारी क्षेत्र के कितने आवेदनपत्र मंत्रालय के पास निर्णय के लिए पड़े हैं ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

Shri M. L. Dwivedi: Is it a fact that this plant is not receiving regular orders from the industry for which it was particularly set up and if so, what are its reasons. How much quantity is being exported. We will be able to export all the goods produced according to our full capacity?

Shri T. N. Singh: So far as the export is concerned we will be able to export all goods produced according to capacity. So far as the first part of the question is concerned we have already met the whole demand of the oil refineries and we have also met their advance orders. We are exporting because it has more capacity. One lakh and 61 thousand tonnes of pipes valuing about rupees 18 crores were manufactured in this plant during the last five or six years. The plant has costed only rupees six crores. This also saved the foreign exchange.

डा० म० मो० दास : क्या अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में रूरकेला में निर्मित माल का मूल्य कम ह जो कि सामान्यत: अन्य दो कारखानों के मामले में नहीं होता है और क्या सरकारी क्षेत्र में अन्य दो कारखानों की तुलना में इस कारखाने के कर्मचारी अधिक उत्पादन करते हैं और इसलिये सरकारी क्षेत्र के अन्य दो कारखानों की अपेक्षा इस कारखाने में प्रतिवर्ष कम घाटा होता है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : सरकारी क्षेत्र में पाइप बनाने का केवल एक कारखाना है। अन्य दो कारखाने पाइप नहीं बनाते हैं। इसलिये तुलना का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

डा० म० मो० दास : मैं अन्य उत्पादों के बारे में भी पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : इस समय हमारा दूसरे उत्पादों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री प्र० चं० बरुआ : एक ओर तो स्टील पाइप न मिलने की समस्या है और दूसरी ओर रूरकेला के इन पाइपों के लिये क्रयादेश नहीं मिल रहे हैं। क्या मैं यह समझूं कि स्टील पाइप के मामले में देश में आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने लगा है और यदि नहीं, तो क्या यह मांग की कमी रूरकेला के मामले में ही है अथवा अन्य कारखानों के मामले में भी है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : रूरकेला में 8 इंच से 20 इंच की गोलाई के पाइप बनते हैं। उनके लिए विशेष मांग होती है और उसी मांग के अनुसार उनकी सप्लाई की जा सकती है। इनका प्रयोग साधारणत: तेल पाइप लाइन के लिये होता है और हमने यह मांग पूरी कर दी है।

Shri Achal Singh: There is shortage of water pipes in the country. Will the Government take some steps to manufacture them?

Shri T. N. Singh: Water pipes are of smaller diameters and these are manufactured in some other factories.

Shri Raghunath Singh: May I know whether Government is aware that minor irrigation schemes are not proving successful in Bihar and Eastern Uttar Pradesh due to the shortage of water pipes specially when the Government is trying to implement more small irrigation schemes and if so, will the Government take some concrete step to manufacture the pipes of 4" to 6" diameter there?

Shri T. N. Singh: Several other factories manufacture the pipes of 4" to 6" diameter. However we propose to install a plant to reduce the diameter from 8" to 6" by stretching process, but it will take some time.

श्री कण्डप्पन : मंत्री महोदय के कथनानुसार मोटे पाइपों की अधिक मांग नहीं है। किन्तु गावों में सिंचाई के लिये कम मोटे नलों की काफी मांग है। क्या सरकार, मोटे पाइप बनाने के स्थान पर कम मोटे पाइप बनाने का विचार कर रही है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं समझता हूं कि इतनी कमी नहीं है। हम निर्धारित मोटाई के कुछ पाइप बनाते हैं। उनकी कोई कमी नहीं है।

श्रीमती सावित्री निगम : रूरकेला में बनाये जाने वाले पाइपों की सभी विकासशील देशों में इस समय बहुत मांग है किन्तु उनका मूल्य अधिक होने के कारण वे उन्हें खरीद सकते हैं। सरकार ने उत्पादन लागत कम करने अथवा राज सहायता देने के लिए क्या कार्यवाही की है जिससे उनके मूल्य अन्य देशों के मूल्य से प्रतियोगिता कर सकें ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं इस बात को नहीं मानता। हम सफलतापूर्वक प्रतियोगिता कर रहे हैं। हमें खुले टैन्डरों के माध्यम से कुवैत आदि देशों से क्रयादेश मिले हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मंत्री महोदय ने बताया है कि रूरकेला के पाइप तेल-पाइप लाइन बिछाने के काम आते हैं। आगामी दो वर्षों में देश में कितने पाइपों की खपत होगी और इस विशेष पाइप का सीमित प्रयोग हो सकने के कारण कितने पाइपों का निर्यात करना पड़ेगा ?

श्री त्रि० ना० सिंह : हम 10 से 15 हजार टन तक पाइप बनाते हैं। योजना के लक्ष्यों में कटौती किये जाने के कारण इनकी मांग कम हो गई है। किन्तु हम नहीं समझते कि यह कटौती स्थायी रहेगी।

श्री वी० चं० शर्मा : मंत्री महोदय ने बताया है कि सरकार 8" के पाइप बनाने जा रही है। क्या ये पाइप बटाला तथा अन्य स्थानों में लघु उद्योगों द्वारा नहीं बनाये जा रहे हैं और यदि बनाये जा रहे हैं, तो पाइप बनाने वाले लघु उद्योगों के साथ प्रतियोगिता करने के क्या कारण हैं?

श्री त्रि० ना० सिंह : यह दूसरे किस्म के पाइप हैं। लघु उद्योग इतनी मोटाई के पाइप नहीं बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये साधारण वैल्डिंग किये गये पाइप नहीं, अपितु एलेक्ट्रिक रेस्सिटेन्स से वैल्डिंग किये गये पाइप हैं।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : मंत्री महोदय ने बताया है कि इन पाइपों की अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग पूरी तरह नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार की बातें हिन्दुस्तान मशीन टूल्स आदि सरकारी क्षेत्र के दूसरे उपक्रमों में भी होती है। क्या इस बात के लिये कोई प्रयत्न किया गया है कि उनकी मांग का पुर्वानुमान लगाया जाये और उस मांग के अनुसार दूसरे किस्म के पाइप बनाये जायें?

श्री त्रि० ना० सिंह : हम यही कर रहे हैं। हम यथासंभव निर्यात करने का और कुछ और विनियोजन करके कम मोटाई वाले पाइप बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री बासप्पा : रूरकेला में बनाये जाने वाले पाइपों और भद्रावती आयरन और स्टील में बनाये जाने वाले पाइपों में क्या अन्तर है और क्या भद्रावती आयरन और स्टील वर्क्स में पूरी क्षमता के अनुसार पाइप बनाये जाते हैं?

श्री त्रि० ना० सिंह : जहां तक मैं जानता हूं भद्रावती आयरन एण्ड स्टील वर्क्स में 'स्पन पाइप' बनते हैं। ये ढलवां लोहे से बनाये जाते हैं। रूरकेला में पाइप हल्के इस्पात की चादरों से बनाये जाते हैं और उनकी वैल्डिंग इलेक्ट्रिक रेसिस्टेन्स प्रक्रिया द्वारा की जाती है। इन दोनों की प्रक्रिया तथा माल भिन्न भिन्न हैं।

व्यापार के लिए विदेश यात्राएं

+

*370. **श्री रा० बरुआ** :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशों में लगातार बदलती रहने वाली रुचियों से बराबर अवगत रहने तथा वहां पर कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के उद्देश्य से व्यापारियों की विदेश यात्राओं के बारे में उदार नीति अपनाने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) तथा (ख). बाजार की दशाओं का अध्ययन करने और बिक्री की सम्भावनाओं का पता लगाने के उद्देश्य से निर्यातकों को विदेशों में यात्रा करने की सुविधा देने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक निर्यातकों को अपेक्षित विदेशी मुद्रा देता है। निर्यात-कार्य में आवेदकों की सफलता को ध्यान में रख कर निर्यातकों की प्रार्थना पर विचार किया जाता है।

मान्यता प्राप्त निर्यात सदनों और निर्यात में अच्छे रिकार्ड वाले अन्य निर्यातकों को सामान्य रूप से विदेशी मुद्रा दी जाती है।

श्री रा० बरुआ : क्या सरकार का विचार ऐसी यात्राओं को नियमित करने के लिये कुछ निदेशक सिद्धान्त बनाने का है ?

श्री मनुभाई शाह : इस सम्बन्ध में कुछ निदेशक सिद्धान्त पहले से ही बने हुए हैं जिनको और अधिक उदार बनाया जा रहा है।

श्री रा० बरुआ : क्या अपरम्परागत वस्तुओं के निर्यात में भी वृद्धि हुई है, यदि हां, तो इसमें ग़ैर-सरकारी क्षेत्र का क्या योगदान है और सरकार इसका पूरा लाभ उठाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मनुभाई शाह : कुल मिलाकर निर्यात कार्यक्रम में ग़ैर-सरकारी क्षेत्र ही भाग लेता है। कुछ वस्तुओं को छोड़कर जिनका निर्यात खनिज तथा धातु व्यापार निगम और राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जाता है, शेष सब वस्तुओं का निर्यात ग़ैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा किया जाता है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप निर्यात में बहुत वृद्धि हुई है। तीसरी योजना के दौरान औसतन 760 करोड़ रुपये के माल का निर्यात किया गया था जबकि दूसरी योजना में 601 करोड़ रुपये के माल का निर्यात किया गया था।

श्री नि० रं० लास्कर : चालू वित्तीय वर्ष में ग़ैर-सरकारी व्यापारियों को विदेशी मुद्रा की कितनी राशि दी गयी है और तदनुसार निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा हमें प्राप्त हुई है ?

श्री मनुभाई शाह : गत वर्ष में दी गयी राशि 180 लाख रुपये, लगभग 2 करोड़ रुपये थी। निर्यात और आय में कोई सीधा सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा सकता।

श्री राम सहाय पाण्डेय : निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमने विदेशी बाजारों में तत्संबंधी अध्ययन करने के लिये भेजे जाने वाले कुछ व्यापारियों को छोड़कर कुछ संसद् सदस्यों की एक तालिका बनायी थी जिन्हें विदेशों को भेजने का प्रस्ताव था। क्या वह तालिका अभी तक विचाराधीन है या उसमें कोई फेर-बदल किया जायेगा ?

श्री मनुभाई शाह : कुछ सदस्य विदेश गये थे और आगे भी जाते रहेंगे।

श्री बासप्पा : क्या सरकार को मालूम है कि कुछ व्यापारी विदेश-यात्रा सम्बन्धी दी जाने वाली सुविधाओं का दुरुपयोग करते हैं, यदि हां, तो ऐसे व्यापारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मनुभाई शाह : 2500 करोड़ रुपये (38 00 करोड़ नये रुपयों में) के मूल्य के विदेशी व्यापार में 2 करोड़ रुपये की राशि एक नगण्य राशि है, जिसमें बहुत ही मामूली किस्म का दुरुपयोग हुआ है इसे चिन्ता का विषय नहीं माना जा सकता ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या निर्यात क्षमता बढ़ने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये विदेश जाने वाले ये व्यापारी विदेशों में अपने व्यापार मिशनों के माध्यम से कार्य करते हैं अथवा अपने व्यक्तिगत सम्पर्क के आधार पर ?

श्री मनुभाई शाह : अधिकतर व्यापार-कार्य व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। कभी कभी ये व्यापारी दूसरे देशों की सरकारों से व्यापार संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिये या सम्पर्क स्थापित करने के लिये अपने व्यापार आयुक्तों के माध्यम से भी कार्य करते हैं। परन्तु अधिकतर विदेशी ग्राहकों से व्यक्तिगत सम्पर्क के आधार पर ही यह किया जाता है।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या व्यक्तिगत रूप से विदेश जाने वाले व्यापारियों को भी कोई सहायता दी जाती है ?

श्री मनुभाई शाह : सहायता कार्यक्रम के बारे में मैं एक विवरण 16 अगस्त को सभा पटल पर रख चुका हूं ।

श्री दी० चं० शर्मा : विदेश जाने वाले व्यापार शिष्टमंडल अपने ही व्यापार की वृद्धि के लिये प्रयास करते हैं जबकि उन्हें देश के हित को भी ध्यान में रखना चाहिए । क्या ऐसे शिष्टमंडलों ने कोई ऐसी रिपोर्ट दी है कि उनके अपने निजी व्यापार के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई हैं और देश के निर्यात में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ?

श्री मनुभाई शाह : निर्यात से होने वाली सभी आय देश की आय समझी जाती है चाहे वह सरकार द्वारा किये गये निर्यात से हो अथवा किसी व्यापारी द्वारा किये गये निर्यात से । व्यापार शिष्टमंडल चार प्रकार के होते हैं । पहला वह जिसमें केवल एक ही व्यक्ति विदेशी बाजारों में अपने माल की मांग बढ़ाने के लिये जाता है । दूसरा वह होता है जो निर्यात संवर्धन परिषद या किसी उद्योग विशेष की ओर से विदेश भेजा जाता है । तीसरी प्रकार के शिष्टमंडल में विक्रय करने वाले लोग होते हैं, जो उद्योग विशेष और व्यक्तिगत व्यापारियों की ओर से विदेश जाते हैं । चौथी प्रकार के शिष्ट मंडलों में विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री या नियमित तकनीशन सम्मिलित होते हैं जो इस बात का अध्ययन करने विदेश जाते है कि नवीनतम वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने की तकनीक क्या है और उसमें विदेशों का अनुभव क्या है जिससे लाभ उठाया जा सके ।

राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद्

* 371. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत सितम्बर के प्रथम सप्ताह में उनके द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् के संगठन और उसकी गतिविधियों को नया रूप देने के लिये जिससे कि वह उद्योगों की बदलती हुई आवश्यकताओं को पूरा कर सके, क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या कम की गई वित्तीय सहायता के बारे में उनका परामर्श उत्पादिता परिषद् द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और परिषद् सीमित बजट में अपने आपको बनाये रखने तथा अपनी गतिविधियों के बढ़ाने में किस प्रकार समर्थ होगी ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् ने सरकार को सूचित किया है कि परिषद् के संगठन और उसकी गतिविधियों को नया रूप देने के लिये निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :

(1) अहमदाबाद, हैदराबाद, भोपाल और श्रीनगर में उप-क्षेत्रीय कार्यालयों को खोलने की सम्भावना का पता लगाना ।

(2) कृषि-क्षेत्र में उत्पादिता कार्यवाहियों को केन्द्रित करना ।

(3) राष्ट्रीय स्तर पर ईंधन कार्यक्षमता सेवा (फ्यूल एफिसिऐंन्सी सरविस) का विस्तार करना।

(4) लघु व्यापार प्रबन्ध पर परामर्श देने वाली एजेन्सियों पर विशेष बल देना।

(5) सरकारी उपक्रमों में उपयोगी सेवाओं पर विशेष बल देते हुये, उत्पादिता सर्वेक्षण और क्रियान्वयन के प्रभावपूर्ण कार्यक्रमों को तैयार करना।

(6) प्रत्येक उद्योग विशेष के लिये उद्योग उत्पादिता परिषदों को स्थापित करने के अर्थोपायों को खोजना।

(7) प्रशासनिक उत्पादिता के क्षेत्र में प्रशिक्षण-कार्यक्रमों को चलाने और उत्पादिता सर्वेक्षण करने के लिये विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करना।

(8) उत्पादिता बढ़ाने सम्बन्धी पुस्तिकाओं का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशन।

(ख) स्थानीय उत्पादिता परिषदों ने इस सलाह को दार्शनिक भाव से स्वीकार कर लिया है। स्थानीय उत्पादिता परिषदों को समान योगदान देने की मूल नीति में यह दिया गया है कि यह योगदान उत्तरोत्तर इस प्रकार घटता जायेगा ताकि आठ या नौ वर्ष बाद बिल्कुल समाप्त हो जाये। स्थानीय उत्पादिता परिषदों को भविष्य में दिये जाने वाले समान योगदान के प्रश्न पर परिषद् की प्रबन्धक निकाय की विशेष समिति द्वारा सर्वांगीण विचार किया जायेगा।

श्री स० चं० सामन्त : क्या मंत्री महोदय ने यह सुझाव अवमूल्यन के कारण दिया था ?

श्री संजीवय्या : इसका अवमूल्यन से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री स० चं० सामन्त : राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् की आमदनी का जरिया क्या है। क्या उद्योगवार या क्षेत्रवार ऐसी परिषदों को स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ?

श्री संजीवय्या : जी, हां। राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् के अधीन अनेक स्थानीय उत्पादिता परिषद् कार्य कर रही हैं। स्थानीय परिषद् उद्योग और दूसरों से धन एकत्र करती है और केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् के माध्यम से उन्हें समान अनुदान देती है।

Shri M. L. Dwivedi: As the Minister has stated that Local Productivity Councils have philosophically accepted the advice. But will it do without acting upon the same?

श्री संजीवय्या : हमारे पास उनके अनुदान को घटाने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था क्योंकि इसके लिये जो व्यवस्था की गयी थी उसमें कटौती कर दी गयी है। अतः उन्हें यह कटौती सद्भावना से या विवशता से स्वीकार करनी पड़ी।

श्री प्र० चं० बरुआ : औद्योगिक उत्पादन की प्रगति को तीव्र करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद ने वर्ष 1966 को उत्पादिता वर्ष मनाया है। अब तक इस सम्बन्ध में हमें कितनी सफलता मिली है ?

श्री संजीवय्या : जी, हां। वर्ष 1966 को उत्पादिता वर्ष माना गया है। इसके परिणाम को मापना बहुत ही कठिन है क्योंकि वे स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर नहीं हैं। परन्तु यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इससे प्रबन्धकों और श्रमिकों में उत्पादिता के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुयी है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : देशी उत्पादन की मांग को प्रोत्साहित करने की बात ध्यान में रखते हुए क्या राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् को यह अनुमान लगाने के लिये उपयोग में लाया जा रहा है कि देश में देशी वस्तुएं किस मात्रा में उपलब्ध हैं और भविष्य में उनका उत्पादन किस मात्रा में किया जा सकता है ?

श्री संजीवैया : इस समय यह बताना तो बहुत मुश्किल है कि देशी कच्चे माल और सम्बन्धित मशीनों की कितनी क्षमता अब विद्यमान है। इस स्थिति को आंकने के लिये विभिन्न अन्य एजेन्सियों के साथ साथ हम इस एजेन्सी का भी निश्चित रूप से उपयोग करेंगे।

बलगेरिया तथा रूमानिया के साथ व्यापार

\+

*372. **श्री बासप्पा :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री भगवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
डा० म० मो० दास :
श्री प्र० चं० बरुआ
श्री यशपाल सिंह

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय वाणिज्य उप-मंत्री, श्री मुहम्मद शफी कुरेशी के नेतृत्व में एक भारतीय शिष्ट मंडल ने बलगेरिया तथा रूमानिया के साथ व्यापार में वृद्धि के लिये उन देशों का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो भारत के व्यापार में वृद्धि करने में उपमंत्री का दौरा किस हद तक सहायक हुआ है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) 1967 में बल्गारिया तथा रूमानिया के साथ क्रमशः 27.3 करोड़ रु० तथा 32.0 करोड़ रु० तक का निर्यातायात व्यापार होने की आशा है जो 1966 में होने वाले सम्भावित व्यापार स्तर की तुलना में क्रमशः 18 प्रतिशत तथा 15 प्रतिशत अधिक होगा। इन देशों को होने वाले निर्यात में अधिक विविधता आ जायेगी और निर्यात किये जाने वाले माल में निर्मित माल की प्रतिशतता काफी अधिक बढ़ जाने की सम्भावना है।

श्री बासप्पा : हमारे यहां से किन किन वस्तुओं का निर्यात बलगेरिया तथा रूमानिया को किया जाता है ?

श्री मनुभाई शाह : मुख्य वस्तुयें ये हैं पटसन का सामान, चाय, तम्बाकू इंजीनियरी का सामान, सूती वस्त्र, धागा, चमड़ा और जूते, खालों, बकरी का चमड़ा आदि।

श्री स० चं० सामन्त : क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई ग़ैर-सरकारी शिष्टमंडल भी विदेश भेजा गया था, यदि हां, तो उसने क्या सिफारिशें की और इस शिष्टमंडल द्वारा की गयी सिफारिशें क्या हैं ?

श्री मनुभाई शाह : इस शिष्टमंडल का नेतृत्व श्री कुरेशी ने किया था। शिष्टमंडल ने यह सिफारिश की कि इन बाजारों में निर्मित वस्तुओं को भेजने के लिये अधिकाधिक प्रयत्न करने चाहिएं।

डा० म० मो० दास : अवमूल्यन के बाद इन देशों के साथ हमारा व्यापार लगभग समाप्त हो गया है। हमारे देश से उन देशों को कुछ भी निर्यात नहीं किया जाता था। वर्तमान स्थिति क्या है। क्या सरकार ने यह अनुमान लगाया है कि अवमूल्यन के परिणाम स्वरुप निर्यात में कमी आने के कारण हमारे देश को कुल कितनी हानि हुयी है।

श्री मनुभाई शाह : रुपये की नयी व्यवस्था को समझाते समय व्यापार कुछ दिन के लिए बन्द रहा था। उस समस्या का समाधान हो गया है और पूर्वी यूरोप के सभी देशों ने रुपये की नयी व्यवस्था को मान लिया है। व्यापार के घटने की बजाय अब बढ़ने की सम्भावना है।

डा० म० मो० दास : क्या मैं यह मान लूं कि इन देशों के साथ हमारे व्यापार की मात्रा पर अवमूल्यन का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा है ?

श्री मनुभाई शाह : आपकी मान्यता सही है।

श्री प्र० चं० बरुआ : मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि बलगेरिया और रूमानिया को चाय का भी निर्यात किया जाता है। परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चाय के लिए कड़ी प्रतिस्पर्द्धा है। और इसका मूल्य अधिक होने के कारण वहां पर इसकी मांग घटती जा रही है। इन दो देशों में चाय अधिक भेजने के उद्देश्य से क्या इसे कुछ राज सहायता दी जा रही है ?

श्री मनुभाई शाह : किसी विशेष सहायता की घोषणा नहीं की गयी है। सभा पटल पर रखी गयी सामान्य नीति सभी छोटे बड़े देशों पर समान रूप से लागू होती है।

रेलवे के कैण्टीनों में अपौष्टिक भोजन का परोसा जाना

+

*373. **श्री यशपाल सिंह :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
डा० म० मो० दास :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बसुमतारी :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे की विभागीय कैंटीनों में अपौष्टिक भोजन परोसे जाने के मामले बढ़ गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) इन कैंटीनों के कार्य में सुधार करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) यह देखने के लिए लगातार ध्यान दिया जा रहा है कि स्टेशनों पर और गाड़ियों में खान-पान सि बन्दियों द्वारा अच्छी किस्म का भोजन दिया जाता है। इस सम्बन्ध में जो कार्रवाइयां की गयी हैं उनमें अच्छी किस्म का कच्चा सामान खरीदना, कुशल रसोइयों को नियुक्त करना, कर्म-

चारियों को प्रशिक्षित करना, और जहां आवश्यक हो शीतक/विसंवाहक सम्बन्धी प्रबन्ध करना शामिल हैं। वाणिज्यिक एवं चिकित्सा अधिकारियों और निरीक्षण कर्मचारियों और गैर सरकारी समितियों के सदस्यों द्वारा किये जाने वाले पर्यवेक्षण को भी सुदृढ़ किया गया है।

Shri Yashpal Singh: Is it a fact that the food served in the trains at present gives bad odour and the milk supplied there for tea purposes is also not fresh?

Shri Sham Nath: We have received no such complaints.

Shrimati Tarkeshwari Sinha: It is our experience and it is a serious complaint.

Shri Sham Nath: We received complaints about chapatis and rice.

Shri Yashpal Singh: The state vegetables are supplied with the food, which cause diseases to the passengers.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: They supply less quantity of food in a diet.

Shri Sham Nath: If it is so, I will see into the matter, though there is no complaint in this respect.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

'ब्रिटेनिया बिस्कुट कम्पनी'

*361. **श्रीमती रेग चक्रवर्ती** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक की सहायता निधि से ब्रिटेन या बिस्कुट कम्पनी को डालरों में ऋण लेने की अनुमति क्यों दी गई;

(ख) क्या यह सच है कि इस कम्पनी ने इस ऋण का उपयोग ब्रिटेन स्थित अपनी विदेशी मूल कम्पनी से मशीनरी का आयात करने तथा पुनर्निर्माण और नवीकरण करने के लिये किया है?

(ग) क्या यह भी सच है कि ब्रिटिश कम्पनी का भारत में 60 प्रतिशत हिस्सा है ;

(घ) क्या इस अमरीकी ऋण को अमरीकी डालरों में ही वापस करना पड़ेगा; और

(ङ) इस ऋण के मंजूर होने के पश्चात् इस कम्पनी को निर्यात से कितनी आमदनी हुई है?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) मैसर्स ब्रिटेनिया बिस्कुट कम्पनी को उसके बम्बई एकक के लिए मई, 1965 में आई० सी० आई० सी० आई० के ऋण में से ब्रिटेन से पांच लाख रुपये के मूल्य का नया सन्यन्त्र खरीदने की अनुमति दी गई थी क्योंकि वहां पर 25 वर्ष पहले लगाये गये संयंत्र के स्थान पर नया सन्यन्त्र लगाना आवश्यक हो गया था।

(ख) जी नहीं, तथा जुलाई, 1965 में उसे मद्रास में एक एकक स्थापित करने के लिए ब्रिट्रेन द्वारा दिये गये ऋण में से वहीं से 7,14,760 रुपये का उन्नत संयंत्र तथा पैक करने की मशीनें आयात करने की अनुमति दी गई थी।

(ग) जी नहीं। उसका हिस्सा 52 प्रतिशत है।

(घ) आई० सी० आई० सी० आई० ने अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक के ऋण की छठी लाइन में से 108000 अमरीकी डालर (रुपये के अवमूल्यन से पहले लगभग 5.10 लाख रुपये) के बराबर की विदेशी मुद्रा दी है। इसका भुगतान अमरीकी डालर में करना पड़ेगा।

(ङ) उसके द्वारा किया गया निर्यात (नैपाल को छोड़कर) इस प्रकार है :—

1963	3.86 लाख रुपये।
1964	4.80 लाख रुपये।
1965	4.95 लाख रुपये।
1966	4.49 लाख रुपये।

चिली का नाइट्रेट सोडा

†363 **श्री मुहम्मद इलियास :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चिली के नाइट्रेट सोडे का मूल्य 339 रुपये प्रति टन नियत किया है और यदि हां, तो यह बाजार में 2500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से कैसे बेचा जा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कृषि प्रयोजनों के लिये निर्धारित की गई मात्रा चोर बाजार में बिक रही है ;

(ग) क्या कारखाने और खेत में दोनों खादों और उर्वरकों के मिश्रण के लिये लाइसेंस दी गई लगभग 30 फर्मों द्वारा बेचे जा रहे मिश्रित उर्वरकों की जांच करने अथवा इसकी किस्म पर नियंत्रण रखने का कोई तरीका है ;

(घ) क्या कृषि कार्यों के लिये चिली के नाइट्रेट सोडे के स्थान पर काम आ सकने वाली किसी अन्य वस्तु का आयात करने की कोई योजना है ; और

(ङ) क्या इस रसायन के बहुत अधिक मूल्य होने के कारण छोटे उद्योगों को बड़ी कठिनाई उठानी पड़ रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ङ). कृषि प्रयोजनों के लिये निर्धारित चिली के नाइट्रेट के, खुदरा बिक्री के लिये सरकार के अनुमोदन से राज्य व्यापार निगम द्वारा नियत मूल्यों से अधिक पर बेचे जाने के बारे में कुछ शिकायतें मिली थीं। इस उर्वरक की उच्च लागत के बारे में लघु उद्योगों को कुछ कठिनाइयां होने के सम्बन्ध में भी सूचनाएं मिली हैं।

चिली के नाइट्रेट का प्रयोग देश की कुछ ही भूमि में तथा वह भी कुछ ही फसलों के लिये हो सकता है। उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग, इसमें सोडियम होने के कारण, अंततः हानिकर है अतः प्रति वर्ष इसकी सीमित मात्रा में आयात किया जाता है और इसका कुछ अंश कृषि प्रयोजन के लिये नियत किया जाता है। गत वर्ष तक कृषि प्रयोजनों के लिये निर्धारित इस उर्वरक को किसानों को रियायती दर पर बेचा जाता रहा है ताकि इसका मूल्य ऐसे ही अन्य उर्वरक के मूल्य के लगभग समतुल्य हे परन्तु औद्योगिक प्रयोजन के लिये निर्धारित मात्रा का मूल्य इस अंतर को पूरा करने के लिये समंजित किया गया था।

चालू वर्ष में उर्वरक की उपलब्धि बहुत अच्छी है तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया कि कृषि प्रयोजनों के लिये इस उर्वरक की कोई भी मात्रा नियत नहीं की जाये। चूंकि कृषि प्रयोजनों के लिये इसकी कोई मात्रा नहीं दी जाती। अतः आशा है कि इस उवरक की बिक्री में कदाचार की कोई संभावना नहीं रहेगी। चालू वर्ष के आयात में से जो मात्रा उपलब्ध है उसे भी पूर्णतः उद्योगो को दिया जा रहा है।

उर्वरक के मिश्रण की किस्म पर अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत जारी किये गये उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 के अधीन संविधिक नियंत्रण लगाया जाता है। इस आदेश के अंतर्गत नियुक्त किये गये निरीक्षकों को इसके उपबन्धों के पालन कराने का अधिकार दिया गया है जिसमें किस्म की जांच करना भी शामिल है।

हांगकांग तथा सिंगापुर को निर्यात

†366. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि प्रोत्साहन और निर्यात संवर्धन योजनाओं के अन्तर्गत हांगकांग और सिंगापुर को निर्यात की गई कुछ वस्तुओं को वहां पर भारी मात्रा में जमा किया गया है और उन्हें वहां बहुत अधिक बट्टे पर बेचा तथा नीलाम किया गया है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि एसी योजनाओं के अन्तर्गत किया गया निर्यात अनेक मामलों में स्थिर तथा स्थायी मंडियों का विकास करने में असफल रहा है और ये निर्यात केवल प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिये ही किये गये थे; और

(ग) क्या सरकार ने नये प्रोत्साहन नीतियों के निर्धारण में इन बातों पर विचार किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). हांगकांग तथा सिंगापुर को निर्यात की गयी वस्तुओं को आयात के पश्चात् बट्टे पर बेचे जाने के बारे में सरकार की जानकारी में बहुत थोड़े मामले आये हैं। व्यवहार में पता लगने वाली सभी त्रुटियों पर ध्यान दिया जाता है और चूककर्ताओं के विरुद्ध आवश्यक दण्डात्मक कार्रवाई अथवा नीतियों में सुधारक कार्रवाई की जाती है।

अवमूल्यन के पश्चात् कोयले का निर्यात

*367. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रुपये के अवमूल्यन के बाद भी पिछले कुछ महीनों में देश से होने वाले कोयले के निर्यात में वृद्धि नहीं हुई है और अभी तक हम पुरानी मंडियों में पुनः कोयले का निर्यात नहीं कर पाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) और (ख). कोयला निर्यात पर अवमूल्यन के प्रभाव की ठीक ठीक जांच के लिय अभी जल्दी है। तथापि निर्यात को बढ़ाने के सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं। जहां तक हमारे कोयले की परम्परा गत बाजार का सम्बन्ध है, हमने अवमूल्यन के पहले ही सुस्थापित विक्रेताओं की स्पर्धा के बावजूद बर्मा तथा सीलोन से कोयला देने के ठेके प्राप्त कर लिये हैं। सिंगापुर, हांगकांग आदि के बाजार में उनके द्वारा ईंधन तेल के प्रयोग किए जाने के फलस्वरूप कोयले की मांग काफी हद तक कम हो गई है।

रेल दुर्घटनायें

*374. श्री भागवत झा आजाद :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
डा० म० मो० दास :
श्री दलजीत सिंह :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
डा० श्रीनिवासन :
श्री प० ह० भील :
श्री कपूर सिंह :
श्री गुलशन :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री म० रं० कृष्ण :
श्री रमापति राव :
श्री रामचन्द्र मलिक :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1966 से लेकर 31 अक्तूबर, 1966 तक की अवधि में (महीना-वार) प्रत्येक रेलवे में अलग-अलग कुल कितनी रेल दुर्घटनाएं हुईं ;

(ख) उसी अवधि में प्रत्येक दुर्घटना में अलग-अलग कितनी रेलवे सम्पति का नुकसान हुआ है तथा कितने व्यक्ति मरे हैं ;

(ग) रेलवे द्वारा अब तक अलग-अलग कितनी राशि प्रतिकर के रूप में दी गई ; और

(घ) प्रत्येक मामले में यदि जांच की गई है तो क्या परिणाम निकले हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): (क), (ख) और (घ). एक बयान सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 7350/66**]

(ग) सूचना मंगायी जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने का विस्तार

*375. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या लोहा और इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दुर्गापुर इस्पात कारखाने की क्षमता 10 लाख टन से बढ़ा कर 16 लाख टन करने के उपायों के बारे में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या सात भट्टियों में परिवर्तन कर दिया गया है अथवा नहीं ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि०ना० सिंह) : (क) कोयला चढ़ाने-उतारने की मशीन, सामान चढ़ाने-उतारने की मशीन, धवन भट्टी संख्या 4, गैस साफ करने के संयंत्र, आक्सीजन संयंत्र, डोलोमाइट दाहक संयंत्र, स्ट्रीपर बे और स्कूल यार्ड बिजली के सामान की मरम्मत करने के कारखाने, रेल कांटा तथा पिग कास्टिंग मशीन संख्या 3 से सम्बन्ध संयंत्र तथा उपकरण लगाने का कार्य पूरा हो गया है। शेष 14 एककों के सम्बन्ध में संयंत्र तथा उपकरण लगाने का कार्य प्रायः पूरा होने वाला है।

(ख) चार भट्टियों में परिवर्तन का कार्य पूरा हो गया है। पांचवीं भट्टी में परिवर्तन का कार्य चल रहा है तथा छठी और सातवीं भट्टी में परिवर्तन का कार्य शीघ्र आरंभ तथा पूरा किया जायगा।

आयात लाइसेंस

†376. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष उदार योजनाओं के अन्तर्गत तथा सामान्य स्थिति में पृथक-पृथक् कितनी राशि का माल आयात करने के लिये लाइसेन्स जारी किये गये हैं ;

(ख) वास्तव में कितने मूल्य के सामान का आयात किया गया ;

(ग) इस आयात द्वारा अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कमी करने में कितनी सहायता मिली है ; और

(घ) इस आयात के द्वारा हमारे भुगतान-संतुलन और रोजगार की स्थिति में किस हद तक और किस प्रकार सहायता मिली है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) 6-6-1966 से 30-9-1966 तक की अवधि में, बड़े पैमाने के प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों, प्रतिष्ठापित आयातकों के लिये अनुपूरक अवंटनों और अमरी की सहायता के अन्तर्गत फालतू पुर्जों के आयात तथा लघु उद्योगों के सम्बन्ध में जारी किये गये आयात लाइसेंसों का कुल मूल्य लगभग 300 करोड़ रु० था। इसके अतिरिक्त अन्य सभी श्रेणियों के आयात के लिये, जिनके लाइसेंस आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा दिये जा सकते हैं 343 करोड़ रु० के लाइसेंस जारी किये गये।

(ख) आयात लाइसेंसों के वास्तविक प्रयोग के सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) तथा (घ) मूल्यों, रोजगार तथा भुगतान संतुलन पर उदारीकरण के प्रभाव का मूल्याकंन इतने थोड़े से समय के आधार पर करना संभव नहीं है। मूल्यों, रोजगार तथा भुगतान संतुलन पर कई अन्य बातों का भी प्रभाव पड़ता है अतः उन पर आयात के उदारीकरण के प्रभाव का अलग से पता लगाना कठिन है।

भर्ती के लिए परीक्षायें हिन्दी में करना

*377. **श्री अ० प्र० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती के लिये परीक्षाएं, जहां शिक्षा का माध्यम हिन्दी है वहां हिन्दी में और जहां शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषाएं हैं वहां प्रादेशिक भाषाओं में क्यों नहीं ली जाती है ; और

(ख) जहां शिक्षा का माध्यम हिन्दी अथवा प्रादेशिक भाषाएं हैं, क्या वहां अभ्यर्थियों की परीक्षा हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं में लेने के लिए रेलवे सेवा आयोग को निदेश देने का सरकार का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) रेल सेवा में तीसरे दर्जे के पदों पर भर्ती भाषायी या क्षेत्रीय आधार पर नहीं की जाती। रेलों पर काम अंग्रेजी में होता है, इसलिए सेवा की अपेक्षाओं में अंग्रेजी की योग्यता परमावश्यक है। अतः रेलों में तीसरी श्रेणी के पदों की भर्ती के लिये हिन्दी या क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा लेना संभव नहीं है।

(ख) जी नहीं।

जूतों का निर्यात

*378. **श्री महेश्वर नायक :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या चमड़ा विशेषज्ञों के एक पांच-सदस्यीय अध्ययन दल ने पश्चिमी यूरोप का दौरा करने के पश्चात् अपने प्रतिवदन में यह सुझाव दिया है कि यदि मशीनों तथा कच्चे माल के आयात और विदशी मुद्रा सम्बन्धी सुविधायें देने में अधिक उदार नीति अपनाई जाय तो भारत कई अन्य अपरम्परागत मांगों को पूरा करने के अलावा जूतों के 10 लाख जोड़ प्रति वर्ष बाहर भेज सकेगा ;

(ख) क्या निर्यात संवर्धन परिषद् ने इस प्रतिवेदन का परीक्षण कर लिया है ; और

(ग) सरकार का किस हद तक इन सिफारिशों को क्रियान्वित किये जा ने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) समापित चमड़ा तथा चमड़ा निर्मित वस्तु निर्यात संवर्धन परिषद् कानपुर ने प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है तथा अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में, पैरिस के अन्तर्राष्ट्रीय चमड़ा मेले में भाग लेने तथा विदेशी खरीदारों में निर्यातकों की निर्देशिका वितरित करने के अतिरिक्त, परिषद् अब ब्रिटेन, प० जर्मनी तथा फ्रांस की व्यापारिक तथा तकनीकी पत्रिकाओं में चमड़ा उत्पादों के विज्ञापन दे रही है, विदेशों में दिखाने के लिये भारतीय चमड़ा उद्योग पर फिल्में बनाने की योजना बना रही है तथा विदेशी बाजारों का मौके पर अध्ययन करने के लिये बिक्री दल भेजने को प्रोत्साहन दे रही है । अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिय 5 नये यंत्रीकृत जूता कारखानों की स्थापना का प्रश्न पहिले ही सरकार के विचाराधीन है ।

अत्यावश्यक तथा अल्पावश्यक उद्योग

*379. **श्री उटिया :**
श्री मधु लिमये :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी सहयोग वाली योजनाओं को मंजूरी देने के सम्बन्ध में अत्यावश्यक तथा अल्पावश्यक उद्योगों का वर्गीकरण किया है ।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोका-कोला, बिस्कुट, आइसक्रीम, चांकलेट और मेडन-फार्म को अत्यावश्यक उद्योगों के वर्ग में रखा है, जिन के लिये विदेशी सहयोग मंजूर करने का औचित्य है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो मूल्यवान विदेशी मुद्रा को बचाने की दृष्टि से ऐसा वर्गीकरण न किये जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) से (ग). सरकार विदेशी सहयोग के प्रस्तावों की स्वीकृति के बारे में चाहे वह पूंजी लगाने के बारे में हो अथवा केवल तकनीकी जानकरी के आदान प्रदान के बारे में हो, चयनात्मक दृष्टिकोण अपना रही है । विदेशी सहयोग से सम्बन्धित प्रत्येक प्रस्ताव

पर उसके गुण व दोषों के आधार पर विचार किया जाता है। जिन विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाता है वे इस प्रकार हैं :

(एक) क्या किसी विशेष उद्योग क्षेत्र में हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों के अनुसार क्षमता बढ़ाना आवश्यक है । (दो) क्या अपेक्षित प्रौद्योगिकी देश में उपलब्ध नहीं है । (तीन) क्या योजना की क्रियान्विति के लिये यदि हम विदेशी सहयोग न ले तो हमें पूंजीगत वस्तुओं का इतना आयात करना पड़ेगा कि हमारी बहुत अधिक विदेशी मुद्रा खर्च हो जायगी । (चार) क्या किसी क्षेत्र में विदेशी सहयोग की स्वीकृति से उस क्षेत्र में पहले से विद्यमान अथवा उससे सम्बद्ध उद्योगों के क्षेत्र में विद्यमान उद्योगों को हानि पंहुचेगी (पांच) क्या विदेशी सहयोग से विदेशी पेटेन्टों, व्यापार नामों आदि का अनुचित प्रयोग करना पड़ेगा (छः) क्या प्रस्ताविक निर्माण योजना कच्चे माल तथा अवयवों से सम्बन्धित हमारी नीति के अनुरूप है और (सात) क्या निर्मित की जाने वाली वस्तुओं का निर्यात किया जा सकता है और यदि हां, तो विदेशी सहयोग से हमारी निर्यात की संभावना तेज हो जायगी अथवा बढ़ जायेगी ।

यद्यपि विदेशी सहयोग के लिये अत्यावश्यक तथा अल्पावश्यक उद्योगों का कोई निश्चित वर्गीकरण नहीं किया गया है, सधारणतः उपभोक्ता उद्योगों के क्षेत्र में जब तक पर्याप्त निर्यात प्रधानता जैसी कोई महत्वपूर्ण बात न हों, विदेशी सहयोग की अनुमति नहीं दी जाती है ।

रेलवे कर्मचारियों का स्थानान्तरण

*380. **श्री कोल्ला वेंकैया :**
श्री अ० प्र० शर्मा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बड़े :
श्री दिगे :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **रेलवे** मंत्री 5 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 282 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में जारी किये गये स्थानान्तरण आदेशों में परिवर्तन के सदर्भ में रेलवे कर्मचारियों के सामयिक स्थानान्तरण के बारे में सरकार ने कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) पूरे प्रश्न पर अभी विचार किया जा रहा है ।

निर्यात

*381. **श्री दे० द० पुरी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उन्नत निर्यातक देशों में से अधिकांश अपने उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने के लिये आस्थगित भुगतान की शर्तें पेश कर रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार का निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के भारतीय निर्माताओं को धन देने का प्रस्ताव है ताकि वे विदेश स्थित खरीदारों के लिये आस्थगित भुगतान करने की वैसी ही शर्तें रख सकें ; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना के कब से लागू होने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग). भारत में, जैसा कि अधिक उन्नत देशों में वस्तुतः होता है, निर्यात वित्त की व्यवस्था वाणिज्यिक बैंक करते हैं । किन्तु ऐसे भी कुछ क्षेत्र हैं जहां निर्यात प्रयत्न को बढ़ावा देने के लिये सरकार सहायता करती है ।

इस उद्देश्य से निर्यात ऋण एवं गारण्टी निगम के रूप में संस्थागत संगठन पहले से ही विद्यमान है ।

कारों का निर्माण

*382. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निर्मित कारों के गुण-प्रकार में निरन्तर गिरावट आती जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है कि तीनों मोटर गाड़ी निर्माता निम्नतम स्तर तो अवश्यमेव बनाये रखें ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) देश में निर्मित कारों क गुण-प्रकार में आती जा रही निरन्तर गिरावट के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है । कभी कभी व्यक्तिगत शिकायतें मिलती हैं जिनकी जांच की जाती है और खराबी को दूर करने के लिए निर्माताओं को कहा जाता है । प्रत्येक किस्म की कार उस देश के सहयोग से बनाई जाती है और यह उनके प्रमापित स्तर के अनुसार बनाई जाती है । इसके अतिरिक्त निर्माताओं पर, जिन्हें आवश्यक सुविधायें दी जाती हैं, इस बात के लिए जोर दिया जाता है कि कार को प्रयोग में लाने से पूर्व उसका परीक्षण किया जाना महत्वपूर्ण है ।

घड़ियों का निर्माण

*383. **डा० महादेव प्रसाद** : **श्री हुकम चन्द कछवाय** :
श्री बड़े : **श्री ओंकार लाल बेरवा** :

क्या **उद्योग** मंत्री 2 सितम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4158 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घड़ियों के निर्माण में स्विटजरलैंड और रूस के सहयोग सम्बन्धी प्रस्तावों को अब अन्तिम रूप द दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) और (ख) घड़ियों के निर्माण में स्विटजरलैंड के सहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है । तथापि रूस के सहयोग से गैर-सरकारी क्षेत्र में घड़ी बनाने के दो कारखाने स्थापित करने का निर्णय किया गया है । इस सम्बन्ध में शर्तों के बारे में अभी विचार किया जा रहा है ।

विकास परिषदें

*384. **श्री श्याम लाल शर्राफ** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ उद्योगों में कुछ समय से विकास परिषदें स्थापित कर ली गयी हैं; और

(ख) क्या इस अवधि में इन की उपयोगिता सिद्ध हो चुकी है और क्या देश में औद्योगिक वातावरण पैदा करने के लिए इन परिषदों का किसी न किसी रूप में कोई कार्य किया है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी, हां,

(ख) जी, हां । विकास परिषदों द्वारा प्रयेत्क वित्तीय वर्ष में किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन संसद् के सामने रखे जाते हैं । इस वर्ष 1963-64 का प्रतिवेदन संसद् में प्रस्तुत किया गया था । 1964-65 के प्रतिवेदन का संकलन किया जा रहा है और शीघ्र ही उसे संसद् के सामने रखा जायेगा ।

मैसर्स अमींचन्द प्यारे लाल को कच्चे माल का नियतन

***385. श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री 12 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 420 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर सरकार से प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो राज्य सरकार को कितने स्मरण पत्र भेजे गये हैं; और

(घ) इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करने के लिए सरकार द्वारा किन तरीकों पर विचार किया जा रहा है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जम्मू तथा काश्मीर सरकार से अब प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है जिसमें कहा गया है कि राज्य इंजीनियरी विभाग द्वारा किये गये मूल्यांक प्रतिवेदन में दिया गया है कि जस्तेवाली नालीदार चादरों के 106 टन 8 क्विन्टल और 40 किलोग्राम नियतन में से केवल 29.2 टन का हिसाब रखा गया है । इसके अतिरिक्त थोड़ी चादरें (जिनका उल्लेख नहीं है) स्थल पर पड़ी हैं ।

(ख) यह मामला जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया है ।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठता ।

Cloth Mills

***386. Shri Kishen Pattnayak:**
Shri Madhu Limaye:

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether Government propose to encourage the establishment of new cloth mills with new machinery rather than to provide assistance to old ones; and

(b) whether in order to achieve this objective Government propose to establish these mills in the public sector or propose to provide assistance to small and medium mills to enable them to instal new machinery?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Shafi Qureshi): (a) Old mills are allowed to be scrapped only in cases where the machinery has become obsolete and outmoded and the mills cannot be worked economically even with renovations, etc. In place of such mills, new mills are

allowed to be established. In other cases, suitable renovation, modernisation and expansion of the mills is allowed.

(b) Within the production target fixed for the 4th Plan period, the Central Government propose to establish 5 export-oriented cotton spinning mills in the Public Sector. Additional capacity to be installed will be in the private sector or Cooperative or State sector and this will include setting up of new mills as well as expansion of the existing mills, including small and medium mills, to whom all encouragement will be given to enable them to instal new machinery.

ए० सी० बिजली से चलने वाले रेलवे इंजन

*387. **श्री उ० मू० त्रिवेदी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ए० सी० बिजली से चलने वाले आयातित रेलवे इंजिन बड़ी संख्या में भारतीय रेलों में बेकार पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन इंजनों का मूल्य कितना है और वे कब से प्रयोग में नहीं लाये जा रहे हैं; और

(घ) क्या उनका समुचित प्रयोग किये जाने की कोई सम्भावना है और यदि हां, तो कब ?

रेलवे मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां । 13 आयातित इंजन अतिरिक्त इंजन के रूप में संचित हैं ।

(ख) यातायात की घट-बढ़ को सम्भालने के लिए रेलों पर कुछ संचित/अतिरिक्त रेल इंजनों का होना परिचालन की दृष्टि से आवश्यक है । इस कार्य प्रणाली से, चालू रेल इंजनों का अधिकतम उपयोग करने में सहायता मिलती है । तदनुसार रेल इंजन यातायात की घट-बढ़ को सम्भालने के लिए संचित है ।

(ग) 13 रेल इंजनों की लागत लगभग 149 . 5 लाख रुपये है । अप्रैल, 1966 से औसतन 13 रेल इंजन संचित हैं ।

(घ) इन रेल इंजनों का शीघ्र ही उपयोग किये जाने की संभावना है । इन रेल इंजनों को अधिक तेज रफ्तार से चलाने की अनुमति मिलते ही इनमें से कुछ यातायात की घट-बढ़/वृद्धि सम्हालन और कुछ सवारी गाड़ियों में लगाये जायेंगे ।

Coal Purchased by Railways

*388. **Shri Shinkre:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 2nd Grade Coal is purchased by the Railways from some particular collieries at a rate of Rs. 24 per tonne while other collieries are ready to supply it at lower rate;

(b) whether it is also a fact that the Railways invite tenders for the supply of coal although the National Coal Development Corporation gives a rebate of 65 paise per ton on the purchase of 600 wagons; and

(c) if so, the reasons for calling the tenders; and

(d) the quantity purchased through the N.C.D.C. and through tenders since 1962?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) No, Sir. Offers at lower rates are preferred subject to suitability.

(b) to (d). A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See No. LT-7351/66.*]

आसाम में कागज, कागज की लुगदी और अखबारी कागज बनाने का कारखाना

***389. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् ने अपने हाल ही में प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन में सरकार को सिफारिश की है कि आसाम में कागज, कागज की लुगदी और अखबारी कागज बनाने का कारखाना स्थापित किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकार का विचार राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् की सिफारिशों को कार्य रूप देने का है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) आसाम सरकार के अनुरोध पर राष्ट्रीय व्यावहारिक अनुसंधान परिषद् ने "चौथी पंचवर्षीय योजना में आसाम के लिए औद्योगिक कार्यक्रम" सम्बन्धी प्रतिवेदन तैयार किया है । इस प्रतिवेदन में परिषद् ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि वहां कागज की लुगदी, कागज और अखबारी कागज बनाने के कारखाने स्थापित किये जायें । परिषद् ने पृथक रूप से यह भी सुझाव दिया है कि चूंकि ये परियोजनाएं बड़ी हैं अत: इन्हें गैर-सरकारी क्षेत्र आरम्भ करे अथवा राज्य सरकार। केन्द्रीय सरकार समझती है कि इन्हें सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया जाये । सरकारी क्षेत्र में प्रस्तावित कागज निगम स्थापित किया जाने पर इसके इस निगम द्वारा स्थापित किये जाने की आशा है ।

रेल की पटरियों के दोनों ओर की भूमि में खेती

***390. श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य उत्पादन बढ़ाने हेतु, रेल की पटरियों के दोनों ओर की रेलवे भूमि में, खेती करने के बारे में गत वर्ष किये गये निर्णय के अनुसार इन क्षेत्रों को खेती करने के लिए निश्चित कर दिया गया है और एलाट कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य-संघ राज्य-क्षेत्र में कितनी भूमि तथा देश भर में कुल कितनी भूमि इसके लिए नियत की गई है; और

(ग) इस निर्णय को कार्यान्वित करने में धीमी और शिथिल प्रगति होने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). एक बयान सभा पटल पर रख दिया गया है **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 7352/66]**.

रेलवे स्टेशनों पर रिटायरिंग रूम

1681. श्री उटिया : **श्री मधु लिमये :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्रामालयों (रिटायरिंग रूम) की सुविधा मुख्यत:/पूर्णत: वास्तविक यात्रियों क लिये ही है;

(ख) क्या यह सच है कि इन कक्षों के अग्रिम रक्षण की अनुमति नहीं दी जाती है और स्थान केवल 'जो पहले आये उस को मिले' के आधार पर दिया जाता है ;

(ग) क्या यह जानने के लिए पूना आदि स्थानों पर रिकार्डों की कोई जांच की गई है कि क्या ड्यूटी पर तैनात उच्च रेलवे अधिकारी वास्तविक यात्रियों को स्थान न देकर अपने तथा अपने परिवारों के लिए पहले से ही स्थान सुरक्षित करा लेते हैं और उन पर कब्जा कर लेते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां, मुख्यत: वास्तविक यात्रियों के लिए ।

(ख) यद्यपि विश्रामगृह में स्थान "पहले आवे, पहले पावे" के आधार पर दिये जाते हैं तथापि कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों पर कुछ शर्तों के साथ सीमित रूप में विश्रामगृहों का अग्रिम आरक्षण भी किया जाता है ।

(ग) इस सम्बन्ध में जांच की गई है और आरोप गलत पाये गये ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रेलवे अधिकारियों द्वारा रिटायरिंग रूम का इस्तेमाल

1682. **श्री उटिया :** **श्री मधु लिमये :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के कार्य-रत कर्मचारियों से यह आशा की जाती है कि वे अपने विश्रामगृहों/डिब्बों/उनके लिए रक्षित अन्य स्थानों में ही विश्राम करें न कि विश्रामालयों में ;

(ख) क्या उच्च अधिकारियों द्वारा विश्रामालयों के इस प्रकार के उपयोग से राजस्व की हानि होती है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन अधिकारियों से शुल्क वसूल करने का है जिन्होंने अब तक विश्रामालयों का नि:शुल्क प्रयोग किया है;

(घ) क्या सरकार का विचार यात्री सुविधाओं के इस दुरुपयोग के विरुद्ध अधिकारियों को चेतावनी देने का भी है ; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (ग) और (घ) का उत्तर नकारात्मक हो तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जब अधिकारी आराम घरों/डिब्बों आदि में स्थान उपलब्ध न हों तो ड्यूटी पर अपने मुख्यालय से बाहर गये हुए रेलवे अधिकारियों को विश्रामालयों में नि:शुल्क ठहरने की अनुमति है ।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोयना एल्यूमीनियम परियोजना

1683. **श्री मधु लिमये**
श्री उडिया :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र की एल्यूमिनियम परियोजना (कोयना परियोजना) के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) क्या यह परियोजना चौथी पंचवर्षीय योजना काल में पूरी हो जायेगी ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) पश्चिमी जर्मनी के मैसर्स वैरीनिक्त एल्यूमीनियम वर्क, जो कोयना एल्यूमिनियम परियोजना के विदेशी तकनीकी परामर्शदाता हैं, ने एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है । उनके विशेषज्ञों का एक दल दिसम्बर 1966 में रिपोर्ट पर विचार विमर्श तथा उसे अन्तिम रूप देने के लिये भारतवर्ष आने वाला है। परियोजना का क्षेत्रीय कार्य के 1967 के प्रारम्भ में शुरू होने की आशा है ।

(ख) परियोजना को चतुर्थ योजना काल के पहले ही समाप्त करने का विचार है ।

उत्तर रेलवे द्वारा खरीदी गई सामग्री

1684. **श्री राजदेव सिंह :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री छ० म० केदरिया :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के मुख्यालय तथा जिला भंडार नियंत्रक के कार्यालयों द्वारा प्रति मास प्रति दिन औसतन कितने मूल्य की सामग्री खरीदी जाती है ; और

(ख) अन्य जोनल रेलवे में सम्बन्धित कार्यालयों द्वारा खरीदी गई सामग्री के मूल्य से इसकी क्या तुलना है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(सभी आंकड़े हज़ार रुपयों में निकटतम हज़ार तक पूर्णांकित)

(क) मुख्यालय		भण्डार के जिला नियंत्रकों के कार्यालय	
प्रति दिन	प्रति मास	प्रति दिन	प्रति मास
5,52	1,32,49	2	58

(ख) दूसरी रेलों के तुलनात्मक आंकड़े नीचे लिखे अनुसार हैं :—

रेल	मुख्यालय द्वारा खरीदे गये		भण्डार के जिला नियंत्रकों द्वारा खरीदे गये	
	प्रति दिन	प्रति मास	प्रति दिन	प्रति मास
मध्य	6,78	1,62,56	3	77
पूर्व .	11,64	2,79,39	2	40
पूर्वोत्तर .	3,83	91,74	0.3	7
पूर्वोत्तर सीमा .	2,18	52,41	0.03	1
दक्षिण	8,22	1,97,19	0.17	4
दक्षिण पूर्व	10,03	2,40,78	0.05	1
पश्चिम . .	4,86	1,16,14	44	11,10

इस्तेमाल किये गये टिकट

1685. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या **रेलवे** मंत्री रेल भाड़े की वापसी के दावों के बारे में 2 सितम्बर, 1966 के अतांकित प्रश्न संख्या 4108 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना स्टेशन पर दिये गये आंशिक रूप में प्रयोग किये टिकटों के बारे में क्रमश: 24 और 28 दावों में से इस बीच कितने दावों का निपटारा कर लिया गया है ;

(ख) किस रेलवे से लेखे-जोखे संबंधी विवरण अभी प्राप्त होने बाकी हैं और उनको इस बारे में कितने स्मरण पत्र भेजे जा चुके हैं ;

(ग) इन 24 तथा 28 दावों में से कितने दावों के दावेदारों को उनके गलत तथा अपर्याप्त विवरण देने तथा अन्य कारणों से भुगतान नहीं किया गया है ; और

(घ) इन दावों का शीघ्रातिशीघ्र निपटारा करने के लिये क्या कारगर कार्यवाही की गई है?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) आंशिक रूप से प्रयोग करने के बाद पटना स्टेशन पर लौटाये गये टिकटों के किराये की वापसी के दावों की संख्या क्रमश: 2 और 3 है । उनका निबटारा अभी होना है ।

(ख) 4 मामलों (एक छ : महीने से अधिक पुराना और 3 एक साल से अधिक पुराने) का लेखा-जोखा सम्बन्धी विवरण मध्य रेलवे से और पांचवे मामले (छ: महीने से अधिक पुराना) का पूर्वोत्तर सीमा रेलवे से मिलना है । एक वर्ष से अधिक पुराने दावे के लिए पूर्व रेलवे से सम्बन्धित रेलों को 7 स्मरण पत्र और छ: महीने से अधिक पुराने दावों के लिए 4 स्मरण पत्र भेजे हैं ।

(ग) 30-6-1966 को छ: महीने से अधिक पुराने 4 दावे और एक वर्ष से अधिक पुराने 9 दावे न निबटाये जा सकने का कारण यह था कि दावेदारों ने अपर्याप्त और गलत विवरण दिये थे । बाकी क्रमश: 20 और 19 दावों का अन्य कारणों से अन्तिम निबटारा नहीं किया जा सका ।

(घ) इसके बारे में संबंधित रेलों से सूचना मंगायी जा रही है और बाद में सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

2378 (ai) LS—5.

रेलवे में पदाधिकारी तथा अन्य कर्मचारी

1686. श्री लाखन दास : **श्री मधु लिमये :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा रेलवे प्रशासन के प्रयोजन के लिये "अधिकारियों" तथा "अन्य कर्मचारियों" शब्दों की परिभाषा दे दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो 1 अप्रैल, 1948 को अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों का अनुपात क्या था और अब कितना है ; और

(ग) प्रशासन में अधिक उच्चाधिरियों को नियुक्त करने की प्रवृत्ति का प्रतिकर करने हेतु, क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च, 1948 को तथा 31 मार्च, 1966 को राजपत्रित अधिकारी अन्य कुल कर्मचारियों के क्रमशः 0.1864 और 0.4131 प्रतिशत थे ।

(ग) प्रशासन इसे बहुत अधिक नहीं समझता है ।

तकनीकी पर्यवेक्षक

1687. श्री लाखन दास : **श्री मधु लिमये :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय रेलों के तकनीकी पर्यवेक्षकों (चार्जमेन, सहायक फौरमेन तथा फोरमेन) की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य शिकायतें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने उन शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) बेहतर वेतन मान ।

(ग) सवाल नहीं उठता, क्योंकि इस वर्ग के कर्मचारियों के लिए जो वेतन-मान निर्धारित किये गये हैं वे इन कर्मचारियों को सौंपे गये कर्त्तव्यों और जिम्मेदारियों के अनुरूप हैं ।

ट्रकों और मोटर गाड़ियों की खरीद

1688. श्री सेझियान : क्या **संभरण, तकनीकी विकास तथा सामग्री आयोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा खरीद और उपयोग के लिये सरकार द्वारा स्वीकृत सूची में शामिल किये गये ट्रकों और मोटर गाड़ियों के नाम क्या-क्या हैं ?

(ख) उनके लिए क्या मूल्य निर्धारित किये गये हैं ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में सरकार द्वारा कितने नये ट्रक या मोटर-गाड़ियां खरीदी गई हैं ?

संभरण, तकनीकी विकास तथा सामग्री आयोजन मंत्री (श्री कोला रघुरामैया): (क) पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा ट्रकों और मोटर गाड़ियों की कोई अनुमोदित सूची नहीं रखी जाती परन्तु, पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा देश में ही निर्मित निम्नलिखित मेक की प्रसिद्ध गाड़ियां खरीदी जाती हैं :—

1. टाटा मर्सिडेज़ बैंज ट्रक बस चेसिस ।
2. विलीज़ जीप और 4 टन ट्रक चेसिस ।
3. बस और ट्रक के लिए लीलैंड 'कोमेट' चेसिस ।
4. हिन्तुस्तान एम्बेसेडर कार, और ट्रक तथा बस के लिए बेडफोर्ड ग्रुप के चेसिस ।
5. फीयट कार, और ट्रक तथा बस के लिए उपयुक्त डाज / फार्च ग्रुप के चेसिस ।
6. टेम्पो हनसीट थ्री वीलर चेसिस और डिलिवरी वेन ।
7. स्टेंडर्ड वैन टन ट्रक चेसिस ।

(ख) मोटर गाड़ियों के मूल्य उद्योग मंत्रालय द्वारा केवल अनौपचारिक आधार पर नियमित किए जाते हैं । ये मूल्य विभिन्न माडलों के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं और ये उनमें लगाए जाने वाले वीलबेस और इंजन की लम्बाई पर निर्भर करते हैं । पूर्ति और निपटान महानिदेशालय से किए गए दर-ठेकों के अनुसार विभिन्न प्रकार के विविध माडलों के मूल्य मोटे तौर पर निम्नलिखित हैं :—

माडल	मूल्य
टाटा मर्सिडेज़ बेंज	35,000 रु0 से 45,000 रु0 तक
विलीज़ जीप .	15,653 रु0
लीलेंड कामेट चेसिस	44,000 रु0 से 45,200 रु0 तक
एम्बेसेडर कार .	14,600 रु0
बेडफोर्ड चेसिस	24,200 रु0 से 31,000 रु0 तक
फ़ीयट कार . .	12,797 रु0
डाज फार्ज चेसिस . . .	25,000 रु0 से 34,800 रु0 तक
टेम्पो हनसीट थ्री वीलर . .	7,282 रु0
डिलिवरी वैन . . .	9,209 रु0
स्टेंडर्ड ट्रक चेसिस . . .	15,600 (दर-ठेके पर खरीदे जा रहे हैं)

(ग) अक्तूबर, 1963 से सितम्बर, 1966 तक खरीदी गई गाड़ियों की संख्या निम्नलिखित हैं :—

	संख्या
टाटा मर्सिडेज़ बेंज गाड़ियां .	9957
डाज/फार्ज ग्रुप की गाड़ियां .	3735
बेडफोर्ड ग्रुप की गाड़ियां	1121
विलीज़ ग्रुप की गाड़ियां .	7873
लीलेंड कामेट चेसिस	601
टेम्पो .	189
स्टेंडर्ड वन टन चेसिस . . .	86

दिल्ली और जीन्द के बीच रेलगाड़ियां

1689. श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में शिकायतें मिली हैं कि दिल्ली और जीन्द के बीच चलने वाली सवारी गाड़ियों में बिजली और पानी नहीं होता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :(क) जी हां । इन गाड़ियों में बिजली और पानी न होने के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें मिली हैं ।

(ख) दिल्ली और जींद के बीच चलने वाली गाड़ियां धीमी गति वाली सवारी गाड़ियां हैं और यात्रा के दौरान इनकी बैटरियां सीमित रूप से चार्ज होती हैं और चोरी के कारण होने वाली कमियों के कारण यदि कोई जेनेरेटिंग उपस्कर ख़राब हो जाय तो इनका विसर्जन हो जाता है । दिल्ली स्टेशन पर आने वाली गाड़ी के पहुंचने और दिल्ली से बहादुरगढ़ के लिए उसके छूटने के बीच सीमित समय उपलब्ध होने के कारण कभी कभी डिब्बों की छत वाली सभी टंकियों को पूरी तरह से भरना कठिन हो जाता है विशेषकर उस हालत में जब दिल्ली आने वाली गाड़ियां देर से पहुंचती हैं ।

(ग) रेल प्रशासन द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :—

(i) विसर्जित बैटरियों में होने वाली कमी को पूरा करने के लिए टर्मिनलस्टेशन पर बैटरियों को चार्ज करने की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया गया है । कमियों को पूरा करने और गाड़ियों के साथ पहरे की ब्यवस्था करके गाड़ियों में बिजली के उपस्करों की सुरक्षा करने के लिए लगातार प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(ii) दिल्ली पहुंचने से पहले पानी की सप्लाई को पूरा करने के लिए मार्ग में पड़ने वाले स्टेशनों पर डिब्बों में पानी भरने के प्रबन्ध किये गये हैं और इस वैकल्पिक प्रबन्ध से समस्या हल हो गई है ।

दिल्ली-रोहतक कार्ड सैक्शन पर टिकट घर

1690. श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली रोहतक कार्ड सेक्शन पर टिकट घर रेल पहुंचने से केवल 10—15 मिनट पहले खुलते हैं जिसके कारण यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष में इस सम्बन्ध में कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं, दिल्ली और रोहतक को छोड़कर, इस खण्ड के सभी स्टेशनों पर टिकट-खिड़कियां गाड़ियों के पहुंचने से एक घंटा पहले खोल दी जाती है । दिल्ली और रोहतक के टिकट घर चौबीस घंटे खुले रहते हैं ।

(ख) पिछले एक वर्ष में इस सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मद्रास एक्सप्रेस का पटरी से उतर जाना

1691. श्री राम हरख यादव :
श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पांडेय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 25 अक्तूबर, 1966 को प्रातःकाल दक्षिण रेलवे में दारासुरम तथा कुम्बकोणम के बीच तिरुचिरापल्लि मद्रास एक्सप्रेस का इंजन पटरी से उतर गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप कितनी रेलगाड़ियों पर प्रभाव पड़ा; और

(घ) इससे जान तथा माल का कितना नुकसान हुआ ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख). 25-10-66 को लगभग 9.10 बजे 154 अप तिरुच्चिरा पल्लि—मद्रास एषुम्बूर एक्सप्रेस गाड़ी दारासुरम् और कुंभकोणम् स्टेशनों के बीच से गुजर रही थी तो गाड़ी के इंजन के टंडर के अगले पहिये 317 112-13 किलोमीटर पर पटरी से उतर गये । पटरी से उतरे हुए इंजन को 14.10 बजे फिर से पटरी पर रखा गया और उसी दिन 15 बजे लाइन पर गाड़ियों का आना-जाना शुरू हो गया ।

(ग) दुर्घटना के कारण नीचे लिखी गाड़ियां रुक गयीं :—

154 तिरुच्चिरापल्लि-मद्रास एषुम्बूर एक्सप्रेस

134 तिरुच्चिरापल्लि—तिण्डिवनम सवारी गाड़ी

124 तिरुचिच्रापल्लि-विषुप्पुरम

122 पिरुपति पूर्व तेज सवारी गाड़ी

116 मदुरै-मद्रास एषुम्बूर

पार्सल सवारी गाड़ी

दिल्ली/नई दिल्ली में रेलवे यानान्तरण (ट्रांशिपमेंट) सहकारी श्रम तथा निर्माण समिति लिमिटेड के जरिये सामान का लादा जाना तथा उतारा जाना

1692. श्री मधु लिमये :
श्री उटिया :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1958-60 की अवधि में सामान लादने तथा उतारने के लिए दिनांक 14 सितम्बर, 1964 के पत्र संख्या एम आर/1247/64 तथा सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री के दिनांक 2 अप्रैल, 1966 के पत्र संख्या पी० एस०/डी एम सी/251-64 में उल्लिखित रेलवे यानान्तरण (ट्रांशिपमेंट) सहकारी श्रम तथा निर्माण समिति लिमिटेड दिल्ली तथा उत्तर

रेलवे के बीच एक लिखित मौखिक ठेके अथवा समझौते से उत्पन्न देय राशि के निपटाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या रेलवे ने उस समिति को अब तक कोई भुगतान किया है ;

(ग) कितनी राशि के दावों का जिन्हें रेलवे ने स्वीकार कर लिया है अभी भुगतान किया जाना है और कितनी राशि अभी विवादग्रस्त है; और

(घ) इस विवाद का निपटारा कब तक हो जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): (क) समिति के दावों का निपटारा करने के प्रश्न की सविस्तार जाँच की गई थी ।

(ख) और (ग) 1963 में समिति को 8,263 रुपये 62 नये पैसे का भुगतान करके उसका हिसाब पूरी तरह से चुकता कर दिया गया था । कोई और दावा बकाये में नहीं है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

लोहा तथा इस्पात नियन्त्रक का कार्यालय

1693. **श्री मधु लिमये :**
श्री उटिया :
श्री किशन पटनायक :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भ्रष्ट तरकों और अनियमितताओं को देखते हुए जिनका लोकलेखा समिति द्वारा अपने पचासवें प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के कार्यालय को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह): (क) और (ख). लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश, 1956 के अन्तर्गत लोहा और इस्पात नियंत्रण को सौपे गये कृत्यों का निर्वाह करने, लोहा और इस्पात के आयात/निर्यात से सम्बन्धित कुछ कार्य करने तथा लोहा और इस्पात उद्योग के विकास सम्बन्धी पहलू की देख भाल करने के उद्देश्य से लोहा तथा इस्पात नियंत्रक का कार्यालय रखना पड़ता है। हम इस कार्यालय के कार्य में सुधार करने के लिए लगातार कार्यवाही कर रहे हैं। इस कार्यालय को समाप्त किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

ढलाई कारखाना

1694. **श्री मधु लिमये :**
श्री उटिया :
श्री किशन पटनायक :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री 2 सितम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 812 तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 4182 के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाटिया में हैवी इंजिनियरिंग कारपोरेशन के ढलाई कारखाने की स्थापना के कार्य में इसके लिए अपेक्षित किस्म का इस्पात न मिलने के कारण कितना विलम्ब हुआ है ;

(ख) हमारे इस्पात तथा भारी उद्योग के लिए इस कारखाने के महत्व को देखते हुए क्या इस प्रकार के इस्पात की अनुपलब्धता अथवा कमी को गम्भीर कहा जा सकता है; और

(ग) 1960 से लेकर अब तक इस इस्पात का प्रति वर्ष कितना आयात किया गया है तथा देश में इसका कुछ कितना उत्पादन हुआ है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) :(क) और (ख). इस ढलाई कारखाने के पूरा होने का अंशिक कारण स्थूण नीव की आवश्यकता है और आंशिक कारण देश में अपेक्षित किस्म के इस्पात सेक्शन तथा निर्मित इस्पात ढांचों का उपलब्ध न होना है । इसलिए इनमें से वस्तुतः किसी एक को विलम्ब का कारण बताना कठिन है ।

(ग) 'अपेक्षित किस्म के इस्पात' से किसी विशेष किस्म के इस्पात से तात्पर्य नहीं है । ढांचों के लिए किसी विशेष प्रकार के इस्पात से मैच करने के लिए विशेष किस्म के इस्पात की आवश्यकता होती है। इसलिए अपेक्षित इस्पात के उत्पादन और आयात के आंकड़े देना संभव नहीं है ।

रेलवे पास

1696. श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :

क्या **रेलवे** मंत्री 12 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2201 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन यात्रियों की कुल संख्या कितनी है जिन्होंने गत वर्ष भारतीय रेलवे में पहले दर्जे के डिब्बों में यात्रा की थी; और

(ख) उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्होंने उस अवधि में रेलवे पास लेकर यात्रा की थी ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :(क) 1965–66 में पहले दर्जे में यात्रा करने वाले यात्रियों की कुल संख्या 69,351,400 थी जिसमें रेलवे पास पर यात्रा करने वालों की संख्या शामिल नहीं है ।

(ख) रेलवे पास पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता ।

वातानुकूलित रेलगाड़ियों के पास

1697. श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :

क्या **रेलवे** मंत्री 26 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3411 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मितव्ययता तथा बचत करने की दृष्टि से चार मजदूर संघ पदाधिकारियों को दिये गये वातानुकूलित रेलगाड़ियों के पास तथा अन्य सुविधाएं वापस लेने का है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इसी प्रयोजन से 612 प्रशासनिक अधिकारियों को भी यह सुविधाएं देना बन्द करने का है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं ।

लखनऊ स्थित सवारी तथा माल डिब्बा वर्कशाप में दुर्घटना

1698. श्री राम हरख यादव :
श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री शिंकरे :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 26 अक्तूबर, 1966 को लखनऊ में आलमबाग स्थित उत्तर रेलवे सवारी तथा माल डिब्बा वर्कशाप के बिजली घर के एक कम्प्रेसर पाइप के फट जाने से कई व्यक्तियों को चोटें आई थीं ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण थे ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) और (ख). लखनऊ में आलमबाग के सवारी और माल डिब्बा कारखाने की लुहार तथा मशीन शाप को जाने वाली कम्प्रेसर पाइप लाइन 26-10-1966 को लगभग 15-15 बजे बड़े धमाके के साथ फट गई और कर्मचारियों से 23 व्यक्तियों को चोटें पहुंचीं। घना धुआं के कारण लगभग आधे घंटे तक बिलकुल अंधेरा छाया रहा जिसके कारण कारखाने में कुछ दिखाई नहीं देता था। सवारी और माल डिब्बा कारखाने और दूसरे विभागों के वरिष्ठ अधिकारी तुरन्त घटनास्थल पर पहुंच गये और उन्होंने घायलों की मरहम-पट्टी करके उन्हें अस्पताल भिजवाया। घायल व्यक्तियों की हालत में संतोषजनक सुधार हो रहा है ।

(ग) घटना के वास्तविक कारण की जांच एक विभागीय समिति द्वारा की जा रही है ।

हथकरघा कपड़ों की बिक्री

1699. श्री राम हरख यादव : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सभी राज्यों को सलाह दी है कि वे हथकरघा कपड़ों की बिक्री पर विशेष छूट दें ;

(ख) यदि हां, तो छूट सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्तर प्रदेश में कितने समय तक यह छूट दी जायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरैशी) : (क) जी, हां ।

(ख) 15 दिन के लिए प्रतिवर्ष दी जाने वाली विशेष अतिरिक्त छूट के अलावा, राज्य सरकार के स्वनिर्णय पर एक महीने के लिए हथकरघा वस्त्रों की कमी वास्तविक खुदरा बिक्री पर रुपये में पांच पैसे की अतिरिक्त छूट देने के लिए उन्हें सलाह दी गई है ।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार के स्वनिर्णय पर एक महीने तक ।

पेरसान्यू तथा राजलदेसार स्टेशनों के बीच मालगाड़ी का पटरी से उतर जाना

1700. डा० कर्णी सिंहजी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, 1966 में दिल्ली-बीकानेर लाइन में पेरसान्यू तथा राजलदेसार स्टेशनों के बीच एक माल गाड़ी पटरी से उतर गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना का क्या कारण था ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) यह दुर्घटना परसनेऊ और राजलदेसार स्टेशनों के बीच हुई थी ।

(ख) दुर्घटना के कारण की जांच की जा रही है ।

उत्तर रेलवे में कर्मचारियों की वरिष्ठता

1701. श्री राजदेव सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे मुख्यालय की स्टोर्स ब्रांच में वरिष्ठ अधीनस्थ कर्मचारियों तथा वाणिज्यिक शाखा (कोमर्शियल ब्रांच) के सभी कर्मचारियों की वरिष्ठता अभी तक निर्धारित नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दक्षिण-मध्य रेलवे में रेलगाड़ियों का आना जाना बन्द हो जाना

1702. श्री रामहरख यादव : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र में पांचवें इस्पात कारखाने की स्थापना के सम्बन्ध में किये गये प्रदर्शनों के परिणामस्वरूप दक्षिण-मध्य रेलवे के विजयवाड़ा और सिकन्दराबाद सबडिवीजनों में कई दिन तक अनेक रेलगाड़ियों का आना जाना बन्द रहा; और

(ख) यदि हां, तो हिंसात्मक प्रदर्शनों का किन-किन रेलगाड़ियों के आने-जाने पर प्रभाव पड़ा ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां :

(ख) आंध्र प्रदेश में गड़बड़ होने के कारण मद्रास और हवड़ा के बीच और दक्षिण मध्य रेलवे के विजयवाड़ा मंडल में बड़ी लाइन की शाखा लाइनों पर 30-10-66 से 9-11-66

तक गाड़ियों के चलने में बाधा रही। दक्षिण मध्य रेलवे के सिकन्दराबाद मंडल में विजयवाड़ा-काजीपेट खण्ड पर 30 अक्तूबर से 1 नवम्बर, 1966 तक गाड़ियों का चलना बन्द कर दिया गया था, और इस मंडल में 1-11-66 को सभी गाड़ियों का चलना बन्द रहा। 2-11-66 से काजीपेट-विजयवाड़ा खण्ड को छोड़ कर सिकन्दराबाद मण्डल के सभी खंडों पर सशस्त्र पहरे के साथ कुछ गाड़ियां चलायी गयीं। काज़ीपेट-विजयवाड़ा खण्ड पर 5-11-66 से कुछ गाड़ियां सशस्त्र पहरे के साथ चलायी गयीं। मद्रास और दिल्ली के बीच गाड़ियों को दक्षिण-मध्य और मध्य रेलों के वैकल्पिक मार्गों से आंशिक रूप से चलाया जाता रहा।

Ticketless Travel on Eastern Railway

1703. Shri D. S. Patil: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of persons caught for travelling without ticket on the Eastern Railway during June, 1966; and

(b) the amount realised from them as fare and penalty?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) 101422 persons were detected travelling without tickets or with irregular tickets.

(b) About Rs. 1,78,432 as fare and about Rs. 1,02,545 as penalty were collected.

कोमाईकडू में हाल्ट स्टेशन

1705. श्री वैं० तैवर : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में मयूरम और कोरईकुडी के बीच कोमाईकडू में एक ट्रेन हाल्ट बनाने का प्रस्ताव मिला है ;

(ख) यह प्रस्ताव इस समय किस अवस्था में है; और

(ग) यह निर्णय कब किये जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) दक्षिण रेलवे के मायूरम-कारैक्कुडि खण्ड पर पैराबूरणी और तिरुचिट्रम्यलम स्टेशनों के बीच कोनाक्कडू में ठेकेदार द्वारा परिचालित एक गाड़ी हाल्ट खोलने का विनिश्चय पहले ही किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में आगे कार्रवाई करने के लिए रेल प्रशासन से कहा गया है।

रामेश्वरम् एक्सप्रैस रेलगाड़ी

1706. श्री वैं० तैवर : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्राय: रामेश्वरम् एक्सप्रेस गाड़ी, कारैक्कुडि से बरास्ता तिरुवारुर होकर आने वाले सीधे डिब्बे के मयूरम स्टेशन पर पहुंचने से पहले छूट जाती है और कारैक्कुडि से मयूरम जाने वाली सम्पर्क गाड़ी रामेश्वरम् एक्सप्रैस के पहुंचने के पूर्व छूट जाती है; और

(ख) यदि हां, तो मुकदमों के लिए अथवा बारातों के लिये मद्रास जाने वाले व्यक्तियों की मयूरम स्टेशन पर देर तक प्रतीक्षा न करनी पड़े, इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं। मायूरम स्टेशन पर नं० 101 मद्रास-रामेश्वरम् एक्सप्रेस और नं० 125 मायूरम-कारैक्कुडि सवारी गाड़ी के बीच

और नं० 126 करैक्कुडि-मायूरम सवारी गाड़ी और नं० 102 रामेश्वरम् मद्रास एक्सप्रैस गाड़ी के बीच मेल लेने का काम संतोषजनक है, जो अगस्त से अक्तूबर, 66 तक तीन महीनों की अवधि में क्रमशः 96.3 और 97.8 प्रतिशत रहा ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

लखनऊ में चार बाग के स्वास्थ्य केन्द्रों में आयाएं

1707. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे में लखनऊ के चार बाग अ र आलम बाग के स्वास्थ्य केन्द्रों में काम करने वाली आयायों को 24 घंटे अपने क्वार्टरों में रहना पड़ता है ;

(ख) क्या उनके काम करने के घंटे सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दोपहर बाद 3 बजे से 6 बजे सायं तक हैं ;

(ग) क्या वे सुबह के 7 बजे से 6 बजे सासयं काल तक ही अपने क्वार्टर छोड़ सकती हैं, जब उन्हें विश्राम देने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति उनके स्थान पर आ जाता है; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें 24 घण्टे के लिए क्वार्टर छोड़ने की अनुमति न दिये जाने के क्या कारण हैं जब कि उन्हें विश्राम देने वाला व्यक्ति उनके स्थान पर काम कर रहा होता है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) वे पूरी तरह आराम करती हैं और अपने क्वार्टर से बाहर भी जा सकती हैं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ऐल्यूमीनियम बनाने वाली गैर-सरकारी कम्पनियां

1708. श्री ब० कु० दास :
डा० म० मो० दास :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० त्रिवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र की ऐल्युमिनियम बनाने वाली दो कम्पनियों को अपेक्षाकृत काफी कम लागत पर विस्तार करने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि सरकारी क्षेत्र में अधिक लागत पर दो ऐल्युमीनियम पिघलाने वाली (स्मैलटिंग) कम्पनियां स्थापित की जा रही हैं ;

(ख) क्या कोयना और कोरबा के ऐल्यूमिनियम पिघलाने वाले कारखानों का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) निजी क्षेत्र की ऐल्युमीनिय बनाने वाली किसी भी कम्पनी के विकास करने के लिए निषेधाज्ञा नहीं दी गई है। सम्भवत: जिन कम्पनियों के आवेदन-पत्रों की ओर संकेत किया गया है वे मैसर्स हिन्दुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन तथा इंडियन एल्युमीनियम कम्पनी हैं। इन दोनों के आवेदन-पत्र अभी सरकार के विचाराधीन हैं।

(ख) कोरबा (मध्य प्रदेश) में प्रारम्भिक क्षेत्रीय कार्य शुरू किया जा रहा है। कोयना एल्युमिनियम परियोजना का क्षेत्रीय कार्य 1967 के प्रारम्भ में शुरू होने की आशा है।

(ग) कोयना और कोरबा एल्युमिनियम परियोजनाओं का निर्माण कार्य चतुर्थ योजना के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है।

औद्योगिक क्षमता

1709. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० म० मो० दास :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवमूल्यन के कारण औद्योगिक क्षमता में काफी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो किन उद्योगों की क्षमता में वृद्धि हुई है ; और

(ग) मूल क्षमता से यह कितनी अधिक हो गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या): (क) से (ग). औद्योगिक क्षमता पर रुपये के अवमूल्यन के प्रभाव का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। वास्तव में औद्योगिक क्षमता पर उसके प्रभाव का अनुमान लगाने के लिये अभी बहुत कम समय हुआ है।

Incentives to Exports

1710. Shri M. L. Dwivedi:
Shri P. C. Borooah:
Shri S. C. Samanta:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri Subodh Hansda:
Dr. M. M. Das:

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the extent of incentives to exports as a result of special allocation of foreign exchange to export industries to meet their requirements of 'Capital Goods';

(b) the total amount of special allocation made for such imports and whether it would fully meet the requirements; and

(c) the names of the commodities which would be imported as a result of the announcement made by him in the third week of September, and

whether these goods are only meant for industries in the public sector or also for those in the private sector and the quantity thereof separately?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah): (a) Attention is invited to paragraph 5 of the statement made by the Minister of Commerce on August 16, 1966 in Parliament.

(b) and (c). The details of the arrangements are being worked out and will be announced in the near future.

"उच्चतम रेलवे अधिकारियों में असन्तोष"

1711. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री बासप्पा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 सितम्बर, 1966 के स्टेट्समैन में 'उच्चतम रेलवे कर्मचारियों में असन्तोष' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) उनके असन्तोष को दूर करने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). प्रथम श्रेणी रेलवे अफसरों की संस्था की जो आम सभा 27 और 28 सितम्बर 1966 को दिल्ली में हुई थी, उसमें पारित कुछ प्रस्ताव मिले हैं। इन प्रस्तावों की जांच की जा रही है ।

मैसूर में रेयन फैक्टरी

1712. **श्री बासप्पा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में मैसूर में एक रेयन फैक्टरी स्थापित की जाने वाली है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) मैसूर में ऐसीटेट रेयन धागा संयंत्र की स्थापना के लिये मेसर्स माडर्न मिल्स लि० को एक औद्योगिक लाइसेंस दिया गया है ।

(ख) इस फर्म की, अमेरिका के मेसर्स हरकयूलस पाउडर कं० से ऐसीटेट फ्लेक के लिये तथा ब्रिटेन के मेसर्स कोर्टैल्डिस लि० से फ्लेकों की बुनाई के लिये, विदेशी सहयोग के हेतु बातचीत हो गई है। मेसर्स माडर्न मिल्स, अब योजना के लिये अपेक्षित पूंजीगत उपकरणों के आयात के लिये वित्त व्यवस्था हेतु विदेशी स्रोतों का पता लगा रहे हैं तथा उन्होंने पूंजीगत माल के आयात के लिये अभी तक अपना आवेदन-पत्र नहीं दिया है।

दिल्ली में चोरबाजारी करने वालों की गिरफ्तारी

1713. **श्री दाजी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य-क्षेत्र, दिल्ली में जुलाई, अगस्त और सितम्बर, 1966 में जमाखोरी, चोर बाजारी तथा मिलावट करने वाले कितने व्यापारी तथा अन्य व्यक्ति पकड़े गये ;

(ख) कितने व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप वापिस ले लिये गये हैं ; और

(ग) ये आरोप किस प्रकार के थे और इनको वापिस लेने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) 285.

(ख) 64.

(ग) (1) लौह एवं इस्पात नियंत्रण आदेश, 1965, के अधीन 35 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग वापस ले लिये गये क्योंकि यह पता लगा कि उनके कब्जे में पायी गयी टीन-प्लेटें लोह एवं इस्पात नियंत्रक द्वारा अनुमत एक मुक्त विक्रय के अन्तर्गत प्राप्त की गयी थीं।

(2) अत्यावश्यक वस्तुओं सम्बन्धी मूल्य प्रदर्शन आदेश, 1966 के अधीन 15 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग वापस ले लिये गये क्योंकि व्यापारियों द्वारा प्रदर्शित की गयी कीमत-सूचियों में केवल एक अथवा दो मदों की कीमत निर्दिष्ट नहीं दिखाई गयी थी।

(3) सात व्यापारियों के विरुद्ध अभियोग इसलिये वापस ले लिये गये कि यह पता लगा कि चूककर्त्ता कृषक थे जिन्हों ने उस गेहूं को, जो उनके पास से मिला था, अपने उपभोग तथा बीज के उद्देश्य से जमा कर रखा था।

(4) तीन व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग छोटे, तथा तकनीकी होने के कारण वापस ले लिये गये।

(5) खान-पान नियंत्रण आदेश के अधीन दो व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग वापस ले लिये गये क्योंकि जो चूक की गई थी वह तकनीकी किस्म की थी।

(6) खाद्यान्न व्यापारी लाइसेंसिंग आदेश के अधीन दो व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग वापस ले लिये गये क्योंकि उनकी राशन की दुकानें विधिवत् अनुमोदित पायी गयीं थीं किन्तु इस आदेश के अधीन उन्होंने लाइसेंस नहीं लिया था।

Oriental Timber Trading Corporation

1714. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Raghunath Singh:
Shri Rameshwaranand:

Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd., Kalyan (Maharashtra) obtained sanction of foreign exchange to import paper manufacturing machinery from Japan in 1960 and 1961;

(b) if so, the amount of foreign exchange sanctioned;

(c) whether the machinery imported was new or secondhand;

(d) whether it is also a fact that this machine is turning out very bad quality paper and in a much less quantity as compared to the quality and quantity of production on a new machine and this machine remains out of order for many months during a year;

(e) the average production thereof and the rate at which it is sold in the market;

(f) whether it is also a fact that the old machines were imported at almost half the prices shown to buy new machines and the Directors of the Company have deposited the balance amount somewhere abroad and the Company is getting unauthorised profit as a result thereof; and

(g) if so, the enquiries being made by Government in this regard?

The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya): (a) Yes, Sir.

(b) Rs. 8,69,732.

(c) Licence was issued only for importing new machinery. Government is not aware whether the machinery imported is actually second-hand, as no such declaration has been made at any stage.

(d) It has been reported that there were initial operational difficulties when the plant was commissioned in the end of 1963, mainly due to the use of indigenous pulp derived from rice straw. The production also was less due to frequent shut downs due to the poor sheet formation when rice straw pulp was used. But these difficulties have been gradually overcome, although the strength properties of the products could not come up to the normal standards, which is due to the characterisitcs of the raw material used.

(e) The average production in 1965 has been 70 tonnes per month, and that in the first six months of 1966 is 110 tonnes per month. The rated capacity of the plant is 125 tonnes per month. Government are not aware of the price at which their paper is sold in the market, but the common varieties of printing and writing paper are to be sold at prices fixed by the Government.

(f) and (g). Government have not received any report or complaint. As such the question of making any enquiry does not arise.

संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय

1715. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में औद्योगिक विकास के लिए संयुक्त राष्ट्रीय संगठन का मुख्य कार्यालय स्थापित करने के बारे में सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने विचार कर लिया है और उसे स्वीकार कर लिया है

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) उस पर कितना व्यय होगा ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या): (क) संयुक्त राष्ट्र संघ ने अभी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया है और स्वीकार नहीं किया है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

विदेशों में व्यापार-गृह

1716. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, नई मण्डियां खोजने और निर्यात संभावनाओं का पता लगाने के लिये विदेशों में भारतीय व्यापार गृहों को स्थापित करने हेतु योजना आयोग के सदस्य डा० वी० के० आर० वी० राव के सुझाव पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार की सदा यह नीति रही है कि निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से व्यापारिक संस्थानों को विदेशों में कार्यालय खोलने के लिए प्रोत्साहन दिया जाये । इस कार्य के लिए तथा नई मंडियों की खोज करने के लिये उन्हें आवश्यक विदेशी मुद्रा दी जाती है ।

भारतीय व्यापार सेवा का गठन

1717. श्रीमती विमला देवी : क्या **वाणिज्य** मंत्री 29 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 632 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय व्यापार सेवा बनाने के प्रस्ताव का ब्योरा इस बीच तैयार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य शर्तें क्या हैं ; और

(ग) इस सेवा के कब तक बनाये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). भारतीय व्यापार सेव बनाने के प्रस्ताव सम्बन्धी ब्योरा अभी भी तैयार किया जा रहा है तथा यह सेवा यथा-संभव शीघ्र ही बना दी जायेगी।

आसाम में सीमेन्ट का कारखाना

1718. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आसाम सरकार के प्रस्ताव पर आसाम में सीमेंट का एक कारखाना लगाना स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसे सरकारी, गैर-सरकारी अथवा सहकारी, किस क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है ; और

(ग) इसकी उत्पादन क्षमता और इस पर होने वाले व्यय का अनुमान क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) से (ग). आसाम सरकार चेरांपूंजी में पहले ही 84 000 टन वार्षिक क्षमता का एक सीमेंट का कारखाना स्थापित कर चुकी है। यह कारखाना प्रयोगात्मक उत्पादन के लिए स्थापित किया गया है।

बोकजन में सरकारी क्षेत्र में 20,000 टन वार्षिक क्षमता के एक दूसरा सीमेंट का कारखाना स्थापित करने के आसाम सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इस आकार के कारखाने पर लगभग 4 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय होगा।

ऊनी कपड़े के मूल्य

1719. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में ऊनी कपड़े के मूल्य इतने बढ़ गये हैं कि ऊनी कपड़ा खरीदना औसत-मध्यम आय-वर्ग के लोगों के सामर्थ्य के बाहर हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कम्बलों सहित विभिन्न प्रकार के ऊनी कपड़े के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है और यह मूल्य कितने प्रतिशत बढ़े हैं ;

(ग) इस वर्ष ऊनी कपड़े के मूल्य पिछले वर्ष के मूल्यों की तुलना में कितने हैं और इनमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ; और

(घ) ऊनी कपड़े के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफ़ी कुरेशी) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

विदेशी मुद्रा के अभाव से उत्पन्न आयातित कच्चे माल की कमी के कारण थोक मूल्यों के सूचकांक के अनुसार, तीसरी योजना की अवधि में ऊनी माल के मूल्य 74 प्रतिशत बढ़े थे। एक ही मानक के बने हुए विभिन्न प्रकार के ऊनी कपड़ों के तुलनात्मक मूल्य उपलब्ध नहीं हैं। तीसरी योजना की अवधि के अंतिम वर्ष में विद्यमान मूल्यों की तुलना में इस वर्ष की सर्दियों में मूल्य 8.9 प्रतिशत बढ़े हैं। अवमूल्यन के बाद आयातित कच्चा माल भी महंगा पड़ेगा।

(घ) (1) सभी वर्स्टेड बुनाई मिलों के लिए उत्पादन की एक प्रणाली निर्धारित की गयी है ताकि वर्स्टेड धागे की विभिन्न किस्मों का सन्तुलित उत्पादन सुनिश्चित हो सके।

(2) सरकार ने हौज़री, बुनाई तथा हाथ की बुनाई के धागों के वितरण की योजनाएं लागू की हैं ताकि उद्योग के सभी क्षेत्रों को यथासम्भव अधिकतम कच्चे माल का मिलना सुनिश्चत हो सके।

(3) भारतीय ऊन के अधिक उपभोग पर बल दिया जा रहा है।

(4) वर्ष 1966-67 में कच्ची ऊन के आयात के लिए 12 करोड़ रुपये का नियतन किया गया है। आशा है कि, इस नियतन से, जो कि गत वर्ष की अपेक्षा काफी अधिक है, ऊनी कपड़े के मूल्य घटाने में सहायता मिलेगी।

कोक तथा कोयले की उत्पादन लागत

1720. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रशुल्क आयोग से कहा है कि वह कोयले तथा कोक की उत्पादन लागत और उनके मूल्य के बारे में जांच करे ;

(ख) यदि हां, तो जांच के निर्देश-पद क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में आयोग की क्या प्रतिक्रिया है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) हां, महीदय ।

(ख) जांच के निर्देशक-पद निम्नलिखित हैं :—

(1) उत्पादन लागत के विभिन्न कारकों, जिसमें अवार्ड तथा मनवी वह सब बातें शामिल हैं जो कोयला उत्पादन कार्यक्रम पर प्रभाव डालती हैं, को ध्यान में रखते हुए कोयला/कोक की उत्पादन लागत की जांच करना तथा रिपोर्ट देना ।

(2) देश में उच्च श्रेणी के कोयले की कमी, तथा उनके संरक्षण की आवश्यकता को देखते हुए एवं निम्न श्रेणी के कोयले के अधिक प्रयोग को प्रतिवेदन देने के उद्देश्य से इस बात की जांच करके रिपोर्ट करना कि क्या उच्च तथा निम्न श्रेणी के कोयलों के मूल्यों में इस समय स्थित अन्तर ज्यादा होना चाहिये ।

(3) विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न किये जाने वाले कोयले के भिन्न प्रकारों के लिए उपयुक्त मूल्य-ढांचे की सिफारिश करना ।

(4) धुले कोयले और धावनशाला के उपपदार्थों के मूल्य-निर्धारण की उपयुक्त पद्धति के बारे में सुझाव देना ।

(5) भवष्यि में मूल्यों की पुनरीक्षा के आधार के बारे में सिफारिश करना ।

(6) देश की अर्थ व्यवस्था पर तथा कोयले का प्रयोग करने वाले उद्योगों पर कमीशन द्वारा मूल्य परिवर्तन से पड़ सकने वाले प्रभाव के बारे में विचार करना तथा रिपोर्ट देना ।

(7) वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित और नियोजित विकास, खानों के नवीकरण और यंत्रीकरण तथा कुशल संचालन के फलस्वरूप परिवर्धित उत्पादनशीलता द्वारा किस हद तक श्रम एवं मजदूरी की दरों में वृद्धि तथा संग्रहालयों की लागत में वृद्धि को निष्फल किया जा सकता है इस बात की जांच करके रिपोर्ट करना ।

(ग) ऊपर (ख) के अनुसार सौंपे गये मामले पर कमीशन ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है ।

Railway Fare from Fatehpur to Churu

1721. **Dr. Ram Manohar Lohia:** **Shri Kishen Pattnayak:**
Shri Madhu Limaye: **Shri Shinkre:**
Shri Ram Sewak Yadav: **Shri Kumar Chand Kachhavaiya:**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that double fare is being charged on Fatehpur-Churu Railway line even after 10 years of its construction;

(b) whether it is also a fact that the local people have expressed their resentment about it; and

(c) the Government's reaction thereto?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) Yes, Sir. Passenger fares on Fatehpur-Churu line are being charged at double the actual distance since its opening in 1957.

(b) Representations for abolition of the inflation have been received. A token hunger strike and hartal were also observed by the people of the area in August last in protest against the inflation.

(c) The inflation is being maintained because even as it is, the line is yielding a poor return. The position is being kept under watch and the inflation will be abolished or reduced as and when it is found financially feasible.

भिलाई इस्पात कारखाने में छंटनी

1722. डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री राम सेवक यादव :
श्री मधु लिमये :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बता ने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में भिलाई इसपात कारखाने से कितने कर्मचारियों की छंटनी की गई ;

(ख) ये कर्मचारी किस किस श्रेणी के थे; और

(ग) इन कर्मचारियों की छंटनी करने के मुख्य कारण क्या थे ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) 4,413 ।

(ख) ये कर्मचारी मुख्यत: निर्माण विभाग तथा खानों के इजीनियरों, इलेक्ट्रिशियनों, फिटरों, गैस कटरों, हेल्परों, मेटों, मशीन ऑपरेटरों, स्टॉक टेकरों, टाइम कीपरों, मजदूरों, मेहतरों और चौकीदारों की श्रेणी के हैं ।

(ख) छंटनी के मुख्य कारण 2.5 लाख मीट्रिक टन विस्तार के निर्माण कार्य का प्राय: पूरा होना तथा डल्ली खानों में खनन कार्य पूरा होना है ।

परम्परागत वस्तुओं का निर्यात

1723. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री ब० कु० दास :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान चाय, पटसन, सूती कपड़ों जैसी परम्परागत वस्तुओं के निर्यात की कुल मात्रा में कमी हुई है ;

(ख) क्या इस तथ्य से, नई निर्मित वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने सम्बन्धी भारतीय निर्यात नीति म परिवर्तन करने की व्यावहारिक समस्या सामने आयी है ;

(ग) क्या सरकार का विचार विकासशील देशों के साथ व्यापार के लिये इन वस्तुओं पर प्रशुल्क प्राथमिकता की एक योजना लागू करने का है ; और

(घ) क्या निकट भविष्य में कनेडी वार्ता को पुन: आरम्भ किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) तथा (ख) जी, नहीं ; जबकि तीसरी योजना की अवधि में भारत से चाय तथा सूती वस्त्रों का निर्यात लगभग स्थिर रहा, जूट निर्मित माल के निर्यात, परिमाण तथा मूल्य दोनों में, काफी वृद्धि हुई । फिर भी जहां यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि तीसरी योजना की अवधि में सम्पूर्ण निर्यात में वृद्धि हुई, परन्तु तीन परम्परागत वस्तुओं अर्थात चाय, सूती वस्त्रों तथा जूट निर्मित माल का प्रतिशत भाग, कुल निर्यात व्यापार में गिर गया । कुल निर्यात में इन मदों का भाग पहली योजना के 53 प्रतिशत से घटकर दूसरी योजना में 51 प्रतिशत और तीसरी योजना की अवधि में और भी घटकर 44 प्रतिशत रह गया । यह मुख्यतः तीसरी योजना की अवधि में भारत के निर्यात के बदलते हुए ढांचे के फलस्वरूप हुआ, जिसमें नई वस्तुओं के निर्यात उपार्जन से काफी अधिक वृद्धि हुई थी । इंजीनियरी वस्तुओं का निर्यात 1961-62 के लगभग 7 करोड़ रु० से बढ़कर 1965-66 में 20 करोड़ रुपये हो गया । रसायनिक तथा सम्बन्ध उत्पादों का निर्यात 1961-62 के 3·67 करोड़ रुपये से बढ़कर 1965-66 में 9·14 करोड़ रु० हो गया ।

(ग) इन नयी वस्तुओं के अधिकांश के लिये विकासशील देश बढ़ते हुए और सम्भावित बाजार प्रस्तुत करते हैं । इसलिये विकासशील देश के अन्य अधिमानात्मक टैरिफ रियायतों के आदान-प्रदान के लिये गाट के तत्वावधान में इस समय आयोजित की जा रही वार्ताओं में भारत सक्रिय भाग ले रहा है ।

(घ) केनेडी व्यापारिक वार्तामाला अब गतिशील हो गयी है और गाटद्वारा उपनाई गई समय अनुसूची के अनुसार इन वार्ताओं के 1967 के मध्य तक पूरे हो जाने की आशा है ।

रूरकेला इस्पात कारखाने का विस्तार

1724. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री ब० कु० दास :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री फिरोडिया :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रूरकेला इस्पात कारखाने की क्षमता में 25 लाख टन तक की और वृद्धि करने के बारे में केन्द्रीय इंजीनियरी तथा डिजाइन ब्योरा से कोई परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) इस अतिरिक्त उत्पादन-क्षमता पर होने वाले व्यय का अनुमान क्या है ;

(ग) क्या विस्तार परियोजना के लिय कोई विदेशी सहायता प्राप्त हुई है और यदि हां, तो कितनी ;

(घ) क्या संरचनात्मक इस्पात निर्माण सामग्री स्वदेशी स्रोतों से प्राप्त की गई है ; और

(ङ) प्रस्तावित विस्तार से इसकी उत्पादन-क्षमता किस उत्पाद के उत्पादन से बढ़ाई जायेगी ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) से (ड) . रूरकेला इस्पात कारखाने के विस्तार सम्बन्धी प्रस्ताव पर इस समय भारत सरकार और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड जर्मनी संघीय गण राज्य तथा धन देने वाली उसकी ऐजेन्सियों के परामर्श से विचार कर रहे हैं। इस समय कोई ब्यौरा देना संभव नहीं है।

कोयले का निर्यात

1725. **डा० म० मो० दास :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोयले के निर्यात के मामले में मलयेशिया तथा सिंगापुर की मंडी बहुत तेची से खो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) मलयेशिया तथा सिंगापुर को 1957 के पश्चात् कोयले का कोई निर्यात नहीं किया गया है और इसलिये भारत द्वारा इन बाजारों को खोने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) इन देशों में कोयले की मांग में तेजी से गिरावट आ गयी है जिसके प्रमुख कारण ये हैं :—जहाजों में ईंधन के रूप में तेल का प्रयोग और भाप चालित रेल-इंजनों का डीजल तेल से चालित रेल इंजनों में परिवर्तन। उनकी वर्तमान खपत लगभग 20,000 से 25,000 टन है जो कि टीन को गलाने में प्रयुक्त होने वाले ऐंथासाइट कोयले की विशेष किस्म का है और ऐसा कोयला भारत में उपलब्ध नहीं है। फिर भी मलयेशिया और सिंगापुर को कोयले के निर्यात के प्रश्न की ओर सरकार ध्यान दे रही है।

खेतरी तांबा तथा उर्वरक कम्पलेक्स

1726. **डा० म० मो० दास :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बतावे की कृपा करेंगे कि :

(क) अवमूल्यन के पश्चात् खेतरी तांबा तथा उर्वरक कम्पलेक्स का कुल अनुमानित पूंजी व्यय क्या है ;

(ख) परियोजना के परामर्शदाता के रूप में काम करने वाली विदेशी फर्म को सरकार द्वारा कितनी राशि का भुगतान किया गया है ; और

(ग) पूंजी परिव्यय के विदेशी मुद्रा के अंश को किस प्रकार पूरा करने का विचार है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) खेतरी तांबा जटिल की, जिसमें तेजाब तथा उर्वरक प्लांट तथा पास के कोलिहान निक्षेपों का विकास भी शामिल है, की लागत का अनुमान अवमूल्यन के बाद 78·52 करोड़ रु० है ।

(ख) कैलीफोर्निया अमरीका की मैसर्स वैस्टर्न नैप इंजीनियरिंग कम्पनी जो कि खेतरी तांबा परियोजना के परामर्शदाता हैं को परामर्श के लिये दी जाने वाली राशि 78 लाख रु० होगी ।

इसके अतिरिक्त फ्रांसीसी कम्पनी समूह को भी अदायगी करनी पड़ेगी जो कि प्लांट तथा उपकरण के लिये आकल्प आदि बना रहे हैं । उनको दी जाने वाली राशि के बारे में बातचीत हो रही है ।

(ग) जटिल के लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकताएं निम्न प्रकार से पूरी करने का विचार है :—

(1) विदेशी मुद्रा जो पहले से प्राप्त है	1·73 करोड़ रु० (89 लाख रु० एक्जिम ऋण तथा 84 लाख रु० मुक्त स्रोत से)
(2) फ्रेंच कंजारटियम ऋण (यू० एस० डालर 18 मिलियन) के अधीन प्राप्त विदेशी मुद्रा .	13·50 करोड़ रु०
(3) शेष विदेशी मुद्रा की आवश्यकताएं जिसका प्रबन्ध अभी करना है .	2·49 करोड़ रु०
कुल .	17·72 करोड़ रु०

मैंगनीज अयस्क का निर्यात

1727. डा० म० मो० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैंगनीज ओर (इन्डिया) लिमिटेड कम्पनी वस्तु विनिमय के आधार पर किन किन देशों को मैंगनीज अयस्क का निर्यात कर रही है ;

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कुल कितना व्यापार हुआ ; और

(ग) कम्पनी के अंशधारी कौन-कौन हैं और क्या सरकार का विचार जनता को भी कम्पनी के इक्विटी अंशों को देने का है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) मेंगनीज ओर (इण्डिया) लि० मेंगनीज अयस्क को वस्तु विनिमय आधार पर निर्यात नहीं कर रही है ।

(ख)	(मात्रा) मीटरी टन	मूल्य (रुपयों में)
निर्यात विक्रय	1,95,354	2,35,67,360
स्थानीय विक्रय . .	1,37,848	1,47,91,529

(ग) कम्पनी के अंश-धारी हैं :—

(1) भारत सरकार ;

(2) महाराष्ट्र की राज्य सरकार ;

(3) मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ;

(4) सी० पी० मेंगनीज ओर क० लि०, लंदन ।

कम्पनी के साम्यांश जनता को देने का कोई प्रस्ताव नहीं ।

सुरक्षा तथा बचाव से सम्बन्धित सदस्य की नियुक्ति

1728. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे बोर्ड में सुरक्षा तथा बचाव से सम्बन्धित एक सदस्य नियुक्त करने के सुझाव पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) . रेलवे बोर्ड में पहले से एक संरक्षा संगठन है जो निदेशक ओहदे के एक अधिकारी के अधीन है। यह अधिकारी परिवहन के इन्चार्ज सदस्य के संदर्शन में काम करते हैं। रेलवे बोर्ड का सुरक्षा संगठन रेलवे सुरक्षा दल के महानिरीक्षक के अधीन है और यह भी परिवहन के इन्चार्ज सदस्य के संदर्शन में काम करते हैं। केवल संरक्षा के लिए एक सदस्य की नियुक्ति के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

काजू साफ करने का उद्योग

1729. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :
श्री म० रं० कृष्ण :
श्री रमापति राव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी अफ्रीका के काजू उगाने वाले कुछ देशों ने इटली के नये अविष्कृत छिलके उतारने तथा उधेड़ने वाले संयंत्र लगाने आरम्भ कर दिये हैं जिससे हमारे काज साफ करने वाले उद्योग को खतरा हो गया है, जिसको कच्चे काज की मुख्य सप्लाई पूर्वी अफ्रीका के देशों से ही मिलती है ; और

(ख) यदि हां, तो अपने उद्योग को नष्ट होने से बचाने के लिये अफ्रीका की इस कार्यवाही के कुप्रभाव का सामना करने के लिये क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) खुले मामान्य लायसेंस के अधीन कच्चे काजू का आयात निर्बाध रूप से करने की अनुमति है । स्वदेशी काजू के उत्पादन को बढ़ाने के उपाय भी किये जा रहे हैं । माल के बेकार जाने को रोकने के लिये, काजू एकत्र करने के सुधरे साधनों को लागू करने पर भी सरकार विचार कर रही है ।

बिजली के गैजेटों की बिक्री

1730. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय मानक संस्था ने परामर्श दिया है कि देश में बिजली के गैजेटों और अन्य उपकरणों के उचित परीक्षण के किये बिना तथा उसके लिये लाइसेंस लिये बिना बचने पर रोक लगाई जानी चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या): (क) और (ख) भारतीय मानक संस्था द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार घरेलू उपयोग में आने वाले बिजली के सामान पर भारतीय मानक संस्था की प्रमाणीकरण छाप अनिवार्य रूप से लगाने के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

टेलीविजन सैटों की बिक्री

1731. श्री हरिविष्णु कामत :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 2 सितम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4252 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीविजन सैटों की बिक्री तथा उसके बारे में न्यायालय के निषेधादेश के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) इन सैटों को आयात करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है ;

(ग) इस पारेषण को काफी समय तक सीमाशुल्क विभाग से न लेने के लिये उस व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) कितने व्यक्तियों ने इसके लिये अन्तिम भुगतान कर दिया है अथवा अपनी आवश्यकता बारे में बता दिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) श्री डी० टी० गांधी के विरुद्ध न्यायालय के निषेधादेश को वरिष्ठ उप-न्यायाधीश के अपील न्यायालय ने समाप्त कर दिया है और अब टेलीविजन सैटों की बिक्री राज्य व्यापार निगम की देख-भाल तथा नियन्त्रण में की जा रही है ।

(ख) श्री डी० टी० गांधी ।

(ग) ये सैट मई, 1965 में आये थे और सितम्बर, 1965 तक सीमाशुल्क प्राधिकारी बम्बई के पास पड़े रहे तथा उन्हें किसी ने नहीं उठाया । ये सैट 30-9-1965 को अर्जित किये गये और राज्य व्यापार निगम को वितरण के लिये दे दिए गए ।

(घ) 289 आई० ई० सी० (आयरिश) सैट देने के अतिरिक्त श्री डी० टी० गांधी ने एक ग्राहक से पूरी रकम ले ली और इसके अतिरिक्त आई० ई० सी० (आयरिश) सैटों के लिये 103 आदेशों को बुक कर के सौ सौ रुपया प्रत्येक के हिसाब से वसूल कर लिया।

जहां तक "सान्यो" सैटों का सम्बन्ध है श्री गांधी ने 72 सैट बांटे और 12 ग्राहकों से पूरी रकम ली। उसने 350 सम्भावित खरीदारों के आदेश भी बुक किये और प्रत्येक से सौ सौ रुपया वसूल किया।

निर्यात ऋण तथा प्रत्याभूति निगम

1732. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
डॉ० म० मो० दास :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्यात ऋण तथा प्रत्याभूति निगम ने अपने प्रीमियम में 10 प्रतिशत की कटौती कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो यह कटौती की अनुमति कब से दी गई है ;

(ग) क्या इससे निर्यात व्यापार बढ़ा है ; और

(घ) यदि हां, तो वह कितने प्रतिशत बढ़ा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) प्रीमियम दरों में कटौती अल्पकालीन सौदों (अर्थात 180 दिनों तक) के बारे में 1-9-66 से और मध्यवधिक तथा दीर्घकालीन सौदों (180 दिनों से अधिक) के बारे में 1 नवम्बर, 1966 से प्रभावी हुई है।

(ग) तथा (घ). प्रीमियम दरों में कटौती से भारतीय निर्यातकों के लिये निर्यात ऋण बीमा की लागत कम हो जायगी। इसके फलस्वरूप वे नये बाजारों को ढूंढ़ने और नये खरीददारों को माल का निर्यात करने में निगम के बीमे का संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रकार हानि की आशंका के बिना अपनी कुल निर्यात बिक्री को बढ़ा सकेंगे। ऐसे निश्चित आंकड़े देना कठिन है जिन से इस कार्यवाही के प्रभाव का अनुमान लग सके।

Ramgarh Open Cast Mining Project

1733. Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri Subodh Hansda:
Shri M. L. Dwivedi:
Shri P. C. Borooah:
Dr. M. M. Das:
Shri S. C. Samanta:

Will the Minister of **Mines and Metals** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the U.S.S.R. has promised to render assistance to the Ramgarh Open Cast Mining Project of the National Coal Development Corporation to tide over its present difficulties;

(b) if so, the broad details thereof?

The Minister of Mines and Metals (Shri S. K. Dey): (a) and (b). The Government of U.S.S.R. have agreed to assist in the development of six coking coal mines of the National Coal Development Corporation including the Ramgarh Open Cast Mining Project. Details of the assistance have not yet been finalised.

इंडियन मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड

1734. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० म० मो० दास :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड को प्रति वर्ष भारी हानि उठानी पड़ रही है ;

(ख) क्या इस लेखे में संयुक्त राज्य अमरीका तथा बैंकाक को गये चेयरमैन के शिष्टमण्डल का खर्च शामिल है ;

(ग) इन दोनों दौरों पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई थी और इन के फलस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ;

(घ) क्या यह सच है कि वे निदेशक, जिन्हें भारतीय फिल्मों के लिये निर्यात मंडियों की जानकारी है, इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष प्रतियोगी हैं ;

(ङ) क्या संयुक्त राज्य अमरीका बैंकाक अथवा सुदूरपूर्व देशों के दौरों के बारे में उनके प्रतिवेदनों में भारतीय फिल्मों के वाणिज्यिक विपणन हेतु अर्थोपाय जुटाने के लिये कोई सुझाव दिये गये थे ; और

(च) क्या कारपोरेशन के घाटे में चलने के कारणों के बारे में कोई जांच की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) चेयरमैन के शिष्टमण्डल के अमरीकी दौरे पर व्यय की गई 12,092 रु० की कुल धनराशि में से 4,979 रु० निगम द्वारा व्यय किये गए थे और 7,113 रु० विपणन विकास निधि से सहायता के रूप में दिये गए थे ।

(ग) इन दो दौरों पर कुल 9,609.64 रु० की विदेशी मुद्रा खर्च हुई थी। 1965-66 में अमरीका तथा थाईलैण्ड को क्रमश: लगभग 2.59 लाख रु० तथा 1.58 लाख रु० की फिल्मों का निर्यात किया गया ।

(घ) निगम के निदेशकों में से एक निदेशक प्रत्यक्ष रूप से अपना निर्यात भी करता है ।

(ङ) जी, हां ।

(च) क्योंकि निगम को एक कठिन मद का व्यापार करना था, इसलिए प्रारम्भिक वर्षों में हानि होना असम्भव नहीं था और इसलिए जांच के लिए कोई अवसर ही नहीं था ।

रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद्

1735. श्री सं० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुबोध हंसदा :
डा० म० मो० दास :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् ने, जिसने गत 27 अप्रैल को कार्य आरम्भ किया था, क्या क्या कार्य आरम्भ किया है ;

(ख) विदेशों को हीरे, रत्न और आभूषण निर्यात करने सम्बन्धी सम्भावनाओं के बारे में की गई खोज के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् की सस्थापना पर वार्षिक कितना आवर्ती और अनावर्ती व्यय होगा और क्या यह उस सफलता के अनुरूप होगा जो इस परिषद् को इस क्षेत्र मे मिलेगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) रत्न एवं आभूषण निर्यात परिषद् की स्थापना रत्नों और आभूषणों, जिनमें मोती, बहुमूल्य तथा कम मूल्य के रत्न, हीरे, सश्लिष्ट रत्न, नकली आभूषण, स्वर्ण के और स्वर्णेतर आभूषण और वस्तुएं शामिल हैं, के निर्यात को निम्नलिखित उपायों से बढावा देने के उद्देश्य से की गयी है :—

(1) व्यापारिक शिष्ट मण्डलों और अध्ययन दलों को भेजना ;

(2) बाजार सर्वेक्षण करना ;

(3) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना ;

(4) सांख्यकीय, बाजार संबंधी जानकारी और व्यापारियों के हित की अन्य जानकारी का प्रसार करना ; और

(5) विदेशों में प्रचार और प्रसार आदि करना ।

(ख) परिषद् की स्थापना हाल ही में 27—4—66 को की गयी है और उसने अपनी उपयुक्त नामिकाओं की सहायता से 1966—67 के वर्ष के लिये अपना कार्यक्रम बनाया है जिसमें निम्नलिखित कार्यविधियां शामिल हैं, जिसे अमल में लाने के लिये ये कार्य शुरू किये जायेंगे :—

(1) पश्चिमी यूरोप को 4 अथवा 5 व्यक्तियों का छोटा सा व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डल-सह-अध्ययन दल भेजना ;

(2) वेल्जियम में बहुमूल्य रत्नों और हीरों के लिये बाजार सर्वेक्षण करना ;

(3) विदेशी समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से विदेशों में प्रचार करना ; और

(4) कम से कम एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेना जिसमें दस्तकारियों, कलात्मक वस्तुओं, रत्नों और आभूषणों आदि का मुख्य रूप से प्रदर्शन किया जाये ।

(ग) भारत से निर्यात होने वाले रत्नों तथा आभूषणों का कुल वार्षिक मूल्य अनुमानत: लगभग 20 करोड़ रु० है जिनकी निर्यात सम्भाव्यता काफी अधिक है । परिषद् के संस्थापना संबंधी

तथा अन्य खर्चों के 2.33 लाख रु० होने का अनुमान है जो कि :नर्यात से होने वाली आमदनी की तुलना में बहुत कम है ।

Murder in Passenger Train

1736. Shri M. D. Dwivedi:
Shri Subodh Hansda:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri S. C. Samanta:
Dr. M. M. Das:
Shri P. C. Borooah:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether some arrests have been made in connection with the brutal murder of a youngman in the middle of this year in a passenger train on a Branch Line of Kanpur Division, Central Railway;

(b) the steps being taken to prevent murder and looting of this type in the trains; and

(c) whether a statement showing the incidents of loot, manhandling, murder and also loss to life and property on the different Railways during 1966-67 (upto September, 1966) would be laid on the Table?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) Government Railway Police Banda have registered a case under Section 302 IPC which is still under investigation. No arrest have been made so far.

(b) Maintenance of law and order in railway premises as also safety and security of railway property and life and property of passengers and railway employees is the responsibility of the State Government and the State Government Railway Police.

Close co-operation is maintained with the State Government Railway Police at all levels for the control of crime. Their attention is promptly drawn to any serious crime that occurs as also to any increase in criminal activities in any particular area or train for taking remedial measures.

(c) A statement showing the required information is attached. **[Placed in Library. See No. LT-7353/66.]**

पूर्वोत्तर रेलवे के स्कूलों तथा कालेजों में अध्यापक तथा प्राध्यापक

1737. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के स्कूलों तथा कालिजों में सेवारत अध्यापकों तथा प्राध्यापकों को उनकी वरिष्ठता सूची परिचालित नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियां

1738. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज की घड़ियों के दिल्ली में उपलब्ध न होने और दिल्ली में हथ-घड़ियों की बिक्री में काफी अव्यवस्था होने के सम्बन्ध में 1 मई, 1966 से कितनी शिकायतें दर्ज करवायी गयी हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज की घड़ियां उपलब्ध न होने की बार बार शिकायतें मिलती हैं; किन्तु उनका कोई अभिलेख नहीं रखा जाता है ।

(ख) अधिक सामान के आयात के लिए विदेशी मुद्रा न मिलने से सीमित घड़ियां बनाये जाने के कारण निकट भविष्य में बिक्री में सुधार होने की कोई संभावना नहीं हैं ।

काश्मीर में घड़ियों का कारखाना

1739. श्री विश्वनाथ पांडेय : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का काश्मीर घाटी में विदेशी सहयोग से घड़ियों का कारखाना स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) इस योजना पर कितना धन व्यय होने का अनुमान है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या): (क) जी, हां । स्विटजरलैंड के सहयोग से काश्मीर में घड़ी बनाने का एक कारखाना स्थापित करने के लिए बम्बई की एक फर्म का प्रस्ताव हमें मिला है ।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में ब्यौरे पर विचार किया जा रहा है ।

साही रेलवे स्टेशन पर हमला

1740. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साधारण गोलाबारी के बाद पुलिस ने डाकुओं के एक गिरोह के 29 सदस्यों को पकड़ लिया जो कि अगस्त, 1966 के अन्तिम सप्ताह में पूर्वोत्तर रेलवे के शाही स्टेशन पर हमला करके लगभग 2000 रुपये का माल ले कर भाग गये थे; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : (क)और (ख) जी, हां । वस्तु-स्थिति यह है कि 19/20–8–66 को करीब 1.20 बजे रात को लगभग 20 डाकुओं ने शाही रेलवे स्टेशन पर हमला किया और रेलवे कर्मचारियों के क्वार्टरों और टिकट ट्यूब से रेलवे की नगद रकम (238.77 रु०) को लूटा । सूचना मिलते ही बरेली और पीलीभीत के पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंच गये और वहां बिजौरिया और शाही रेलवे स्टेशनों के बीच एक नदी के पास पुलिस दल और डाकुओं में मुठभेड़ हुई । घोर अंधेरी रात और वर्षा का लाभ उठाते हुए डाकू कुछ घरेलू सामान,

बर्तन और कपड़ों को छोड़ कर भाग गये । गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार किये गये जिन्होंने गिरोह के दस अन्य सदस्यों के नाम बताये जिन्होंने अपराध किया था । इस वारदात में लूटी गयी व्यक्तिगत सम्पत्ति और रेलवे की नगदी रकम की कीमत लगभग 3000 रुपये हैं जिसमें 238.77 रुपये की रेलवे नगदी भी शामिल है । कुछ बर्तन और कपड़े बरामद हुये । अभी पुलिस मामले की जांच कर रही है ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची

1741. श्री ब० कु० दास :
डा० म० मो० दास :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के लिए रूस से जाने वाले उपकरण तथा मशीनरी मार्ग में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई पाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या हानि की राशि का अनुमान लगाया गया है और यदि हां, तो कितनी हानि हुई है ; और

(ग) क्या इसके लिए उत्तरदायी लोगों का पता लगाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

उद्योग मंत्री(श्री संजीवय्या) : (क) और (ख) मई, 1965 में प्राप्त 18706 रुपये की एक सरफेस ग्राइंडिंग मशीन क्षतिग्रस्त हो गई थी जिसे उसे बेचने वाली फर्म ने निशुल्क बदल दिया था । इसके अतिरिक्त कुछ अन्य उपकरण मार्ग में मामूली क्षतिग्रस्त हुए थे । 30 सितम्बर, 1966 तक प्राप्त 18.42 करोड़ रुपये के सामान में से 2.8 लाख रुपये की क्षति होने का अनुमान लगाया गया है । बीमा एजेन्सियों/वाहकों आदि पर पूरी राशि के दावे किये गये हैं जिसमें से उन्होंने अब तक 60 प्रतिशत स्वीकार कर लिये हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मयूरभंज में फेरो-वैनेडियम अयस्क

1742. श्री महेश्वर नायक : क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि फेरो-वैनेडियम अयस्क के मूल्यवान निक्षेप उड़ीसा के मयूरभंज जिले में भारी मात्रा में उपलब्ध है जहां भूतपूर्व राजाओं के राज्य में इन अयस्कों के विदोहन के एक कारखाना चालू किया था;

(ख) क्या सरकार ने अयस्कों का खनन पुनः आरम्भ करने और कारखाने को पुनः स्थापित करने के लिये कोई प्रयत्न किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा कोई भूतत्वीय सवक्षण किया जायेगा ?

खान तथा धातु मंत्री(श्री सु० कु० डे):(क) हां, महोदय । मयरभंज में वैनेडियम अयस्क के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने की जानकारी है ।

(ख) उड़ीसा सरकार के अधीन उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम नामक सरकारी क्षेत्र की संस्था द्वारा एक फेरो-वैनेडियम प्लांट स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। किसी पुरानी फैक्टरी को पुनः स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Derailment in Kotah

1743. Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Bade:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a goods train carrying diesel was derailed in Kotah as reported in the 'Hindustan' dated the 16th September, 1966;

(b) if so, the causes thereof;

(c) the loss suffered as a result thereof; and

(d) the action taken in the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) Presumably the question refers to the collision between train No. 505 Down POL Special and Goods train No. 4 Up in the Kotah yard on 3rd September, 1966.

(b) This accident was due to the failure of railway staff.

(c) The cost of damage to railway property was estimated at approximately Rs. 76,000.

(d) Suitable disciplinary action is being taken against the staff held responsible for the accident.

Shoe and Chappal Industry in Bareilly

1744. Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Bade:

Will the Minister of **Industry** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3484 on the 20th August, 1966 and state:

(a) whether the report of the inquiry in regard to the Shoe and Chappal Industry in Bareilly has been received;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the further time likely to be taken in its submission?

The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya): (a) and (b) Information has been received from the Director of Industries, Uttar Pradesh that no specific immediate crisis in the non-leather Shoes and Chappals industry in Bareilly District has been reported. There has been no unemployment of the wage-earners depending on this Industry. Industries Department, Uttar Pradesh is providing financial assistance to non-leather Shoe-makers for obtaining upper sewing industrial machines and equipment etc. upto Rs. 1,500.

(c) Does not arise.

Arrest of Dacoits at Bally Station near Calcutta

1745. Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Bade:
Shri Yashpal Singh:
Shri Ram Sewak Yadav:

Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4160 on the 2nd September, 1966 and state:

(a) whether the inquiry into the case of dacoits apprehended while breaking the location box at Bally Station near Calcutta has since been completed;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the further time likely to be taken therein?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) Not yet.

(b) Does not arise.

(c) The case is still under investigation by the Government Railway Police Howrah who have reported that the enquiry is likely to be completed within a month or so.

Halt Station between Garh Baruari and Supaul Stations

1746. Shri Hukam Chand Kachhavaiya
Shri Bade:

Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3397 on the 26th August, 1966 and state:

(a) whether the investigation in regard to the opening of a Halt Station between Garh Baruari and Supaul Stations has since been completed;

(b) if so, the conclusions arrived at; and

(c) if not, the further time likely to be taken therein?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) Yes.

(b) It has since been decided to open a contractor-operated train halt between Garh Baruari and Supaul stations on experimental basis.

(c) Does not arise.

डीजल इंजन

1747. श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सांमन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा की कमी और आयात किये जाने वाले कच्चे माल की प्राप्ति में विलम्ब के कारण डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में डीजल इंजन का उत्पादन गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) (क) : और (ख) 1968 के लगभग मध्य तक उत्पादन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विदेशी मुद्रा का प्रबन्ध कर लिया गया है और विदेशी पुर्जों और सामान के लिये आर्डर दे दिये गये हैं और इन सामानों का जहाज़ पर लदान भी शुरू हो चुका है। इस लिये डीज़ल रेल इंजनों के निर्माण का जो काम करखाने में यथासंभव पूरी रफ्तार से हो रहा है, उसमें और प्रत्याशित यातायात के लिये अपेक्षित डीज़ल रेल इंजनों के उत्पादन में कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन यह उल्लेखनीय है कि कुछ समय पहले वाशिंगटन के निर्यात-आयात बैंक से दूसरे और तीसरे ऋण मिलने (तीसरे ऋण की मंजूरी हाल में दी गयी है) और विदेशी पुर्जों की प्राप्ति में समय लग जाने के कारण कारखाने में उत्पादन के काम को नियमित करना पड़ा और कारखाने में जितना उत्पादन करने की क्षमता है, उससे उत्पादन का स्तर थोड़ा कम रखना पड़ा। लेकिन इससे कारखाने में उत्पादन पर 'गम्भीर' प्रभाव नहीं पड़ा। यह उल्लेखनीय है कि यातायात के लिये अपेक्षित बड़ी लाइन के डीज़ल रेल इंजनों की ज़रूरत कारखाने के वास्तविक उत्पादन से पूरी हो गयी।

बंगलौर में कपड़ा मिल

1748. श्री यशपाल सिंह : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संसद् सदस्यों तथा बंगलौर मिल के मजदूरों ने सरकार को एक ज्ञापन दिया है जिसमें यह कहा गया है कि सरकार बंगलौर की उन तीन कपड़ा मिलों को जो 4 अप्रैल, 1966 से बन्द पड़ी है, अपने नियंत्रण में ले ले; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरैशी) : (क) जी, हां।

(ख) केवल दो सूती वस्त्र मिलें, अर्थात मैसूर स्पिनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कं० लि०, बंगलौर तथा मिनर्वा मिल्स लि० बंगलौर हैं जो बंगलौर में 4-4-1966 से बन्द पड़ी हैं। अब दोनों मिलें राज्य सरकार की गारन्टी पर कनारा बैंक लि० से पांच पांच लाख रुपये का ऋण प्राप्त करने में सफल हो गई हैं। दोनों मिलों के व्यवस्थापक, राज्य सरकार की गारन्टी पर ऋण लेने के लिए स्टेट बैंक आफ इण्डिया से भी बातचीत कर रहे हैं। स्टेट आफ इण्डिया के साथ कार्यालय पूंजी की व्यवस्था अन्तिम रूप से तय हो जाने पर दोनों मिलों के फिर से चालू हो जाने की आशा है।

राज्य व्यापार निगम

1749. श्री यशपाल सिंह : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह निश्चित करने के लिए राज्य व्यापार निगम और खान तथा धातु व्यापार निगम का विलय हो सकता है अथवा नहीं दोनों निगमों के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : सरकारी उपक्रम समिति ने अपने 32वें प्रतिवेदन में प्राक्कलन समिति की (49वें प्रतिवेदन में की गई) सिफारिश पर जो राज्य व्यापार निगम के दो भाग करके राज्य व्यापार निगम और भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड के स्थापित करने के बारे में थी, टिप्पणी करते हुए सुझाव दिया है कि राज्य व्यापार निगम

और खनिज एवं धातु व्यापार निगम के कार्य की समीक्षा एक स्वतंत्र निकाय द्वारा कुछ वर्षों के पश्चात् की जानी चाहिए जिससे यह विचार किया जा सके कि क्या दोनों निगमों को मिलाकर एक किया किया जा सकता है। समिति की इस सिफारिश पर विचार किया जा रहा है।

रेशम उद्योग

1750. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री वासप्पा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे रेशम के मूल्य बढ़ जाने के कारण रेशम उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग को बचाने के लिए क्या उपाय किये गये ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरशी) : (क) कच्चे रेशम के उच्च मूल्यों के कारण हाल के महीनों में शहतूती रेशम बुनाई उद्योग कुछ कठिनाइयां अनुभव कर रहा है।

(ख) इसके लिए किये गये उपाय निम्नलिखित हैं :—

(1) केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने राज्य सरकारों को, उनके कारखानों में उत्पादित स्वदेशी कच्चे रेशम के सूत्रण के मूल्य को स्थिर करने की सलाह दी है ;

(2) केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा वास्तविक उपभोक्ताओं तथा निर्माता-निर्यातकों को देने के लिए स्थिर मूल्यों पर जम्मू तथा काश्मीर राज्य उत्पादित उच्च किस्म के 25,000 पौण्ड रेशम सूत्रण प्राप्त करने का प्रबन्ध किया गया है;

(3) केन्द्रीय रेशम बोर्ड 1967-68 में जम्मू तथा काश्मीर राज्य से कच्चे रेशम की अतिरिक्त मात्रा उचित मूल्य पर प्राप्त करने के लिए भी प्रयत्नशील है ताकि मूल्य नियंत्रण में रहें।

भागलपुर में खादी पण्यशाला

1751 **श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 5 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1463 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भागलपुर खादी पण्यशाला के प्रबन्धकों के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही जैसे नौकरी से निकाल देना, पदोन्नति अथवा स्थानांतरण आदि की गई है;

(ख) क्या दुकान / पण्यशाला के पुराने बाट तथा माप रखना कानून के अन्तर्गत एक अपराध है;

(ग) यदि हां, तो खादी भवन और पण्यशालायें नये बांट तथा मापों का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं; और

(घ) चपरासी के विरुद्ध दुर्विनियोग के मामले में क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरैशी) : (क) भागलपुर खादी पण्यशाला के प्रबन्धक के विरुद्ध कोई औपचारिक विभागीय कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया था क्योंकि उसके विरुद्ध कुछ भी अभिशंसी नहीं पाया गया था। उनका भागलपुर में विद्यमान रहना भी आवश्यक था क्योंकि वह स्थानीय न्यायालय के एक निलंबित मामले में एक प्रमुख गवाह थे।

(ख) जी, हां।

(ग) खादी भवन तथा पण्यशालाएं जिसमें एक भागलपुर की शाला भी शामिल है, वास्तव में अपने व्यवसाय तथा सौदों के लिये केवल नये बाटों तथा पैमानों का प्रयोग करती हैं। फिर भी भागलपुर पण्यशाला ने पुराने बाटों तथा मापों को प्रमुख रूप से इस विचार से रखा था ताकि वे अरुचिपूर्ण ग्राहकों को पुराने तथा नये बाटों तथा पैमानों के संबंधित मूल्य की शिक्षा दे सकें। बाट तथा माप विभाग के प्राधिकारी ने इस पर भी आपत्ति प्रकट की क्योंकि पुराने बाटों तथा मापों को शिक्षा देने के लिए रखना भी वर्जित था। इसलिये पुराने बाट तथा माप हटा कर नष्ट कर दिये गए हैं और संबंधित व्यक्तियों की भर्त्सना की गई है।

(घ) पुलिस मामले की जांच कर रही है।

वाराणसी में रेलवे फायर मैन

1753. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री राम सेवक यादव :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या रेलवे मंत्री 2 सितम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4172 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रेड II के फायरमैनों से अस्थायी वरिष्ठता सूची में उनकी स्थिति के विरुद्ध प्राप्त हुए अभ्यावेदनों पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जहां आवश्यक है वहां रेलवे द्वारा वरिष्ठता क्रम में फिर से समंजन किया जा रहा है।

सारावाड़ी और जालना स्टेशनों के बीच गाड़ी का पटरी से उतरना

1754. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री राम सेवक यादव :

क्या रेलवे मंत्री 2 सितम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4149 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 जुलाई 1966 को मध्य रेलवे के पूना मनमाड सैक्शन के सारावाडी और जालना स्टेशनों के बीच एक माल गाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारणों की जांच इस बीच पूरी कर ली गई है ; और

(ख) यदि i, तो उसका ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां।

(ख) पटरी से उतरे माल डिब्बों में से एक में खराबी और लदान थोड़ा असंतुलित होने के कारण दुर्घटना हुई।

डिलक्स और दक्षिण एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के बैरे

1755. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री राम सेवक यादव :

क्या **रेलवे** मंत्री डिलक्स और दक्षिण एक्सप्रैस रेलगाड़ियों के बैरों के बारे में 2 सितम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4234 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुख्यालयों के स्थानान्तरण के विरुद्ध मिले अभ्यावेदन पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

काश्मीर को भेजे गये गेहूं का खराब होना

1756. **श्री राम सेवक यादव :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री 2 सितम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4201 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर को भेजे गये गेहूं के खराब होने के बारे में जिम्मेदारी किसी पर नियत कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस लापरवाही तथा घाटे के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख). सूचना मंगायी जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रेल की पटरी से फिश प्लेटों का हटाया जाना

1757. **श्री राम सेवक यादव :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री 2 सितम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4120 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (रालवगंज स्टेशन पूर्वोत्तर रेलवे) के निकट 20 मई, 1966 को फिश प्लेटों के हटाये जाने के मामले में की जांच इस बीच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) जी हां।

(ख) पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 के अधीन जांच-पड़ताल करने के बाद इस मामले के संबंध में अन्तिम रिपोर्ट दे दी। कोई सुराग नहीं लगा।

टिकट देखने वाले कर्मचारी

1758. श्री मुहम्मद इलियास :

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिक वेतनक्रम उपलब्धि तथा रात्रि को कार्य करने के भत्ते के प्रयोजन के लिए टिकट देखने वाले कर्मचारियों को रेलवे के साथ चलने वाले कर्मचारियों की श्रेणी में शामिल न करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि अपना कर्तव्य निभाते हुए उन्हें कई बार जनता के विरोध का सामना करना पड़ता है ; और

(ग) क्या उनके लिए विश्रामग्रहों की सुविधाओं, समय सूची तथा प्रोग्राम ड्यूटी के स्तर में भी गिरावट आई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) नियमों के अन्तर्गत केवल ऐसे कर्मचारियों का वर्गीकरण रनिंग कर्मचारी के रूप में किया जाता है जो गाड़ियों के संचालन के लिए प्रत्यक्ष रूप से कार्यभारी और उत्तरदायी होते हैं। चूंकि चल टिकट परीक्षक यह शर्त पूरी नहीं करते, इसलिए उन्हें परिचालन कर्मचारी नहीं माना जा सकता।

(ख) कुछ ऐसे अवसर आये हैं जब ड्यूटी के दौरान चल टिकट परीक्षकों को जनता के रोष का सामना करना पड़ता है।

(ग) जी नहीं।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के लिए विशेष इस्पात

1759. श्रीमती सावित्री निगम :

क्या लोहा और इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के लिये कोई विशेष प्रकार का इस्पात विशेष तौर पर बनाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह इस्पात किस काम के लिये प्रयोग में लाया जायेगा ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री नि० ना० सिंह) : (क) और (ख). जी, हां। मशीनी औजार उद्योग के लिए भिलाई इस्पात कराखाने तीन प्रकार का विशेष इस्पात बनाया है। इनका प्रयोग मशीनी औजारों के विभिन्न पुर्जे बनाने के लिए किया जायेगा। इस सम्बन्ध में 11 मार्च 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1976 के उत्तर की ओर भी दिलाया जाता है।

कोयला खनन मशीनें

1760. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऋणादेशों की कमी के कारण देश में बहुत सी कोयला खनन मशीनें बेकार पड़ी हैं ; और

(ख) खनन तथा सम्बद्ध मशीन निगम को दुर्गापुर संयंत्र में जिसे एक जापानी फर्म के वित्तीय सहयोग से स्थापित किया जा रहा है, क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी, नहीं ।

(ख) दुर्गापुर में खनन तथा सम्बद्ध मशीन निगम रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है और उसमें किसी जापानी फर्म से वित्तीय सहयोग नहीं लिया गया है । इस कारखाने की इमारत का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है । लगभग 90 प्रतिशत मशीनों और उपकरणों का आयात किया गया है । 1965–66 में इस कारखाने ने 5178.5 मीट्रिक टन उपकरण बनाये और चालू वर्ष में सितम्बर के अन्त तक 3911.4 मीट्रिक टन उपकरण बनाये हैं ।

दुर्गापुर में पांचवीं भट्टी

1761. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में पांचवीं भट्टी स्थापित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं जब कि उसको तृतीय पंचवर्षीय योजना में पूरा करने का कार्यक्रम था ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : टेंडर देने वालों द्वारा बहुत ऊंचे मूल्य दिये जाने के कारण पांचवीं धमन भट्टी के प्रतिष्ठान कार्य को आगे बढ़ाने के विचार को छोड़ने का निर्णय किया गया था और यह निश्चय किया गया कि इसको चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को 34 लाख टन के बनाये जाने के साथ ही लिया जाये ।

दिल्ली में कच्चे माल की कमी

1762. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलौह धातुओं के कटये माल विशेषत: जिंक, तांबा और सीसा की बहुत कमी है जिसके परिणामस्वरूप राजधानी में छोटे पैमाने के बहुत से उद्योग बन्द हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस तरह के कच्चे माल की कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या): (क) यह सच है कि छोटे पैमाने के उद्योगों को दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर अलौह धातुओं की कमी अनुभव हो रही है । तथापि सरकार इस कारण दिल्ली में कुछ उद्योगों के बन्द होने के बारे में पता नहीं है ।

(ख) अलौह धातुओं का प्रयोग करने वाले लघु उद्योगों को भी उदार आयात नीति की सुविधायें देने का निर्णय किया गया है । योजना के ब्यौरे को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और

इसके होते ही छोटे पैमाने के उद्योगों को बढ़ा हुआ कोटा आवंटित किया जायेगा ताकि लघु उद्योगों द्वारा अनुभव की गई अलौह धातु की कमी को दूर किया जा सके ।

होसपेट–हुबली–कारवाड़ की बड़ी लाइनें

1763. **श्री वासप्पा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होसपेट और हुबली, तथा हुबली और कारवाड़ के बीच बड़ी लाइन बिछाने के लिये कुछ कदम उठाये गये हैं जिससे कि होसपेट और अन्य क्षेत्रों से लौह अयस्क के निर्यात द्वारा अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में जिम्मेदार निकायों तथा राज्य सरकार द्वारा कोई अभ्यावेदन दिये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) से (ग). मैसूर सरकार ने सिफारिश की है कि हास्पेट-हुबली-मार्मुगाओ खंड को बड़ी लाइन में बदल दिया जाये और हुबली से कारवाड़ तक एक नयी रेलवे लाइन बनाई जाये । हास्पेट-हुबली-मार्मुगाओ खंड के गेज परिवर्तन के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण अभी हाल में पूरे हुए हैं और रेलवे बोर्ड सर्वेक्षण रिपोर्टों पर विचार कर रहा है । इस खंड के गेज परिवर्तन की योजना हास्पेट से मार्मुगाओ के रास्ते भारी मात्रा में लौह धातुक के निर्यात करने की योजना से सम्बद्ध है और चूंकि बड़े पैमाने पर खनन योजनाएं और मार्मुगाओ बन्दरगाह के तत्सम्बन्धी विकास कार्य अभी पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए इस खंड के गेज परिवर्तन के बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ कहना संभव नहीं है । हुबली-कारवाड़ रेलवे लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि इस लाइन पर यातायात की सम्भावनाओं की प्रारम्भिक जांच से पता चला है कि वित्तीय दृष्टि से इस लाइन के निर्माण का औचित्य नहीं है । चौथी योजना में सीमित रकम उपलब्ध होने के कारण केवल उन्हीं परियोजनाओं पर विचार किया जा सकेगा जो कम से कम समय में अधिकतम प्रतिफल दें ।

गैर-प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के बारे में आयात नीति

1764. **श्री वासप्पा** :
श्री विभूति मिश्र ।

श्री क० ना० तिवारी :
डा० महादेव प्रसाद ।

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के बारे में नई आयात नीति क्या है ; और

(ख) नई नीति पुरानी नीति से किन बातों में भिन्न है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख). पहले की लासेंइस अवधियों में उद्योगों का विशेष रूप से प्राथमिकता प्राप्त उद्योग तथा अन्य उद्योग के रूप में वर्गीकरण नहीं किया गया था । गत लाइसेंस अवधि अप्रैल 1965– मार्च 1966 में उनको आवंटित विदेशी मुद्रा में से सम्बन्धित प्रायोजक प्राधिकारी की सिफारिश पर छोटे स्तर के कारखानों सहित अनुसूचित तथा गैर-अनुसूचित दोनों क्षेत्रों के वास्तविक उपभोक्ताओं को लाइसेंस जारी किये गये थे ।

चालू लाइसेंस अवधि में छोटे स्तर के कारखानों को जो कि प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों से इतर उद्योगों में लगे हुये हैं, अप्रैल 1964–मार्च 1965 की अवधि में कारखानों द्वारा प्राप्त लाइसेंसों के दुगुने मूल्य के लिये या अप्रैल 1965–मार्च 1966 की अवधि में दिये गये लाइसेंसों के आठ गुने मूल्य के लिए कच्चे माल, संघटकों तथा फालतू पुर्जों के आयात के लिए लाइसेंस दिये जाने हैं । छोटे स्तर के कारखानों को, जिन्होंने अप्रैल, 1964–मार्च, 1965 या अप्रैल 1965– मार्च, 1966 की अवधियों में आयात लाइसेंस नहीं लिए थ, प्रायोजक प्राधिकारियों, जिनसे आशा है कि वे वही कसौटी अपनायेंगे जो कि 1964–65 के इसी प्रकार के मामलों को निपटाने में अपनाई थी, की सिफारिश के आधार पर लाइसेंस दिये जाने हैं । उपरोक्त आधार पर, छोटे स्तर के कारखानों की, जो कि प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों से इतर उद्योगों में लगे हुए हैं, बारह महीनों की आवश्यकताओं को पूरा करने का विचार है ।

तकनीकी विकास के महानिदेशालय की सूची के अन्तर्गत आने वाले अनुसूचित कारखानों, जो कि प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों से इतर उद्योगों में लगे हुए हैं, चालू वर्ष अप्रैल, 1966–मार्च 1967 के लिए उनको आवंटित विदेशी मुद्रा में से तकनीकी विकास के महानिदेशालय की सिफारिश पर कच्चे माल, संघटकों तथा फालतू पुर्जों के लाइसेंस दिये जाने हैं । ऐसे कारखानों को छमाही के आधार पर आयात लाइसेंस जारी किये जायेंगे ।

ऐसे कारखाने जो तकनीकी विकास के महानिदेशालय और लघु उद्योगों के अन्तर्गत नहीं आते हैं और जो प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों से इतर उद्योगों में लगे हुए हैं, अप्रैल, 1964–मार्च 1965 के लिए उनको दी गई विदेशी मुद्रा के आधार पर उनकी छमाही आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रायोजक प्राधिकारी की सिफारिश पर कच्चे माल, संघटकों तथा फालतू पुर्जों के लिए आयात लाइसेंस जारी किये जायेंगे ।

ट्रावनकोर टिटेनियम प्राडक्ट्स लिमिटेड, केरल

1765. श्री अ० क० गोपालन :
श्री इम्बीचीबावा :
श्री उमानाथ :
श्री प० कुन्हन :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने ट्रावनकोर टिटेनियम प्राडक्ट्स लिमिटेड, केरल के कार्यकरण को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या सरकार का इस कारखाने का विस्तार करने के लिये कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो ऐसा कब तक हो जायेगा ; और

(घ) कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) से (घ). ट्रावनकोर टिटेनियम प्राडक्ट्स, त्रिवेंड्रम को अप्रल, 1961 में, प्रति वर्ष 18,000 टन अधिक टिटेनियम डाईआक्साइड पैदा करने हेतु पर्याप्त विस्तार करने के लिये एक औद्योगिक लाइसेंस दिया गया था । विस्तार किये जाने के बाद प्रति वर्ष क्षमता 24,500 टन होगी ।

विभिन्न कारणों से यह कारखाना अपने विस्तार कार्यक्रम को क्रियान्वित नहीं कर सका । हाल ही में विस्तार की क्रियान्विति के लिये प्रबन्धकों ने भिन्न प्रस्ताव तैयार किये हैं । इन प्रस्तावों पर एक बैठक द्वारा विचार किया गया था जिसमें उद्योग, वित्त, योजना आयोग, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद्, महानिदेशालय, तकनीकी विकास तथा ट्रावनकोर टिटेनियम प्राडक्ट्स के प्रबन्धक निदेशक उपस्थित थे । परिणामस्वरूप उपक्रम ने एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन दिया है जिसके अन्तर्गत एक चरण में क्षमता को 6,000 टन से बढ़ा कर 24,500 टन करने, विद्यमान सुविधा के एकीकरण करने का प्रस्ताव है जिसके द्वारा वहां पर प्रति दिन 68 टन का उत्पादन हो सकेगा जिसमें 25 टन 'अनाटोस' और 25 टन 'सराडल' होगा और 18 टन मांग के अनुसार 'सहादल' या 'अनाटोस' तैयार किया जायेगा । ऊपर दिये गये कार्यालयों में इस परियोजना प्रतिवेदन की जांच की जा रही है । योजना को चतुर्थ योजनावधि में क्रियान्वित किया जायेगा । इस विस्तार कार्यक्रम के क्रियान्विति किये जाने से इस कारखाने के कार्य में सुधार होगा ।

मैसूर में रेशम कीट पालन उद्योग

1766. श्री वासप्पा :
श्री यशपाल सिंह :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 29 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 979 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्तमान रेशम कीट पालन उद्योग का विकास करने के मामले में मैसूर सरकार को ऋण देने के बारे में इस बीच कोई निर्णय ले लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस मामले में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख). जी, हां ।

यह निश्चय किया गया है कि क्योंकि मैसूर स्टेट सिल्क मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसाइटी की आवश्यकताए अल्पावधि नकद उधार के लिए है, जिसके लिये मैसूर राज्य 20 लाख रु० का ऋण चाहती थी, अतः केन्द्रीय सरकार से ऋण लेने से उनका काम पूरा नहीं होगा । अल्पावधि ऋण तथा नकद उधार की व्यवस्था केवल बैंक द्वारा ही की जा सकती है । केन्द्रीय सिल्क बोर्ड को यह सलाह दी गई है कि बैंकों की सामान्य शर्तों और सामान्य सूद की दरों पर अतिरिक्त धन के लिए, सोसायटी को निम्नलिखित बैंकों से बातचीत करनी चाहिए :—

(1) दी मैसूर स्टेट इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव बैंक ;

(2) दी मैसूर स्टेट कोआपरेटिव बैंक ;

(3) दी स्टेट बैंक आफ मैसूर ;

(4) दी स्टेट बैंक आफ इंडिया;

(5) दी सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक ।

औद्योगिक लाइसेंस

1767. **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **उद्योग** मंत्री 5 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1527 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच औद्योगिक लाइसेंसों के लिये आवेदन पत्रों की जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या रहे ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या): (क) और (ख). एक आवेदन पत्र दस्ती औजारों के निर्माण के लिये था जिसे कि अब औद्योगिक लाइसेंस के क्षेत्र से विमुक्ति दे दी गई है । आवेदक को इसकी जानकारी दे दी गई है । दूसरा आवेदनपत्र गेहूं उत्पादों के निर्माणहेतु एक लाइसेंस के लिये है और वह अभी विचाराधीन है ।

रेलगाड़ी में शव का पाया जाना

1768. **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री 24 अप्रैल, 1966 को कानपुर अनवरगंज स्टेशन के निकट 119 अप पैसेंजर गाड़ी के तीसरी श्रेणी के एक डिब्बे में एक यात्री के शव के पाये जाने के बारे में 13 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5631 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच मामले की जांच कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई गिरफ्तारी की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) अभी जांच की जा रही है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

खनन कार्य के लिए रूसी सहायता

1769. **श्री विभूति मिश्र :** **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या यह सच है कि हमारे खनिज संसाधनों के विकास की सहायता के लिए सरकार ने रूस सरकार से सहायता मांगी है ;

(ख) क्या इस बारे में रूस सरकार ने भारत से प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इन प्रस्तावों पर रूस सरकार की अन्तिम प्रतिक्रिया क्या है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) हां, महोदय ।

(ख) सोवियत यूनियन ने 1965 में कई तकनीकी दल भारत में विभिन्न प्रस्तावों की प्रारम्भिक जांच के लिए भेजे हैं ।

(ग) सोवियत विशेषज्ञों से हुई बातचीत के फलस्वरूप इस मंत्रालय की निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए सोवियत तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी :—

(1) कुछ आशाजनक खनिजयुक्त क्षेत्रों का वायव्यचुंबिक सर्वेक्षण ।

(2) कोकिंग कोयले की अतिरिक्त खनन क्षमता का विकास ।

(3) कोरबा एल्यूमिनियम प्रद्रावक तथा कोरबा (मध्य प्रदेश) में संरचना प्लांट ।

व्यापार तथा विकास सम्बन्धी विश्व सम्मेलन

1770. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में निकट भविष्य में व्यापार तथा विकास सम्बन्धी एक और विश्व सम्मेलन हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो यह सम्मेलन कब और कहां होगा ; और

(ग) सम्मेलन की मुख्य कार्यसूची क्या होगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां । संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प दिनांक 20 दिसम्बर, 1965 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के व्यापार एवं विकास सम्बन्धी सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन 1967 में होना है ।

(ख) व्यापार एवं विकास बोर्ड ने सम्मेलन के स्थान के लिये नई दिल्ली की सिफारिश की है जिसके सितम्बर-अक्तूबर, 1967 को होने की आशा है । संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपने चालू अधिवेशन में स्थान तथा समय के बारे में औपचारिक निर्णय किया जाना है ।

(ग) दूसरे अधिवेशन की कार्यसूची में शामिल किये जाने वाले विषयों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

Jute Mills in Kanpur

1771. **Shri Bade:**
Shri Yashpal Singh:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that four jute mills in Kanpur have declared lock-out rendering 20,000 workers jobless;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action taken by Government in the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Shafi Qureshi): (a) to (c). There are only two jute mills in Kanpur (U.P.). One of the two had laid off 560 workers in October 1966 owing to curtailment of production due to raw material shortage; the position is however, steadily improving. The other mill has been under lock-out since the 28th February, 1966 on account of its financial difficulties. Discussions are now being held on a proposal to lease this mill to another party.

पूर्व रेलवे पर माल डिब्बों में लूट

1772. **श्री मुहम्मद इलियास :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 22 अगस्त और 10 सितम्बर, 1966 के बीच पूर्व रेलवे की काकरगाची और बालीगंज लाइन पर माल डिब्बों के लूटने वालों के निरन्तर हमले हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे हमलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) इस अवधि में माल डिब्बा लूटने का कोई मामला नहीं हुआ लेकिन इस खंड में गार्डों पर हमला करने के दो मामलों की रिपोर्ट क्रमश: 22–8–66 और 10–9–66 को मिली थी ।

(ख) 22–8–66 की वारदात के सम्बन्ध में सियालदह के सरकारी रेलवे पुलिस ने गार्ड के व्यक्तिगत सामानों की चोरी के लिये भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया है और दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है । मामले की छान-बीन की जा रही है । दूसरी वारदात को सियालदह की सरकारी रेलवे पुलिस ने एक दुर्घटना के मामले के रूप में दर्ज किया है । जो निवारक उपाय किये गये हैं उन में घटनाग्रस्त खंड पर मालगाड़ियों के साथ पहरेदारों का चलना और काफुरगाछी स्टेशन पर रेल रक्षक दल के सशस्त्र स्कन्ध कर्मचारियों की तैनाती शामिल है ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की मशीनें

1773. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० म० मो० दास :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा निर्मित मशीनों के लिए, रुपयों में भुगतान करने वाले देशों के अलावा अन्य देशों में किसी मंडी का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की मशीनों का सम्भरण करने के लिये उन देशों से आदेश प्राप्त किये गये हैं ; और

(घ) उनको बेची जाने वाली मशीनों की संख्या क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) से (घ). 1961–62 से हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाने ने पश्चिमी जर्मनी, स्विटज़रलैंड, फ्रांस, नाइजेरिया, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अपनी कुछ मशीनों का निर्यात किया है। इस समय उसके पास 1.09 लाख रु० के मूल्य की तीन मशीनों के आदेश हैं।

रेलवे माल डिब्बों का निर्यात

1774. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० म० मो० दास :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे वर्कशापों में विदेशों को निर्यात करने के लिये माल-डिब्बों का निर्माण किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में निर्यात करने के लिये कितने माल-डिब्बों का निर्माण किया जायेगा ;

(ग) क्या निर्यात सीधे किया जायेगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो यह किस अभिकरण के माध्यम से किया जायेगा और इन सभी माल-डिब्बों का निर्यात किन देशों को किया जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

मानव बालों का निर्यात

1775. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० म० मो० दास :
श्री यशपाल सिंह :
श्री महेश्वर नायक :
श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूरोप के देशों में मानव बालों की बड़ी मांग है ;

(ख) यदि हां, तो यह मांग अपरिष्कृत बालों के लिये है या परिष्कृत बालों के लिये है ;

(ग) इस निर्यात से गत वर्ष कितना धन अर्जित किया गया और क्या चालू वर्ष के दौरान उसमें वृद्धि होगी ; और

(घ) क्या राज्य व्यापार निगम ने भरत से विदेशों को मानव बालों का निर्यात करने का विदेशों से ठेका किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) दोनों के लिये ।

(ग) 1965-66 में मानव बालों का निर्यात मूल्य लगभग 44 लाख रुपये था और चालू वित्त वर्ष में निर्यात मूल्य लगभग 1 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

(घ) जी, हां।

स्टेशन मास्टरों तथा सहायक मास्टरों द्वारा हड़ताल

1776. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० म० मो० दास :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1966 के प्रथम सप्ताह में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों ने 24 घंटे की भूख हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं ; और

(ग) सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह : (क) और (ख). यह पता चला है कि कुछ स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों ने पहली सितम्बर, 1966 को नीचे लिखी मांगों पर 24 घंटे का अनशन किया था :—

(i) न्यूनतम वेतन मान—स्टेशन मास्टरों के लिए 250 रु०—380 रु० और सहायक स्टेशन मास्टरों के लिए 205 रु०—280 रु०।

(ii) सेवा का अधिभार ।

(iii) अन्तर्वेशन की समाप्ति ।

(iv) पदोन्नति की बेहतर सरणि ।

(v) बिना किराये के मकान ।

(vi) आल इंडिया एस० एम० एंड ए० एस० एम० एसोसियेशन को मान्यता ।

(ग) ऐसी कार्रवाइयों पर ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि अभ्यावेदन, अपील और आपसी बातचीत के जरिये शिकायतों को दूर करने के लिये अधिकृत माध्यम उपलब्ध हैं।

रेल की पटरियों और स्लीपरों की मांग

1777. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० म० मो० दास :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की रेल-पटरियों और स्लीपरों की मांग पूर्णतः देश में ही पूरी की जाती है;

(ख) यदि नहीं, तो किन किन देशों से इनका आयात किया जाता है ; और

(ग) देश में ही समूची मांग को पूरा न करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) (क) और (ख) पटरियों और धातु (इस्पात और ढलवा लोहे) के स्लीपरों की मांग पूर्णत: देशी स्रोतों से पूरी की जाती है । लकड़ी के स्लीपर भी अधिकतर देशी स्रोतों से ही प्राप्त किये जाते हैं । केवल कुछ मात्रा में अर्थात् 27,950 घनफुट "झारा" स्पेशल स्लीपरों को इस समय आस्ट्रेलिया से मंगाया जा रहा है ।

(ग) तीसरी योजना की अवधि में देशी स्रातों से स्पेशल स्लीपरों की सप्लाई बहुत कम रही और 1964–65 में विश्व टेंडर जारी करना आवश्यक हो गया जिसके फलस्वरूप आस्ट्रेलिया को स्पेशल सप्लाई करने के लिए एक छोटा सा आर्डर दिया गया । इस आर्डर पर मिलने वाली मात्रा को अब 35,050 घन फुट से घटा कर 27,950 घन फुट कर दिया गया है ।

मूंगफली तेल का निर्यात

1778. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० म० मो० दास :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1964–65 में घरेलू मांग को पूरा करने के लिये मूंगफली के निर्यात की मात्रा को आधा कर दिया गया था ;

(ख) क्या निर्यात में इस कटौती को समाप्त किया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो यह कटौती कब तक जारी रहेगी ; और

(घ) क्या ऐसा करने से विदेशों में इसकी बिक्री की मंडियां हमारे हाथ से नहीं निकल जायेंगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) मूंगफली के तेल का निर्यात 1963–64 में 97,000 मे० टन से घट कर 1964–65 में 10,000 मे० टन रह गया ।

(ख) से (घ) संभरण में कमी तथा उसके परिणामस्वरूप आंतरिक मूल्य में वृद्धि हो जाने के कारण, मूंगफली के तेल के निर्यात पर 17–7–1964 से रोक लगा दी गयी । इस नीति का निरन्तर पुनर्विलोकन किया जाता रहता है तथा परिस्थितियों में सुधार होते ही निर्यात पुन: आरम्भ कर दिया जायेगा ।

रेलवे के फ्लैग स्टेशनों का स्थान परिवर्तन

1779. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० म० मो० दास :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक रेलवे फ्लैग स्टेशन का स्थान-परिवर्तित करते समय या उसको बन्द करते समय राज्य सरकारों की सलाह ली जाती है ;

(ख) दक्षिण-पूर्व रेलवे के हावड़ा-खड़गपुर और खड़गपुर-टाटा सेक्शनों में कितने स्टेशनों के स्थान बदले गये हैं ; और

(ग) क्या इन सभी मामलों में राज्य सरकारों का परामर्श लिया गया था और यदि हां, तो क्या प्रत्येक राज्य सरकार की राय की एक एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): (क) जी हां, केवल उन मामलों को छोड़ कर जिनमें पुरानी जगह पर सीमित स्थान होने के कारण स्टेशन यार्डों के ढांचे में परिवर्तन या विस्तार करने के लिये स्टेशन को किसी और जगह ले जाना अनिवार्य हो जाता है।

(ख) दो—हावड़ा-खड़गपुर खण्ड पर चेंगाइल और खड़गपुर-टाटा खण्ड पर राखामाइंस।

(ग) इन मामलों में राज्य सरकार की राय नहीं ली गई क्योंकि संभावित यातायात को कारगर ढंग से सम्हालने के लिये स्टेशन यार्डों के विस्तार और उनके ढांचे में परिवर्तन के लिये स्टेशन को अन्यत्र ले जाने के सिवा कोई और विकल्प नहीं था।

चाय के निर्यात पर निर्यात-शुल्क में कटौती

1780. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
डा० म० मो० दास :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चाय प्रतिनिधिमंडल ने जिसने कई देशों का दौरा किया, चाय के निर्यात में वृद्धि करने के लिये चाय पर निर्यात-शुल्क में कटौती करने का सुझाव दिया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इससे निर्यात में कितनी वृद्धि होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी : (क) से (ग) जी., हां। निर्यात शुल्क काफी कम कर दिया गया है और आशा है कि निर्यात की मात्रा काफी बढ़ जायेगी।

भारी जहाज तथा प्लेट उत्पादन कारखाना

1781. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
डा० म० मो० दास :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री ह० चा० लिंग रेड्डी :
श्री मणियंगाडन :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, विशाखापटनम में स्थापित किये जाने वाले कारखाने के अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र में दो भारी जहाज और प्लेट उत्पादन करने वाले कारखाने स्थापित करना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिये स्थान का अन्तिम रूप से चुनाव कर लिया गया है; और यदि हां, तो कहां पर;

(ग) क्या विशाखापटनम में स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित कारखाने ने अपना प्रारम्भिक कार्य आरम्भ कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी लागत क्या है और क्या इसका वित्तपोषण स्वदेशी संसाधनों द्वारा किया जायेगा और यदि नहीं, तो कितनी विदेशी सहायता की आवश्यकता होगी ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैय्या): (क) चतुर्थ योजनावधि के दौरान सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र में केवल एक हैवी वैसल्स ऐंड प्लेट मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने का है जो कि विशाखापटनम में स्थापित किये जाने वाले कारखाने के अलावा होगा ।

(ख) इस नये एकक के लिये स्थान अभी नहीं चुना गया है ।

(ग) विशाखापटनम में परियोजना की क्रियान्विति के लिये भारत हैवी प्लेट ऐंड वैसल्स लिमिटेड के नाम से एक कम्पनी बनाई गई है । भूमि अर्जन का काम लगभग पूरा हो गया है और स्थान को समतल करने का काम आरम्भ होने वाला है । परियोजना सम्बन्धी तकनीकी ब्यौरा तैयार करने के काम में संतोषजनक प्रगति हुई है ।

(घ) परियोजना पर 16.7 करोड़ रु० लागत आने का अनुमान है । इसका वित्तपोषण केवल स्वदेशी साधनों से ही नहीं किया जायेगा । लगभग 6.00 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी जिसमें से लगभग 3.89 करोड़ के मूल्य की विदेशी मुद्रा चेकोस्लोवाकिया द्वारा पहले मंजूर किये गये ऋण से पूरी की जायेगी । चेकोस्लोवाकिया के अतिरिक्त अन्य देशों से आयात किये जाने वाले माल का भुगतान करने के लिये शेष विदेशी मुद्रा का प्रबन्ध अभी किया जाना है ।

सरकारी क्षेत्र में सूती कपड़ा मिल

1782. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
डा० म० मो० दास ;

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन कॉटन मिल्स फेडरेशन सरकारी क्षेत्र में सूती कपड़ा मिलें खोलने के विरुद्ध है;

(ख) क्या उसने इस सम्बन्ध में योजना आयोग को आपत्ति भी प्रस्तुत की है;

(ग) उसने अपने ज्ञापन में क्या क्या आपत्ति व्यक्त की हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) से (घ). सहकारी तथा सरकारी क्षेत्रों में सूती कताई मिलों को स्थापना करने के सरकारी प्रस्ताव पर इंडियन कॉटन मिल्स फेडरेशन को कुछ आशंकाएं थीं और उसने मार्च 1965 में इस सम्बन्ध में योजना आयोग

तथा वाणिज्य मंत्रालय को अभ्यावेदन भेजे। अप्रैल 1965 में इंडियन कॉटन मिल्स फेडरेशन को एक उत्तर भेजा गया जिसमें स्थिति विस्तार से स्पष्ट कर दी गई। जून 1965 में इंडियन कॉटन मिल्स फेडरेशन ने सूचना दी कि सरकारी क्षेत्र में सूती मिलों की स्थापना करने के विषय में उसे कोई आशंकाएं नहीं हैं और उसको यही सुनिश्चित करने की चिन्ता है कि सरकार के पास उपलब्ध सीमित वित्तीय साधनों तथा प्रशासन कार्मिकों का प्रयोग सर्वोत्कृष्ट ढंग से राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के हितों को आगे बढ़ाने में किया जा सके। उनको केवल इस बात का डर था कि सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रों के कारखानों को, प्राथमिकता के आधार पर मशीनों के आवंटन की भारतीय रुई तथा/अथवा विदेशी रुई के विशेष कोटे की, आदि विशेष सुविधाएं अथवा प्राथमिकताएं दी जायेंगी जो इसी प्रकार के गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों को नहीं दी जायेंगी। जून 1965 में इंडियन कॉटन मिल्स फेडरेशन को फिर यह सूचना दी गई कि क्योंकि सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रों में कताई मिलों की स्थापना कपड़े तथा सूत के पूर्ण लक्ष्यों की सीमा के भीतर ही होगी, इसलिये इस बात की आशंका नहीं करनी चाहिए कि इसके परिणामस्वरूप गैर-सरकारी क्षेत्र में किसी प्रकार की बाधा होगी। इंडियन कौटन मिल्स फेडरेशन ने सरकारी क्षेत्र में निर्यात-अभिमुख पांच सूती कताई मिलों की स्थापना करने के विरुद्ध योजना आयोग को हाल ही में एक और अभ्यावेदन भेजा है। इस पर योजना आयोग की सलाह के साथ विचार किया जा रहा है।

रेलवे सेवा आयोग द्वारा भर्ती

1783. श्री अ० प्र० शर्मा : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 और 1965–66 में विभिन्न रेलवे सेवा आयोगों ने कितने व्यक्तियों का चुनाव किया;

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को नौकरी पर रखा गया और कितने व्यक्ति अभी तक नौकरी की प्रतीक्षा में हैं; और

(ग) इतनी अधिक संख्या में लोगों को प्रतीक्षा सूची में रखे जाने का क्या कारण है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क)

वर्ष	उन व्यक्तियों की संख्या जो चुने गये और नियुक्ति के लिए जिनकी सिफारिश रेल प्रशासनों से की गयी	
1964–65 . . .	26,990	38,070
1965–66 . . .	11,080	

(ख) उन व्यक्तियों की संख्या, जिनकी रेल प्रशासन द्वारा नियुक्ति की जा चुकी है या जिन्हें नियुक्ति-प्रस्ताव भेजा जा चुका है—23,066।

उन व्यक्तियों की संख्या जो नियुक्ति आदेश की प्रतीक्षा में हैं—7,741।

शेष संख्या उन व्यक्तियों की है जिन्होंने नियुक्ति प्रस्ताव का कोई जवाब नहीं दिया या जो डाक्टरी परीक्षा में असफल हो गये।

(ग) (1) प्रत्याशित रिक्तियों का न होना।

(2) कार्यविधि के सरलीकरण और यंत्रीकरण के कारण रेल-प्रशासनों में बेशी कर्मचारी ।

(3) प्रशासनिक कार्यालयों में पदों पर नयी भर्ती पर प्रतिबन्ध ।

(4) विद्युतीकरण और डिज़लीकरण के कारण रेल प्रशासन में बेशी कर्मचारी ।

(5) डी० बी० के० और रेलवे बिजली योजना जैसी निर्माण परियोजनाओं में बेशी कर्मचारी ।

(6) उम्मीदवारों द्वारा ड्यूटी पर आने के लिए समय मांगना ।

(7) उम्मीदवारों द्वारा अगले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की प्रतीक्षा ।

चाय के निर्यात पर उत्पादन शुल्क

1784. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस सभा के गत अधिवेशन में हुई चर्चा को ध्यान में रखते हुए निर्यात की गई चाय पर लिये जाने वाले उत्पादन शुल्क की राशि लौटाने तथा चाय पर निर्यात शुल्क को घटाने के प्रश्न पर पुनर्विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले पर सरकार का क्या निर्णय है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख). जी, हां । स्थिति के सभी पहलुओं की जांच सावधानी से कर ली गई है । इस सम्बन्ध में 10 नवम्बर, 1966 को इस सदन में वाणिज्य मंत्री महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । वक्तव्य की एक प्रति संलग्न है **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 7354/66]** निर्यातित चाय पर उत्पादन शुल्क में कमी करनी आवश्यक नहीं पायी गई है ।

Recovery of Cloth at Gondia Station

1785. **Shri Bade:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Vishram Prasad:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that cloth worth Rs. 4,000 and 350 kilograms of hemp was recovered from a person at Gondia Station near Jabalpur as reported in the "Vir Arjun" dated the 25th September, 1966; and

(b) if so, the action taken in that regard?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) No. The correct position is that on 16th September, 1966 an outsider was arrested by Government Railway Police, Gondia for the possession of 350 grams of 'Bhang'. The cloth found on him was his personal property.

(b) The arrested person was convicted under Bombay Prohibition Act and sentenced to pay a fine of Rs. 25 and also simple imprisonment for one day.

Orders issued in Hindi by the Ministry of Commerce

1786. Shri Vishram Prasad: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the number of orders, circulars and notices regarding Class IV employees, issued during the first half of 1966 by his Ministry and the number out of them issued in Hindi; and.

(b) the number of applications, petitions received in Hindi from these employees during the same period and the number of decisions thereon intimated to them in Hindi?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah): (a) Two such orders etc. relating to Class IV employees were issued during the period; one in Hindi only and the other in both Hindi and English.

(b) 56 applications, mostly for leave, were received during the period. Action for sanctioning the leave etc. was taken on the applications and in such cases the Class IV employees were generally intimated verbally about sanction of leave.

Import of Wine

1787. Shri Vishram Prasad: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state the value of foreign wine imported into the country during 1964-65 and 1965-66?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah): The value of foreign wine including grape-must imported during 1964-65 and 1965-66 is Rs. 3,91,000 and Rs. 4,81,000 respectively.

Hindi Version of Agreements concluded with foreign countries

1788. Shri Vishram Prasad: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the number of agreements concluded by his Ministry with the foreign countries during 1965 and upto August, 1966;

(b) the number of documents relating to these agreements which were prepared in Hindi also; and

(c) whether any definite arrangement has been made or is proposed to be made for preparing all the agreements in Hindi also in future?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah): (a) Nine Trade Agreements/Arrangements were concluded/extended.

(b) Nil.

(c) Yes, Sir. There is a Hindi Translation Cell headed by a Senior Hindi Officer for translation work in the Ministry.

Issue of orders in Hindi by Chief Controller of Imports and Exports

1789. Shri Vishram Prasad: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the nature of the arrangements made by the office of the Chief Controller of Imports and Exports for issuing orders regarding imports and

exports in Hindi to the persons who send the forms and particulars in Hindi for imports and exports; and

(b) if no such arrangements have so far been made, the steps taken for making such arrangements?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah): (a) Arrangements exist in the office of the Chief Controller of Imports and Exports under which communications received in Hindi are invariably replied to in Hindi.

(b) Does not arise.

Expansion of Neyveli Thermal Power Station

1790. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Mines and Metals** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an agreement has been entered into with the U.S.S.R. regarding the expansion of Neyveli Thermal Power Station as reported in the press on the 16th September, 1966; and

(b) if so, the terms and conditions thereof?

The Minister of Mines and Metals (Shri S. K. Dey): (a) and (b). The Neyveli Lignite Corporation have concluded a contract with M/s. Technopromexport, Moscow, on the 16th September, 1966, for expansion of thermal power generation at Neyveli from 400 MW to 600 MW. Under this contract. Messrs. Technopromexport are to deliver two turbo-generator units of 100 MW each and four boilers of 220 tonnes/hour each, with auxiliary equipment, costing in all Rs. 14·05 crores to be met out of Rouble Credit. The deliveries are to commence from the beginning of the fourth quarter of 1966 and completed by May, 1968.

Plovdiv Fair in Bulgaria

1791. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether Government had set up an Indian pavilion at Plovdiv Fair in Bulgaria; and

(b) if so, the amount of foreign exchange spent thereon and the amount of foreign exchange earned therefrom and the nature of assistance given by the Government of Bulgaria?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah): (a) The Indian Pavilion at the XXII—International Fair held at Plovdiv (Bulgaria) from 18th September to 2nd October, 1966, was set up by the Indian Council of Trade Fairs and Exhibitions, Bombay.

(b) An expenditure of Rs. 2.36 lakhs in foreign exchange (at post devaluation rates) was estimated to be incurred on India's participation in the Fair. The actual expenditure incurred, however, is not yet known.

The export contracts signed at the time of the Fair are reported to be about Rs. 2.50 crores. In addition business worth over Rs. 50 lakhs, was under negotiation at the close of the Fair.

The Government of Bulgaria extended all facilities to the Council in making India's participation a success.

Fast Goods Train between Bahadurgarh and Bombay

1792. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether there is a proposal to run a fast goods train between Bahadurgarh and Bombay; and

(b) if so, when?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) and (b). There is no proposal to run a fast goods train between Bahadurgarh and Bombay.

A fast Express Goods train known as the Western Arrow Express is already running daily between New Delhi and Bombay in both directions. This service clears all traffic for Bombay booked from New Delhi and other stations west of New Delhi, such as Bahadurgarh, which has also been given facilities of Quick Transit Service between Bahadurgarh and Bombay from 15th September, 1966.

Jaisalmer Railway Line

1793. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the scheme to re-construct the Jaisalmer Railway line has been included in the Fourth Plan;

(b) if so, the amount proposed to be spent thereon; and

(c) the time by which this work is likely to be completed?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) to (c). Attention is invited to the written answers given on the 25th February, 1966 to Lok Sabha Question No. 908 and on 5th August, 1966 to Question No. 1402. The construction of a 105 KMs long Metre Gauge rail line from Pokaran to Jaisalmer has been approved as a special communication line, in advance of the finalisation of the Fourth Plan and the construction work is in progress. The line is estimated to cost Rs. 3 crores and is expected to be completed by the end of December, 1967.

Shortage of Non-Ferrous Metals

1794. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Mines and Metals** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have issued directions to the effect that State Governments should try to meet the shortage of non-ferrous metals; and

(b) if so, the nature of assistance to be given by the Central Government to them?

The Minister of Mines and Metals (Shri S. K. Dey): (a) Though there is overall shortage of non-ferrous metals in the country, no specific directions have been issued to the State Governments to the effect that they should try to meet the shortage themselves. However, with a view to minimising imports through import substitution, the State Governments have been advised that all the building hardware fittings should be manufactured from aluminium, steel, plastics etc. instead of brass or copper which are very scarce.

(b) Does not arise.

रद्दी लोहा तथा इस्पात

1795. श्री महेश्वर नायक : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितनी मात्रा में रद्दी लोहा तथा इस्पात उपलब्ध है इसमें से कितना निर्यात होता है, कितने की देश में उद्योगों में खपत होती है और कितना बेकार जाता है ;

(ख) क्या उनका ध्यान भारत के रद्दी लोहा तथा इस्पात संघ के प्रधान श्री ए० एम० एलीजाह के इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि यदि सरकार उचित प्रोत्साहन दे तो चालू पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान इस उद्योग को 75 करोड़ रुपये तक की विदेशी मुद्रा की आय हो सकती है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच की गयी है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ; और

(घ) अब रद्दी लोहे से देश को कितनी और किस प्रकार आय होती है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह): स्वदेशी रद्दी अलौह की उपलब्धता का सही अनुमान लगाना कठिन है । उपलब्ध जानकारी से यह अनुमान लगाया जाता है कि वर्तमान उपलब्धता लगभग 9 से 10 लाख टन होगी । लगभग 4–5 लाख टन प्रति वर्ष निर्यात किया जाता है, 2 से 3 लाख टन की देश में खपत है और शेष नष्ट हो जाता है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के रद्दी लोहा तथा इस्पात संघ के प्रधान का दावा बहुत आशाजनक है । अवमूल्यपूर्व यह प्रति वर्ष 5.50 करोड़ रु० से अधिक कभी भी नहीं हुआ ।

(घ) 1965–66 में इसके निर्यात से लगभग 5.50 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी थी । देश के अन्दर इससे होने वाली आमदनी का सही अनुमान लगाना संभव नहीं है चूंकि रद्दी अलौह अनेकों उद्योगों द्वारा प्रयोग किया जाता है । 1965–66 में रद्दी अलौह से लगभग 10 करोड़ रु० के मूल्य का लोहा और इस्पात तैयार किया गया था ।

नांगल-बांध में कागज की मिल

1796. श्री दलजीत सिंह : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष कनेडा की एक फर्म के सहयोग से पंजाब के नांगल बांध में अखबारी कागज का कारखाना स्थापित करने के करार को अन्तिम रूप दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसकी स्थापना में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस कारखाने को स्थापित करने में कितना समय लगेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

ट्रैक्टर कारखाना

1797. श्री वाडीवा :
श्री उ० मू० त्रिवेदी :
डा० चन्द्रभान सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **उद्योग** मंत्री 5 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1453 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित किये जाने वाले ट्रैक्टर कारखाने के बारे में इस बीच निर्णय कर लिया गया है और यदि हां, तो यह कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा;

(ख) क्या इस कारखाने के स्थान के बारे में निर्णय भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धान्त के अनुकूल है कि पिछड़े क्षेत्रों का तेजी से विकास करने की दृष्टि से उन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किये जायें ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) भारत सरकार द्वारा स्थान के बारे में अन्तिम निर्णय किये जाने से पहले मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों की जिन लाभ तथा हानियों पर विचार किया गया था उनका तुलनात्मक विवरण क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी हां ; उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में रामनगर के स्थान पर ट्रैक्टर कारखाने को स्थापित करने का निर्णय किया गया है ।

(ख) से (घ) इस स्थान का निर्णय करते समय उद्योगों के प्रसार और पिछड़े क्षेत्रों का तेज़ी से विकास करने सम्बन्धी नियम को ध्यान में रखा गया था । विभिन्न राज्य सरकारों से उनके अपने अपने राज्यों में इस कारखाने को स्थापित करने के लिए प्रार्थनाएं प्राप्त हुई थीं । इस पर विचार करते हुए कि दक्षिण प्रदेश में पहले से ही एक ट्रैक्टर एकक है, दो एकक पश्चिम प्रदेश में हैं और दो एकक उत्तर भाग में हैं, यह महसूस किया गया कि नये एकक को गंगा के मैदान के पूर्वी प्रदेश में स्थापित किया जाये जहां पर कि इस समय कोई एकक नहीं है । उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सरकारों द्वारा इस प्रदेश में कई स्थानों के सुझाव दिये गये थे । विभिन्न स्थानों के सम्बन्धित लाभ और हानियों पर हमारे विशेषज्ञों द्वारा चेकोस्लोवाकिया के विशेषज्ञों के परामर्श से विचार किया गया था । जिन बातों पर विचार किया गया वे हैं : निर्माण सामग्री; कच्चा माल और निर्मित उत्पादों की परिवहन लागत, दक्ष तथा अर्ध दक्ष मजदूरों को प्राप्त करने की सुविधायें, मौसम, बिजली तथा पानी की सप्लाई, छोटे तथा सस्ते रेलवे कनेक्शन की सम्भावना, मिट्टी की हालत जिसका कि नींव आदि की लागत पर असर पड़ता हो ।

Import T. V. Sets

1798. Shri Mohan Swarup: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some television sets have been imported from Hungary and Yugoslavia; and

(b) if so, the number of sets imported so far and the price fixed for each set?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah): (a) Yes; Sir.

(b) 2,000 receivers were imported from Hungary and 1002 have arrived from Yugoslavia against an order for 2000 sets.

The pre-devaluation price for the Hungarian receivers was fixed at Rs. 1,530 exclusive of sales-tax and the antenna. The corresponding post-devaluation price for the same receivers is Rs. 1,870.

The price of the Yugoslav receivers has been fixed at Rs. 1,760 per set (exclusive of sales-tax and the antenna) for all the 2000 sets. The fixation of price was made only after devaluation of the Indian Rupee.

क्यूबा के साथ व्यापार सम्बन्ध

1799. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्यूबा के साथ भारत के व्यापार सम्बन्ध बढ़ाने की सम्भाव्यता का सरकार ने पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) क्यूबा के साथ व्यापार सम्बन्ध और मजबूत करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) से (ग) इस प्रश्न पर विचार पहले किया जा चुका है। मैं माननीय सदस्य का ध्यान, 5 अगस्त, 1966 को, इस सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 1432 पर दिये गये अपने उत्तर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियों के विक्रय केन्द्र

1800. श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियों की बिक्री के लिये और केन्द्र खोलने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बीड़ियों का निर्यात

1801. श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में बीड़ी की मांग बढ़ रही है ;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों में हमने कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) 1963–64 में विदेशों में भारतीय बीड़ियों की मांग में बहुत अधिक गिरावट आ जाने के बाद अब उसमें शनैः शनैः सुधार हो रहा है।

(ख) वर्ष	निर्यात का मूल्य लाख रु में
1961–62	40.77
1962–63	31.58
1963–64	14.56
1964–65	15.57
1965–66	18.00

लक्ष्मीरतन काटन मिल्स, कानपुर

1802. श्री स० मो० बनर्जी: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लक्ष्मीरतन काटन मिल्स, कानपुर के मामले की जांच करने के लिये, उद्योग विकास तथा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत एक समिति नियुक्त की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस मिल के प्रबन्ध को अपने हाथ में ले लेने की सिफारिश की है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफ़ी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जांच समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

सियालदह में डाउन दार्जिलिंग डाक गाड़ी का देर से पहुंचना

1803. श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 सितम्बर, 1966 को बर्दवान-हावड़ा सेक्शन (पूर्व रेलवे) के विभिन्न स्थानों पर तस्कर व्यापारियों द्वारा गाड़ी रोके जाने के परिणामस्वरूप डाउन दार्जिलिंग डाक गाड़ी सियालदह स्टेशन पर लगभग 3 घंटे देर से पहुंची ; और

(ख) यदि हां, तो उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) और (ख) 19–9–1966 को 44 डाउन फरक्का सियालदह दार्जिलिंग डाकगाड़ी सियालदह स्टेशन पर अपने निर्धारित समय से 136 मिनट बाद पहुंची, क्योंकि चावल के तस्करों द्वारा खानो जं० और सियालदह के बीच विभिन्न स्थानों पर खतरे की जंजीर खींचे जाने के कारण इस गाड़ी को रास्ते में रुकना पड़ा। रेल परिचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली इस प्रकार की घटनाओं की पुलिस प्राधिकारियों से और पश्चिम बंगाल सरकार से, असामाजिक तत्वों के विरुद्ध निवारक कार्रवाई करने के लिए, नियमित रूप से रिपोर्ट की जाती है ।

चार्जमैनों तथा फोरमैनों के वेतन-क्रम

1804. श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने वेतन आयोग की सिफारिशों के बगैर, स्वयं ही भारतीय रेलों के रेलगाड़ी परीक्षकों, वार्ड रक्षकों, डाक्टरों (अब राजपत्रित), स्टेशन, अधीक्षकों (अब राजपत्रित) तथा आशुलिपिकों के वेतन-क्रमों का कई बार पुनरीक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय रेलवे वर्कशापों तथा शैडों के चार्जमैनों और फोरमैनों के वेतन-क्रमों का पुनरीक्षण करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जगन्नाथ दास वेतन आयोग की सिफारिशों पर अमल करते समय प्रारम्भ में जो वेतनमान नियत किये गये थे, उनमें कोई संशोधन नहीं किया गया है । बाद में, निम्नलिखित मामलों में, कुछ असंगतियों और विषमताओं को दूर करने के लिए अपेक्षित छोटे-मोटे समंजन किये गये हैं:—

(i) **स्टेनोग्राफर** : अतिरिक्त व्यावसायिक उपलब्धियों के लिए अग्रिम वेतन-वृद्धि या वरिष्ठ अधिकारियों के वैयक्तिक सहायकों के रूप में किये गये विशिष्ट काम के लिए विशेष वेतन के सिवाय वेतनमानों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ii) **डाक्टर** : सिवाय अराजपत्रित ग्रेजुएट असिस्टेंट सर्जनों के वेतनमान के अन्य किसी वेतनमान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ; इन सर्जनों का पदक्रम बढ़ाकर इन्हें सिविल डाक्टरों की भांति राजपत्रित बना दिया गया है ।

(iii) **वार्ड रक्षक** : प्रारम्भ में ही 205–280 रुपये क वेतनमान को समंजित कर के 210–320 रुपये कर दिया गया था ।

(iv) **गाडी परीक्षक** : चूंकि प्रारम्भ में 180 रुपये से कम का प्रारम्भिक वेतन नियत किया गया था, इसलिए बाद में इसे, वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सुधार कर 180—240 रुपये कर दिया गया ।

(v) **सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर और स्टेशन अधीक्षक** : इस पद-सोपान के 8 वेतनमानों में से केवल निचले तीन वेतनमानों में छोटे-मोटे समंजन किये गये थे ।

(ख) चार्जमेंनों और फोरमैनों के वेतनमानों की कई बार समीक्षा की गयी और यह समझा गया कि उनके वर्तमान वेतनमान उपयुक्त हैं ।

प्रोत्साहन योजना

1805. श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे वर्कशाप में प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत काम करने वाले कर्मचारियों, मिस्त्रियों और कारीगरों को बोनस की दरों में अधिकृत वेतन-क्रमों के अनुसार संशोधन कर दिया गया है, तथापि प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत काम करने वाले चार्जमैनों को पुनरीक्षित बोनस-दरें नहीं दी गयी हैं और उनको अब भी अधिकृत वेतन-क्रमों से पूर्व की दरों पर भुगतान किया जा रहा है; और

(ख) इस दिशा में सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) चार्जमैनों को दिये जाने वाले बोनस की दर में परिशोधन करने का कोई औचित्य नहीं है ।

फोरमैन

1806. श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलों में वर्कशाप, शेड या लाइन फोरमैनों द्वारा जो काम किया जाता है वह काम एक्जीक्यूटिव इंजीनियर का है और उनकी जिम्मेदारियां और काम ऐसा है कि उनके पदों को द्वितीय श्रेणी के पद बना दिया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाना चाहती है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोटा और अजमेर के बीच ब्राड-गेज लाइन

1807. श्री मु० बि० भार्गव : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा और अजमेर को बड़ी लाइन से मिलाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में कई बार सर्वेक्षण किये गये हैं और सब से पहला सर्वेक्षण स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो अन्तिम सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला ; और

(घ) क्या इस लाइन को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का विचार है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) जी नहीं।

(ख) कोटा-अजमेर बड़ी लाइन (202 कि० मी०) और मीटर लाइन (179 कि० मी०) के अन्तिम मार्ग निर्धारण इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण पहली बार 1946 में किये गये थे। 1955–57 में सर्वेक्षण की रिपोर्टों में परिशोधन करके उन्हें अद्यतन बनाया गया।

(ग) अन्तिम सर्वेक्षण रिपोर्टों के अनुसार बड़ी लाइन और मीटर लाइन की अनुमानित लागत क्रमशः 8.78 करोड़ रुपये और 5.78 करोड़ रुपये है। इस लाइन को बहुत अलाभकारी पाया गया, क्योंकि छठे वर्ष में जाकर बड़ी लाइन से 0.046 प्रतिशत और मीटर लाइन से 1.18 प्रतिशत प्रतिफल मिलता। अलाभकारी होने के लिए कारण इस प्रस्ताव को छोड़ दिया गया। वर्तमान निर्माण लागत तो और भी अधिक होगी तथा प्रतिफल और भी कम।

(घ) धन और साधनों की स्थिति बहुत विकट होने और लाइन के अलाभकारी होने के कारण, चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किये जाने के लिए इसे पर्याप्त प्राथमिकता मिलने की सम्भावना नहीं है।

Fire in the Goods Shed at Kotah

1808. Shri Omkar Singh:
Shri Onkar Lal Berwa:

Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5653 on the 13th May, 1966 and state:

(a) whether it is a fact that the businessmen of Kotah have submitted their claims regarding loss of their goods as a result of a fire in the Goods-shed at Kotah; and

(b) if so, the amount for which claims have been submitted?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): **(a)** Yes.

(b) Rs. 42,372.21P.

केरल में रेलवे लाइनें

1809. श्री मुहम्मद कोया : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 8 रेलवे लाइनों को शामिल करने की सिफारिश की है ;

(ख) क्या केरल की साम्यवादी सरकार के द्वारा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पर चर्चा के दौरान यह आश्वासन दिया गया था कि मेलट्टर-फरोक रेलवे लाइन को बनने वाली नई रेलों की सूची में शामिल किया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो क्या मालाबार की इस रेलवे लाइन को प्रस्तावित 8 रेलवे लाइनों में शामिल किया गया है, यदि नहीं, तो इस को शामिल न करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) (क) जी नहीं।

(ख) केरल की साम्यवादी सरकार द्वारा दिये गये ऐसे किसी आश्वासन की केन्द्रीय सरकार को जानकारी नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिहार में पटसन की कीमतें

1810. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्री लहटन चौधरी :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में पटसन की कीमतों में कोई भारी कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरैशी): (क) से (ग). चालू जूट मौसम के आरम्भ में कच्ची जूट के मूल्य असाधारण रूप से ऊंचे स्तरों पर रहे हैं। बाजार में रेशों के भारी मात्रा में आने के कारण मूल्य सामान्य स्तरों की ओर गिरने लगे हैं। बिहार जूट तथा मेस्टा के मूल्यों का भी यही रुख रहा है। फिर भी वर्तमान मूल्य 1963–64 तथा 1964–65 के मौसमों की उन्हीं अवधियों की तुलना में बहुत ऊंचे हैं और कृषि मूल्य आयोग की सलाह के साथ सरकार द्वारा निर्धारित किए गए. न्यूनतम टेकबन्दी मूल्य से भी ऊंचे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जब आवश्यकता हो तो मूल्यों को न्यूनतम टेकबन्दी स्तर पर या उससे ऊंचे स्तर पर रखा जा सके, राज्य वार व्यापार निगम माल की खरीद भी करेगी।

राष्ट्रमंडलीय देशों के बीच व्यापार संवर्द्धन

1811. श्री कोल्ला वेंकैया : क्या **वाणिज्य** मन्त्री 29 जुलाई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 143 के उत्तर में सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रमंलीय देशों के वरिष्ठ योजना अधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो योजना में सहयोग तथा राष्ट्रमंडलीय देशों के बीच व्यापार संवर्द्धन के लिए किन किन उपायों पर चर्चा की गई और क्या क्या सिफारिशें की गईं ।

(ग) क्या राष्ट्रमंडल सचिवालय ने राष्ट्रमंडल नौवहन समिति के पुनरीक्षण के प्रश्न की जांच की है ;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ;

(ङ) क्या राष्ट्रमंडल सचिवालय ने पर्यटन पर विचार विनिमय किया है ; और

(च) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :(क) जी , अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) इस मामले पर राष्ट्रमंडल सचिवालय अभी तक विचार कर रहा है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उटता ।

(ङ) जी, नहीं ।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता ।

औषधियां

1812. श्री कोल्ला वेंकैया : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 सितम्बर, 1966 से पहले तीन महीनों में राज्य व्यापार निगम द्वारा बिक्री के लिए दी गई औषधियों की मात्रा और उन की लागत कितनी है तथा उसी अवधि में खरीदी गई औषधियों की मात्रा एवं लागत कितनी है ;

(ख) 15 सितम्बर, 1966 को राज्य व्यापार निगम के स्टाक में जमा विधि औषधियों की मात्रा तथा उन की लागत कितनी थी ; और

(ग) स्टाक से बिक्री के लिए दी गई औषधियों का बाजार में औषधियों के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) 1 सितम्बर, 1966 से पूर्व के तीन महीनों में राज्य व्यापार निगम द्वारा बिक्री के लिए दी गयी औषधियों की मात्रा तथा मूल्य का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 7355/66]**

टेलीविजन सेटों का आयात

1813. श्री महेश्वर नायक : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन के निदेशानुसार राज्य व्यापार निगम ने भविष्य में टेलीविजन सेटों का आयात बन्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस समय राज्य व्यापार निगम के पास कितने टेलीविजन सेट हैं और निगम ने उन सेटों को किस प्रकार प्राप्त किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :(क) तथा (ख). क्योंकि स्वदेशी निर्माण से देश की आवश्यकताओं के पूरा करने की आशा है इसलिए राज्य व्यापार निगम को यह आदेश दिया गया है कि वह और टेलीविजन सेटों के आयात के लिए नये करार न करे । फिर भी भारी वर्तमान मांग को आयात द्वारा, जो कि चालू संविदाओं पर आधारित है, पूरा किया जा रहा है ।

(ग) टी० वी० सेटों का वर्तमान स्टाक इस प्रकार है :—

हंगरी के सेट	121
युगोस्लाव सेट	256
आयरिश सेट	95
जापान के सान्यो	143

ग्रहकों को देने से पूर्व, इन में कुछ सेटों की आवश्यक मरम्मत के लिए आयातित फालतू पुर्जों की आवश्यकता है । 998 युगोस्वाविया के सेटों के आने की आशा है ।

हंगरी तथा युगोस्लाव के सेटों का आयात राज्य व्यापार निगम द्वारा किया गया है और जापान तथा आयरिश सेटों का आयात श्री डी० टी० गांधी द्वारा किया गया है ।

ट्रैक्टरों का मूल्य

1814. श्री प० कुन्हन :
श्री इम्बीचीबाबा :
श्री म० ना० स्वामी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम को राजस्थान कर्मशियल कारपोरेशन से ट्रैक्टर्स एण्ड बुलडोज़र लिमिटेड, बड़ौदा द्वारा राज्य व्यापार निगम की निर्धारित अधिकतम मूल्य पर ट्रैक्टरों के 5 सम्पूर्ण मूल उपकरणों के सप्लाई न करने के बारे में शिकायत मिली है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो जांच-निष्कर्ष क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा शिकायत की जांच की जा रही है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मलयेशिया से व्यापार

1815. श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मलयेशिया के एक व्यापार प्रतिनिधिमण्डल ने नई दिल्ली का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिनिधिमन्डल के साथ हुई बातचीत के क्या परिणाम निकले ; और

(ग) क्या प्रतिनिधिमण्डल के साथ कोई करार हुआ है, यदि हां, तो करार की मुख्य-मुख्य शर्तें क्या हैं ?

वानिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :(क) तथा (ख): 2 अक्तूबर, 1966 को मलेशिया का एक व्यापार प्रतिनिधिमण्डल भारत आया था और उसने दोनों देशों के बीच एक व्यापार करार की सम्भावनाओं तथा राष्ट्रमंडल की अधिमान्यताओं के प्रश्न पर भारत सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत की थी । चूंकि बातचीत अनौपचारिक थी, इसलिए बातचीत के किसी अभिलेख पर हस्ताक्षर नहीं किये गये थे ।

(ग) मलयेशिया की सरकार के साथ कोई व्यापार करार नहीं किया गया है ।

अमरीका के साथ व्यापार

1816. श्री दे० द० पुरी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में हाल में हुई "अमरीका के साथ भारत का व्यापार" सम्बन्धी 2–दिवसीय गोष्ठी में दिये गये सुझावों पुर ध्यान दिया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार अमरीका के समान अधिक प्रकार के सामान का व्यापार करने के उद्देश्य से अपनी नीति को नया रूप देने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस उद्देश्य से क्या कायवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :(क) से (ग). गोष्ठी का आयोजन भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान द्वारा किया गया था, गोष्टी में हुई चर्चा के बारे में अभी हाल में संस्थान से एक विस्तृत मल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है । गोष्टी में की गई बहुत सी सिफारिशों पर कायवाही पहले से ही शुरू की जा चुकी है । गोष्ठी में दिये गये सुझावों को ध्यान में रखते हुए अमरीकी देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के अन्य उपायों पर, यदि कोई अपेक्षित हों, विचार किया जा रहा है ।

बर्मा को नारियल जटा के धागे का निर्यात

1817. श्री मणियंगाडन : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अलप्पी में केरल "बेलर" और निर्यातिक संघ से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिन में उन्होंने बर्मा को नारियल जटा के धागे का निर्यात करने वालों को, जो अवमूल्यन से पूर्व हुए

ठेकों को, इन ठेकों पर, भारतीय निर्यात शुल्क के भुगतान से छूट न मिलने के कारण पूरा न कर सके, हुई कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है ;

(ख) क्या इन निर्यातकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग). अवमूल्यन के परिणामस्वरूप इन मामलों में निर्यात मूल्यों को उपयुक्त राशि तक बढ़ाने के प्रश्न पर विचार, बर्मी अधिकारियों के परामर्श से किया जाता रहा है ।

औद्योगिक बस्तियां

1818. श्री मणियंगाडन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक बस्तियों के किरायेदारों से इस बारे में शिकायतें मिली हैं कि उन से बहुत अधिक किराया लिया जाता है ;

(ख) क्या किराया कम करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी, हां ।

(ख) जी हां, जहां पर यह देखा गया कि इसी प्रकार के आवास के क्षेत्र में आर्थिक किराया प्रचलित किराये से अधिक या कारखाने के शेडों का किराया रियायती दरों पर वसूल किया गया था । फिर, 1965 में आर्थिक किराये को निकालने के सूत्र का भी पुनरीक्षण किया गया है । पुनरीक्षित सूत्र के अनुसार औद्योगिक बस्तियों में प्रशासनिक ब्लाकों, कैंटीनों आदि की सम्पूर्ण लागत को आर्थिक किराया निकालने के लिए बस्ती की पूंजीगत लागत में से निकाल दिया जाता है । इस प्रकार पुनरीक्षित सूत्र के परिणामस्वरूप आर्थिक किरायों की दरें घट गई हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

क्विलोन एरणाकुलम लाइन पर हाल्ट स्टेशन

1819. श्री मणियंगाडन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे की क्विलोन-एरणाकुलम रेलवे लाइन पर कोडुथुरुटी में एक नया रेलवे हाल्ट बनाये जाने की मांग की गई है ; और

(ख) इस समय मामला किस स्थिति में है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां ।

(ख) इस प्रस्ताव पर विचार किया गया था लेकिन पर्याप्त औचित्य न होने के कारण यह स्वीकार नहीं किया जा सका ।

Attack on Barasat Railway Station

1820. Shri Bade:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Onkar Lal Berwa:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an angry mob manhandled an Assistant Station Master on Barasat Railway Station, fifteen miles away from Calcutta and damaged the station building as reported in the 'Hindustan" dated the 6th September, 1966;

(b) if so, the cause of violence; and

(c) the steps taken in regard thereto?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) and (b). Due to late arrival of train No. 462 Down on account of signal failure at the Barasat railway station on 5th September, 1966, the daily passengers for Dum Dum side missed the connecting train No. T-154 Down. This infuriated the passengers who manhandled the Assistant Station Master and other railway staff on duty and damaged railway property.

(c) Government Railway Police Bongaon registered the case under sections 147/332/448/426 IPC and 121 Indian Railways Act and 11 West Bengal Security Act and arrested 4 persons.

मूंगफली के तेल की टैंकरों द्वारा ढुलाई

1821 श्री सोनावने : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल द्वारा हाल में गुजरात राज्य से महाराष्ट्र भेजा गया मूंगफली का मीठा तेल टैंकरों के चुने के कारण अथवा किसी अन्य प्रकार से नष्ट हो गया ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या आजकल ऐसी अत्यावश्यक वस्तु की हानि के लिए किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को जिम्मेदार ठहराया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां, इस प्रकार मूंगफली का कुछ तेल नष्ट हुआ है ।

(ख) रेलवे-वार सूचना का एक बयान संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 7356/66]**

(ग) इन मामलों की छोन बीन की जा रही है ।

रेलवे में रिक्त पदों पर नियुक्तियां

1822 श्री प्रिय गुप्त : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने क्षेत्रीय रेलवे अधिकारियों को यह निदेश दिये हैं कि वे सेवानिवृत्ति, मृत्यु अथवा पदोन्नति के कारण इस समय रिक्त पड़े पदों तथा भविष्य में होने वाले रिक्त पदों पर नियुक्तियां न करें ;

(ख) यदि हां, तो रेलवे-वार तथा श्रणी-वार ऐसे रिक्त स्थानों की संख्या क्या है ; और

(ग) क्या सरकार द्वारा वर्ष 1957 में घोषित "न्यू डील" तथा जस्टिस शंकर सरन न्यायाधिकरण के पंचाट तथा अन्य संविहित निकायों जैसे जस्टिस राजाध्यक्ष पंचाट के अनुसार प्रत्येक श्रेणी में पदों का दर्जा ऊंचा करने के लिए निश्चित की गई प्रतिशतता को पूरा नहीं किया जाता है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) जी नहीं, सिवाय इसके कि प्रशासनिक कार्यालयों में सभी पदों के लिए और निर्माण कार्यालयों तथा उत्पादन यूनिटों में केवल लिपिक-वर्गीय पदों के लिए कर्मचारियों की भर्ती पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है।

(ख) और (ग). सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

रेलवे के लोको तथा ट्रैफिक के परिचालक वर्ग

1823. **श्री प्रिय गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के लोको तथा ट्रैफिक के परिचालक वर्ग जैसे ड्राइवर, गार्ड तथा फोरमैन भारतीय रेलवे अधिनियम के अधीन बनाये गए "घंटे तथा रोजगार विनियमनों" के अन्तर्गत आते हैं और उनको आठ घंटे के लगातार काम करने वाले कर्मचारी माना जाता है परन्तु घंटे तथा रोजगार विनियमनों के अन्तर्गत आने वाले अन्य रेलवे कर्मचारियों के समान इनको सूचीबद्ध नहीं किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या 15 दिन में 108 घंटे काम करने के पश्चात् समयोपरि भत्ते के उपलब्ध इन रेलवे कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध लागू किये जाते हैं और इन को 10 दिन में 108 घंटे काम पर रख कर कई दिनों तक काम नहीं दिया जाता तथा मुख्यालय में रख लिया जाता है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) और (ख) काम के घंटे विनियम के अन्तर्गत रनिंग कर्मचारी आमतौर पर 'निरंतर' कोटि के रूप में वर्गीकृत होते हैं और उन्हें महीने में औसतन प्रति सप्ताह 54 घंटे काम करना होता है। वे आमतौर पर निश्चित रोस्टर के बजाय कड़ी के रूप में काम करते हैं। उनकी संख्या अपेक्षित आराम करने के बाद एक पखवाड़े में 108 घंटे की सीमा के आधार पर निर्धारित की जाती है। जहां आवश्यक हो, उनसे एक बार में, 10 घंटे से अधिक रनिंग ड्यूटी करने को कहा जा सकता है ; लेकिन वे 12 घंटे के बाद आराम की मांग कर सकते हैं बशर्ते वे कंट्रोलर को दो घंटे का नोटिस दे दें। फिर भी समयोपरि काम एक नियमित व्यवस्था का रूप धारण न करने पाये, इस प्रयोजन से रेल-प्रशासनों को कई उपाय बरतने की हिदायतें दी गयी हैं। इनमें एक उपाय यह भी है कि जब तक सर्वथा अपरिहार्य न हो जाये, निर्धारित समय तक काम कर चुकने के बाद रनिंग कर्मचारियों को छुट्टी दे दी जाये।

आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन

1824. **श्री दे० द० पुरी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये स्वदेशी जानकारी के क्षेत्र में निरन्तर अनुसन्धान और विकास को प्रोत्साहन देने के लिये क्या सरकार द्वारा कोई समन्वित योजना तैयार की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीव्या) : (क) और (ख) आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग किये जाने की समस्या की ओर जनता का अधिक ध्यान केन्द्रित

करने की दृष्टि से और आयातित सामग्री के स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग के लिये व्यावहारिक विचार और योजनाएं देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को पर्याप्त प्रोत्साहन और सार्वजनिक मान्यता देने के लिये पुरस्कारों की एक योजना चालू करने का निर्णय किया गया है और इस प्रयोजन के लिये उद्योग मंत्रालय द्वारा तकनीकी विकास के महानिदेशक श्री पी० सी० कपूर की अध्यक्षता में सरकारी तथा गैर-सरकारी सदस्यों का एक बोर्ड गठित किया गया है। बोर्ड की पहली बैठक 8 नवम्बर, 1966 को हुई थी और पुरस्कारों की योजनाओं को तैयार करने के लिये कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

प्रशुल्क पुनरीक्षण समिति

1825. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुवा :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री 4 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1579 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशुल्क पुनरीक्षण समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उन के बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). टैरिफ पुनरीक्षण समिति ने सीमा-शुल्क टैरिफ के विषय में अपना अन्तिम प्रतिवेदन दे दिया है। प्रतिवेदन की एक प्रति ओर और उस पर सरकार के 6 अक्तूबर, 1966 के संकल्प की एक प्रति, जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है, संलग्न हैं ।

एल्यूमीनियम की मांग

1826. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में एल्यूमीनियम के कुल उत्पादन की तुलना में उसकी मांग कितनी है ;

(ख) चालू योजना के अन्त में प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्य की तुलना में इस समय उसकी अधिष्ठापित क्षमता कितनी है ; और

(ग) योजना के अन्त में निर्धारित आंकड़ों की तुलना में इस समय उसकी निर्यात तथा उससे अर्जित विदेशी मुद्रा के आंकड़े क्या हैं ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे०) :(क) 1966-67 में एल्यूमिनियम की मांग का अनुमान 1,40,000 मीटरी टन है जब कि 90,000 मीटरी टन कुल उत्पादन होने का अनुमान है ।

(ख) इस समय प्रतिष्ठापित क्षमता 93,350 मीटरी टन प्रति वर्ष है जब कि उत्पादन लक्ष्य 3,30,000 मीटरी टन प्रतिवर्ष है जिसके कि चौथी योजना के अन्त तक (1970–71) पूरे होने की आशा है ।

(ग) 1965-66 में सीमिस तथा एल्यूमीनियम पदार्थों का निर्यात 55 लाख रु० के स्तर का था। चालू योजना के अन्त तक 3,30,000 मीटरी टन एल्यूमीनियम के अनुमानित लक्ष्य में लगभग 10 करोड़ रु० के मूल्य के 30,000 मीटरी टन प्रतिवर्ष के एल्यूमीनियम अथवा एल्यूमीनियम पदार्थ शामिल हैं ।

दिल्ली में रेलवे फाटकों पर दुर्घटनायें

1827. **श्री तुला राम :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 7 अक्तूबर, 1966 को दिल्ली में तीन भिन्न-भिन्न रेलवे फाटकों एक पर लड़का और दो स्त्रियां चलती रेलगाड़ियों के नीचे आकर मारे गये ; और

(ख) यदि हां, तो इन दुर्घटनाओं के क्या कारण थे ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) 7-10-1966 को एक महिला दिल्ली सराय रोहिल्ला और दिल्ली छावनी के बीच समपार फाटक नं० 5-ए के पास नं० 92 बीकानेर डाक गाडी के नीचे आ गयी और मर गयी । उसी दिन एक यात्री नांगलोई स्टेशन के अप होम सिगनल से टकरा कर गिर पड़ा और घायल हो गया और एक अज्ञात व्यक्ति शकूरबस्ती स्टेशन की प्लेटफार्म लाइन पर कुचलकर मरा हुआ पाया गया ।

ये सभी मामले पुलिस द्वारा दर्ज कर लिये गये हैं ।

रेलवे में इन्टरलाकिंग तकनीक

1928. **श्री तुला राम :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व रेलवे के इंजीनियरों ने देशी कच्चे माल से रिले इन्टरलाकिंग तकनीक से प्वाइन्टों तथा सिगनलों को चलाने के लिए एक कंट्रोल पैनल बनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी, हां ।

(ख) इस प्रणाली की मुख्य विशेषतायें इस प्रकार हैं :—

कंट्रोल पैनल छोटे अभिन्यास के लिए है और इसमें प च स्विच लगे हैं । इनमें से एक-एक स्विच चारों सिगनलों के लिए और एक स्विच पारगामी लाइन के कांटों (cross-over point) के परिचालन के लिए है। गाड़ियों के संचलन के लिए सम्बन्धित कांटे और सिगनल स्विचों को अलग-अलग परिचालित करना होता है ।

पेनल-स्विच, सिगनल, कांटा मशीनें और रिले देश में तैयार किये गये हैं । शैरफ टाइप के रिले लगाये गये हैं ।

Up Fatehgarh-Kanpur-Agra Passenger Train

1829. **Shri R. S. Tiwary:**
Shri Vishwa Nath Pandey:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the members of an armed gang fired on Up Fatehgarh-Kanpur-Agra Passenger train between Khudaganj and **Kamlaganj**

Railway Stations on the 5th October, 1966 resulting in heavy damage to the railway property; and

(b) if so, the action taken by Government in the matter?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) and (b) No. However, an incident of firing took place at about 09-20 hrs. on 29th September, 1966 on 115 Up Kanpur-Fatehgarh Passenger when it was slowing down for halt at Singhi Rampur Station. Bullet marks were found on coach No. 4463 GT. The Government Railway Police Fatehgarh who were informed of the incident, examined the coach and the train was allowed to proceed. Further enquiry revealed that the firing was due to enmity between two parties. One of them was travelling by that train and fired upon by the other who were hiding in the field near railway track. The case is under investigation by Government Railway Police and one accused has been arrested so far.

जिरादेई स्टेशन पर माल गाड़ी का पटरी से उतर जाना

1830. श्री रा० स० तिवारी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 6 अक्तूबर, 1966 को एम० एस० डी० 11 एक्सप्रेस माल गाड़ी जिरादेई रेलवे स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर पटरी से उतर गई ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण हैं ; और

(ग) रेलवे सम्पत्ति का कुल कितना नुकसान हुआ ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) 7-10-1966 को एक माल गाड़ी जिरादेई स्टेशन पर पटरी से उतर गयी।

(ख) दुर्घटना के कारण की जांच की जा रही है।

(ग) रेल सम्पत्ति को लगभग 4,600 रु० की क्षति का अनुमान है।

स्टेशनों के बीच बिजली से रेलगाड़ियां चलाना

1831. श्री रा० स० तिवारी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई तथा मद्रास स्टेशनों के बीच विद्युत् चालित रेल गाड़ियां चलाने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, ब्यौरा क्या; और

(ग) इस योजना पर कुल कितना खर्च होने की संभावना है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

मद्रास में बाक्साइट के निक्षेप

1832. श्री तुला राम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार मद्रास राज्य में 70 लाख टन तक सर्वोत्तम किस्म के बाक्साइट के निक्षेप मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन निक्षेपों का लाभ उठाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) मद्रास राज्य के पालनी क्षेत्र, मदुराई जिले और सलेम जिले आदि विभिन्न भागों में भारतीय भौमिकी विभाग ने बौक्साइट के पाए जाने के बारे में अनुसंधान किए हैं। सलेम जिले के शेवराय क्षेत्र में विस्तृत पूर्वेक्षण किया गया । जिससे पाया गया कि 44 से 48 प्रतिशत तक अल्यूमीना रखने वाले उच्च श्रेणी के बॉक्साइट के निक्षेप अनुमानतः 0.6 मिलियन टन हैं ।

(ख) इन निक्षेपों पर मद्रास एल्युमिनियम कम्पनी के पास खनन पट्टा है । कम्पनी ने मेटूर स्थित अपने एल्यूमिनियम प्रद्रावक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक विकास कार्य प्रारम्भ कर दिया है ।

फालतू रेलवे कर्मचारी

1833. श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री महेश्वर नायक :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के 14 लाख कर्मचारियों में से 9 लाख अनावश्यक हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार किसी क्रमबद्ध कार्यक्रम के अनुसार कर्मचारियों की संख्या कम करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

उत्तर रेलवे में उप डिस्ट्रिक्ट भंडार-नियंत्रक

1834. श्री राजदेव सिंह :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री बलजीत सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री रमापति राव :

क्या **रेलवे** मंत्री 2 सितम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4111 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के वर्तमान भण्डार उपनियन्त्रक (एम) तथा भण्डार उपनियंत्रक II पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त अधिकारी तीन वर्ष से अधिक समय से उत्तर रेलवे के मुख्यालय में काम कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) उत्तर रेलवे के वर्तमान उप भण्डार नियंत्रक (एम) के विरुद्ध भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है ।

उत्तर रेलवे के वर्तमान ज़िला भण्डार नियंत्रक (II) के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये गये थे ।

(ख) वर्तमान उप भण्डार नियंत्रक (एम) उत्तर रेलवे मुख्यालय में तीन वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं ।

जिला भण्डार नियंत्रक (II) उत्तर रेलवे के मुख्यालय में इस पद पर तीन वर्ष से कम समय से हैं ।

(ग) भण्डार विभाग के प्रशासकीय पद केवल क्षेत्रीय रेलों के मुख्यालय में रखे जाते हैं और इसलिए अधिकारी जब तक उस रेलवे में रहते हैं, तब तक उन्हें उसी स्थान पर रहना पड़ता है ।

जहां तक ज़िला भण्डार नियंत्रक (ii) का सम्बन्ध है, उत्तर रेलवे से बाहर उनके स्थानान्तरण के आदेश जारी किये जा चुके हैं ।

आत्म-निर्भरता अभियान

1835. **श्री दिगे :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या उद्योग मंत्री 29 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 657 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक क्षेत्र में विनियोजन कार्यक्रम पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) और (ख) चतुर्थ योजना में औद्योगिक क्षेत्र में विनियोजन सम्बन्धी कार्यक्रम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में दिया गया है जिसे कि इस बीच प्रकाशित कर दिया गया है ।

कांगड़ा वैली और कालका शिमला सैक्शन

1836. **श्री हम राज** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यात्री सुविधाओं, इंजिन, डिब्बों और अन्य मदों के सम्बन्ध में कांगड़ा वेली और कालका शिमला सेक्शनों की छोटी लाइन पर तृतीय योजना के दौरान सेक्शन-वार अलग-अलग क्या-क्या सुधार किये गये हैं; और

(ख) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के दौरान इन सेक्शनों पर अलग-अलग क्या-क्या सुधार करने का प्रस्ताव है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) एक बयान नत्थी है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 7358/66]

बम्बई जाने वाली बनारस एक्सप्रेस गाड़ी को (मध्य रेलवे) के जबलपुर डिवीजन में पटरी से उतारने का प्रयत्न

1837. **श्री दिगे :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 12 अक्तूबर, 1966 को जबलपुर डिवीजन के सालीचौका रोड और जनहेटा रेलवे स्टेशनों के बीच बम्बई जाने वाली 28 अप बनारस एक्सप्रेस को पटरी से उतारने के लिये कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा असफल प्रयास किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) गाडरवाडा की सरकारी रेलवे पुलिस ने भारतीय रेल अधिनियम की धारा 126 के अधीन एक मामला दर्ज कर लिया है और इसकी जांच की जा रही है।

रेलवे अधिकारियों का संघ

1838. **श्री श्यामलाल सर्राफ :**
श्री प्रिय गुप्त :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे अधिकारियों के हितों की रक्षा के लिये एक रेलवे अधिकारी संघ बनाया गया है;

(ख) क्या उक्त संघ के लक्ष्य तथा उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के बाद सरकार द्वारा इसको मान्यता दे दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) इसके लक्ष्य और उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

(i) प्रथम श्रेणी के रेल अधिकारियों के हितों की अभिवृद्धि और उनकी रक्षा करना।

(ii) रेल अधिकारियों के कल्याण, उनकी सेवा की शर्तों और उनके भविष्य आदि से सम्बन्धित सभी मामलों पर कार्रवाई करना।

(iii) रेल अधिकारियों में भाई चारे और लक्ष्य की एकता की भावना पैदा करना।

चाय बोर्ड के कर्मचारियों के विरुद्ध जांच

1839. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 15 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3799 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड के कर्मचारियों के विरुद्ध जांच-कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रत्येक कर्मचारी के बारे में मामला किस अवस्था में है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफ़ी कुरैशी) : (क) से (ग) कुल 35 कर्मचारियों पर दोष लगाये गये, इन में से दस निलंबित किये गये और शेष अपने-अपने पदों पर काम कर रहे हैं। निलंबित किये गये दस कर्मचारियों में से एक के विरुद्ध कार्यवाही पूरी की जा चुकी है और मामूली सा दण्ड देकर उसे सेवा में पुनः पदस्थ कर दिया गया है।

शेष निलंबित कर्मचारियों के बारे में सुनवाई में प्रगति हो रही है। शेष 25 कर्मचारियों के बारे में दोषारोप पत्रों तथा सम्बद्ध कागज़ पत्रों की जांच की जा रही है जिससे यह निर्णय किया जा सके कि उन में से किसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

कनाडा से भूतत्वीय सर्वेक्षण उपकरण

1840. **श्री तुलाराम :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण ने देश में अपने कार्यकलाप बढ़ाने के लिये कनाडा तथा स्वेडन से उपकरण प्राप्त किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उपकरणों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत को किन शर्तों पर उपकरण दिये गये हैं ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) से (ग) अभी तक कनाडा से कोई भी सामान नहीं प्राप्त हुआ है।

तीसरी योजना के दौरान 18 क्रेलियस डाइमंडकोर ड्रिल (जिसमें 8 एक्स सी–60 हैन्ड और 10 एक्स एफ–60 एच० किस्म की थी) सब उपकरणों सहित स्वीडन से मंगाई गई थी। इन को दिये जाने की मुख्य शर्त यह थी :—

(1) स्वीडिश बंदरगाह से जहाज से भेजी गई :

13 ड्रिल 31–10–1964 तक;
5 ड्रिल 31–12–64 तक; जिसमें कलकत्ता तक की बीमा-भाडा-लागत शामिल थी।

(2) **निरीक्षण** : लन्दन स्थित इंडिया स्टोर डिपार्टमेंट के महानिदेशक द्वारा।

(3) **संग्रहालय की सम्पूर्णता** : संग्रहालय सब प्रकार से स पूर्ण होगा जिसमें आरोपण, अन्वायोजन, स्थायक तथा आवश्यक उपसाधन शामिल होंगे।

(4) **एकत्रीकरण तथा विक्रयोपरांत देखरेख** : ठेकेदार के भारतीय एजेंट मैसर्स वल्कन ट्रेडिंग कम्पनी, कलकत्ता मशीन की स पूर्णता, निश्चित स्थान पर लगाये जाने तथा विक्रयोपरांत देखरेख के जिम्मेदार होंगे। वे मंगाने वाले के कर्मचारियों को मशीन के चलाने तथा उनकी देखरेख के बारे में निःशुल्क प्रशिक्षण भी देंगे।

(5) **अध्याभूति** :

(क) उपकरण नया होगा और दी गई विशिष्टियों के अनुसार होगा।

(ख) उपकरण के अकल्प तथा निर्माण में किसी प्रकार का दोष नहीं होगा।

(ग) दोषयुक्त उपकरण या उसके किसी भाग की मरम्मत या बदली स्थान पर ही उसके चालू होने के 12 माह के अन्दर या भेजे जाने के 16 माह तक के अन्दर करनी होगी।

(6) **बैंक प्रत्याभूति** : ठेकेदार ठेके की कुल रकम के 10 प्रतिशत की बैंक प्रत्याभूति देगा।

(7) भुगतान : भारतीय बन्दरगाह पर शुद्ध लागत-बीमा-भाड़ा का सौ प्रतिशत बैंक आफ इंडिया, बम्बई में एम० टी० सी०/एस०यू०के०ए०बी० के हिसाब में जहाज के कागजात के अनुसार भुगतान किया जायगा।

भारतीय भौमिकी विभाग के लिये स्वीडन से चार और बी० 3 श्रेणी की डैरिक डीजल इंजन वाले क्रेलियस डायमण्डकोर ड्रिल प्राप्त की जा रही है।

सामग्री आयोजन तथा आवंटन बोर्ड

1841. **श्री तुलाराम :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **संभरण, तकनीकी विकास तथा सामग्री आयोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक विशेषज्ञ समिति ने दुर्लभ औद्योगिक कच्चे माल के समाहार तथा वितरण को विनियमित करने के लिये एक सामग्री आयोजन तथा आवंटन बोर्ड स्थापित करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सम्भरण, तकनीकी विकास तथा सामग्री आयोजन मंत्री (श्री कोन्ता रघुरामैया) : (क) जी, हां।

(ख) सिफारिश विचाराधीन है।

Manufacture of T.V. Sets

1842. Dr. Mahadeva Prasad: Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) the names of those firms which have so far been given licences for the manufacture of Television Sets;

(b) whether it is a fact that many firms in Bombay and Nagpur have recently been given licences for manufacturing Television Sets; and

(c) if so, their names and the estimated yearly output?

The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya): (a) to (c). Messrs Telerad (Pvt.) Ltd., Bombay and M/s. J. K. Rayon, Kanpur are the only two parties who have been granted Letters of Intent for the manufacture of T.V. Sets upto a capacity of 10,000 sets, each per annum.

ब्रिटेन को कपड़े का निर्यात

1843. श्री बसुमतारी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1965 की तुलना में चालू वर्ष में भारत से ब्रिटेन को अधिक मात्रा में सूती कपड़े का निर्यात किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफ़ी कुरेशी) : (क) तथा (ख). जी, हां । जनवरी से जुलाई, 1966 की अवधि में जिसके लिये आंकड़े उपलब्ध हैं ब्रिटेन को कुल 871.62 लाख रु० मूल्य के सूती कपड़े का निर्यात किया गया, जब कि 1965 की उसी अवधि में 723.79 लाख रु० का निर्यात किया गया था। इससे पता लगता है कि जनवरी से जुलाई, 1965 की अवधि में किये गये निर्यात की अपेक्षा 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

अमरीकी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत लाइसेंस

1844. श्री उमानाथ :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री इम्बीचीबाबा :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय रसायन निर्माता संस्था के अध्यक्ष द्वारा बम्बई क्षेत्रीय समिति की हाल में हुई बैठक में दिये गये उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अन्य देशों की अपेक्षा अमरीका में कच्चे माल के मूल्य तीस-चालीस प्रतिशत अधिक होने के कारण अमरीकी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध लाइसेंसों का पूर्ण उपयोग नहीं किया जाता;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस वक्तव्य का सत्यापन कर लिया है तथा क्या निष्कर्ष निकाला है ; और

(ग) अमरीका में अधिक मूल्य होने के कारण सरकार ने अन्य स्रोतों से कच्चा माल प्राप्त करने के लिए क्या प्रयत्न किये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) सरकार को अन्य लोगों से भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि अमरीका में विभिन्न वस्तुओं के मूल्य अपेक्षाकृत ऊंचे हैं और इसके परिणामस्वरूप लाइसेंसधारी यूजेड के अन्तर्गत जारी किये गये आयात लाइसेंसों को पूरी तरह उपयोग करने में हिचकिचाते हैं विदेशी मुद्रा की कठिन स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्वतन्त्र मुद्रा के अन्तर्गत कम से कम लाइसेंस दिये जाने चाहिये और सरकार को कच्चा माल पुर्जे आदि के आयात के लिये लाइसेंस देने के लिये विभिन्न देशों से प्राप्त होने वाली गैर-परियोजना सहायता का यथासंभव उपयोग करना चाहिए । चूंकि कुल गैर-परियोजना सहायता का एक बड़ा भाग अमरीका द्वारा दिया जाता है, इसलिए कुल लाइसेंसों में 'यूजेड' के विरुद्ध दिये गये लाइसेंस काफी बड़ी संख्या में हैं । यदि किन्हीं विशिष्ट मामलों में 'यूजेड' के लाइसेंस को किसी अन्य ऋण स्रोत में बदलना हो, तो इन प्रार्थनाओं पर विचार किया जाता है, बशर्ते कि इस प्रयोजन के लिये उस ऋण में विधियां उपलब्ध हों । जैसा कि पहले बताया गया है वर्तमान विदेशी मुद्रा स्थिति को ध्यान में रखते हुए खुले विदेशी संसाधनों के विरुद्ध बड़े पैमाने पर लाइसेंस जारी करना संभव नहीं है ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के बेंजीन संयंत्र

1845. श्री उमानाथ :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री इम्बीचीबाबा :

क्या लोहा और इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के बेंजीन संयंत्रों की कुल उत्पादन क्षमता क्या है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन संयंत्रों में बेंजीन का कुल कितना उत्पादन हुआ है ;

(ग) इन संयंत्रों में उत्पादित कुल बेंजीन में से कितना बेंजीन गत तीन वर्षों में निर्यात किया गया ;

(घ) क्या सरकार को यह मालूम है कि भारतीय उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकता के लिये इस वस्तु को प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस वस्तु को निर्यात करने के क्या प्रयोजन हैं ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अन्तर्गत भिलाई, दुर्गापुर और रूरकेला इस्पात संयंत्रों में 10 लाख टन के चरण पर बेंजीन के उत्पादन के लिये अधिष्ठापित क्षमता निम्न है :—

संयंत्र	अधिष्ठापित वार्षिक क्षमता (किलो लिटर में)
भिलाई	7,070
दुर्गापुर . . .	10,400
रूरकेला	6,860

(ख) वर्ष 1963–64, 1964–65 और 1965–66 के दौरान वास्तविक उत्पादन इस प्रकार था :—

संयंत्र	उत्पादन (किलो लिटर में)		
	1963–64	1964–65	1965–66
भिलाई . . .	10,355	9,455	9,189
दुर्गापुर . . .	4,203	3,072	5,685
रूरकेला . . .	2,314	3,533	4,310
(नाइट्रेशन ग्रेड)			
साधारण ग्रेड . .	..	85	..

वर्ष 1963–64 1964–65 और 1965–66 में निर्यात इस प्रकार था :—

संयंत्र	निर्यात (किलो लिटर में)		
	1963–64	1964–65	1965–66
भिलाई . .	5,338	3,007	2,188
दुर्गापुर . . .	2,393	1,426	242
रूरकेला . . .	963	1,982	577

(घ) और (ङ) सामान्यत: बेंजीन केवल तब ही निर्यात की गई है जब कि इसका उत्पादन देश के भीतर उपयोग से अधिक रहा है । जी हां, अस्थायी कठिनाइयां, उत्पादन में कमी, देश में कम माल उठाये जाने, कम आन्तरिक मांग के समय वचन दिये गये क्रयादेशों को पूरा करने की आवश्यकता आदि के कारण उत्पन्न हो सकती है ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में उत्पादन बोनस

1846. **श्री उमानाथ :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री इम्बीचीबाबा :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अधिकारियों का इसके अधीन विभिन्न इस्पात संयंत्रों में उत्पादन बोनस योजना का पुनरीक्षण करने का प्रस्ताव है और यदि हो, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इस योजना के बारे में मजदूरों में असन्तोष है ; और

(ग) मजदूरों की शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) रूरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों पर लागू होने वाली उत्पादन प्रोत्साहन योजना के पुनरीक्षण करने का इस समय कोई प्रस्ता-

नहीं है, जिसे कि हाल ही में मान्यता प्राप्त संघों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद 31 मई, 1966 तक सरकाया गया है। भिलाई इस्पात संयंत्र पर लागू होने वाली योजना, जो कुछ भिन्न है, के पुनरीक्षण के प्रश्न पर, ताकि यह अन्य दो संयंत्रों पर लागू होने वाली योजना के समान हो जाये हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त संघों के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे डाक्टर

1847. **श्री प्रिय गुप्त** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भविष्य में रेलवे डाक्टरों की नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा की जायेंगी और उन्हें द्वितीय श्रेणी के सहायक चिकित्सा अधिकारी कहा जायेगा ;

(ख) क्या इनकी तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सकों की भर्ती के लिये योग्यता-स्तर में कोई अन्तर है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

यात्रा-टिकट परीक्षक (टी० टी० ई०) की हत्या

1848. **श्री प्रिय गुप्त** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 5 अक्तूबर, 1966 को पूर्वोत्तर रेलवे की कानपुर एक्सप्रेस गाड़ी के एक यात्राटिकट परीक्षक की ड्यूटी के दौरान गोंडा से कानपुर के बीच छुरा घोंप कर हत्या कर दी गई;

(ख) यदि हां, तो उनकी मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई तथा सरकार ने इस घटना के सम्बन्ध में क्या निष्कर्ष निकाले हैं; और

(ग) ऐसे कर्मचारियों की सुरक्षा के लिये क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :(क) जी हां। 5-10-66 को कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर, 31 अप कानपुर सवारी गाड़ी के पहले दर्जे के डिब्बे में एक चल टिकट परीक्षक की हत्या की हुई पायी गयी, जो गोरखपुर और लखनऊ के बीच उस गाड़ी में कंडक्टर के रूप में काम कर रहा था।

(ख) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन कानपुर की सरकारी रेलवे पुलिस मामले की जांच कर रही है।

(ग) रात में महत्वपूर्ण सवारी गाड़ियों की सुरक्षा के लिए उनमें सरकारी रेलवे पुलिस के कर्मचारी रखने की व्यवस्था की गयी है।

रेलवे कर्मचारियों का ज्ञापन

1849. **श्री प्रिय गुप्त** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच ह कि सितम्बर, 1966 में प्रधान मंत्री के गोरखपुर के दौरे में उन्हें रेलवे कर्मचारियों के रक्त से लिखित एक ज्ञापन पेश किया गया था, जिसमें रेलवे कर्मचारियों की कुछ प्रमुख शिकायतें दी गई थीं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता । लेकिन पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर संघ ने प्रधान मंत्री को एक पत्र दिया था जिसमें वेतन बोर्ड, बोनस के भुगतान, उचित मूल्य की दूकानों, महंगाई भत्ते और उपभोक्ता मूल्य-सूचक से सम्बन्धित कुछ मांगें थीं । इन मांगों पर विचार किया जा रहा है ।

नीडूबरोलू पर ऊपरी पुल

1850. **श्री कोल्ला वेंकय्या** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पन्नूर पंचायत समिति अथवा जनता से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें दक्षिण मध्य जोन में नीडूबरोलू पर एक ऊपरी-पुल बनाने के लिये प्रार्थना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो यह अभ्यावेदन किससे और कब प्राप्त हुआ है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) निडुबरोलू स्टेशन पर एक ऊपरी पैदल पुल पहले से मौजूद है । इस स्टेशन पर ऊपरी सड़क पुल बनाने के लिए अभी तक दक्षिण-मध्य रेलवे को कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रंगिया स्टेशन के निकट दुर्घटना

1851. **श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 20 अक्तूबर, 1966 को पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के घाघरापार तथा रंगिया जंक्शन स्टेशन के बीच उदयराना गांव में 2 अप अवध–तिरहुत डाक गाड़ी पटरी से उतर गई थी;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति मरे तथा घायल हुए और रेलवे सम्पत्ति की कितनी क्षति हुई; और

(ग) इस दुर्घटना के कारण क्या थे ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) दुर्घटना घोवरापार और रंगिया स्टेशनों के बीच हुई।

(ख) एक व्यक्ति मर गया और 13 को चोटें आयीं। रेल-सम्पत्ति को अनुमानतः लगभग 35,000 रुपये की क्षति हुई।

(ग) रेल संरक्षा के कलकत्ता स्थित अपर आयुक्त इस दुर्घटना के कारण की जांच-पड़ताल कर रहे हैं।

त्रिपुरा में कताई मिल

1852. **श्री दशरथ देव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में एक कताई मिल लगाने के लिये लाइसेंस दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) यदि कार्य में विलम्ब हो गया है, तो इसके क्या कारण हैं।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरैशी) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग). लाइसेंसधारी ने भूमि के नियतन तथा वित्तीय सहायता के लिये त्रिपुरा सरकार को आवेदनपत्र भेजा है। आवेदनपत्र राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

त्रिपुरा में पटसन मिलें

1853. **श्री दशरथ देव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से त्रिपुरा में एक पटसन मिल स्थापितकरने के लिये प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरैशी) : (क) जी हां।

(ख) अभिप्राय का एक पत्र (लेटर आफ इंटेंट) पहले ही एक गैर-सरकारी पार्टी को दिया जा चुका है। अभी तक पार्टी ने आवश्यक संयंत्र तथा साज-सामान के आयात के लिये वित्त जुटाने सम्बन्धी प्रस्ताव नहीं भेजे हैं।

त्रिपुरा में माध्यम आकार के उद्योग

1854. **श्री दशरथ देव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से त्रिपुरा में माध्यम आकार का एक उद्योग स्थापित करने के लिये अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का मोटा ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीव्या) : (क) जी, हां।

(ख) निम्न उद्योगों के लिये प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :—

(1) कागज़ मिल;

(2) कताई मिल;

(3) पटसन मिल; और

(4) प्लाईवुड कारखाना।

(ग) एक कताई मिल और एक प्लाईवुड कारखाना स्थापित करने के लिये लाइसेंस पहले ही जारी कर दिये गये हैं। एक कागज़ और एक पटसन मिल स्थापित करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

कीमतों में अत्यधिक वृद्धि

1855. श्री इन्द्रजीत गुप्त: क्या **वाणिज्य** मंत्री यहा बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि सरकारी कर्मचारियों के लिये मंहगाई भत्ते की दरों में वृद्धि की घोषणा के तत्काल बाद ही दिल्ली में कीमतों में असाधारण रूप से वृद्धि हो गई;

(ख) क्या दालों, भोजन बनाने के काम आने वाले तेल, आलू, दूध, अंडों की कीमतें 7 प्रतिशत से लेकर 37 प्रतिशत बढ़ गईं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री(श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते की दरों में 19–10–66 को सरकार द्वारा की गई वृद्धि की घोषणा के तत्काल बाद ही दिल्ली में मूल्यों में कोई असाधारण वृद्धि नहीं हुई है। मूल्य सम्बन्धी उतार-चढ़ाव में एक मिश्रित प्रवृत्ति दिखाई दी है। 14–10–66 तथा 11–11–66 को जो मूल्य थे, उनकी तुलना करने से प्रतीत होता है कि दालों तथा आलुओं के भाव में 1.6 प्रतिशत से 7.1 प्रतिशत तक वृद्धि हुई, दूध और अंडों के मूल्य स्थिर रहे, जब कि खाद्य तेलों के मूल्यों में 4.3 से 4.8 प्रतिशत तक की गिरावट आई। सरकार दिल्ली तथा साथ ही अन्य राज्यों में अत्यावश्यक वस्तुओं के भावों के उतार-चढ़ाव तथा संभरण पर निरन्तर निगरानी रख रही है।

चित्तरंजन रेलवे इंजन कारखाने में हड़ताल

1856. श्री इन्द्रजीत गुप्त: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तरंजन रेलवे इंजन कारखाने में एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करने की सूचना हाल में प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री(डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां। चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना एक मज़दूर संघ की ओर से, जो मान्यताप्राप्त संघ नहीं है।

(ख) इस आकस्मिक स्थिति का सामना करने के लिए चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने का प्रशासन आवश्यक कार्रवाई कर रहा है।

शिशु आहार (बेबी फूड) की कमी

1857. डा० श्रीनिवासन : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सामान्यतया पूरे देश में विशेषत: मद्रास में शिशु आहार की कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो शिशु आहार को उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) (क) मद्रास सहित सारे देश में शिशु आहार की कमी की सूचना मिली है ।

(ख) बेबी फूड को अत्यावश्यक वस्तुएं अधिनियम के अन्तर्गत शामिल कर लिया गया है और बेबी फूड का उत्पादन बढ़ाने के लिये निर्माताओं को सभी सुविधाएं दी जा रही हैं ।

बेबी फूड के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये अतिरिक्त क्षमता बनाई जा रही है । बढ़े हुए उत्पादन से बेबी फूड की उपलब्धता के सरल होने की संभावना है ।

Purchase of Foreign Cars by S.T.C.

1858. Shri Sinhasan Singh: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the number of cars bought by the State Trading Corporation from the local Foreign Embassies/Missions from 1955 to October, 1966 and the price paid therefor;

(b) whether it is a fact that no customs duty is charged on cars imported by the foreign missions for their own use;

(c) the amount Government would have earned by way of customs duty in case these cars would have been imported directly;

(d) the manner in which these cars were distributed, the names of Ministries to which distributed, and the number of cars given to each Ministry;

(e) whether some of these cars were also sold to individuals; and

(f) if so, the sale-proceeds thereof?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah): (a) to (f). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

स्कूटरों का आवंटन

1859. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री हेम बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री अल्व रेस :
श्री दाजी :
श्री वारियर :
श्रीमती विमला देवी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री इम्बीचीबाबा :
श्री बीरेन दत्त :
श्री दशरथ देव :
श्री अ० व० राघवन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री र वे वर्मी :
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :

श्री मुहम्मद इलियास :
डा० रानेन सेन :
श्री नम्बियार :
श्री उमानाथ :
श्री प० कुन्हन :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री हुक्म चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बड़े :
श्री ओंकार सिंह :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार से कोटे से प्राथमिकता के आधार पर स्कूटरों/मोटर साइकिलों के आवंटन के लिये सरकार ने '5 किलोमीटर से अधिक दूरी की सीमा' सम्बन्धी प्रतिबन्ध हटा दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त प्रतिबन्धों के बावजूद प्राप्त होने पर अस्वीकार किये गये या रोके गये आवेदन-पत्रों का भी नवीकरण कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो नियम में ढिलाई देने के क्या कारण हैं और प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की प्राथमिकता पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है और इस प्रकार की प्रभावित व्यक्तियों की क्या संख्या है ?

(क) और (ख) जी हां ।

(ग) यह अनुभव रहा था कि यह प्रतिबन्ध न तो न्यायसंगत था और न ही उसको लागू करना व्यवहार्य था चूंकि अधिकारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर और एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में बदली किया जा सकता था । एक आवेदक के निवास स्थान और कार्यालय के बीच वास्तविक दूरी का पड़ताल करना भी उद्योग मंत्रालय या प्रशासनिक मंत्रालय के लिये संभव नहीं था । अधिकारी भी समय समय पर अपना निवास स्थान बदलते थे । उसके अतिरिक्त, एक अधिकारी अपने कार्यालय और निवास स्थान के बीच ही प्रयोग के लिये स्कूटर नहीं खरीदता था ।

कथित प्रतिबन्ध के हटाये जाने के बाद प्रभावित व्यक्तियों से लगभग 1500 अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जब कि लगभग 11,000 आवेदन पत्र उद्योग मंत्रालय के पास पहले से ही पड़े हैं ।

रूरकेला इस्पात कारखाना

1860. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला इस्पात कारखाने की क्षमता का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां तो अनुमानत: कितनी क्षमता बढ़ाई जायेगी तथा उस पर कितनी पूंजी व्यय होगी ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) :(क) और (ख) : रूरकेला इस्पात कारखाने का क्षमता में वृद्धि सहित आगे विस्तार करने और उसकी पूंजीगत लागत को तदनुसार बढ़ाने

के प्रस्ताव पर जर्मनी संघीय गणराज्य सरकार और उसका वित्त-पोषण करने वाली अन्य अभिकरणों के साथ विचार किया जा रहा है ।

मीटर गेज सैक्शनों में तीसरे दर्जे वाली 'डीलक्स' वातानुकूलित रेलगाड़ियां

1861. **श्री मानसिंह पृ० पटेल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मीटर गेज सेक्शनों में तीसरे दर्जे वाली 'डीलक्स' वातानुकूलित रेलगाड़ियां चलाने के सम्बन्ध में नीति सम्बन्धी निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन के कब तक और किन-किन सेक्शनों में चलाये जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) वातानुकूल उपस्कर के लिए अपेक्षित विदेशी मुद्रा उपलब्ध होने पर मीटर गेज के दो-एक महत्वपूर्ण मुख्य मार्गों पर सप्ताह में दो बार वातानुकूल एक्सप्रेस गाड़ियां चलाने के लिए सवारी-डिब्बे लेने का विचार है। ये गाडियां चलाने के लिए अन्तिम रूप से दिल्ली-जयपुर-अहमदाबाद और लखनऊ-गोहाटी खण्डों को चुना गया है ।

पश्चिम रेलवे में अहमदाबाद के नये रेलवे डिवीजन की स्थापना

1862. **श्री मानसिंह पृ० पटेल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने पश्चिम रेलवे में एक नया अहमदाबाद डिवीजन स्थापित करने की वांछनीयता पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मैसर्स नाजिरा कोल कम्पनी

1863. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :

क्या **खान तथा धात** मंत्री 29 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 682 के उत्तर सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स नाजिरा कोल कम्पनी जिसका पट्टा 1943 में 1 जनवरी, 1973 तक के लिये बढ़ाया गया था, एक ब्रिटिश फर्म है या थी जिसका मुख्यालय ब्रिटेन में स्थित है ;

(ख) यदि हां, तो इस कम्पनी के निदेशकों के क्या नाम हैं ?

(ग) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह पट्टा ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा दिया गया था इसे तत्काल समाप्त कर दिया जायेगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे०) : (क) नहीं महोदय।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

इटारसी के निकट लैवल-क्रासिंग पर ऊपरी पुल

1864. श्री हरि विष्णु कामत : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे के इटारसी रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे लैवल-क्रासिंग पर एक ऊपरी पुल बनाने का प्रस्ताव फिलहाल स्थगित कर दिया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें इस परियोजना के सम्बन्ध में एक दूसरे की परस्पर कट्टर विरोधी हैं;

(ग) यदि हां, तो उसका मोटा ब्योरा क्या है ; और

(घ) इस गतिरोध को दूर करने तथा पुन: इस योजना के कार्य को आरम्भ करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) सवाल नहीं उठता क्योंकि कोई परस्पर-विरोध नहीं है । ऊपरी सड़क पुल के निर्माण-कार्य में रेलवे के हिस्से के काम की मंजूरी 4-7-66 को दी गयी है। खास पुल का निर्माण कार्य रेलवे तभी शुरू करेगी जब कि राज्य सरकार अस्थायी रूप से सड़क का मार्ग बदल दे।

Import of Books

1865. Shri Utiya:
Shri Kishen Pattnayak:
Shri Madhu Limaye:

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether the policy of import of books has been liberalised;

(b) if so, the extent thereof; and

(c) whether Government have tried to take the precaution that story-books, novels and propaganda literature having little utility are not imported?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah): (a) Yes, Sir.

(b) Apart from increasing the quota from 75 per cent to 150 per cent, provision has been made to issue supplementary licences to established importers for double the value of their quota licences for April 1966—March, 1967 for import of standard technical books or books of reference concerning law and legal practice, or for use in connection with medical practice scientific research or industrial processes and text books.

(c) Yes, Sir. Suitable precautionary measures have been taken.

Distribution of Imported Cotton

1866. Shri Kishen Pattnayak:
Shri Madhu Limaye:

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the basis on which imported cotton is distributed and the part thereof made available to small and medium sized textile mills;

(b) whether Government can make more profit by auctioning imported cotton; and

(c) the arrangements made for exporting the products of those mills which are supplied with imported cotton?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Shafi Qureshi): (a) Imported cotton is distributed to mills, irrespective of their size, on the basis of their consumption of such cotton in the calendar years 1963, 1964 and 1965. Provision also exists for allocating imported cotton to new mills and co-operative mills on an equitable basis.

(b) and (c). As cotton textiles are an item of essential need of people and as a part of the mill production is subject to price control, imported cotton cannot be auctioned solely with the object of making the maximum profit.

Cotton textiles and yarn which are produced from mixtures and blends of different varieties of indigenous and imported cotton, are allowed to be exported freely.

Import of Cotton

1867. Shri Kishen Pattnayak:
Shri Madhu Limaye:

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that more foreign exchange has been spent for importing cotton during 1965-66 as compared to the previous year; and

(b) the percentage of the cloth made from imported cotton being exported and used in the country separately?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Shafi Qureshi): (a) No, Sir.

(b) Statistics of production of cloth cannot be maintained on the basis of types of cotton used, as cloth is produced from a mixture and blend of all types of Indian and foreign cottons. Likewise it is not possible to give statistics of exported cloth on that basis as cotton is blended and mixed for different counts and weaves.

डीजल क्लीनरों तथा खलासियों की वरिष्ठता

1868. श्री नम्बियार : **श्री उमानाथ :**
डा० सारादीश राय : **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में डीजल क्लीनरों तथा खलासियों की वरिष्ठता किस आधार पर निर्धारित की गई है ;

(ख) क्या इन वर्गों की वरिष्ठता निर्धारित करते समय स्थानापन्न मज़दूरों के रूप में कर्मचारियों की सेवाओं को ध्यान में रखा जाता है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) दिल्ली डिवीजन में ऐसे कुल कितने कर्मचारी हैं, जिनकी वरिष्ठता निर्धारित करते समय स्थानापन्न मजदूरों के रूप में की गई उनकी सेवाओं को ध्यान में नहीं रखा गया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (घ). सूचना मंगाई जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कम-तापीय कारबनीकरण संयंत्र

1869. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घरेलू उपभोग के लिये सस्ता धुआं रहित कोयला तथा कच्चे लोहे के संयंत्रों के लिये ब्रिकेटेड कोक का उत्पादन करने के लिये देश में बड़े कम-तापीय कारबनीकरण संयंत्र स्थापित करने में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस प्रयोजन के लिये कौन-कौन से स्थान चुने गये हैं ; और

(ग) वे कब काम करना आरम्भ करेंगे ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) :(क) और (ख). निम्न तापमान कारबनीकरण प्लांटों के एक आंध्र प्रदेश के कोथागुदियम तथा दूसरा उड़ीसा के तालचर में (उद्योग जटिल के भाग के रूप में) स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ग) निर्माण कार्य आरम्भ हो जाने के लगभग ढाई साल बाद प्लांट काम करना शुरू कर देंगे ।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग

1870. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कार्य संचालन का पुनर्विलोकन करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं; और

(ख) उन्हें क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरेशी): (क)समिति ने अपना कार्य अभी पूरा नहीं किया है और इसके प्रतिवेदन के प्रस्तुत किये जाने का समय भी 1 अप्रैल, 1967 तक बढ़ा दिया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गैर-सरकारी खानों का विकास

1871. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या **खान तथा धातु** मंत्री 5 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 285 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने इस बीच गैर-सरकारी खानों के विकास के लिये वित्तीय सहायता देने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु०): निजी क्षेत्र की खानों के विकास के लिए वित्तीय सहायता देने के प्रस्ताव को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया ।

गोबर के स्थान पर सॉफ्ट कोक का प्रयोग

1872. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या **खान तथा धातु** मंत्री 5 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1409 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था ने गोबर को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने के स्थान पर सॉफ्ट कोक का इस्तेमाल करने के बारे में प्रयोग करने के लिये इस बीच परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर लिये हैं ; और

(ख) नगरों और गांवों को सॉफ्ट कोक की पर्याप्त तथा नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ताकि गोबर का ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सके ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे): (क) हां, महोदय । तथापि सरकार को अभी परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) सोफ्ट कोक के वितरण पर नियंत्रण ढीला करना, सॉफ्ट कोक के डिपो खोलने की लाइसेंस नीति में उदारता लाना, कोयले पर आधारित उद्योगों पर जोर देना, आदि कुछ उपाय हैं जो सरकार कर रही है ।

कोयला निर्यात सम्बन्धी अध्ययन दल

1873. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला निर्यात सम्बन्धी अध्ययन दल की, जिसने हाल ही में अपना प्रतिवेदन दिया था, सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) कोयला निर्यात सम्बन्धी अध्ययन दल की मुख्य सिफारिशें मोटे तौर पर निम्न प्रकार हैं:—

(1) कि एक दृढ़ निर्यात नीति की घोषणा की जानी चाहिए, जिसके अन्तर्गत सभी श्रेणियों के अकोककर कोयलों तथा सॉफ्ट कोक को मुक्त रूप से और कोककर कोयले तथा वी० पी० सख्त कोक को सीमित मात्रा में निर्यात करने की अनुमति दी जाये ।

(2) कि फिलहाल कोककर कोयले (श्रेणियां क से ग) का 5 लाख मे० टन, अकोककर कोयले की उच्चतर श्रेणियों का 7 लाख मे० टन, अकोककर कोयले की निम्न श्रेणियों का 10 लाख मे० टन और सीमित मात्रा में वी० पी० सख्त कोक के निर्यात का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया जाये । इसके अतिरिक्त अकोककर कोयलों की चुनी हुई श्रेणियों के निर्यात की आवश्यकताओं की पूर्ति वर्तमान उत्पादन, यदि आवश्यकता हो तो आन्तरिक मांग में उचित समंजन करके, से की जाये। अकोककर स्टीम कोयले की चुनी हुई श्रेणियों की आन्तरिक आवश्यकताओं में किन्हीं

परिवर्तनों के बावजूद भी लगभग 10 लाख मे० टन के निर्यात योग्य आधिक्य को बनाये रखने का प्रत्येक प्रयत्न किया जाना चाहिए।

(3) कि बन्दरगाह पर कोयले की खेपों को आर्थिक सहायता देने के लिये कोयले/कोक पर लगाये गये उपकर को समुद्र द्वारा निर्यात किये जाने वाले कोयले के निर्यात पर वापस लौटाया जाए।

(4) कि समुद्र द्वारा निर्यात किये जाने वाले कोयले पर किसी अवस्था में भी कोई बिक्री कर (केन्द्रीय अथवा राज्य) न लिया जाये।

(5) कि पत्तन प्रभारों, नदी शुल्कों, परिष्करण प्रभारों तथा कोयलावाही पोतों के लिये समुद्री शुल्कों के मामले में यथापूर्व स्थिति बनायी रखी जाये।

(6) कि गैर-सरकारी कोयले की खानों के द्वारा कोककर कोयले की क से ग श्रेणियों के उत्पादन को इस प्रकार संगठित किया जाये। जिससे लगभग 5 लाख मे० टन वार्षिक अधिशेष की प्राप्ति हो सके।

(7) कि निर्यात के लिये कोयले के लाने-ले जाने के लिये रेल के डिब्बों के नियतन में सबसे अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा निर्यात के लिये कोयले के लाने ले जाने को रेलवे युक्ति-युक्तकरण नयमों से छूट मिलनी चाहिए।

(8) कि जहाजी टन-भार के विस्तार के आयोजन में कोयले के निर्यात के लिये 8 खेपों की प्रति माह (उस आकार की जिसका प्रबन्ध कलकत्ता पत्तन पर इस समय किया जा सकता है) अनुमति दी जानी चाहिये।

(9) कि रेल भाड़े पर 20 प्रतिशत की छूट की मंजूरी के लिये वर्तमान दूरी की सीमाओं (350 कि० मी०) को हटाया जाना चाहिये।

(10) कि नये बाजारों और खोये हुये प्राकृतिक बाजारों को पुनः प्राप्त करने के लिये पिछले निर्यातकों की पहल को उपयोग में लाने के [illegible]पाय ढूंढे जाने चाहिएं।

(11) पाकिस्तान (पुनः चालू होने) तथा नेपाल को भू-मार्ग द्वारा कोयले का निर्यात गैर-सरकारी क्षेत्र के निर्यातकों पर छोड़ दिया जाना चाहिये।

(12) जापान को निर्यात का आयोजन करने के लिये एक छोटे अध्ययन दल की स्थापना की जानी चाहिये, जो कोयले की खानों तथा निर्यात किये जा सकने वाले कोयले (कोककर) और इस्पात संयंत्रों पर प्राइम कोककर कोयले के निर्यात के सम्भावित प्रभाव का अध्ययन करे तथा अपना प्रतिवेदन दे। सरकार द्वारा स्थायी दल के प्रस्तावों के अनुमोदन किये जाने के बाद एक प्रतिनिधिमंडल जापान को भेजा जाना चाहिए, जो दल का समर्थन तथा सलाह लेकर वाणिज्यिक वार्ताएं शुरू करें। निर्यात के अवसरों को ध्यान में रखते हुए व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल सिंगापुर तथा हांगकांग को भेजे जाएं। इसके अतिरिक्त, अध्ययन दल असम के कोयले को पश्चिमी बंगाल/बिहार के कोयले के साथ संमिश्रण करने की तकनीकी-आर्थिक सम्भावना की ध्यान से जांच कर सकता है।

(ख) अध्ययन दल द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

कोयले की कमी

1874. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़िया किस्म के कोयले की कमी को ध्यान में रखते हुए, कोयला नियंत्रक ने इन श्रेणियों के कोयले के आन्तरिक उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाया तथा उसे भारी मात्रा में बचाया। पड़ोसी देशों को निर्यात करने हेतु कोई कार्यवाही की है ;

(ख) क्या कोयला नियंत्रक ने बढ़िया किस्म के कोयले के स्थान पर श्रेणी एक, अकोककर तथा श्रेणी एच० एच० कोककर कोयले के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए कोई कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या औद्योगिक कोयले की आवंटन सूची को पुनरीक्षित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे): (क) विशिष्ट श्रेणी के कोयले को निर्यात के लिए उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कुछ हद तक उस श्रेणी के कोयले के उपभोग को सीमित कर दिया गया है ।

(ख) हां, महोदय ।

(ग) सरकार द्वारा निर्मित फुएल एफिशिएंसी कमेटी, विशिष्ट श्रेणी के कोयले के प्रयोग में अधिकतम बचत करने के उद्देश्य से उस कोयले के आवंटन पर सदैव सतर्क रहती है ।

सोफ्ट कोक के भाड़े में कमी

1875. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 26 अगस्त, 1966 को रेलवे उपमंत्री द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 707 के उत्तर की ओर दिलाया गया है, जिस में कहा गया था कि रेलवे मंत्रालय उन क्षेत्रों के लिए सोफ्ट कोक के भाड़े को घटाने के मामले पर विचार करने के लिए तैयार है, जहां कि इस समय यह कोक बाक्स वैगनों के ब्लाक रेकों द्वारा ले जाया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन के मंत्रालय ने, सोफ्ट कोक के भाड़े में कमी करने हेतु रेलवे मंत्रालय द्वारा विचार के लिए, कोई योजना तैयार की है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे): (क) और (ख). हां, महोदय। सोफ्ट कोक के भाड़े में कमी करने के विषय में रेलवे केवल उन क्षेत्रों के विषय में विचार करेगी जहां वह इस समय नहीं दिया जा रहा है। रेलवे ने कोयला उद्योग से स्पष्ट प्रस्ताव मांगें हैं ताकि वे इस विषय में आगे विचार कर सकें। सोफ्ट कोक भाड़ की रियायत देने की योजना के प्रस्ताव पर कोयला उद्योग तथा रेलवे के परामर्ष से विचार किया जा रहा है ।

कोक तथा कोयला बेचने के लाइसेंस प्राप्त डिपो

1876. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **खान तथा धातु** मंत्री 29 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 796 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोक तथा कोयले बेचने के लाइसेंस प्राप्त डिपो राज्यवार अनुमानत: कितने हैं ;

(ख) 1964 में सोफ्ट कोक और इट तैयार करने में काम आने वाले कोयले के वितरण में उदारता की नीति अपनाये जाने के बाद से अब तक राज्यवार कितने डिपो खोले गये हैं ; और

(ग) डिपो के लाइसेंस निर्बाध रूप से देने को प्रोत्साहत देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) और (ख). यह आंकड़े केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं रखे जाते ।

(ग) निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) सोफ्ट कोक के वितरण तथा ईंटें बनाने के कोयले पर नियंत्रण शिथिल करना ;

(2) राज्य सरकारों को मंत्रणा दी गई है कि वे कार्य प्रणाली के कारण होने वाली देरी को दूर करें तथा कोयला कोक के डिपो खोलने के लिये लाइसेंस देने में उदारता बरते ।

उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में कारखानों की स्थापना

1877. **श्री कृ० चं० पन्त** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में संसाधनों की बहुत बड़ी मात्रा का उपयोग नहीं किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सर्वेक्षणों से यह सिद्ध हो गया है कि वहां सीमेंट, कागज, पटसन, लकड़ी की लुगदी, बनाने के कारखानों का स्थापित किया जाना आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य है ; और

(ग) इन संभावनाओं को खोजने और इस क्षमता का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या): (क) से (ग). "वन" और "सर्वेक्षण" दोनों ही राज्य सरकारों के विषय हैं। केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से कोई इस प्रकार की सूचना नहीं मिली है कि तराई क्षेत्र में कोई ऐसा सर्वेक्षण किया गया है । अतः उक्त क्षेत्र की क्षमताओं की जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

काली सूची में दर्ज फर्में

1878. **श्री प० ह० भील :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री कपूर सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री राम हरख यादव :
श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को काली सूची में दर्ज फर्मों से लेन देन के प्रश्न की जांच करने के लिये गठित की गई उपसमिति का प्रतिवेदन मिल गया है ।

(ख) यदि हां, तो उपसमिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने उन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) से (ग). सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि कदाचार के लिये दोषी फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये वर्तमान कानूनों को किस प्रकार मजबूत बनाया जा सकता है और उनका क्रियान्वित-क्षेत्र किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है ताकि सरकार ऐसी फर्मों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही कर सके।

उड़ीसा में पटसन मिल

1879. श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : **श्री नाथ पाई :**
श्री हरि विष्णु कामत : **श्री हेम बरुआ :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में सहकारी आधार पर, एक नई पटसन मिल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) क्या सरकार ने इस पर अपनी स्वीकृति दे दी है तथा यह मिल कब तक स्थापित की जायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

वायोगैस तथा वायोमैन्योर का उत्पादन

1880. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय चीनी संस्था में 'बायो गैस' तथा 'बायोमैन्योर' के उत्पादन के लिए खोई के उपयोग के सम्बन्ध में किये गये अध्ययन का क्या परिणाम रहा ; और

(ख) खोई का ईंधन के रूप में उपयोग करके कागज तथा गत्ता बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) राष्ट्रीय चीनी संस्था के 'बायो गैस' संयंत्र में किये गये प्रयोगों से यह ज्ञात हुआ कि गोबर तथा खल, अस्थि-चूर्ण आदि अन्य वस्तुओं के साथ मिश्रित खोई बायो-मैन्योर और बायो-गैस के उत्पादन के लिये उपयुक्त सामग्री है। इस प्रक्रिया के आर्थिक लाभ के मूल्यांकन के लिये इस सम्बन्ध में और आगे प्रयोग करने की आवश्यकता है।

(ख) वस्तुतः दो ऐसे मिल लगाये गये हैं जिनमें कच्चे माल के रूप में खोई का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में इस तरह के अन्य कारखाने लगाने की सम्भावनाओं को खोजा जा रहा है और सरकारी तथा सहकारी क्षेत्र में एक-एक ऐसे कारखाने को लगाने सम्बन्धी परियोजना-प्रतिवेदनों पर विचार किया जा रहा है।

मद्रास सेंट्रल स्टेशन पर शयन डिब्बों के कंडक्टरों के लिये रेलवे विश्राम कक्ष

1881. **श्री इम्बीचीबाबा :**
श्री उमानाथ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास सेंट्रल स्टेशन पर रेलवे शयन दिब्बों के कंडक्टरों के लिए कोई विश्राम-कक्ष है ;

(ख) प्रतिदिन मद्रास सेंट्रल स्टेशन पर जाने वाले इन शयन डिब्बों के कंडक्टरों की कुल संख्या कितनी है ;

(ग) क्या दक्षिण रेलवे अधिकारियों को इस बारे में इन कंडक्टरों से कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) और (ख). शयन यानों के साथ चलने के लिये विशेष चल टिकट परीक्षक तैनात किये जाते हैं । कुल मिला कर 62 चल टिकट परीक्षक रोजाना बाहरी स्टेशनों से मद्रास सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचते हैं । चल टिकट परीक्षकों के लिए मद्रास सेंट्रल पर एक कमरे की व्यवस्था कर दी गयी है जिसमें वे अपने संदूक रखते हैं । वे इस कमरे का इस्तेमाल आराम करने के लिये भी करते हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) चल टिकट परीक्षकों के लिए मद्रास सेंट्रल पर एक अतिरिक्त आराम कमरे की व्यवस्था 1966–67 के निर्माण कार्यक्रम में की जा चुकी है ।

पालघाट में औजार बनाने का कारखाना

1882. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री उमानाथ :

क्या **उद्योग** मंत्री 12 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2244 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में पालघाट नगर में रूस के सहयोग से औजार बनाने का कारखाना स्थापित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) परियोजना कब चालू होने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) इस कारखाने की विस्तृत परियोजना-प्रतिवेदन को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिये जाने के बाद उक्त परियोजना की क्रियान्विति के लिये कदम उठाये जा रहे हैं । उसके प्रस्तावित स्थान पर सामान्य निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है । राज्य सरकार के परामर्श से पानी और बिजली की सप्लाई की व्यवस्था की जा रही है । विशेष प्रशिक्षण के लिये पहले दल में रूस भेजे जाने वाले इंजीनियरों को भर्ती करने के लिये भी कार्यवाही की जा रही है ।

(ख) 1968 के अन्त तक ।

रेलवे अस्पतालों में नर्स

1883. **श्री अ० क० गोपालन:** **श्री लक्ष्मी दास :**
श्री प० कुन्हन: **श्री म० ना० स्वामी :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे अस्पतालों में 'ए' और 'बी' श्रेणी की नर्सों का चयन एक विशेष सेवा आयोग द्वारा किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो उनके चुनाव के लिये अपेक्षित अर्हता तथा उनके लिये निर्धारित काम के घंटे क्या हैं तथा उनकी जिम्मेदारियों में क्या अन्तर है ;

(ग) क्या इन दो श्रेणियों के वेतन क्रमों में कोई अन्तर है और यदि हां, तो क्या है ; और

(घ) क्या इन दोनों श्रेणियों की नर्सों को एक जैसे कार्य ही करने पड़ते हैं और यदि हां, तो इस विषमता को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, नहीं। रेल प्रशासनों को इस बात का प्राधिकार दिया गया है कि वे नर्सों की भर्ती रेल सेवा आयोग की एजेंसी के बिना ही, इस प्रयोजनार्थ गठित प्रवरण बोर्डों द्वार कर लें। भर्ती प्रारम्भिक पदक्रम 150—280 रु० (अधिकृत वेतनमान) में स्टाफ नर्स के रुप में की जाती है। 210—320 रुपये (अधिकृत वेतनमान) में नर्सिंग सिस्टर के पदों को पहले उन स्टाफ नर्सों को पदोन्नति दे कर भरा जाता है जिनके पास सीनियर नर्सिंग 'ए' प्रमाण-पत्र हो या जो 150–280 रुपये (अधिकृत वेतनमान) में पांच वर्ष से अधिक समय तक काम कर चुकी हों ; बाकी रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भर लिया जाता है ।

(ख) (1) **अर्हताएं**

आयु—स्टाफ नर्सों और नर्सिंग सिस्टर, व दोनों के लिए 20 से 35 वर्ष।

शिक्षा—मैट्रिक पास हो और स्टाफ़ नर्स के पद के लिए, नर्सों, दाइयों या स्वास्थ्य निरीक्षकों से सम्बन्धित राज्य सरकार के अधि-नियम के अधीन रजिस्टर हो सकने वाली मान्यता-प्राप्त चिकित्सा संस्था का जूनियर नर्सिंग का 'बी' प्रमाण-पत्र तथा नर्सिंग सिस्टर के पद के लिए सीनियर नर्सिंग 'ए' प्रमाण-पत्र हो या इनके समान कोई अन्य अर्हता हो ; 'ए' देहाती क्षेत्रों का अनुभव अतिरिक्त अर्हता होगी। स्टाफ नर्स से नर्सिंग सिस्टर के पद पर पदोन्नति वरिष्ठता-एवं-उपयुक्तता के आधार पर की जाती है ।

(2) **काम के घन्टे**

दोनों का वर्गीकरण 'निरन्तर' के रूप में किया गया है। उनकी ड्यूटी इस प्रकार लगायी जाती है कि उन्हें एक महीने में औसतन प्रति सप्ताह 54 घंटे से अधिक काम न करना पड़े।

(3) उत्तरदायित्व में अन्तर

नर्सिंग सिस्टरों को उनकी अर्हता/अनुभव के कारण ऊंचे पदक्रम में रखा जाता है। उन्हें स्टाफ नर्सों की अपेक्षा अधिक उत्तरदायित्व सौंपा जाता है, जैसे उपस्कर सहित वार्डों का कार्यभार, स्टाफ़ नर्सों के काम का पर्यवेक्षण आदि।

(ग) जी, हां। वेतनमान इस प्रकार हैं :—

(i) 210—10—290—15—320 रुपये;

(ii) 150—5—175—6—205—कु० रो०—7—240—8—256 कु० रो०—8—280 रुपये।

(घ) पहले भाग का उत्तर नकारात्मक है। दूसरा भाग—सवाल नहीं उठता।

ट्रैक्टरों के मूल्य

1884. श्री जसवन्त मेहता : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अवमूल्यन के पश्चात् ट्रेक्टरों के मूल्य बढ़ गये हैं ;

(ख) क्या सरकार ने मूल्यों में वृद्धि की जांच की है ; और

(ग) ट्रैक्टरों के मूल्य कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैय्या) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कुछ सरकारी लागत लेखा अधिकारियों को निर्माण करने वाली एककों की लागत जांच करने के काम पर लगाया गया है ताकि देश में बने ट्रेक्टरों की उचित कीमत निर्धारित की जा सके। मैसर्स ट्रेक्टर एण्ड फार्म इक्विपमैंट लिमिटेड, मद्रास तथा मैसर्स एस्कोर्ट लिमिटेड, नई दिल्ली के सम्बन्ध में लागत रिपोर्टें मिल गयी हैं। निर्माताओं के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप मूल्य में वृद्धि करने के दावों सहित इन पर विचार किया गया था और इन दो एककों द्वारा निर्मित उत्पादकों को निम्नलिखित विक्रय मूल्य अनुमोदित कर दिया गया है :—

फर्म का नाम	अवमल्यन के पहले का विक्रय मूल्य	अवमल्यन के बाद निर्माताओं द्वारा लिया गया विक्रय मूल्य	वर्तमान निर्धारित उचित विक्रय मूल्य	
			6—6—66 से पहले	6—6—66 से
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
मैसर्स ट्रैक्टर एण्ड फार्म इक्विपमैंट, मद्रास	15,905	20,821	17,117	19,665
मैसर्स एस्कोर्टस लिमिटेड, फरीदाबाद				
एस्कोर्टस 37	15,400	17,300	14,781	16,687
एस्कोर्टस 27 V	13,600	16,500	12,246	15,417

मैसर्स ईचर ट्रेक्टर इन्डिया लिमिटेड के सम्बन्ध में लागत रिपोर्ट हाल ही में मिली है और उस पर विचार किया जा रहा है। मैसर्स हिन्दुस्तान ट्रेक्टर्स एण्ड बुलडोज़र्स तथा मैसर्स इण्टरनेशनल ट्रेक्टर कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड के सम्बन्ध में लागत रिपोर्टें लगभग एक महीने में मिल जायेगी। इस बीच इन उत्पादकों को अपने ट्रेक्टरों के अवमूल्यन के बाद के मूल्य को निम्नलिखित तदर्थ आधार पर घटाने के लिये कहा गया है :—

फर्म का नाम	अवमूल्यन के पूर्व का मूल्य जो उन्होंने वसूल किया	अवमूल्यन के बाद का मूल्य जो उन्होंने वसूल किया	अवमूल्यन के के बाद सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्य	कमी
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
मैसर्स ईचर ट्रेक्टर इण्डिया लिमिटेड	15,110	17,110	15,110	2,000
मैसर्स हिन्दुस्तान ट्रेक्टर्स एण्ड बुलडोज़र्स लिमिटेड . .	17,650	21,650	20,237.50	1412.50
मैसर्स इण्टरनेशनल ट्रेक्टर कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड .	19,927	19,927	18,627	1,300

अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड

1885. श्री वाडीवा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, नई दिल्ली का बुनकर सेवा केन्द्र, जो उत्तर भारत के राज्यों का मार्ग-दर्शन करता है, त्रिवेन्द्रम ले जाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरैशी) : (क) तथा (ख). बुनकर सेवा केन्द्र को दिल्ली से हटा कर त्रिवेन्द्रम ले जाने का एक सुझाव प्राप्त हुआ है जो कि विचाराधीन है।

पंचेट बांध के निकट प्रस्फोटकों (डेटोनेटरों) का लूटा जाना

1886. श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या **खान तथा धातु** मंत्री 2 सितम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4144 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचेट बांध के एक बारूद घर से प्रस्फोटक लूटे जाने के बारे में जांच पूरी कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस जांच का क्या परिणाम रहा है ; और

(ग) गिरफ्तार किये गये पांच व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) और (ख). न्यायालय द्वारा इस विषय में पड़ताल की जा रही है।

(ग) पांचों गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों पर पुलिस द्वारा मुकदमें चलाये जा रहे हैं।

Thefts at Ujjain Railway Station

1887. Shri Shinkre:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that thefts of coal, rice and wood at Ujjain Railway Station in Madhya Pradesh are still continuing;

(b) whether it is also a fact that persons indulging in such thefts have been convicted every year at Ujjain;

(c) if so, the number of persons apprehended since 1964 so far and the action taken against them;

(d) the items recovered along with the quantity thereof during this period at the aforesaid station; and

(e) the action taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) No cases of thefts of rice and wood have been reported at Ujjain Railway Station during the years 1964, 1965 and 1966 (upto October, 1966). A number of cases of thefts of coal have, however, occurred during these years.

(b) Yes.

(c) and (d).

	1964	1965	1966 (upto October)
1. No. of cases registered.	49	18	49
2. No. of persons apprehended.	49	18	49
3. No. of persons convicted.	48	17	47
4. No. of persons acquitted.	1	1	2
5. Quantity of coal stolen.	Quintal Kgs.	Quintal Kgs.	Quintal Kgs.
	22 30	6 3	42 32
6. Quantity of coal recovered.	22 30	6 3	42 32
7. Value of coal.	Rs. 290.40	Rs. 89.75	Rs. 868.25

(e) Railway Protection Force staff is posted at the coal dump where coal is stored. The railway yard is also patrolled by the Railway Protection Force staff to prevent thefts and pilferages from the standing goods trains.

Over-bridges in Ujjain

1888. Shri Shinkre:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there are no separate bridges for rail and other traffic in Ujjain;

(b) whether it is also a fact that this obstructs the mill workers to attend to their duty in time; and

(c) if so, the steps taken by Government to remove this difficulty?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) Yes.

(b) No.

(c) Does not arise.

पश्चिम रेलवे में उपनगरीय रेलगाड़ी में आग

1889. श्री बृजवासी लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री फ० गो० सेन :
श्री बड़े :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 31 अक्तूबर, 1966 को विले पार्ले और अंधेरी स्टेशनों के बीच पश्चिम रेलवे की एक उपनगरीय रेलगाड़ी की एक बोगी में आग लग जाने के कारण एक महिला की जल कर मृत्यु हो गई और कई लोग जख्मी हो गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे ; और

(ग) कुल कितनी रेलवे सम्पत्ति की क्षति हुई ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) इस दुर्घटना में 4 व्यक्ति मारे गये जिनमें 2 औरतें थीं और 19 व्यक्तियों को चोटें आयीं।

(ख) बम्बई स्थित रेल संरक्षा के अपर आयुक्त द्वारा दुर्घटना के कारण की जांच की जा रही है ।

(ग) रेल सम्पत्ति को कोई क्षति नहीं पहुंची ।

स्कूटरों का आवंटन

1890. श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में मैसूर राज्य को कितने स्कूटर दिये गये ;

(ख) उक्त अवधि में देश में अन्य राज्यों को कितने स्कूटर दिये गये ;

(ग) विभिन्न राज्यों को स्कूटरों के आवंटन में असमानता के क्या कारण हैं और इनका वितरण किस आधार पर किया जाता है ;

(घ) क्या मैसूर राज्य तथा अन्य राज्यों में स्कूटरों की मांग प्रति वर्ष बढ़ रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो आगामी वर्षों में इस मांग को कैसा पूरा करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैय्या): (क) से (ङ). जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

1891. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री 4 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2822 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेशम उद्योग के विकास की दृष्टि से प्रधान के पद पर कार्य करने के लिये पूर्णकालिक प्रधान की नियुक्ति कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर ; और

(ग) यदि नहीं, तो इतनी देरी होने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरैशी) : (क) अभी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रधान पद के लिये उपयुक्त उम्मीदवार के चयन करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

रेशम बोर्ड

1892. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्यालय को बंगलौर से हटा कर बम्बई ले जाया गया है क्योंकि कपड़ा आयुक्त केन्द्रीय रेशम बोर्ड के पदेन अध्यक्ष हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड के लिये पूरे समय काम करने वाले अध्यक्ष की नियुक्ति करने के सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, इसके मुख्यालय को हटा कर बंगलौर अथवा मैसूर में ले जाने का विचार है ; और

(ग) क्या मैसूर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह रेशम उद्योग के विकास के हित में केन्द्रीय रेशम बोर्ड मुख्यालय को मैसूर राज्य में स्थानान्तरित कर देवें ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरैशी) : (क) जी, हाँ ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ग) मैसूर सरकार ने पहले इस विषय पर केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था परन्तु बोर्ड के कार्यालय को पुनःस्थानान्तरित करने में अन्तर्ग्रस्त कठिनाइयां उन्हें समझा दी गई थीं ।

काफी के बीजों का वितरण

1893. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काफी बोर्ड ने नियंत्रित भाव पर काफी के बीज बेचने वाले काफी हाउस बन्द करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरैशी) : (क) तथा (ख) काफी बोर्ड के काफी हाउस काफी के बीजों का वितरण नहीं करते। फिर भी बीर्ड अपने प्रचार विभागों के डिपुओं द्वारा काफी के बीजों की बिक्री बन्द करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है क्योंकि संवर्द्धन के ध्येय को प्राप्त करने के लिये काफी के बीजों को बिक्री के बजाय काफी पाउडर तथा भुने हुए बीजों की बिक्री को अच्छा समझा गया है। इसके अतिरिक्त इससे कृत्रिम उपभोक्ता, निर्बाध बाज़ार मूल्य तथा न्यूनतम निर्धारित मूल्य, जिस पर से डिपो कच्चे बीज बेचते हैं, बीज के अन्तर का लाभ नहीं उठा सकेंगे।

(ग) मूल्यों के रुख पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और मूल्यों की वृद्धि को रोकने के लिये उद्देश्य से आन्तरिक बाज़ार के लिए उपयुक्त मात्रा में माल दिया जा रहा है। परिणामस्वरूप कच्ची काफी को मूल्य में अभी से ही गिरावट का रुख दिखाई दे रहा है।

केरल में काफी का नीलाम

1894. श्री मुहम्मद कोया : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में काफी का नीलाम करवाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरैशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) केरल राज्य में काफी की मांग इतनी अधिक नहीं है कि उस राज्य में एक अलग नीलाँम केन्द्र का कोई औचित्य हो।

ओसाका में विश्व प्रदर्शनी

1895. श्री रामहरख यादव : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जापान में ओसाका में 1970 में होने वाली विश्व प्रदर्शनी में भाग लेने का है;

(ख) यदि हां, तो उस प्रदर्शनी का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस प्रदर्शनी में कितने देश भाग लेंगे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) जापान वर्ल्ड एक्सपोजीशन ओसाका 1970 नामक एक विश्व तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी 15 मार्च से 13 सितम्बर 1970 तक होगी। अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों सम्बन्धी अभिसमय (जो कि सामान्यतः 1928 का पैरिस अभिसमय कहलाता है) के अधीन अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों के ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त यह प्रथम श्रेणी की सामान्य प्रदर्शनी है। प्रदर्शनी जापान सरकार (अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा उद्योग) के प्राधिकरण में होगी। 1970 वर्ल्ड एक्सपोजीशन के लिये जापान संघ नामक एक संघ की स्थापना की गई है जिसे जापान सरकार ने सरकारी मान्यता प्रदान की है और उसे एक्सपोजीशन के संगठन का कार्य सौंपा गया है।

2. इस एक्सपोजीशन का विषय "मानवता की प्रगति तथा सौहार्द" है जिसे निम्नलिखित चार विषयों में बांटा गया है:

(1) जीवन से पूर्ण आनन्द प्राप्त करना,

(2) प्रकृति से अधिक प्रचुरता में फलों की प्राप्ति करना,

(3) अपने सजीव वातावरण का पूर्ण उपयोग , तथा

(4) एक दूसरे को और अधिक अच्छी तरह समझना ।

3. यह प्रथम समय है कि प्रथम श्रेणी की एक विश्व प्रदर्शनी का आयोजन एशिया के एक देश अर्थात जापान में किया जा रहा है । अभिसमय के उपबन्धों के अनुसार एक्सपोजीशन में भाग लेने के लिये अभी भारत सरकार को सरकारी तौर पर निमन्त्रण प्राप्त नहीं हुआ है । अत: भारत के भाग लेने के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका अथवा लिया गया है । फिर भी अतिथि नगर ओसाका के मेयर श्री कारू चूमा और बाद में एक्सपोजीशन के आयोजन करने वाले संघ के अध्यक्ष श्री टेज़ो इशीजाका ने भारत सरकार के अधिकारियों को व्यक्तिगत निमन्त्रण भेजे हैं, जिनमें एक्सपोजीशन में भारत के शामिल होने के लिये प्रार्थना की गई है । एक्सपोजीशन के विस्तार तथा आकार तथा इस तथ्य को देखते हुए, कि यह पहली बार एशिया के एक देश में हो रही है, यह समझा जाता है कि भारत द्वारा भाग लिये जाने का सामान्यत: स्वागत किया जायगा । सहभागिता का आकार, प्रकार तथा सीमा विभिन्न बातों पर निर्भर करेगी, जिसमें वित्तीय सीमाओं और एक्सपोजीशन के अधिकारियों तथा साथ ही जापानी सरकार आदि द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाएं शामिल हैं ।

4. जापान की सरकार द्वारा विभिन्न सरकारों को अभी निमन्त्रण भेजे जा रहे हैं । इसलिये अभी एक्सपोजीशन में भाग लेने वाले देशों की संख्या बताना सम्भव नहीं है । फिर भी प्रबन्धकों का विचार है कि उनके निमन्त्रण पर उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया होगी और निमन्त्रित देशों में से अधिकांशत: सम्भवत: उसमें भाग लेंगे ।

Recruitment of Signallers

1896. Shri Jagdev Singh Siddhanti: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of Signallers recruited by the Railways during the last two years;

(b) the number of those among them who have been imparted training in telegraph signalling in Hindi also;

(c) the time by which this training would be imparted to the remaining persons; and

(d) the number of Railway Telegraph Offices where arrangements have been made for transmitting telegraphic messages in Hindi and where Telegraph Clerks are encouraged in communicating telegraphic messages in Devanagri script?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) to (d). Information is being collected and will be placed on the Table of the House.

पलेजा घाट पर कुली

1897. श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पलेजा घाट में प्रथम श्रेणी के यात्रियों को सबसे बाद में तीसरी खेप में कुली मिलते हैं;

(ख) क्या सरकार को पता है कि कभी-कभी कुली न मिलने के कारण यात्री महेन्द्र घाट जाने वाले स्टीमर को नहीं पकड़ पाते हैं, और

(ग) इस बात के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि पहली अथवा दूसरी खेप में कुली न मिलने के कारण प्रथम श्रेणी के यात्रियों को उस गाड़ी के यात्रियों को ले जाने वाला स्टीमर न छोड़ना पड़े ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है फिर भी, पलेजाघाट स्टेशन पर लाइसेंसदार भारिकों की कमी के बारे में किसी प्रकार की शिकायत न हो, इस बात को ध्यान में रखकर हाल ही में उनकी संख्या बढ़ा दी गयी है और पर्यवेक्षक कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने की हिदायत दी गयी है कि यात्रियों को लाइसेंसदार भारिकों की कमी के कारण असुविधा न होने पाये ।

बिरार तथा अहमदाबाद स्टेशनों के बीच बिजली से चलने वाली गाड़ियों का चलाना

1898. श्री उ० मू० त्रिवेदी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे पर विरार और अहमदाबाद के बीच विद्युत चालित गाड़ियां चलाने के बारे में प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं;

(ख) क्या विद्युत चालित गाड़ियां चलाने के बारे में कोई प्रगति हुई है;

(ग) क्या किसी अन्य रेलवे पर किसी अन्य योजना को इस योजना पर प्राथमिकता दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां।

(ख) टेण्डर प्रलेख तैयार करने के लिए अपेक्षित ब्यौरेवार सर्वेक्षण जल्द शुरू किया जा रहा है। इस बीच, बिजली सप्लाई करने के सिलसिले में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बिजली बोर्डों से पत्र-व्यवहार चल रहा है ।

(ग) और (घ) अत्यधिक घनत्व वाले विभिन्न रेल मार्गों के सम्बन्ध में किये गये विस्तृत तकनीकी-आर्थिक अध्ययन के आधार पर, कानपुर-टुंडला और राउरकेला-दुर्ग खंडों पर बिजली गाड़ी चलाने की व्यवस्था करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। प्रत्येक परियोजना को दी जाने वाली प्राथमिकता कई बातों पर निर्भर करती है जैसे—यातायात का घनत्व, परिचालन सम्बन्धी आवश्यकता, बिजली की उपलब्धता, बिजली रेल इंजनों का लाभप्रद उपयोग, आर्थिक दृष्टि से योजना की सक्षमता आदि ।

उत्तर रेलवे के कानपुर-टूंडला सेक्शन में विद्युतीकरण

1890. श्री उ० मू० त्रिवेदी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के कानपुर-टुंडला सैक्शन में विद्युतीकरण के लिए विश्व के सभी देशों से टेंडर मांगे गये हैं;

(ख) आगामी चार वर्षों में अन्य किसी भी क्षेत्रीय रेलवे के कौन से अन्य सैक्शन विद्युतीकरण के लिये तैयार हैं; और

(ग) टुंडला-कानपुर सैक्शन के चलाने के लिए जितनी बिजली की आवश्यकता होगी उस पर कितना खर्च आयेगा और विरार-अहमदाबाद सैक्शन को चलाने के लिए अपेक्षित बिजली पर होने वाले अनुमानित खर्च की तुलना में यह राशि कितनी कम अथवा अधिक है ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां।

(ख) विद्युतीकरण के सम्बन्ध में तीसरी योजना के बकाया काम अर्थात् इलाहाबाद-कानपुर, इगतपुरी-भुसावल और हावड़ा-खड़गपुर खंडों में विद्युतीकर का काम पूरा करने के अलावा चौथी योजना की अवधि में कानपुर-टुंडला (उत्तर रेलवे) राउरकेला-दुर्ग (दक्षिण पूर्व रेलवे) विरार-साबरमती (पश्चिम रेलवे) और मद्रास-विजयवाड़ा (दक्षिण रेलवे और दक्षिण-मध्य रेलवे) खण्डों का विद्युतीकरण करने का विचार है।

(ग) कानपुर-टुंडला खण्ड के लिए बिजली देने की दर के बारे में उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से अभी लिखा-पढ़ी चल रही है, इसलिये विरार-साबरमती खंड पर बिजली की अनुमानित लागत से इसकी तुलना करना संभव नहीं है।

आटा मिलों को लाइसेंस देना

1900. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या **उद्योग** मंत्री 29 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 806 के उत्तर के सम्बन्ध यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय की दिनांक 13 जनवरी, 1964 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 187-आई०डी०आर०ए०-29-बी-2-64 के जारी किये जाने के पश्चात देश के विभिन्न राज्यों में कौन-कौन सी आटा मिलें स्थापित की गई ;

(ख) 1965 तथा 1966 में इन मिलों को परीक्षाणार्थ कोटा तथा गेहूं का मासिक कोटा किस आधार पर दिया गया;

(ग) इन में से ऐसी मिलें कौन कौन सी हैं जिनकी मासिक क्षमता 2000 टन से अधिक की है। और जिनका उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण नहीं किया गया था। परन्तु फिर भी उन को प्रति दिन 30 टन से अधिक गेहूं दिया गया और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उन मिलों को, जिनकी क्षमता उपयोग में नहीं लाई जा रही है और जिनकी इनके मंत्रालय ने सिफारिश की है, अधिकतम कोटा देने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैय्या):(क) से (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

हरियाना में आटा मिल

1901. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाना में उन आटा मिलों के नाम तथा स्थान क्या हैं जिन्हें सरकार ने लाइसेन्स दिया था और जिनकी पीसने की क्षमता प्रतिमास 3,000 टन से अधिक है;

(ख) क्या यह सच है कि इन में से कुछ मिलों को प्रतिदिन 30 टन से अधिक कोटा नहीं मिलता है जिसके कारण उनकी क्षमता का महीने में तीन सप्ताह से अधिक समय तक प्रयोग नहीं होता; और

(ग) क्या सरकार का विचार उनके मामले के बारे में खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने यह सिफारिश करने का है कि उन्हें उनकी पीसने की क्षमता के अनुसार पर्याप्त कोटा दिया जाये ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैय्या) (क) मैसर्स आर०बी०एल० बनार्सी दास एण्ड कम्पनी (पी) लिमिटेड, अम्बाला कैंट ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्रीलंका को पांच करोड़ रुपयों का ऋण

1902. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने 1962 में श्रीलंका को पांच करोड़ का ऋण देने का जो प्रस्ताव किया था और जिसे पिछले वर्ष पुन: जारी किया गया था उसमें से श्रीलंका का विचार भारत से 200 बसों और ट्रकों के इंजिन (चेसिस), काफी मात्रा में टायर तथा शक्तिचालित करघे आयात करने का है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई समझौता किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) 1962 में भारत सरकार द्वारा श्रीलंका को प्रस्तावित 5 करोड़ रु० के ऋण के आधार पर बसों तथा ट्रक चेसिस, टायरों तथा शक्तिचालित करघों के आयात के लिए श्रीलंका सरकार से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

1903. श्री ह्न० चा० लिंग रेड्डी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (एक) बैंगलौर नगर से गुंटाकल तक मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने और (दो) बैंगलौर नगर से चिक्कबल्लापुर तक छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के बारे में सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो इन कार्यों पर कितनी लागत आयेगी; और

(ग) ये कार्य कब आरम्भ किये जायेंगे ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): (क) (i) गुंतकल्लु-बेंगलूरू मीटर लाइन खंड को बड़ी लाइन में बदलने के लिए यातायात सर्वेक्षण करने की मंजूरी जून, 1966 में दी गई थी और सर्वेक्षण का काम अभी चल रहा है ।

(ii) बेंगलूरू-चिक्कबल्लापुर छोटी लाइन खंड को बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण करने का कोई आदेश नहीं दिया गया है ।

(ख) और (ग) गुंतकल्लु-बेंगलूरु खंड को बड़ी लाउन में बदलने पर होने वाली लागत तभी बतायी जा सकती है जब सर्वेक्षण का काम पूरा हो जाये। काम शुरू करने का प्रश्न समभावतया सर्वेक्षण के परिणामों पर निर्भर करता है ।

Employees of North-Eastern Railway

1904. Shri Shinkre:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the employees of the North-Eastern Railway (Varanasi District) have not so far been paid the arrears on account of their promotion given on the 1st October, 1962 under the Sankar Saran Award;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the total amount due and the number of persons to be paid on this account; and

(d) when the arrears are likely to be paid?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) to (d). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

हैवी इलेक्ट्रीकल्स, भोपाल

1905. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इलेक्ट्रिकल्स, भोपाल के प्रबन्धकों के अपने कर्मचारियों को न्यूनतम कानूनी बोनस 4 प्रतिशत की दर पर दे दिया है;

(ख) क्या इंजीनियरी मजूरी बोर्ड की सिफारिश के अनुसार उन्हें अन्तरिम सहायता दे दी गई है;

(ग) क्या गजेन्द्रगडकर आयोग द्वारा महंगाई भत्ते में मंजूर की गई वृद्धि भी उन्हें दे दी गई है;

(घ) क्या यह सच है कि इस कारखाने में वैध रूप से निर्वाचित कोई कार्यसमिति विद्यमान नहीं है; और

(ङ) क्या कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने के संबंध में सरकार की कोई प्रस्थापना है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैय्या): (क) जी नहीं। हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड, भोपाल को अभी लाभ होना शुरू नहीं हुआ है। अत: बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 की धारा 16(ख) के अनुसार बोनस देने की दायिता लेखा वर्ष, 1961-62 के बाद छटे वर्ष से शुरू होगी क्योंकि इस वर्ष कारखाने ने अपने द्वारा निर्मित माल पहली बार बेचा था। वर्ष 1961-62 के बाद छटा लेखा वर्ष 1967-68 होगा और बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 की धारा 16 के अनुसार बोनस देने की दायिता केवल वर्ष 1968-69 से शुरू होगी।

(ख) जी नहीं। हैवी इलेक्ट्रीकल्स भोपाल के प्रबन्धकों और वहां के कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के बीच 7 अप्रैल, 1965 को हुये करार के अनुसार, मध्य प्रदेश के औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम, 1960 तथा इन्दौर के औद्योगिक न्यायालय द्वारा इसके बाद इस सम्बन्ध में दिये गये निर्णय के अधीन वहां के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार की दरों पर ही महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। संघ के

प्रतिनिधियों ने प्रबन्धकों से यह अनुरोध किया है कि इंजिनियरी उद्योगों के लिये मजूरी बोर्ड द्वारा सुझायी गयी अन्तरिम राहत को देने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न की जाय और कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता उस समय तक केन्द्रीय दरों पर ही दिया जाय जब तक कि केन्द्रीय सरकार इंजिनियरी उद्योगों के लिये मजूरी बोर्ड द्वारा दी गयी अन्तिम सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये आदेश जारी न करे।

(ग) जी, हां।

(घ) यद्यपि मध्य प्रदेश के औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम, 1960 के अधीन किसी ऐसी कार्य-समिति का गठन नहीं किया गया है फिर भी 15 मार्च, 1963 को प्रबन्धकों और संघ के पांच-पांच प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति का गठन किया गया था और तब से यह संतोषपूर्ण ढंग से कार्य कर रही है।

(ङ) प्रत्येक कम्पनी में कर्मचारियों की शिकायतों को पूर करने के लिये उद्योग अनुशासन संहिता में विहित नमूने के आधार पर बनी शिकायतों को सुनने के लिये एक प्रक्रिया विद्यमान होती है।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची

1906. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक प्रतिनिधि संघ को मान्यता न दिये जाने के कारण हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच सम्बन्धों में कोई सुधार नहीं हुआ है;

(ख) क्या इंटक से सम्बद्ध हाटिया परियोजना कर्मचारी संघ ने धमकी दी है कि यदि 18 नवम्बर, 1966 तक उनकी मांगों के बारे में कोई समझौता नहीं हुआ तो वें हड़ताल कर देंगे; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैय्या): (क) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों के दो गुटों में संघ की मान्यता के प्रश्न को लेकर झगड़ा हुआ है।

(ख) जी, हां।

(ग) बिहार सरकार ने समझौते के लिये कार्यवाही की है और कई बातों पर समझौता हो भी गया है।

आयातित खोपरा

1907. श्री मणियांगाडन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिल मालिकों तथा अन्य उपभोक्ताओं में आयातित खोपरा वितरित करने की कोई कसौटी निर्धारित है;

(ख) यदि हां, तो वह कसौटी क्या है;

(ग) आयातित खोपरे का मूल्य क्या है तथा वह उपभोक्ताओं को किस मूल्य पर दिया जाता है;

(घ) क्या उपभोक्ताओं को आयातित खोपरे पर कोई शुल्क देना पड़ता है और यदि हां, तो किस दर पर;

(ङ) 1965-66 में कितनी मात्रा में खोपरे और तेल का आयात किया गया तथा 1966-67 में कितनी मात्रा में इनका आयात करने का विचार है; और

(च) इस वर्ष 31 मार्च, 1966 के बाद कितनी मात्रा में खोपरे तथा तेल का आयात किया जा चुका है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) जी, हां। आयातित खोपरा अनुसूचित तथा गैर-अनुसूचित कारखानों (पेराई कारखाने तथा साबुन क्षेत्र) को समान रूप से वितरित किया जायेगा। इसी प्रकार दोनों क्षेत्रों में पेराई करने वाले तथा साबुन बनाने वाले अपने आवंटन में 50:50 के अनुपात में हिस्सेदार होंगे। प्रत्येक कारखाने को खोपरे का वास्तविक आवंटन, 1962, 1963, 1964 तथा 1965 में सर्वोत्कृष्ट वर्ष की पेराई, खोपरे की खपत, खोपरे के तेल के आधार पर किया जायेगा।

(ग) तथा (घ) आयातित खोपरे की औसत तटागत लागत लगभग 2340 रु० प्रति मी० टन है। 120 रु० प्रति मी० टन का लाभ लेने के बाद राज्य व्यापार निगम इसे उपभोक्ताओं को देता है।

खोपरे के आयात पर 60 प्रतिशत यथा मूल्य का आयात शुल्क लगा हुआ है। परन्तु ऐसे आयात जो ब्रिटिश उपनिवेश से शुरू होते हैं, शुल्क की अधिमानात्मक दर (50 प्रतिशत) है। 2340 रु० के उपर्युक्त मूल्य में आयात शुल्क भी शामिल है जो कि 50 प्रतिशत यथा मूल्य है और जिसकी अदायगी राज्य व्यापार निगम द्वारा की जाती है।

(ङ) तथा (च) 1965-66 में 626.26 लाख रु० मूल्य का 48,722 मी० टन खोपरा आयात किया गया था। किन्तु इस अवधि में खोपरे के तेल का अयात नहीं किया गया। 1966-67 के दौरान कैलेण्डर वर्ष 1966 के अन्त तक 3.0 करोड़ रु० मूल्य के खोपरे का आयात करने का विचार है। दिसम्बर, 1966 में स्थिति का पुनरीक्षण किया जायेगा। इस वर्ष 31 मार्च, 1966 के बाद अभी तक 1.0 करोड़ रु० मूल्य का खोपरा राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात किया गया है। इस वर्ष, 31 मार्च, 1966 के बाद, नारियल तेल का कुछ भी आयात नहीं किया गया है।

लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के कार्यालय में राजपत्रित पद

1908. श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के कलकत्ता स्थित मुख्य कार्यालय तथा दिल्ली, बम्बई और मद्रास स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में राजपत्रित अधिकारियों के पदों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या उन का वर्गीकरण केन्द्रीय सेवा प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के रूप में किया गया है अथवा किसी अन्य प्रकार से किया गया है; और

(ग) क्या उन राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती तथा/अथवा विभागीय पदोन्नति द्वारा नियुक्ति करने के संबंध में कोई नियम बनाये गये हैं और उनका पालन किया जाता है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) 17-11-1966 को राजपत्रित पदों की संख्या निम्न प्रकार थी :

मुख्य कार्यालय, कलकत्ता	32
स्थानीय कार्यालय, बम्बई	2
स्थानीय कार्यालय, मद्रास	1
स्थानीय कार्यालय, दिल्ली	2
	37

(ख) इस संगठन के सभी राजपत्रित पद सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 1 और 2 के अधीन वर्गीकृत हैं ।

(ग) जी हां, परन्तु उन पदों को छोड़कर जो किसी उद्देश्य विशेष के लिये अस्थायी तौर पर मंजूर की गयीं थी ।

लोहा तथा इस्पात नियंत्रण संगठन

1909. श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोहा तथा इस्पात नियंत्रण संगठन में राजपत्रित पदों पर ऐसे कई व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया है जिनके पास अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं नहीं हैं;

(ख) क्या इस मामले में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह): (क) से (ग). राजपत्रित पदों पर विभागीय पदोन्नति समितियों की सिफारिशों के आधार पर पदोन्नति की जाती है । लोहा तथा इस्पात नियंत्रण संगठन में प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नति करने के लिये बनी विभागीय पदोन्नति समिति (यों) में संघ लोक सेवा आयोग का एक सदस्य अवश्य ही सम्मिलित किया जाता है । इस संगठन में किसी भी ऐसे व्यक्तियों की नियमित पदोन्नति नहीं की गयी है जिनके पास अपेक्षित अर्हताएं न हों ।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए मकान

1910. श्रीमती विमला देवी :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के सभी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को बिना किराये मकान दिये जाते हैं ?

(ख) क्या यह भी सच है कि रेलवे वर्कशापों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से किराया लिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) वर्तमान नियमों के अनुसार कारख़ाना-कर्मचारियों को, आवंटित क्वार्टरों के लिए, किराया देना पड़ता है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

मिजो विद्रोहियों द्वारा जिला कछार में हमला किये जाने और उसे लूटे जाने के समाचार

REPORTED RAID AND LOOTING IN CACHAR DISTRICT BY MIZO REBELS

श्री विश्वनाथ पाण्डेय (सलेमपुर) : मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह उस बारे में एक वक्तव्य दें :

"सशस्त्र मिजो विद्रोहियों द्वारा जिला कछार, आसाम के धारामूरा बाजार पर हाल ही में हमला किये जाने और उसे लूटे जाने का समाचार।"

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : राज्य सरकार से मिली सूचना के अनुसार 9 नवम्बर, 1966 को 21.30 बजे राइफलों तथा हलकी मशीन गनों से लैस नागा विद्रोहियों का एक जत्था कछार जिले के धारामूरा गांव में आया और उसने स्थानीय बस अड्डे पर लूटना और आग लगाना आरम्भ कर दिया। लूट मार के दौरान विद्रोहियों ने एक दूकान से 9,000 रुपये नकद लूट लिये। उन्होंने दूकान में आग लगादी और मोटर टायरों को जलाकर, शीशे तोड़ कर और 13 अन्य मकानों को आग लगाकर और अधिक नुकसान किया। विद्रोहियों ने मनमाने ढंग से 30 या 40 गोलियां चलाईं। इस समय के अनुसार कुल क्षति 80,000 रुपये की हुई है।

उसी समय सशस्त्र मिजो विद्रोहियों का एक और जत्था ढालेश्वरी नदी के पूर्वी तट पर पहुंचा। उनमें से 7 या 8 विद्रोही नदी पार करके पश्चिमी तट पर पहुंचे और शेष लोग पहरा देने के लिये वहीं ठहर गये ताकि सुरक्षा सेना द्वारा, जो कि घटना के समय कहीं और गश्त लगा रही थी, यदि हमला किया जाये तो वे उसका मुकाबिला कर सके। पश्चिमी तट पर विद्रोहियों ने एक दूकान से कुछ सम्पत्ति लूटी। सभी विद्रोही उसी दिन 23.00 बजे वापस चले गये।

दूसरे दिन प्रातःकाल विद्रोही लोग बिखरे हुये समूहों में मिजो पहाड़ियों की ओर लौट रहे थे, तथा एक समूह को हमारे सुरक्षा दल ने लालछेरा में रोक लिया था। एक विद्रोही मारा गया था तथा अन्य कई घायल हो गये थे। काफी शस्त्रास्त्र भी पकड़े गये हैं। उस क्षेत्र में सुरक्षा सेना की संख्या में पर्याप्त वृद्धि कर दी गई है।

Shri Vishwa Nath Pandey: The Mizo rebels have so many times attacked the same areas in Cachar. They go to Eastern Pakistan, get training there, get arms and ammunitions from there and attack this area. I would therefore like to know from the hon. Minister whether he would like to seal that area keeping these things in view?

श्री यशवन्तराव चह्वाण: माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है मैं बिल्कुल समझ गया हूं। वह चाहते हैं कि कछार और पाकिस्तान के बीच की सीमा को मुहरबन्द किया जाना चाहिये। परन्तु वर्तमान प्रश्न कछार के कुछ क्षेत्रों में मिजो विद्रोहों द्वारा आक्रमण किये जाने के बारे में है। कछार और मिजो जिले के बीच सीमा को मुहरबन्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता यह बहुत ही दुख की बात है कि उन्होंने मौके का लाभ उठाया जबकि सुरक्षा सेना वहां उपस्थित नहीं थी।

श्री रा० बरुआ (जोरहाट): सरकार द्वारा बार बार यह कहे जाने के बावजूद भी कि मिजो पहाड़ियों में स्थिति पर काबू पा लिया गया है, क्या कारण है कि लालढेंगा और उसके साथी मिजो पहाड़ियों में आ गये हैं और लूट-मार आरम्भ कर दी है। प्रशासन में कहां खराबी है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण: चूंकि ये सब कार्यवाहियां हो रही हैं इसलिये निश्चय ही कुछ खराबियां हैं। मैं मानता हूं कि उन्हें दूर किया जाना चाहिये। लालढेंगा के बारे में मुझे विश्वसनीय जानकारी नहीं मिली है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): भारत सरकार तथा उन क्षेत्रों में राज्य पुलिस द्वारा सभी प्रकार के पूर्वोपाय किये जाने के बावजूद भी मिजो विद्रोहियों की लूटमार की कार्यवाहियों में वृद्धि हो रही है। अतः मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार की पुलिस कमजोर है अथवा उन्हें पाकिस्तान से अधिक सहायता मिल रही है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने पाकिस्तान के साथ इस बारे में लिखा-पढ़ी की है तथा उस सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: पाकिस्तान को लिखा गया था परन्तु उन्होंने इन आरोपों का खण्डन किया है।

श्री लीलाधर कटकी (नौगांव): कछार जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में मिजो विद्रोहियों द्वारा ऐसे आक्रमण किये जाने की सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कछार जिला-मिजो पहाड़ी सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ करने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण: मिजो पहाड़ियों में सारा काम सेना के हाथ में है।

श्री नि० रं० लास्कर (करीमगंज): माननीय मंत्री ने अभी कहा था कि यह घटना सशस्त्र सेना के वहां न होने के कारण हुई थी। मुझे उस क्षेत्र का व्यक्तिगत ज्ञान है। वहां पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। बार बार यह मांग की गई है कि वहां पर कम से कम एक सैनिक चौकी होनी चाहिये। परन्तु अभी तक वह स्थापित नहीं की गई है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण: हर एक क्षेत्र की जिम्मेदारी सेना को नहीं सौंपी जा सकती। ऐसा करना सेना के प्रति अन्याय करना होगा

श्री नि० रं० लास्कर (करीमगंज): वहां पर लगभग 6000 लोग रहते हैं। उन्होंने सैनिक चौकी की मांग की थी।

श्री यशवन्तराव चह्वाण: निस्सन्देह मिजो पहाड़ी क्षेत्र में सैनिक कार्यवाही जारी है। कछार में सेना का होना जरूरी नहीं है।

श्री नि० रं० लास्कर: मिजो पहाड़ियां वहां से आरम्भ होती हैं।

श्री यशवन्तराव चह्वाण: परन्तु प्रश्न यह है कि घटनायें कछार में नहीं होती हैं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : क्या मिजो विद्रोहियों को पाकिस्तान से मिल रही सहायता के बारे में सरकार पूर्णतया अवगत है। क्या यह सही नहीं है कि जब तक कड़ी कार्यवाही नहीं की जायेगी तो खतरा बना ही रहेगा ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं माननीय सदस्य से पूर्णतया सहमत हूं तथा हम यहां पर कड़ी कार्यवाही करते हैं। उस कार्यवाही के परिणामों का कुछ सप्ताहों अथवा कुछ महीनों में पता चल जायेगा।

श्री हेम बरुआ(गोहाटी) : क्या सरकार को इस बात का पता है कि लगभग 3,000 नागा और मिजो विद्रोही, जिन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में प्रशिक्षण पाया है, श्री लालढेंगा समेत आसाम के मिजो पहाड़ी जिले में आ गये हैं। उस संदर्भ में क्या मैं यह जान सकता हूं कि उस क्षेत्र को घेरने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जैसे सभा को मालूम ही है, जब से मिजो पहाड़ियों में विद्रोह हुआ है, यह सारा क्षेत्र सेना को वहां पर कार्यवाही करने के लिये दे दिया गया है। सेना ने महत्वपूर्ण स्थानों का चार्ज ले लिया था और वहां पर सिविल प्रशासन कायम कर दिया था। निस्सन्देह मिजो जिले के देहाती क्षेत्रों में सिविल प्रशासन में कुछ गड़बड़ी हुई है। आसाम सरकार केन्द्रीय सरकार की सहायता से कुछ अधिकारी भेज कर उनको उचित सहायता दे रही है। अब तक यह समस्या पूर्ण रूप से हल नहीं हुई है। हमें वहां के लोगों का विश्वास प्राप्त करना है। वहां पर पुलिस कार्यवाही अथवा सैनिक कार्यवाही की बात नहीं है। वे हमारे अपने व्यक्ति हैं। हमें उनका विश्वास प्राप्त करने के लिये पूरी कार्यवाही करनी है।

श्री हेम बरुआ : माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि उन्होंने इस बात को आसाम सरकार को सौंप दिया है। क्या आसाम के मुख्य मंत्री की गलत नीति का यह परिणाम नहीं है कि मिजो लोगों ने स्वतंत्र राज्य की मांग की है।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा (कचार) : क्या यह सच है कि 2000 से 3000 मिजो सशस्त्र स्वयंसेवक कछार जिले के समीप मामो, कालासिट और भावरी के निकट पुनः इकट्ठे हो गये हैं और यदि हां, तो उनकी कार्यवाहियों को दबाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं ने अभी बतलाया था हम क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : माननीय मंत्री ने अभी कहा था कि पाकिस्तान से लिखा पढ़ी की गई है कि वे मिजो विद्रोहियों को कोई सहायता न दें। क्या सरकार यह समझती है कि उनको प्रशिक्षण देना तथा शस्त्रास्त्र सप्लाई करना ताशकन्द समझौते के विरुद्ध है। यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में रूस सरकार को लिखा है जिसके तत्वाधान में यह करार हुआ था ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं ने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया हुआ है। आरोप लगाये गये थे परन्तु उन्होंने उनको स्वीकार नहीं किया है।

Shri Yashpal Singh (Kairana): May I know whether this Government which resorts to firing on the unarmed demonstrators has been unsuccessful in curbing the activities of Mizo rebels?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : दोनों आरोप निराधार हैं । हम मिजो पहाड़ियों में कड़ी कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने गत कुछ वर्षों में मिजो लोगों का विश्वास प्राप्त करने के लिये क्या किया है तथा स्थिति के दिन प्रति-दिन बिगड़ने के क्या कारण हैं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मिजो पहाड़ियों में दो प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग प्रशासन को अब तक समर्थन दे रहे हैं। वे किसी राजनैतिक कारण से समर्थन नहीं दे रहे हैं बल्कि इस लिये कि उनको सरकार की नीति पसन्द है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया (अडोनी) : क्या मैं माननीय मंत्री का ध्यान आज के "टाइम्स आफ इण्डिया" में छपे श्री छालिया के वक्तव्य की ओर दिला सकता हूं कि पहले दंगों के समय सरकार की तैयारी बिल्कुल नहीं थी ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं पहले ही कह चुका हूं कि कार्यवाही की गई है और उसके अच्छे परिणाम निकले हैं। परन्तु सुधार करने की और गुंजाइश है ।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : कुछ मिजो विद्रोहियों को पाकिस्तान में सैनिक प्रशिक्षण दिया गया था और कहा जाता है कि वे भारतीय सीमा में आ गये हैं। क्या इस विशिष्ट क्षेत्र में विद्रोह के साथ उनका कोई सम्बन्ध है तथा क्या यह सच है कि उन्होंने मिजो सरकार के लिये पूर्वी पाकस्तिान में एक विशिष्ट सरकार बनाई हुई है और वे वहां से कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जो मिजो विद्रोही कछार आते हैं वे समूचे मिजो समूह के लोग होते हैं । उन्हें बाहर से अवश्य सहायता मिल रही है । वे लोग अपने संगठन को चलाने के लिये उस क्षेत्र से बाहर जाकर लूटमार करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : दूसरा प्रश्न यह था कि क्या उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में सरकार बनाई हुई है ।

Shri Kashi Ram Gupta (Dewas): Sir, I want to draw your attention to what has happened yesterday.

Mr. Speaker: You cannot raise a point without giving previous notice.

Shri Kashi Ram Gupta: It will hardly take a minute.

Mr. Speaker: You please sit down. In case you don't listen to me, your speech will not be recorded.

Shri Kashi Ram Gupta: * *.

Mr. Speaker: He could have very easily written to me.

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।
**Not recorded.

सभा पटल पर रखा गया पत्र

PAPER LAID ON THE TABLE

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री का वार्षिक प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : मैं व्यापार और पण्य चिह्न अधिनियम, 1958 की धारा 126 के अन्तर्गत 31 मार्च, 1966 को समाप्त हुए वर्ष के लिये व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी०—7349/66]**

सदस्य की गिरफ्तारी

ARREST OF MEMBER

श्री मनी राम बागड़ी

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचना देनी है कि मुझे नई दिल्ली के सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट से दिनांक 17 नवम्बर, 1966 का यह संदेश प्राप्त हुआ है :—

> "लोक-सभा के सदस्य, श्री मनीराम बागड़ी को दिनांक 15 नवम्बर, 1966 की इस पुलिस रिपोर्ट के आधार पर कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का उल्लंघन कर के पार्लियामेंट स्ट्रीट में जलूस निकालने के लिये उन्होंने विद्यार्थियों को उकसाया था, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/150 के अधीन उन्हें 17 नवम्बर, 1966 को लगभग 6 बजे म० व० गिरफ्तार किया गया तथा नई दिल्ली न्यायालय में मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया। उन्हें 28 नवम्बर, 1966 तक के लिये हवालात में रखा गया और उन्हें इस समय तिहाड़ जल, दिल्ली में रखा गया है क्योंकि मांगी गई प्रतिभूति अर्थात् पचीस पचीस हजार रुपये के दो जामिन और इतनी ही राशि की एक जमानत बांड नहीं दे सके।"

Shri Maurya (Aligarh): I have a point of order. This building as well as the wireless sets have been used in connection with the arrest of Shri Bagri. This is unlawful. It would be better, therefore, if some rules were framed for the same purpose.

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar): May I know whether a Member of Parliament while taking a lift in another Member's car can be arrested? Is it proper to hold a Member, having parliamentary pass with him, by detaining his car?

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : कल जब मैं ने इस इमारत में पुलिस अधिकारियों को देखा तो मैं बहुत हैरान हुआ क्योंकि उनका यहां पर कोई काम नहीं था। मैं तत्काल सिक्योरिटी आफिसर के पास गया तो मुझे बताया गया कि वे यहां पर "सत्यापन" (वैरीफिकेशन) के लिये आये हुये हैं। भगवान जाने "सत्यापन" का क्या अर्थ है। फिर मैं आपको मिलने गया परन्तु आप चले गये हुए थे। मैं ने देखा कि श्री बागड़ी का वे विशेष रूप से पीछा कर रहे थे।

मैं श्री मनी राम बागड़ी की कार में ही बैठ कर उनके साथ गया। परन्तु मुझे यह बिल्कुल मालूम नहीं था कि वह अचानक गिरफ्तार कर लिये जायेंगे।

हमने आज के समाचारपत्रों में भी पढ़ा है कि पुलिस बसों में सफर करने वाले लोगों की परीक्षा लेती रहती है। क्या हम पुलिस राज्य में रह रहे हैं?

इस प्रकार की घटनायें हमारे यहां हो रही हैं। अतः मैं चाहूंगा कि आप इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करें।

श्री अ० क० गोपालन (कासरगोड) : कल श्री नाथपाई और श्री खाडिलकर भी कार में थे। हमें संसद् भवन में आने और अपने घरों में जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। आजकल हमारी ऐसी स्थिति है।

विद्यार्थियों ने प्रदर्शन करने का नोटिस दिया है। प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध है और पूर्वोपाय किये जा रहे हैं। सारे नगर में पुलिस और सेना छाई हुई है। यदि यही स्थिति रही तो चाहे सरकार कुछ भी कहती रहे कि पूर्वोपाय कर लिये गये हैं और कुछ नहीं हो सकता, यदि यही स्थिति रही तो.....

अध्यक्ष महोदय : मैं अन्य बातों को सुनने को तैयार नहीं।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि माननीय संसद्-सदस्यों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना उचित नहीं है।

श्री ज० भ० कृपलानी (अमरोहा) : ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ संसत्सदस्य ऐसे अछूत समझे गये हैं कि जो लोग उनके साथ थे अथवा उनकी कार में जा रहे थे, उन्हें भी तंग किया गया।

श्री त्यागी (देहरादून) : जब सभी सदस्यों की यह राय है कि किसी सदस्य को सभा में इस प्रकार गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिये तो उस समय उनकी अपनी जिम्मेदारी भी आती है। जब मुझे पता है कि मेरे खिलाफ वारंट निकला हुआ है तो मुझे स्वयं अपने आप को गिरफ्तारी के लिये अर्पित कर देना चाहिये।

श्री गो० ना० दीक्षित (इटावा) : सभा के विशेषाधिकार अध्याय बीस में दिये हुये हैं। गिरफ्तारी के प्रश्न के मामले में नियम 232 और 233 हैं। इन दो उपबन्धों के अलावा विशेषाधिकार के बारे में नियमों में कोई दूसरा उपबन्ध नहीं है। इसलिये पुलिस ने जो कुछ भी सभा के परिसर के बाहर किया है उसके बारे में विशेषाधिकार का प्रश्न यहां नहीं उठाया जा सकता।

दूसरे नियम 229 गिरफ्तारी के बारे में अध्यक्ष को सूचना देने के बारे में है। वह सूचना उचित है अथवा नहीं केवल इसके बारे में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है। (**अन्तर्बाधायें**)

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : कल हमने सदस्यों के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के बारे में प्रश्न उठाये थे। हमें गिरफ्तारी के बारे में कोई डर नहीं है क्योंकि हमें पता है कि इस सरकार के अधीन कारावास ही हमारे लिये उचित स्थान है।

कल 12 बजे से लेकर अपराध अन्वेषी विभाग का एक अधिकारी यहां पर आया हुआ था। वह केवल इसी लिये यहां पर घूम रहा था कि जैसे ही श्री बागड़ी संसद् भवन के परिसर से बाहर निकले तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाये। हम ने इस सभा के वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत की और हम उस अधिकारी के पास गये और उसने मान लिया कि वह अपराध-अन्वेषण विभाग का अधिकारी है। फिर 5-30 बजे जब आप उपस्थित नहीं थे तो श्री दीनेन भट्टाचार्य ने यह प्रश्न उठाया था और कहा था कि इन परिसरों के अन्दर ही श्री बागड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं गिरफ्तारी के विरुद्ध नहीं हूं परन्तु जिस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया गया वह उचित नहीं है। हमें सभा की पवित्र मर्यादा की रक्षा करनी चाहिये।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : विद्यार्थियों के प्रस्तावित प्रदर्शन को सम्हालने का काम शिक्षा मंत्रालय की बजाय गृह कार्य मंत्रालय को सौंप दिया गया है। इस के परिणामस्वरूप आप के विनिर्णय का उल्लंघन करके, कि जब तक किसी सदस्य के विरुद्ध आपराधिक आरोप न हों उन्हें संसदीय सत्र की अवधि के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिये, संसद् सदस्यों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अपराध अन्वेषण विभाग के लोग कल यहां पर उपस्थित थे और पुलिस की गाड़ियां भी संसद् के अहाते में थीं। आप संसद् सदस्यों के विशेषाधिकार के रक्षक हैं। इसलिये आपको पुलिस कारों को संसद् भवन के अहाते में आने की अनुमति नहीं देनी चाहिये।

श्री खाडिलकर (खेड) : अध्यक्ष महोदय, मैं ने आपको एक पत्र लिखा है। मैं टैक्सी की प्रतीक्षा कर रहा था, वह नहीं आई। तब श्री नाथपाई आये और उन्होंने मुझे अपनी कार में बिठा लिया। तब श्री बागड़ी निकले और उन्होंने पूछा कि क्या मुझे भी आप ले चलेंगे ? हमने कहा अवश्य ले चलेंगे, तो वह भी कार में बैठ गये। हमें यह नहीं पता था कि उनके खिलाफ वारंट निकले हुए हैं। जब हम गेट से बाहर निकले तो पुलिस की गाड़ियों ने हमारा पीछा करना शुरु कर दिया। मैं तालकटोरा रोड पर उतर गया। इस बीच हम ने श्री बागड़ी से पूछा कि पुलिस के अधिकारी आप के पीछे क्यों थे। तभी पुलिस की गाड़ी ने रास्ता रोक लिया। मैं कार तक न पहुंच सका। श्री नाथपाई तब कार को दौड़ा कर उन्हें वापस ले आये। जब हम ने कहा कि हम उन्हें छिपाना नहीं चाहते उन्हें घर छोड़ना चाहते हैं तो पुलिस को कुछ अच्छा व्यवहार करना चाहिये था। केवल यही निवेदन करना चाहता हूं।

Shri Yashpal Singh (Kairana): I may also please be allowed to speak.

Shri Raghunath Singh (Varanasi): I would like to place few facts before the House. Shri Bagri was not arrested within the precincts of the Parliament House. Shri Bagri went out in Shri Nath Pai's car from the Parliament Street gate and they were chased by the police. Shri Bagri left his bundle on the gate No. 1. I told the watch and ward man to keep a watch on this bundle.

After five minutes Shri Nath Pai came back from the Vijay Chowk gate and Shri Bagri came out of his car near gate No. 1. So I would say that he was neither checked nor arrested within the precincts of Parliament House.

(*Interruptions*).

Shri Sheo Narain (Bansi): Twice my name has been mentioned. I may kindly be given an opportunity to clear the position.

Mr. Speaker: No harm has done, if your name has been taken.

श्री प्रिय गुप्त (Katihar): मैं आरम्भ से ही खड़ा हूं ।

Shri Parkash Vir Shastri (Bijnor): There must be some rule.

श्री प्रिय गुप्त : I am standing time and again but I am not being given an opportunity.

Shri Sheo Narain: There is a rule to allow the Members an opportunity for personal explanation.

अध्यक्ष महोदय : श्री शिव नारायण तथा श्री प्रिय गुप्त कृपा करके बाहर चले जायें ।

(इसके पश्चात् श्री शिव नारायण सभा भवन से बाहर चले गये ।)

(Shri Sheo Narain then left the House.)

श्री प्रिय गुप्त : क्या यह संतुलन बनाये रखने के लिये है ।

(इसके पश्चात श्री प्रिय गुप्त सभा भवन से बाहर चले गये ।)

(Shri Priya Gupta then left the House.)

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ हुआ, उसका ब्यौरा मेरे पास है । मुझे सभा तथा माननीय सदस्यों के अधिकारों की अवश्य ही रक्षा करनी है । सभा की परिसीमाओं के अन्तर्गत कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकती । यदि ऐसा किया जाता है तो पहले मेरी अनुमति ली जायगी । यदि पुलिस सफेद कपड़ों में अथवा किसी कार्य हेतु सभा के भवन में प्रवेश करती है तो उनको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिये जिससे माननीय सदस्य परेशान हों अथवा कार्यपालन में बाधा पड़े । मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि यदि किसी पुलिस अधिकारी को गुप्तचर विभाग के कार्य अथवा किसी अन्य उद्देश्य हेतु पार्लियामेंट हाऊस में आना पड़े तो उसको इस प्रकार व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे कि माननीय सदस्यों को परेशानी हो । माननीय सदस्यों को पार्लियामेंट हाऊस में आने तथा इससे बाहर जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए । मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि इन अधिकारों में हस्तक्षेप न हो । मैं इस मामले की जांच करूंगा कि कोई टैक्सी अथवा पुलिस की गाड़ी माननीय सदस्य की प्रतीक्षा कर रही थी । यदि कोई कार्यवाही करना आवश्यक हुआ तो मैं करूंगा ।

श्री नाथ पाई (राजापुर): मुझे व्यक्तिगत रूप से स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : आप के विरुद्ध कुछ नहीं कहा गया है । यदि माननीय सदस्य सहमत हों तो मैं गृह-कार्य मंत्री को यह सुझाव दूंगा कि यदि पुलिस किसी सदस्य को गिरफ्तार करना चाहे तो वह मुझे सूचित करे और मै माननीय सदस्य को इस बारे में सूचित कर दूंगा । यदि माननीय सदस्य को सूचना दी जाती है तो माननीय सदस्य को स्वयं को पुलिस के सुपुर्द कर देना चाहिये ।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATE COMMITTEE

कार्यवाही-सारांश आदि

श्री अ० चं० गुह (बारसाट) : मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) शिक्षा मंत्रालय—वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद्—राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला — के बारे में प्राक्कलन समिति के 103वें प्रतिवेदन सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही-सारांश ।

(2) शिक्षा मंत्रालय—वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान प्रक्कलन समिति इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरी अनुसन्धान संस्था—के बारे में प्राक्कलन समिति के 104वें प्रतिवेदन सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही सारांश ।

(3) प्राक्कलन समिति के 57वें प्रतिवेदन के अध्याय पांच में दर्ज सिफारिशों के उत्तर, जो प्रतिवेदन में शामिल किये जाने के लिए सरकार द्वारा समय पर नहीं भेजे गये थे, दिखाने वाला विवरण ।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

इकसठवां प्रतिवेदन

श्री मोरारका (झुंझनू) : मैं राजस्थान महिला विद्यालय, उदयपुर, को एक महिला होस्टल आदि के निर्माण कार्य के लिए दिये गये अनुदानों के दुरुपयोग के विषय में शिक्षा मंत्रालय के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 1966 के पैरा 147 (ii) पर लोक लेखा समिति का इकसठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सदस्य का निलम्बन

SUSPENSION OF MEMBER

श्री किशन पटनायक ।

Shri Kishen Pattnayak (Sambalpur): You please listen to my suggestion....

Mr. Speaker: I have heard it. I will see. (*Interruptions*).

Shri Kishen Pattnayak: The hon. Defence Minister could not defend the country and.... (*Interruptions*).

Mr. Speaker: You please go out, otherwise I will have to call you by name.

Shri Kishen Pattnayak: Before China and Pakistan....

Mr. Speaker: I name Shri Kishen Pattnayak. (*Interruptions*).

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि श्री किशन पटनायक संसद् सदस्य को, जिनको अध्यक्ष ने नाम लेकर पुकारा है दस दिन के लिये सभा की सेवा से निलम्बित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"श्री किशन पटनायक संसद् सदस्य को--जिनको अध्यक्ष ने नाम लेकर पुकारा है दस दिन के लिये सभा की सेवा से निलम्बित किया जाये।"

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हाऊस आफ कामन्स में किसी सदस्य को निलम्बित करने की कार्यवाही को अर्द्ध-न्यायिक कार्यवाही समझा जाता है। हमने यह नियम वहीं से ही लिया है। इसलिये उचित प्रक्रिया यह है कि जिस सदस्य को निलम्बित करना हो उसको पहले आप द्वारा नेम किया जाये, दूसरे उस पर वाद-विवाद हो चाहे वह वाद-विवाद थोड़े समय के लिये ही क्यों न हो परन्तु वाद-विवाद होना आवश्यक है जिससे कि सभी पहलुओं पर विचार किया जा सके। तब सम्बन्धित सदस्य को अपने बचाव के लिये अवसर दिया जाना चाहिये। परन्तु यहां ऐसा नहीं किया जाता और सदस्यों को मामूली बहाने पर निलम्बित कर दिया जाता है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न पहले ही उठाया जा चुका है।

नियम 374(2) में यह दिया हुआ है कि यदि किसी सदस्य को अध्यक्ष द्वारा नेम किया जाता है तो प्रस्ताव किये जाने पर अध्यक्ष उस सदस्य के निलम्बन के लिये सभा के समक्ष प्रश्न रख सकता है। इसलिये किसी वाद-विवाद तथा संशोधन की अनुमति नहीं दी जाती।

श्री स० मो० बनर्जी: श्री आयंगर के समय में केवल एक सदस्य श्री अर्जुन सिंह भदोरिया के निलम्बन का ही मामला हुआ था। वह भी इसलिये कि उन्होंने इस सीमा तक अध्यक्ष के आदेशों का पालन नहीं किया जिसे विरोधी दलों ने भी पसंद नहीं किया था। उस मामले में भी प्रक्रिया का ठीक ढंग से अनुसरण किया गया था। श्री किशनपटनायक विश्वविद्यालय कैम्प के बारे में कुछ कहना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि वह एक सेना कैम्प बन कर रह गया है.... (**अन्तर्बाधाएं**) ये माननीय सदस्य नहीं कह रहे हैं परन्तु किसी में भी विश्वविद्यालय कैम्पस में जाने की हिम्मत नहीं है। मैं आपसे केवल निवेदन करना चाहता हूं कि आप न्याय तथा निष्पक्षता से काम लें। यह अन्तिम सत्र है इसलिये मेरा सुझाव है कि आप श्री किशन पटनायक को केवल एक दिन के लिये ही निलम्बित करें।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य): आज देश में लोगों की आकांक्षाओं को दबाने के लिये सरकार सेना तथा अर्द्ध सैनिक शक्तियों की सहायता ले रही है। वर्तमान स्थिति के संदर्भ में देश तथा संसदीय जीवन के हितों के लिये आपको इस मामले पर विचार करना चाहिए। सदस्यों को सभा की सेवा से निलम्बन करके स्थिति को अधिक गम्भीर नहीं बनाना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि आप कम से कम सरकार से इस मामले पर परामर्श ले लें।

अध्यक्ष महोदय : इस समय मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है । नियम 373 के अन्तर्गत केवल अध्यक्ष ही निर्णय कर सकता है कि गम्भीर अस्तव्यवस्था की स्थिति कौन सी है । यदि अध्यक्ष के कहने पर कोई सदस्य बाहर नहीं जाता तो नियम 374 लागू हो जाता है ।

श्री कपूर सिंह ने हाउस आफ कामन्स का उल्लेख किया है । वहां पर ऐसे मामलों के बारे में कोई वाद-विवाद तथा संशोधन की अनुमति नहीं दी जाती । इसलिये अब प्रश्न यह है :

"कि श्री किशन पटनायक को, संसद् सदस्य जिनका अध्यक्ष ने नाम लेकर पुकारा है, दस दिन के लिये सभा की सेवा से निलम्बित किया जाये ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha devided.

पक्ष में 138 विपक्ष में 29

Ayes 138 Noes 29

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री अ० क० गोपालन (कासदगोड) : हम सब बाहर जा रहे हैं । देश में क्या हो रहा है । लोगों को गोली मारी जा रही है । सरकार की नीति ऐसी है कि . . . . . (**अन्तर्बाधाएं**)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री किशन पटनायक से अनुरोध करूंगा कि वह सभा भवन से बाहर चले जायें ।

श्री अ० क० गोपालन: बाहर लोगों पर गोलियां चलाई जा रही हैं अब संसदीय लोकतन्त्र समाप्त हो चुका है । दूसरे पक्ष संसदीय लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते . . . . . (**अन्तर्बाधाएं**)

(इसके पश्चात श्री किशन पटनायक, श्री अ० क० गोपालन तथा कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये ।)

(Shri Kishen Pattnayak, Shri A. K. Gopalan and some other Members then left the House.)

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिन्हा): सोमवार 21 नवम्बर, 1966 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

(1) आज की कार्यसूची में दर्ज शेष मदों पर, जिन पर चर्चा नहीं हो सकी, आगे विचार ।

(2) मंगलवार, 22 नवम्बर, 1966 को प्रश्नों के निपटाये जाने के पश्चात, संविधान (इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 1966 तथा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1966 पर आगे विचार करना तथा पारित किया जाना ।

(3) निम्नलिखित मदों पर विचार करना तथा पारित किया जाना

गोवा, दमण और दीव (अभिमत संग्रह) विधेयक, 1966

पुलिस बल (अधिकारों को सीमित करना) विधेयक, 1966, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में ।

भारतीय प्रशुल्क (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1966 ।

बीज विधेयक, 1964, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ।

पेटेन्ट विधेयक, 1965, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ।

(4) बुधवार, 23 नवम्बर, 1966 को 4 बजे म०प० पर श्री हरीश्चन्द्र माथुर तथा अन्य सदस्यों द्वारा एक प्रस्ताव पेश किये जाने पर विद्यार्थियों में असंतोष तथा हाल ही के महीनों में हुई गड़बड़ी पर चर्चा ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): I would like to know when you are likely to take up discussion in regard to the happenings of the 7th November. I would also like to know when Government is likely to introduce a Bill to ban cow slaughter?

Shri Parkash Vir Shastri (Bijnor): I would like to know why an opportunity is not being given in this last session to discuss the happenings of the 7th November and also to have discussion on statements made by the hon. Prime Minister and Home Minister particularly when such discussion has already taken place in Rajya Sabha?

Secondly I would request the hon. Minister of Parliamentary Affairs through you to give an opportunity for discussion next week because Jagadguru Shankracharya and Prabhu Dutt Bramchari are starting hunger strike from the 20th.

Shri Yashpal Singh (Kairana): The time for discussion lapsed yesterday due to the lack of quorum. I want to know your ruling in this matter.

श्री हेम बरुआ (गोहाटी): गत सत्र में हमारी सीमाओं पर पाकिस्तान द्वारा सैन्यशक्ति को बढ़ाये जाने के बारे में प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर आंशिक रूप से चर्चा हुई थी । क्या इस सत्र में उस पर चर्चा का अवसर दिया जायेगा अथवा नहीं ।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं चाहता हूं कि सभा में देश की वर्तमान विधि-व्यवस्था पर चर्चा की जाये । माननीय मंत्री इसके लिये कुछ अवसर निकालेंगे ।

श्री सत्यनारायण सिन्हा : देश की विधि-व्यवस्था का प्रश्न विद्यार्थियों की अशान्ति से सम्बन्धित है । और इस बारे में हम अगले सप्ताह चर्चा करने वाले हैं । गोवध पर रोक लगाने के बारे में यदि समय हुआ तो इस सत्र में चर्चा की जायेगी । परन्तु हमारे पास समय की कमी है ।

Time was fixed for the discussion on Vigilance Commission's report but unfortunately there was no quorum. If time permits, I will try to take it. Discussion on border situation will also be resumed if time permitted.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: I have already given a notice for discussion on the firing of 7th November. The matter has already been discussed in the other House.

Shri Satya Narain Sinha: There is no notice as such.

Shri Parkash Vir Shastri (Bijnor): I myself have submitted that notice.

Shri Satya Narain Sinha: Whatever I have said is not wrong. I take into account only those notices which comes through the sub-committee.

Mr. Speaker: I can only admit it but I cannot fix the time for discussion.

Shri Sarjoo Pandey (Rana): Food situation of the country should also be discussed.

विनियोग (रेलवे) संख्या विधेयक
APPROPRIATION (RAILWAYS) NO. 3 BILL

रेलवे मंत्री (श्री स० कु० पाटिल) मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1966-67 की रेलवे की सेवाओं के लिए कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1966-67 की रेलवे की सेवाओं के लिये कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री स० का० पाटिल : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

विनियोग (रेलवे) संख्या 4 विधेयक
APPROPRIATION (RAILWAYS) NO. 4 BILL

रेलवे मंत्री (श्री स० कु० पाटिल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1964 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलवे की कुछ सेवाओं पर उन सेवाओं के लिये, तथा उस वर्ष के लिये दी गई राशियों के अतिरिक्त, व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिये, भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च, 1964 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलवे की कुछ सेवाओं पर उन सेवाओं के लिये तथा उस वर्ष के लिये दी गई राशियों के अतिरिक्त व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिये भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री स० कु० पाटिल : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

अनुपूरक अनुदानों की मांगे केरल 1966-67 अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (केरल) 1962-63 और 1963-64—जारी

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (KERALA), 1966 AND DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (KERALA)—1962-63 AND 1963-64

अध्यक्ष महोदय : अब सभा केरल के बारे में अनुपूरक अनुदानों की मांगों तथा अतिरिक्त अनुदानों की मांगों के बारे में अग्रतर चर्चा करेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): Keeping in view the needs and present situation of Kerala, more funds should be allotted for the State. It is evident that Kerala is passing through a hard time. A large number of herbs are available there which could be used for producing medicines.

There is sufficient scope for the development of fish industry. If that industry is developed properly food and unemployment problems of that State would be solved.

Kerala is the largest betel-nut producing area in the country. Government should find out ways and means to make use of its shells. At present the shells are not put to any use.

Government should also assist the farmers in producing rice. Good quality of seeds and instruments should be supplied to them.

Proper attention should also be given for laying railway lines in that area. I hope the Government will take into accounts of all these factories and will give them maximum help.

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri L. N. Mishra): There is a proposal to establish a Fishery Corporation with foreign collaboration in Kerala. We actually desire to promote this industry and we also want to promote export of fish. So far as education is concerned, many colleges have been opened there.

उपाध्यक्ष महोदय : इस बारे में कुछ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये, मैं उन्हें मतदान के लिये रखता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The cut motions were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1966–67 के केरल आय-व्यय के सम्बन्धक में अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई ।

THE FOLLOWING DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS IN RESPECT OF BUDGET (KERALA) FOR 1966-67 WERE PUT AND ADOPTED

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
XXX	हरिजन कल्याण	9,00,000
XL	विविध	6,8 2,400
XLV	औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय .	1 5,8 5,500
L	परिवहन योजनाओं पर पूंजी परिव्यय . . .	1,08,500
LV	सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम धन	41,00,000
XVI	विश्वविद्यालय शिक्षा . .	300
XVII	सामान्य शिक्षा . . .	30,000
XIX	चिकित्सा	1,00,000
XXV	पशुपालन . .	100
XXVI	सहकारिता . .	8 0,000
XXVII	उद्योग	10,000
XXXII	सिंचाई	100
XLIII	लोक स्वास्थ्य पूंजी पर परिव्यय . . .	100
XLV	औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय .	48,11,600
XLVI	सिंचाई और पूंजी परिव्यय	30,00,000
XLVII	लोक-निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय . .	300
LV	सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम . .	9,77,000

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1962–63 और 1963–64 के केरल आय-व्ययक के सम्बन्ध में अतिरिक्त अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुईं ।

THE FOLLOWING DEMANDS FOR EXCESS GRANTS IN RESPECT OF BUDGET (KERALA) 1962-63 AND 1963-64 WERE PUT AND ADOPTED

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
	कृषि आयकर और बिक्रीकर . . .	68,421
XII	जेलें	1,39,707
XXI	लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी . .	35,05,960
XXXII	सिंचाई .	5,64,780
XXXIII	लोक निर्माण कार्य .	8,53,463
XXXV	परिवहन योजनाएं	1,27,768
XXXVII	पेंशनें	5,98,119
XLV	सिंचाई पर पूंजी परिव्यय	67,73,571
LI	पेंशनों का राशिकृत मूल्य	76,183

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1963–64 के बजट (केरल) सम्बन्धी अतिरिक्त अनुदानों की निम्नलिखित मांगें रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं ।

THE FOLLOWING DEMANDS FOR EXCESS GRANTS IN RESPECT OF BUDGET (KERALA) 1962-63 WERE PUT AND ADOPTED.

I	कृषि आयकर और बिक्री कर	1,03,865
X	जिला प्रशासन और विविध	39,835
XII	जेलें .	1,36,409
XXI	लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी .	28,75,164
XXII	कृषि	2,01,844
XXV	पशुपालन . .	1,00,502
XXXVII	पेंशनें	31,23,600
XLIII	लोक स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय . .	19,60,020
XLVI	सिंचाई पर पूंजी परिव्यय	1,07,59,677

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1966-67

तथा

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1963-64

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (GENERAL), 1966-67

AND

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (GENERAL), 1963-64

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा वर्ष 1966–67 के बजट (सामान्य) सम्बन्धी अनुपूरक अनुदानों की मांगों और वर्ष 1963–64 के बजट (सामान्य) सम्बन्धी अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान करेगी।

Shri Sidheshwar Prasad (Nalanda): I fully support the Demands for Supplementary Grants brought forward by the Government before the House.

I think Government's attention will be drawn to the law and order situation created in India. In view of the cases of removal of fish plates of railways and other incidents of the destruction of Government property, it appears we will not be able to do any constructive work in the country. This is a matter which merits serious consideration not only of the Congress Party but of opposition parties too.

When we were waging our war of independence we had hoped that after independence an atmosphere will be created in the country when we will be able to solve the problems of poverty, ignorance, backwardness and other defects facing the country. But after independence we engrossed much in petty problems that we forget our those high aims.

We will come to make greater efforts for the preservation of independence than the one which we made for the achievement of it.

We are not doing anything to solve the educational problem of students *e.g.* their lowering standards in education or the problem of their text-books. But we invite them to achieve our political ends. This is not proper. It is true 'hat Gandhiji started non-cooperation movement even with the educational institutions of the British. If we are inspired by a similar high aim then it would be a different matter. But the breaking of telephone lines and creating conditions to disturb peace, will be an obstacle in our aim.

The incidents in Delhi of 7th November in the name of ban on cow slaughter were such that the lives of people were put in jeopardy, who was responsible for it and other matters connected with that will soon come before the country. But to sacrifice man to prevent the slaughter of animal is a thing which is incomprehensible. We should ponder over it seriously.

So many of us know that there is drought in Bihar and U.P. At such a time will it be necessary to save people or to save cow? We should not deviate the people's attention from the important problem facing the country.

The problem of cow protection is brought before the country only when there is election round the corner but it recedes into the background when the elections are over. I have talked many leaders who are agitating for cow protection as to whether they are prepared to look after the cows affected by the drought in Bihar and U.P. They are not. After all what they want? If there is an atmosphere which is adverse for democracy, no Government will

be able to function. If the country goes down, we will be responsible for it. Therefore I would request the opposition members not to resort to extremism. We should not forget the basic principles of the nation and should not do anything to incite people. Our national life will be in danger. Certain countries are wating for such a situation when they may finish our independence. I hope that opposition will fully cooperate and will create an atmosphere of peace and justice in the country.

श्री कृष्णपाल सिंह (जलेसर) : मैं सभा के सामने एक बहुत महत्वपूर्ण मामला लाना चाहता हूं और वह यह है कि पुलिस को निहत्थे व्यक्तियों पर गोली चला कर नहीं मारना चाहिये । गोली चलाने पर पूरी तरह नियंत्रण करना चाहिये ।

पहले तो यह होता था कि कमांडर स्वयं अपने सिपाहियों से कहता था कि आप गोली चलाओ तथा थोड़ी सी गोली चला कर भीड़ तितर बितर हो जाती थी । हां लूट मार के मामले इस से भिन्न थे । उस में कड़ी कार्यवाही की जाती थी । परन्तु केरल, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश तथा दिल्ली में भी संसद् भवन के सामने आवश्यकता से अधिक गोली चलाई गई है । इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है । पुलिस को निहत्थे लोगों पर गोली चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये ।

अनाज के देने के बारे में भी हमारी स्थिति बहुत खराब है । जब तक हम खेती के मामले में इतना धन देने की व्यवस्था नहीं करेंगे जितनी उद्योग के लिये करते हैं, हम अधिक अन्न उत्पन्न नहीं कर सकेंगे ।

गांवों को बिजली देने के बारे में एक बुरी प्रथा पड़ी हुई है कि यदि किसी गांव में बिजली देने की सरकार द्वारा मंजूर की गई राशि कम है तो वह गांव वालों से धन एकत्रित करते हैं । इस नियम को बदलना चाहिये ।

अभी मैं अपने निर्वाचित क्षेत्र के एक गांव में गया जिसमें आधे को बिजली दी हुई थी और आधे को नहीं क्योंकि वह उसके लिये गांव पंचायत से धन लेना चाहते थे जोकि उसके पास नहीं था । सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय को इस पर विचार करना चाहिय ।

एक और शिकायत यह है कि कुओं से बिजली से पानी लेने के कनेक्शन तो मंजूर कर दिये जाते हैं । परन्तु बिजली बहुत दिन तक नहीं दी जाती और कहा जाता है कि अनुमान तैयार किये जा रहे हैं। मेरे अपने फार्म के निकट ही एक व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है ।

मुझे आशा है कि इन शिकायतों पर ध्यान दिया जायेगा और उन्हें दूर किया जायेगा ।

श्री लीलाधर कटकी (नवगांव) : मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं । हमें देश में शान्ति बनाए रखने की आवश्यकता है ताकि हमारी सामरिक तैयारियां ठीक चलती रहें क्योंकि हमारे एक ओर चीन है और दूसरी ओर पाकिस्तान । यह शान्ति इसलिये भी आवश्यक है कि ताकि हम आर्थिक निर्माण कर स तथा देश में अन्न के बारे में कें जो समस्यायें हैं वे दूर की जा सकें ।

[श्री नीलाधर कटकी]

मैं लोगों की वास्तविक शिकायतों से परिचित हूं । मैं उनकी बेसबरी को भी समझ सकता हूं । परन्तु आन्दोलनों से वह समस्या हल नहीं होती । साथ ही मैं सरकार से भी प्रार्थना करूंगा कि लोगों की वास्तविक कठिनाइयों को जल्दी से हल किया जाये ।

मेरा अगला प्रश्न चौथी योजना के बारे में है । मैंने एक बार पहले भी कहा था कि चौथी योजना के बनाने से पहले हमें दो वर्ष तक योजना के कार्य को रोक देना चाहिये ताकि चौथी योजना अधिक व्यवहारिक हो । इस समय हमें यह भी पता नहीं कि विदेशी सहायता मिलेगी । अच्छा होता यदि हमारी चौथी योजना कुछ उस से छोटी होती जितनी मसौदे में दी हुई है । यदि अधिक राशि उपलब्ध हो गई तो हम उसे बढ़ा भी सकेंगे ? इस दो वर्ष की अवधि में हम कृषि पर अधिक जोर दे सकेंगे । उसके पश्चात् सिंचाई का मामला भी बहुत महत्वपूर्ण है । यह सिंचाई बिहार तथा उत्तर प्रदेश में वर्तमान सूखा संकट को देखते हुए और भी महत्वपूर्ण हो गयी । साथ ही फिर लोग एक से अधिक फसल उगा सकेंगे । इसके अतिरिक्त यदि परिवार नियोजन को भी अमल में लाया गया तो भारत बहुत वर्षों तक दूसरों पर निर्भर हुए बिना अपना गुजारा चलाता रहेगा मेरे विचार में यही एक तरीका है जिस से वर्तमान स्थिति से निकल सकते हैं ।

Shri U. M. Trivedi (Mandsaur): While speaking on the Demands for Supplementary Grants I cannot help expressing my views on what happened on the 7th November at Delhi. This was unique. The yellow press has dubbed that Jan Sangh was responsible for that. They could not dare say that many Congressmen also took part in that and it belonged to all parties. It is unfortunate that Government is not furnishing facts about the number of people killed. The bodies of killed were not handed over to their relatives and they were not permitted to perform last rites of their relatives. I have received a letter from the mother of one Jhoomar Lal Asoka saying that his brother belonged to Jan Sangh and was shot dead near the statue of Sardar Patel when he was hiding there. His son on getting news of his father's injuries went to Willingdon Hospital and found his father's dead body along with dead bodies of 16 other persons. The doctor told him to collect the dead body next morning but when he reached there next day he found the dead body missing. He enquired about it from the nurse but she expressed ignorance about it and further told that no person of that name had died in the hospital.

Now I want to ask why that body was not handed over? Does Government want to conceal the number of persons killed? Does it not come in the category of crime? When your people die you take out processions and perform last rites with great pomp and show.

You have arrested Shri Balraj Madhok in the same manner at 2 A.M. in night as the Britishers used to arrest Gandhiji. You know what offence is committed when you arrest a person under sections 107 and 151. Today the Chief Justice has said that this is the wrong way to arrest people. Warrants should be issued before a person can be arrested. The Chief Justice has deprecated the conduct of magistrates also that they have agreed to dance attendance to the dictates of the administration. Perhaps you have learnt only this thing from the Britishers. Then you cry to keep peace. For peace both sides should cooperate. I therefore want a judicial inquiry into all these matters. Then you will know whether those who want to kill Kamraj were Congressmen themselves or others. Why did you not keep people in control when they began looting at 11 A.M. Are you prepared to reply to all these

charges? Do you or not feel ashamed on these happenings? You have started a rule of terror. Why was Dr. Ram Manohar Lohia arrested? Was he going to commit theft? On the one hand you claim to establish peace and democracy and on the other you are making all efforts to arrest people. These are the indications of a man who is on the point of death.

About the Demands for Supplementary Grants I have to say only this that your decision to make Chandigarh a Union territory is wrong. On the one hand you say that there should be lesser expenditure on administration and on the other you are spending money and increasing the strength of officers.

The Government should not go on the wrong path by being prejudiced to a particular party or on the basis of wrong preconceived notions. If they do so, we are prepared to cooperate with them. There should be rule of ballot and not rule of bullet.

श्री पें० वेंकटासुब्बया (अडोनी) : मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं परन्तु साथ ही साथ मैं अपने कुछ विचार भी व्यक्त करना चाहूंगा। ये मांगें अनाज खरीदने के लिये प्रस्तुत की गई हैं। इस से पता चलता है कि हमारी अनाज की स्थिति कितनी व्यापक तथा गम्भीर है। अतः हमें यह देखना चाहिये कि ऐसी स्थिति होने के क्या कारण हैं। इस स्थिति का कारण यह है कि योजना बनाने वालों ने कृषि उत्पादन के प्रश्न पर पूरा ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने हमारी योजनायें ठीक दिशा में भी आयोजित नहीं की हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि स्वतंत्रता के 17 वर्ष बाद भी अनाज के लिये हमें अन्य देशों पर निर्भर करना पड़ रहा है। खाद्य विभाग द्वारा प्रसारित की गई पुस्तक के अनुसार हमने इस वर्ष जनवरी से अक्तूबर तक 94 लाख टन अनाज का आयात किया है। ऐसा अनुमान है कि चालू वर्ष में कुल आयात 1 करोड़ 20 लाख टन हो जायेगा जब कि 1965 में 75 लाख टन आयात किया था।

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये बहुत से लोग, जिनमें कृषि विशेषज्ञ तथा संसत्सदस्य भी थे, अच्छी और गतिशील नीति बनाने के लिये जोर देते रहे हैं। हमारे पास फसलें पैदा करने के लिये जल संसाधनों तथा भूमि की कमी नहीं रही है। हमारे पास प्राकृतिक संसाधन बहुत हैं। परन्तु फिर भी अनाज के मामले में हम आत्म-निर्भर नहीं हुए हैं। इस का कारण यह था कि हमने बहुत से सिंचाई कार्यक्रमों को अस्तव्यस्त ढंग से क्रियान्वित किया। नागार्जुन सागर परियोजना का उदाहरण ही ले लीजिये। राज्य सरकार इस परियोजना को पूरा करने का प्रयत्न कर रही थी परन्तु धन के अभाव के कारण न कर सकी। केन्द्रीय सरकार अनाज के आयात पर तो करोड़ों रुपये खर्च कर रही है परंतु राज्य सरकार को इस परियोजना को पूरा करने के लिये वह उसकी सहायता को नहीं आई। इस परियोजना के लिये ढील ढाल से सहायता देने की बजाय सरकार को योजना के पहले या दूसरे वर्ष में पूरी राशि दे देनी चाहिये ताकि परियोजना को पूरा किया जा सके। यदि सरकार ने जुलाई के अन्त तक पर्याप्त धन दे दिया होता तो छः लाख एकड़ पर सिंचाई हो गई होती।

यह बात मेरी समझ में नहीं आई है कि हाल के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में चालू वर्ष में 1 करोड़ 20 लाख टन अनाज समाहार करने का कैसे अनुमान लगा लिया गया था। परन्तु गत वर्ष विभिन्न राज्य सरकारों के सर्वोत्तम कार्यवाही के बावजूद भी 35 लाख टन का ही समाहार हो सका। ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्री महोदय संकर किस्म की फसलों के समाहार पर अपनी आशायें बांध रहे हैं। परन्तु मुझे इस पर भी सन्देह है। यदि हम अनाज के मामले में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें सारी शक्ति कृषि पर लगानी होगी।

हमें आज एक खेदजनक बात का पता लगा है कि राष्ट्रपति जानसन भारत को आवश्यक सहायता देने के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार नहीं कर रहे हैं। यदि हमने सदा विदेशों की दया पर निर्भर करना है तो हम कभी आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। इसलिये हमें एक राष्ट्रीय खाद्य नीति बनानी चाहिये। इस समस्या को अच्छी तरह से सुलझाया जाना चाहिये। भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न विभागों में सुधार किया जाना चाहिये। जब तक हम अपना ध्यान केवल कृषि के उत्पादन पर ही संकेन्द्रित नहीं करते तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है।

Shri Sarjoo Pandey (Rasra): The hon. Member, Shri P. Venkatasubbaiah has just now told us how the food policy of our Government has miserably failed. The situation in Eastern U.P. and Bihar is very serious. Rice is being sold there at Rs. 2 per killo and the price of wheat also is not less than a rupee per killo. Instead of taking any steps to step up production of foodgrain in the country, our Government has been depending on their imports from abroad. In case irrigational facilities are provided to the farmers they can step up production in the country and in that case we will not have to depend on foreign aid. Under such circumstances Government has no moral rise to ask for supplementary demands, because they are responsible for the creation of starvation conditions.

My second point is regarding Family Planning. The Family Planning Scheme is totally useless. This scheme is not benefiting the country at all. The whole amount being spent on this scheme is going waste. It would have been better had that amount been spent for some more useful work.

I would now like to say something regarding the Home Ministry. It is quite evident that the Home Ministry has totally been a failure in its duties because there is no law and order in the country. Police Department is the most corrupt Department. The C.I.D. Department is also a bogus one. These persons do nothing but note down the speeches of the Members of the Opposition. They do not bother their heads to find out the corrupt persons in the country. They do not serve the public. They have become totally corrupt. Hence I am not in favour of this thing that anything be given to this Department.

There has been an overall demand for electricity and pumping sets. But I am sorry to say that this pressing demand of the people is not being met. This is what our Irrigation and Power Minister is doing. The Planning Commission has been set up just to absorb their kith and kins. To say that the condition in U.P. will improve a lot as a result of recent rainfall there is not correct. We find that Government gives misleading figures. That is not a good thing. Our food situation is very serious even now. Our Food Minister who is responsible for it should be removed from the Council of Ministers. He had tendered resignation on the question of Hindi but he is not resigning because the food situation is so acute in the country.

श्री मुथिया (तिरुनेलवेली) : आज दूसरे देशों से आयात करना इसलिये आवश्यक हो गया है क्योंकि देश के बहुत से भागों में सूखा पड़ गया है। उर्वरकों का आयात किया जाना भी जरूरी है क्योंकि देश में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये उनकी सप्लाई पर्याप्त नहीं है।

अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सुरक्षा सम्बन्धी उपाय सुदृढ़ किये जाने चाहियें क्योंकि वे सामरिक महत्व के स्थान हैं और भविष्य में वहां कुछ भी हो सकता है। इसलिये सरकार को सतर्क तथा सावधान रहना चाहिये ताकि उस भूमि की रक्षा की जा सके। वहां की जनसंख्या में भी वृद्धि की जानी चाहिये। अत: मेरा सुझाव है कि बर्मा से आये भारतीयों को बड़ी संख्या में वहां पर बसाया जाये।

मद्रास राज्य की बिजली सम्बन्धी आवश्यकतायें पूर्ण रूप से पूरी नहीं की गई हैं। मानसून वर्षा न होने के कारण जल परियोजनायें प्राय: असफल रहती हैं। वहां ताप बिजली कम पैदा हो रही है। अत: मेरा सुझाव है कि तूतीकोरिन ताप बिजलीघर को यथासम्भव शीघ्र स्थापित किया जाये। मद्रास राज्य के लिये कलपकम परमाणु बिजली घर बहुत आवश्यक है। उसे तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित करने का विचार था परन्तु अब तक स्थापित नहीं किया गया है। इसे अब शीघ्र ही स्थापित कर देना चाहिये। इस परियोजना को फ्रांस का सहयोग मिलने वाला था परन्तु हमें पता नहीं अब क्या स्थिति है। तथापि, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे विदेशी सहयोग अवश्य मिल जाना चाहिये।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): I am very sorry to note that the Minister concerned is not present in the House. There are three cases relating to his Ministry which I am going to refer. Those cases show that corruption is deep rooted in his Ministry. I, therefore, reject all these demands.

The first case which I would like to quote is regarding Zanjibar. At the time of national revolution in that country, our High Commissioner there told the Indian citizens who were living there in great difficulties that they were at liberty to send their assets to India and no import licence would be required for that purpose. A condition was put by Zanjibar Government that gold and currency could not be taken out of that country, but other articles could be taken out of that country. I know a man who decided to sell his entire property and buy cloves from that money and bring them to India. The High Commissioner himself wrote a letter in which he had stated that no import licence was necessary for the goods brought upto 31st December, 1964. The said person brought his goods in two instalments and the first instalment was brought before 31st December, 1964 and as such no import licence was necessary for that. But the second instalment was received a few days later than the said date. Though his first instalment was received before date his goods have also not been released by the authorities so far. He is now being told that his first instalment would be released only if he sells the goods of his second instalment to the State Trading Corporation. I fail to understand as to under what law this condition can be imposed. If the Custom authorities are of the view that the second instalment was illegal, then the first instalment should be released and the second instalment should be confiscated and auctioned as required under the general procedure. This is illegal to put the condition that the first instalment would be released only if the second instalment is sold to State Trading Corporation. The goods in question are not being released, because the authorities want that the second instalment should be sold to S.T.C. so that S.T.C. may earn profit by selling them to other traders and the other traders may earn profits by their further sale.

{ श्री सोनावने पीठासीन हुए
Shri Sonavane in the Chair. }

There is another case which relates to the import of sulphur. The Commerce Minister had made a statement that the right to import sulphur would rest with the State Trading Corporation alone. No private trader has been allowed to import sulphur. The result was that the State Trading Corporation made an agreement with a U.S. firm, which neither had any capital nor any standing in U.S. market. Moreover the said firm does not deal in sulphur but that firm deals in ladies shoes. The result of this agreement has been that we are not getting any sulphur and our fertilizer industry is suffering. I fail to understand the reasons for awarding the contract of sulphur to that firm. I want that a thorough enquiry should be made in this matter.

There is another matter which has been raised by me several times and that matter relates to M|s Madhu Sudan Govardhan Das Co. The Government had become so shameless that though my allegations were supported by documents, no reply has been given to my allegations. I demand that a judicial enquiry should be made in this whole affair. I demand that the Commerce Minister should resign on this account.

There is another case in which the Director of the Enforcement Directorate Shri Venkataraman told the Finance Minister, Shri Sachindra Chaudhuri, that he has got an information that Mr. and Mrs. Mundhra have evaded income tax and he requested the Minister that he should be allowed to raid their houses. The Minister then told the Enforcement Director that Mrs. Mundhra is known to him since long and she is a pious lady. He directed that no search should be made. Later when a new director was made incharge of that department, he arranged a raid and seized some documents which proved the allegations made by the former Director. I want to say that the Minister has shown undue favour to Mr. and Mrs. Mundhra in this case. Shri Venkataraman had not been granted an extension, because he arranged raids on Dignaw and wanted to make raids on the houses of Mr. and Mrs. Mundhra, while on the other land Shri Jamuna Prasad Sing, the Chairman of the Board of Direct Taxes, who is a corrupt man has been granted extension.

गृह कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या एक सदस्य के लिये आरोप लगाना.....

श्री स० मो० बनर्जी : किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यदि माननीय सदस्य को नियम ज्ञात नहीं हैं, तो मैं नियम भी बताऊंगा। नियमों में यह स्पष्ट रूप से लिखित है कि किसी ऐसे व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाये जा सकते, जो सभा में उपस्थित नहीं हो तथा यदि वह सभा में उपस्थित भी हो तो भी किसी निश्चित प्रक्रिया के अन्तर्गत ही आरोप लगाये जा सकते हैं। इस प्रकार बिना पूर्व सूचना दिये आरोप लगाना बिलकुल अनुचित है तथा इसे सभा की कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाना चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष श्री जमुना प्रसाद सिंह का मामला इस सभा में कई बार उठाया जा चुका है तथा कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि वह बहुत भ्रष्ट व्यक्ति है। चूंकि यह मामला कई बार उठाया जा चुका है और इसका विरोध नहीं किया गया है, इसलिये मैं समझता हूं कि श्री मधु लिमये ने यह मामला उठाकर कोई अनुचित कार्यवाही नहीं की है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर क्या विनिर्णय किया गया है। मैंने नियम 353 का हवाला दिया था।

सभापति महोदय : श्री विद्याचरण शुक्ल ने नियम 353 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। नियम 353 में लिखा है :

> "किसी सदस्य द्वारा व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधरोपक स्वरूप आरोप नहीं लगाया जायेगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा सम्बन्धित मंत्री को भी पूर्व सूचना न दे दी हो जिस से कि मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिये विषय की जांच कर सकें।
>
> परन्तु अध्यक्ष किसी भी समय किसी सदस्य को ऐसा आरोप लगाने से प्रतिषिद्ध कर सकेगा यदि उस की राय हो कि ऐसा आरोप सभा की गरिमा के विरुद्ध है या ऐसा आरोप लगाने से कोई लोक हित सिद्ध नहीं होता" (**अन्तर्बाधा**)

सदस्य के लिये कोई आरोप लगाने से पहले पूर्व सूचना देना आवश्यक है। माननीय सदस्य इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई आरोप न लगाया जाय।

श्री विद्याचरण शुक्ल : उन्होंने जो कुछ कहा है उसे वापस लिया जाना चाहिये। उन्होंने एक निश्चित नियम का उल्लंघन किया है तथा इसे सभा की कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाना चाहिये।

Shri Madhu Limaye: This matter has already been referred here. Shri Sachindra Chaudhuri has interfered in the work of the Director of Enforcement not only once, but he has done so far two or three time. Therefore, I demand his resignation.

Lastly I would like to refer to the case of Mohit Chowdhury and Sunil Dass. I am placing a letter—a document received from an accused Tara Bai Chakravarti, in that case on the Table, I am not referring to anything new.

श्री विद्याचरण शुक्ल : इसे सभा पटल पर नहीं रखा जा सकता।

सभापति महोदय : जो व्यक्ति यहां उपस्थित नहीं है, आप उसके विरुद्ध आरोप न लगायें। आप अपना भाषण समाप्त कीजिये।

Shri Madhu Limaya: I have not referred the case.

श्री विद्याचरण शुक्ल : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह सारा मामला न्यायालय के विचाराधीन है। क्या ऐसे मामलों का इस सभा में उल्लेख किया जा सकता है। जो एक न्यायालय के विचाराधीन हो ?

सभापति महोदय : जी नहीं। इस मामले की ओर अध्यक्षपीठ का ध्यान दिलाया जा चुका है, इसलिये इस का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिये।

Shri Madhu Limaye: This matter may be *sub judice* but the names of Shri Mohit Chowdhury, Sunil Das and Tara Bai Chakravarti are not *sub judice.* I am quoting only those sentences which concern Mohit Chowdhury and which would be helpful for other purposes.

"Mr. Mohit Chowdhury has informed me that you can help us a lot if you are so inclined....."

"We are interested in fertilizer distributorship for which we have been trying in vain for the last so many years. I hope considering all circumstances stated above. You will sympathetically treat our matter."

I fail to understood as to how they were given distributorship afterwords. There is another better written to the General Secretary of the Congress:

"I also understand that this undesirable person had even obtained an industrial licence during his period from the Government of India for the manufacture of iron chain used by shipping concerns".

I have also forwarded a copy of the letter of Sunil Dass written to Shri P. C. Sen in which he has threatened to make public all secrets, in case he is not helped. I wish all these things may come to light, so that public may know all these things and all corrupt matters connected with the Railway Minister, Shri Patil.

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : अनुपूरक अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में वाद-विवाद में भाग लेते समय मैं पुनः सरकार का ध्यान प्रशासन में मितव्ययता करने की आवश्यकता की ओर दिलाना चाहता हूं। यदि सरकार ने स्थिति को ठीक से समझा होता और उसको वास्तविक रूप में आंका होता और इस आवश्यकता को ओर अपना पूरा ध्यान दिया होता तो आज उसे अनुपूरक अनुदानों की आवश्यकता नहीं होती ।

मितव्ययता की आवश्यकता तो हर समय तथा हर स्थिति में होती है, परन्तु इस समय जबकि अवमूल्यन के कारण देश में गम्भीर आर्थिक संकट है तथा देश में और विशेष रूप से बिहार तथा उत्तर प्रदेश के बड़े भागों में विनाशकारी सूखे का सामना करना पड़ रहा है मितव्ययता की परम आवश्यकता है । मेरा विचार है कि हर स्तर पर और विशेष रूप से उच्च स्तरों पर मितव्ययता की भावना और दृष्टिकोण का होना जरूरी है । मुझे देश के एक नागरिक का पत्र प्राप्त हुआ है, जिस में दर्शाया गया है कि संकट के समय विदेशी सरकार की कितनी मितव्ययता से काम चलाती थी। उस पत्र में कहा गया है कि उस समय वायसराय के परिषद् के सदस्यों के कार्यालयों तथा निवास-स्थानों पर भी सोफे नहीं दिए हुए थे। पेट्रोल के राशन के कारण विदेशी सचिव को भी साईकल चलानी पड़ी थी। परन्तु मुझे खेद है कि अब उतनी मितव्ययता नहीं बरती जाती। और सरकार के वे अधिकारी जो उस समय अराजपत्रित कर्मचारी थे और जो आज कल उपसचिव तथा संयुक्त सचिव हैं, जनता के पैसे की परवाह किये बिना विमान यात्रा करते हैं। जनता में यह भावना फैलती जा रही है कि हम साधारण लोगों को तो कम खर्च करने का पाठ पढ़ाते हैं, परन्तु उच्च स्तरों पर मितव्ययता नहीं बरती जाती ।

इस संदर्भ में मैं प्रधान मंत्री का ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि प्रधान मंत्री ने मेरा 15 पृष्ठों का नोट सब मंत्रालयों को भेज दिया है। परन्तु मैं समझता हूं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मंत्री महोदय आरामदायक विदेशी कारों में घूमते हैं अथवा देसी कारों में, बल्कि अन्तर इस बात से पड़ता है कि मितव्ययता को किस भावना से लिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि हमारी भावना में कोई अन्तर नहीं आया है। देश गंभी संकट से गुजर रहा है, तो भी मितव्ययता के लिये कोई ठास कदम नहीं उठाया गया है। अतः मैं पुनः सरकार से अनुरोध

करूंगा कि मितव्ययता के प्रश्न पर गंभीरता से विचार किया जाये, इस के लिये उचित वातावरण तैयार किया जाये तथा प्रशासन चलाने के जिम्मेदार व्यक्तियों की भावना और रवैये में परिवर्तन लाया जाये। वर्ष 1962 में नई भर्ती पर प्रतिबन्ध होते हुए भी केन्द्रीय सचिवालय में दस हजार कर्मचारियों की वृद्धि हुई है। इससे स्पष्ट है कि कहां तक मितव्ययता बरती जा रही है। यह ठीक है कि सरकार ने तीन सचिवों की एक समिति नियुक्त की है जो किफायत के बारे में सुझाव देगी। परन्तु उस से कोई भी संतुष्ट नहीं होगा। इन सचिवों के कार्य करने में गम्भीर बाधा है। समिति को दृढ़ बनाया जाये। उस में दो गैर-सरकारी सदस्य और शामिल किये जाय जो एक नया दृष्टिकोण लायेंगे और निर्णय करने की शक्ति बढ़ायेंगे।

मैं ऐसे सचिवों को जानता हूं जिन्होंने मुझे बताया है कि उनके पास एक घंटे का काम भी नहीं है, फिर भी विशिष्ट सचिव नियुक्त किया जाता है और उसके साथ संयुक्त सचिव, और उप सचिव आदि भी नियुक्त किये जाते हैं, अब समय आ गया है कि कम से कम हम ऐसी स्थितियों के बारे में सचेत हो जायें। इतने कर्मचारी फालतू हैं, फिर भी नये कर्मचारियों की भर्ती बराबर जारी है। 1939 में केन्द्रीय सरकार के सचिवों की संख्या 9 थी, अब 44 है।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान तृतीय योजना की ओर दिलाना चाहता हूं। योजना आयोग चाहता था कि तृतीय योजना में केन्द्रीय क्षेत्र में अतिरिक्त कर लगा कर 1100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाये, परन्तु सरकार ने 2200 करोड़ रुपये की वसूली की जिससे मुद्रा स्फीति पैदा हो गई और सरकार को 210.5 करोड़ रुपये से अधिक महंगाई भत्ता के रूप में देना पड़ा है। आज इस प्रकार की स्थिति है। अनेक बातों में बचत की जा सकती है।

मैं ने प्रधान मंत्री का ध्यान पाण्डिचेरी में कर्मचारियों की संख्या के बारे में दिलाया था। वह एक छोटा सा संघ राज्य क्षेत्र है जो कि एक सब डिवीज़न जितना है। फिर भी, वहां पृथक सरकार जितने कर्मचारी हैं यद्यपि वहां एक सब-डिवीज़नल मजिस्ट्रेट ही पर्याप्त होता। प्रधान मंत्री ने मेरा पत्र गृह-कार्य मंत्री को भेज दिया है। मालूम नहीं, गृह-कार्य मंत्री ने इस सम्बन्ध में क्या किया है।

राज्यपालों पर 12 लाख अथवा 15 लाख रुपये व्यय किये जा रहे हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब ज़ोन प्रणाली की आवश्यकता है ताकि तीन चार राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल हो। इसलिये, प्रशासन में बचत करने के मामले पर गम्भीर रूप से विचार करने की आवश्यकता है।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnore): It was pointed out by Sh. Sidheshwar Prasad that the incidents of 7th November before the Parliament House should not have happened in a demonstration for the sacred purpose of banning cow slaughter. While agreeing with him, I would like to tell him about the ideas of two members of his own party. A member of Rajya Sabha, Shri K. K. Shah has said that ten or twelve persons indulging in sabotage that day seemed to be trained in such matters. Secondly while myself, Seth Govind Das and Dr. Singhvi were returning from outside Parliament House a policeman pointed out to a person in the guise of a sadhu and told that he was a notorious goonda of Delhi. He was inciting the people to go towards Parliament House. These things are a plot on the democracy which should not be encouraged by any party.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण अगली बार जारी रखेंगे।

गैर सरकार सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

अठानवेंवा प्रतिवेदन

श्री म० ल० जाधव (मालेगांव) : मैं प्रस्ताव रखता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 98वें प्रतिवेदन से, जो 16 नवम्बर, 1966 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत हैं।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 98वें प्रतिवेदन से, जो 16 नवम्बर, 1966 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

वैयक्तिक स्वातन्त्र्य (प्रत्यावर्तन) विधेयक

PERSONAL LIBERTIES (RESOLUTION) BILL

Shri Yashpal Singh (Kairana): I beg to move for leave to introduce Personal Liberties (Resolution) Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय तारयंत्र अधिनियम, 1885 और भारतीय डाक घर अधिनियम, 1898 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

Shri Yashpal Singh: I introduce the Bill.

पशुवध निषेध विधेयक

CATTLE SLAUGHTER PROHIBITION BILL

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnore): I beg for leave to introduce a Bill to provide for prohibition of slaughter of cattle.

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : क्या इस सभा में इसे पुर:स्थापित किया जा सकता है। महान्यायवादी ने इसी सभा में यह राय व्यक्त की थी कि उस प्रकार का विधेयक लोक-सभा में पुर:स्थापित नहीं किया जा सकता।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी): इस प्रक्रम पर हम इसका विरोध नहीं करते हैं क्योंकि प्रथा यही रही है ।

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक): विधेयक का सम्बन्ध सूची संख्या 2 में दर्ज विषय से है और केवल राज्य ही उस विषय पर विधेयक बना सकते हैं । विधेयक यहां पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता और इस के लिये अनुमति नहीं दी जानी चाहिये क्योंकि संसद इस विषय पर विधि बनाने के लिए सक्षम नहीं है ।

श्री रघुनाथ सिंह : मेरा यह निवेदन है कि किसी विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब अध्यक्ष महोदय उसे नियमों के अनुसार समझते हैं ।

सभापति महोदय : हमारी यह प्रथा रही है कि किसी विधेयक के पुरःस्थापन का पुरःस्थापित किये जाने के समय विरोध न किया जाये । संविधान की शक्ति से परे होने का प्रश्न चर्चा के समय उठा जा सकता है । प्रश्न यह है :

> "कि पशुवध के निषेध के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

Shri Prakash Vir Shastri: I introduce the Bill.

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक--जारी

REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL—*contd.*

Shri Raghunath Singh (Varnasi): So far as clauses of the Bill are concerned, the rules have already been framed under which any person can get his name included in the list of members.

The defeated candidates bring false accusations against the successful candidates. There is no provision in the electoral law to protect against such baseless accusations. If it is proved that the accusations levelled by defeated candidates are false, he should be declared unfit for contesting the elections for six or seven years. The Government should find out the ways to protect the government officials against such false accusations by providing suitable provision in the electoral law.

श्री गो० ना० दीक्षित (इटावा) : दण्ड प्रक्रिया संहिता चुनाव याचिकाओं के लिए प्रक्रिया पर लागू होती है परन्तु वह अन्य कार्यवाही पर लागू नहीं होती । द्वेषपूर्ण तथा झूठे आरोपों के लिए और चुनाव याचिकाओं के लिए कोई दण्ड होना चाहिये । इसी प्रकार उन निर्वाचन अधिकारियों के विरुद्ध, जिन्हें अपना बचाव करने का कोई अधिकार नहीं है, झूठे आरोप लगाने वाले लोगों के लिए भी कोई दण्ड होना चाहिये । निर्वाचन विधि में उचित उपबन्ध होना चाहिए ।

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : मैं उस विधेयक का विरोध करता हूं। मुझे द्वितीय खण्ड आवश्यक दिखाई देता है। निर्वाचन विधि में यह परिवर्तन किया जा रहा है कि जब तक चुनाव आयोग द्वारा इनके विरुद्ध कोई निदेश न दिया जाये, प्रत्येक सामान्य चुनाव तथा उप-चुनाव से पूर्व निर्वाचन सूचियों का पुनर्विलोकन किया जायेगा। उन का वार्षिक पुनर्विलोकन निरर्थक है। इससे कोई अच्छा परिणाम नहीं निकलता। जहां तक आवश्यक हो और जहां कहीं इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे, वहां पुनर्विलोकन की व्यवस्था की जा रही है।

खण्ड 3 के बारे में यह कहा जा सकता हैं कि किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध लगाये गये झूठे आरोप और किसी दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध लगाये गये झूठे आरोप में अन्तर करना बहुत कठिन है।

धारा 100 के अन्तर्गत लोक-प्रतिनिधित्व विधेयक की योजना के अनुसार किसी सफल उम्मीदवार अथवा उसके अभिकर्त्ता का आचरण चुनाव याचिका का विषय हो सकता है। तीसरे पक्ष के विरुद्ध लगाये गये आरोप लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम की योजना के अनुसार भ्रष्ट आचरण में नहीं आते हैं, क्योंकि सफल उम्मीदवार का चुनाव रद्द करना होता है। इसके अतिरिक्ति वर्तमान विधि में किसी निर्वाचन याचिकाकार द्वारा लगाये गये झूठे आरोपों का मुकाबला करने के लिए की पर्याप्त व्यवस्था है। चुनाव याचिका के साथ-साथ शपथ-पत्र भी देना पड़ता है। चुनाव याचिका जांच याचिकाकार को करनी होती है। इसलिए आरोप झूठा सिद्ध होने पर याचिकाकार पर फौजदारी मुकदमा चलाया जाये। याचिकाकार को खर्च देने के लिए कहा जा सकता है। किसी न्यायालय में दीवानी मुकदमें अथवा फौजदारी के मामले में झूठे आरोपों की भांति याचिका में झूठे आरोपों को निपटाया जा सकता है। इसलिए खण्ड 3 बिल्कुल अनावश्यक है।

श्री मलाईछामी (पेरियाकुलम) : यह विधेयक पहले 1964 में प्रस्तुत किया गया था जब लोक-प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक संसद् में नहीं आया था। अब मैं अपने पहले संशोधन पर आग्रह नहीं करता।

सामान्यत: ऐसा होता है कि पराजित उम्मीदवार सफल उम्मीदवार और अधिकारियों के विरुद्ध झूठे आरोप लगा कर चुनाव याचिका दायर कर देता है और ऐसा परेशान करने के लिए किया जाता है। ऐसे लोगों को दण्ड मिलना चाहिये। मंत्री महोदय को कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिए जिससे हारे हुए उम्मीदवार द्वारा सफल उम्मीदवार और अधिकारियों को परेशान करने की प्रवृत्ति को रोका जा सके।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : जब सदन के सामने विधेयक आयेगा तो उसमें संशोधन प्रस्तुत किये जा सकते हैं। मैं प्रस्तावक महोदय को विधेयक पर आग्रह न करने की प्रार्थना करता हूं।

श्री मलाईछामी : मैं विधेयक को वापिस लेता हूं।

विधेयक, सभा की अनुमति से, वापिस लिया गया।

The Bill was, by leave, withdrawn.

परिवहन समन्वय विधेयक

TRANSPORT COORDINATION BILL

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि देश में अलग-अलग परिवहन पद्धतियों का समन्वय करने तथा तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को उस पर 1 फरवरी, 1967 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाये ।"

यह विधेयक विवादास्पद नहीं है, इसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे । विकासशील देशों के लिये परिवहन का महत्व बहुत अधिक है । हमारे देश में विभिन्न प्रकार के परिवहन हैं— सड़क परिवहन, विमान परिवहन, समुद्र परिवहन तथा नदी परिवहन, इस मामले में हम आत्म-निर्भर नहीं हैं ।

जहां तक विमान परिवहन का सम्बन्ध है, उस क्षेत्र में हमारी प्रगति अच्छी नहीं है । स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों के बाद भी हमने अपने व्यापारिक जलयानों के मामले में अधिक प्रगति नहीं की है । नदी परिवहन की सब से अधिक उपेक्षा की गई है । सभी प्रकार के परिवहन के समन्वित वैज्ञानिक तथा लाभकारी विकास की आवश्यकता है । सब से अधिक प्रभावी परिवहन व्यवस्था रेलवे की है । भारत में विभिन्न प्रकार की परिवहन सेवाओं में एक विचित्र सी प्रतियोगिता हो रही है ।

सरकार ने परिवहन नीति और समन्वय के लिए एक समिति नियुक्त की थी जिसने एक राष्ट्रीय नीति प्रस्तुत की है । सरकार का उद्देश्य यह है कि योजनाबद्ध आर्थिक विकास के अनुरूप सही आकार और स्वरूप का एक परिवहन ढांचा बनाया जाये । परिवहन ऐसा होना चाहिये कि वह आर्थिक विकास में सहायक हो तथा भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सके ।

आज हमें खाद्य स्थिति का सामना है । हमें राष्ट्रीय खाद्य नीति की आवश्यकता है । इसी प्रकार राष्ट्रीय परिवहन नीति की आवश्यकता है । उस नीति को कार्यान्वित करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति बनाई जाये जिसमें प्रधान मंत्री तथा कुछ केन्द्रीय मंत्री भी शामिल हों । उस समिति से अन्य समितियों को, प्रस्तावित परिवहन योजना तथा समन्वय समिति को आवश्यक पथ प्रदर्शन मिलेगा ।

इसके पश्चात् यह आयोग सावधानीपूर्वक एकत्रित तकनीकी तथा आर्थिक आंकड़ों के आधार पर इन विषयों पर विचार करेगा ।

दिल्ली में एक परिषद् की स्थापना की जानी चाहिए जिसके सदस्य केन्द्रीय तथा राज्य स्तरों के परिवहन तथा सड़क मंत्री हों, जिनका कार्य परिवहन समन्वय सम्बन्धी उपायों तथा नीतियों कीं प्रगति का पुनर्विलोकन करना होगा । सड़क परिवहन करारोपण तथा परिवहन सम्बन्धी अन्य प्रकार के करारोपण विषय को समवर्ती क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत ले आना चाहिए अलग-अलग क्षेत्राधिकारों में होने के कारण इस मामले में बहुत गड़बड़ तथा उलझनें पैदा होती हैं, इसलिए परिवहन को समवर्ती विषय बनाया जाना चाहिए और भिन्न-भिन्न किस्म के सड़क-करों को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए । जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक शिक्षा की भांति परिवहन का भविष्य भी अंधकारमय ही रहेगा ।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस विधेयक पर जनमत जानने के लिए वह इसे परिचालित करने के लिए सहमत हों ।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि 1 जनवरी, 1967 तक इस विधेयक पर जनमत जानने के उद्देश्य से उसे परिचालित किया जाए ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी (फिरोजाबाद) : देश में परिवहन के विभिन्न प्रणालियों के समन्वय की काफी गुंजाइश है । जहां कहीं, परिवहन अथवा यातायात के दूसरे साधनों का व्यवस्था करना अत्यावश्यक नहीं है तो यथा संभव ऐसा नहीं किया जाना चाहिए ।

दूसरी बात यह है कि प्रस्तुत विधेयक में उन क्षेत्रों के लिए परिवहन सम्बन्धी सुविधाओं की कोईव्यवस्था नहीं है, जहां ये सुविधाएं मौजूद नहीं हैं । स्थिति ऐसी है कि कुछ क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं का जाल बिछा हुआ है, जब कि अन्य क्षेत्रों में इन सुविधाओं की ओर बहुत ही कम ध्यान दिया गया है अथवा वहां इनकी व्यवस्था नहीं के समान है । जहां तक समन्वय का सम्बन्ध है, हमारे लिए यह देखना जरूरी है कि कौन-कौन से संसाधन उपलब्ध हैं और उनका प्रयोग कैसे किया जाता है । विधेयक के उद्देश्य बहुत अच्छे हो सकते हैं किन्तु विधेयक में समन्वय के बारे में तथा उपलब्ध संसाधनों के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया है । इसलिए सरकार को दी जा रही शक्तिओं का क्षेत्र इतना सीमित है कि विधेयक के उद्देश्य की पूर्ति तब तक नहीं हो सकेगी जब तक कि उसमें आमूल परिवर्तन न किया जाये अथवा उसे पूर्णत: एक नया रूप न दिया जाये ।

इन कारणों से मैं समझता हूं कि विधेयक को परिचालित किये जाने से पहले प्रस्तावक महोदय को उसका नया प्रारूप तैयार करना चाहिए ।

श्री स० चं० सामन्त (तामलुक) : सभापति महोदय, प्रस्तुत विधेयक का उद्देश्य तो अच्छा है किन्तु मैं समझता हूं इस प्रकार के विधेयक को लाने की इस समय आवश्यकता नहीं है क्योंकि सरकार इस दिशा में सवत: कार्यवाही कर रही है । सरकार ने सड़क परिवहन समिति नियुक्त की है और उसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है । इसके अतिरिक्त परिवहन समन्वय समिति नियुक्त की है जिसने विभिन्न परिवहन प्रणालियों का समन्वय करने तथा इन संगठनों में कार्यकुशलता लाने के लिए कुछ तरीके अपनाने की सिफारिश की है ।

परिवहन के क्षेत्र में अब अधिक स्पर्धा नहीं है, केवल रेल सड़क परिवहन में किसी हद तक प्रतिस्पर्धा है जो देश में औद्योगिक विकास के कारण और बढ़ सकती है । देश में परिवहन की आवश्यक प्रगति जरूर होगी । मेरे मित्र (विधेयक के प्रस्तावक) ने रेल तथा सड़क परिवहन के बीच प्रतिस्पर्धा के सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करने की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है । अधिकतर मामलों में रेल-परिवहन सड़क-परिवहन की तुलना में सस्ता है किन्तु रेलवे में माल के लाने, ले जाने , लादने, उतारने तथा देखभाल आदि के मामले में लापरवाही बरती जाती है । ये चीजें प्रकाश में नहीं आ रही हैं क्योंकि इस समय रोडवेज और रेलवे के बीच माल लाने-ले जाने में प्रतिस्पर्धा नहीं है लेकिन भविष्य में सरकार के लिये इस बारे में विचार करना आवश्यक है और इन दोनों परिवहनों को देश में उत्पादित औद्योगिक माल को कम भाड़े पर ले जाना चाहिये ।

समुद्रतटीय परिवहन को, इस बात के बाबजूद भी कि वह रेल परिवहन से महंगा हैं, कोयला लाने-ले जाने के मामले में वरीयता दी जाती है क्योंकि रेलवे को देश के पूर्वी भाग से दक्षिण, पश्चिम तथा अन्य भागों को कोयला ले जाने में कठिनाई होती है । सरकार इस मामले की ओर ध्यान दे रही है ।

अन्तर्देशीय जल अर्थात् नदी परिवहन में सुधार करने के लिए भी कार्यवाही की जानी चाहिये ताकि देश के विभिन्न भागों में माल ले जाने की और अधिक सुविधाएं मिल सकें और भाड़ा भी सस्ता रहे। यह खुशी की बात है कि सरकार इस दिशा में काफी प्रयत्नशील है।

विधेयक के प्रस्तावक ने प्रत्येक चीज सरकार को सौंप दी है। गैर-सरकारी विधेयक में कम से कम इस प्रकार का उल्लेख तो होना ही चाहिए कि सरकार द्वारा बनाये जाने वाले नियम तथा विनियम अमुक स्वरूप के होने चाहिए अन्यथा उसकी उपयोगिता क्या है।

विधेयक को परिचालित करने का उद्देश्य यह है कि देश की जनता की राय ली जा सके। सरकार विभिन्न समितियां नियुक्त करके इस दिशा में पहले से ही जानकारी एकत्रित कर रही है। अतः विधेयक को परिचालित करने से कोई लाभ नहीं होगा।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन नहीं करता हूं।

श्री लीलाधर कटकी (नौगांव) : प्रस्तुत विधेयक के माध्यम से प्रस्तावक महोदय ने जो विचार रखने का प्रयत्न किया है उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं किन्तु विधेयक के पीछे जो कल्पना है, वह नई नहीं है। सरकार इस दिशा में पहले से ही प्रयत्नशील है, उसने परिवहन समन्वय समिति नियुक्त की थी जिसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है। आशा है सरकार इस विषय पर एक व्यापक विधेयक लायेगी।

हमने अपनी क्षमता तथा संसाधनों के अनुसार परिवहन के प्रणालियों का सर्वोत्तम विकास किया है। किन्तु फिर भी इस क्षमता का पूरी तरह उपयोग करने की गुंजाइश है।

परिवहन प्रणाली का समन्वय करने में बहुत सी कठिनाइयां हैं क्योंकि परिवहन, विशेषत : सड़क परिवहन भिन्न-भिन्न अभिकरणों के हाथ में है। परिवहन प्रणाली के समन्वय के सम्बन्ध में एक व्यापक विधेयक केवल सरकार ही बना सकती और उसे यथाशीघ्र ऐसा करना भी चाहिए। ऐसा इसलिए जरूरी है कि परिवहन की विभिन्न प्रणालियों के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। इसके फलस्वरूप परिवहन के थोड़े बहुत जो साधन हमारे पास थे, उनकी बर्बादी हुई जिससे राष्ट्रीय अपव्यय हुआ। इस स्थिति को ठीक करने के लिए सरकार को कानून बनाना चाहिये। किसी विशेष रेलवे लाइन, नई सड़क , नई परिवहन लाइन अथवा अन्तर्देशीय जल-परिवहन विकास की मजूरी देते समय परिवहन के पहलू को ध्यान में रखा जाना चाहिये।

नदी परिवहन का पूर्ण विकास करने की नितान्त आवश्यकता है। कुछ माल ऐसा है जिसे नदी परिवहन से कम खर्चे पर लाया-ले जाया जा सकता है किन्तु चूंकि सरकार ने इस प्रणाली की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया है, इसलिए हम परिवहन की इस प्रणाली का पूरा-पूरा उपयोग नहीं कर पाये हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में परिवहन व्यवस्था को जारी रखना अत्यावश्यक है क्योंकि इस इलाके में जो कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, केवल रेल तथा सड़क परिवहन से यातायात की आवश्यकता पूरी नहीं होती।

प्रस्तुत विधेयक को जनता की राय जानने के लिए परिचालित न किया जाये क्योंकि उससे प्रस्तावक महोदय का उद्देश्य, जो कि उनके दिमाग में है, पूरा नहीं होगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : विधेयक का उद्देश्य, वास्तव में, अच्छा है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि परिवहन के सभी साधनों तथा प्रणालियों में समन्वय करना नितान्त आवश्यक है। सरकार इस मामले पर पहले से ही विचार कर रही है। इस समस्या का अध्ययन करने के लिए सरकार ने एक समिति नियुक्त की है जिसने अपने प्रतिवेदन दे दिये हैं जिन पर सरकार विचार कर रही है। यदि विभिन्न परिवहन-साधनों का समन्वय संवैधानिक उपबन्धों के अधीन किया जा सकता है तो अवश्य किया जायेगा। मेरे मित्र श्री दी० चं० शर्मा का प्रस्तुत विधेयक बहुत ही संक्षिप्त एवं अस्पष्ट है। जनमत जानने के उद्देश्य से इसे परिचालित करने में कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए, विधेयक के उद्देश्य की सराहना करते हुए मैं श्री शर्मा जी से अपना विधेयक वापस ले लेने का अनुरोध करूंगा।

श्री दी० चं० शर्मा : सभापति महोदय, विधेयक में केवल दो बातें हैं। एक यह कि परिवहन के सभी साधनों का समन्वय किया जाये। दूसरी यह कि परिवहन के समूचे ढांचे को सुव्यवस्थित बनाया जाये। यदि मंत्री महोदय इस विधेयक को परिचालित करने के लिए सहमत हो जायें तो मैं समझता हूं, इस सम्बन्ध में जनता से कुछ और अधिक व्यापक विचार तथा महत्वपूर्ण बातें सामने आ सकती हैं और उनका अध्ययन करने के बाद सरकार एक व्यापक विधेयक ला सकती है जो इस विधेयक की भावना को पूरी करेगा।

मंत्री महोदय की राय के अनुसार मैं इस विधेयक को वापस लेना चाहता हूं।

सभापति महोदय : क्या सभा माननीय सदस्य को अपना विधेयक वापस लेने की अनुमति देती है ?

विधेयक, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

The Bill was, by leave, withdrawn.

उद्जनित वनस्पति तेलों के उत्पादन तथा आयात का निषेध विधेयक

PROHIBITION OF MANUFACTURE AND IMPORT OF HYDROGENATED VEGETABLE OILS BILLS

Shri Yashpal Singh (Kairana): I beg to move:

> "That the Bill to provide for prohibition of manufacture and import of hydrogenated vegetable oils to India, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 1st February, 1967.

There is a very old proverb—as a man eats so he becomes— So if one uses adulterated eatables or edibles, his health or character cannot be built up. So far as adulteration is concerned the Government have never pursued a firm policy. They have no principle to follow.

The Government is responsible for adulteration, for example, the urine of fish is included in the milk supplied under the Delhi Milk Scheme.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिंदे) : श्रीमान्, सदस्य महोदय अपने विधेयक की परिधि से बाहर जा रहे हैं। दिल्ली दुग्ध योजना के दूध के बारे में ऐसे वक्तव्य गलतफहमी पैदा करते हैं और यह आरोप सर्वथा गलत तथा निराधार है।

सभापति महोदय : सदस्य महोदय केवल अपने विधेयक के सम्बन्ध में बोलें। दिल्ली दुग्ध योजना पर इस समय चर्चा नहीं हो रही है।

Shri Yashpal Singh: The use of hydrogenated vegetable oil was detrimental to health. Its use was shattering the health of our countrymen and making the nation weak. Its continued use will make us incapable of defending our freedom.

The manufacture of vegetable oil should be prohibited. Stringent punishment should be given to those who manufacture it.

Greatmen like Mahatma Gandhi and Dr. Rajendra Prasad were of the opinion that if we want to build up the national character of our countrymen, if we want to see that the health of our nationals is not shattered, then the manufacture of vegetable oil should be banned.

There is an old saying that as a man eats so he becomes. The continued use of Dalda has made us incapable of doing anything. In case its manufacture is banned for a decade, our country will become more strong and our neighbouring countries such as China and Pakistan will fear us.

Denmark is a small country inhabited by twenty-two lakh persons. But she is producing ghee more than her requirements. They are supplying butter to the whole world. But our fifty crore persons have not been able to solve their problem of ghee. We are not short of green manures. Our forest wealth is not less. We could have solved this problem by protecting our cows.

Government gives an argument that suitable colouring medium for vegetable has not been evolved. It is a sad state of affairs that our scientists have not been able to find a suitable medium for colouring vegetable oils. I should say that our Government has not been able to find a suitable colour for vanaspati because they are under the influence of capitalists who are engaged in the manufacture of vanaspati ghee. These capitalists contribute to the election funds of the ruling party. That is why Government has not banned the manufacture of vegetable ghee. If our Government wants to protect the health of our countrymen, if our Government wants to make our nation strong so that it could preserve its territorial integrity then they should impose a ban on the manufacture of vegetable oils without any further delay.

I would like to know the clear cut policy of the Government in this respect. On the one hand Government says that vegetable oil has become a part of cooking of a common man on the other hand they are increasing the duty on it. The use of Dalda is shattering the health of our countrymen and making our nation weak. Ban on its manufacture should therefore be imposed immediately. I would request the hon. Members to give thought to this matter and support me.

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ : "कि भारत में उद्जनित वनस्पति तेलों के उत्पादन तथा आयात के निषेध का उपबन्ध करने वाले विधेयक को उस पर 1 फरवरी 1967 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाए।"

Shri Raghunath Singh (Varanasi): I have heard the speech of Shri Yashpal Singh carefully. He has failed to give arguments in favour of banning manufacture and import of hydrogenated vegetable oils in India.

The hon. Member had said that the continued use of vegetable oils would make us incapable of defending our land from China. But he should know that the Chinese take neither milk nor ghee. They take vegetable oil. If by taking vegetable oil they can attack us we should also be in a position to face them by taking vegetable oil.

Another argument advanced by Shri Yashpal Singh was that people in the whole world take ghee. I want to tell him that nowhere in the world ghee has formed part of the people's diet. It is only in India that this custom is prevalent. People in Thailand, Burma and South-East Asian countries do not take ghee.

The hon. Member had said that the manufacture of vegetable oil should be prohibited. But vegetable oils have become a part of our cooking. In case ghee is not available the housewives use oil. The common man cannot do without these oils. A ban on them, therefore, would bring his kitchen to a close.

If we want to take ghee we will have to protect our cows. There used to be a cow in every house in the past. But now there is hardly any house where there is a cow. One has to face a number of difficulties to keep a cow. One such difficulty is like of pasture land. Therefore the only way to increase the production of ghee is to develop the cattle wealth of the country and not to prohibit the production of vegetable oils.

So long as ghee is not available in sufficient quantity people will have to rely on vegetable oils.

As far as the question to check adulteration of ghee with Dalda is concerned some method should be devised for colouring Dalda.

I oppose this Bill because it is not practical and the country is not going to benefit thereby.

Shri Balmiki (Khurja): So many times discussions have taken place in this House regarding Dalda and vegetable ghee. I am also of the opinion that some method should be found out to distinguish vegetable oil from ghee so that adulteration could be avoided. The question of colouring vegetable oil had come up so many times but it is a matter of great regret that our scientists have not been able to find suitable colour for vegetable ghee. The Government should make serious efforts in that direction.

I want to draw your attention that whenever we think of ghee our mind goes towards the cattle wealth of our country. It is regrettable that during all these years our cattle wealth has been deteriorating. Government should

take stern steps for the improvement of the cattle wealth of the country. Apart from the fact that cow is associated with our culture, it is a source of milk and ghee also. The cows should not be slaughtered and must be protected. The treatment that is being meted out with the cows and other milch animals is not proper. They must be protected.

There is very much shortage of pasture land in our country. Though there are clear instructions from Government that pasture land should be excluded for purposes of consolidation of land but some forceful persons plough such lands. The way the cow slaughter movement is being crushed it is not going to yield any results. I am fully of the opinion that Government should protect cows. With their protection the production of milk and thereby ghee will increase. The common man who cannot afford ghee at present will also be able to take it. At the end I would like to say again that some method must be devised to distinguish vegetable oil from ghee. The scientists should find out a colour which is not harmful to take but which can be used for colouring vegetable oil.

With these words I support the Bill.

Shri Gauri Shankar Kakkar (Fatehpur): Sir, so many times this question has been raised in this House that the adulterated ghee is detrimental to health. So Government should do something so that vegetable oil could not be mixed with pure ghee. I remember our Food Minister Shri Subramaniyam had once said that three expert committees were appointed to go into this question. Lakhs of rupees have been spent on these committees. But the hon. Minister has clearly said that those committees have not been able to find out a suitable colouring medium for vegetable oil. I am sorry to state his Ministry's research laboratory at Dehra Dun has evolved a chemical powder which can be used for colouring vegetable oil. This powder will also not have any adverse effect on the health of the people. It is an age when our science and medical science have made great strides. Therefore it is not possible to believe Government's version that no colouring medium can be devised. Sir, I am compelled to say and these are not only my views but the views of all the nationals of the country that the private sector, which produces vegetable oil, is opposed to it because if such a colouring medium is found out it would reduce their profits. They had been using their influence with the Government against its colouring.

I remember, when vegetable oil was first manufactured in the year 1936 the manufacturers used to give free of charge a tin of one seer of ghee. But people were not accepting it. They used to hate it like anything. But this is an age of publicity. The prices of the same has now risen up to 6 or 7 rupees.

Government gives an argument that they have consulted the doctors who are of the view that vegetable oil is not detrimental to health. But I am of the opinion that vegetable oil may not be harmful to health but when that is adulterated with ghee it becomes harmful. I would, therefore, like to know from the Government whether they have given up this idea for good or efforts are still being made to devise colouring medium.

Shri Radhelal Vyas (Ujjain): The Bill before us has given us an opportunity to discuss something on this subject. It is true that ghee is a much better thing than vegetable oil and it is also true that ghee is being adulterated by mixing vegetable oils. I may also state that when vegetable ghee had not been manufactured people used to adulterate ghee by various other

methods. The main problem, therefore, before us is how to stop adulteration of ghee. So far as the adulteration of ghee with vegetable oil is concerned Government should see whether the hydrogenation of oils can be stopped. If hydrogenation will be stopped then the vegetable oil will be available only in liquid form. The result will be that it could not be mixed with pure ghee.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य आप अपना भाषण कल जारी कर सकते हैं ।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार 21 नवम्बर, 1966/30 कार्तिक, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till the Eleven of the clock on Monday, the 21st November, 1966/Kartika 30, 1888 (Saka).

GMGIPND—LSIII—2378 (ai) LSD—23-5-67—600.